

विश्वास के साथ
आगे बढ़ते हुए ▶
SURGING AHEAD
WITH CONFIDENCE

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2010-11



वार्षिक रिपोर्ट ■ ANNUAL REPORT 2010-11



कार्पोरेशन बैंक

सर्वोत्तम

राष्ट्रीयकृत बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक

CORPORATION BANK

Conferred

BEST NATIONALISED BANK
"Bloomberg UTV - Financial Leadership Awards 2011"
PUBLIC SECTOR BANK
by "FE - India's Best Banks Survey 2010"

बैंक हो तो ऐसा!

Bank ho toh aisa!

कार्पोरेशन बैंक



Corporation Bank

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

कार्पोरेशन बैंक भारत का सबसे अधिक ग्राहक हितैषी बैंक

आउटलुक मनी-टीएनएस विवेचन के अनुसार

Corporation Bank
INDIA'S MOST
CUSTOMER
FRIENDLY
BANK

AS RANKED BY
OUTLOOK MONEY-TNS STUDY



सपना :

“विश्व मानकों से युक्त सबसे पसंदीदा बैंक”

Vision:

“Most Preferred Bank with Global Standards”

निदेशक मंडल The Board of Directors



(बाएं से दाएं बैठे हैं श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री अश्वनी कुमार, श्री रामनाथ प्रदीप, श्री नरेंद्र सिंह, श्रीमती ग्रेस कोशी और श्री ललित कुमार
बाएं से दाएं खड़े हैं श्री वी रघुरामन, श्री कौशिक कुमार घोष, श्री वेंकटराव वाई घोरपडे, श्री अजय गर्ग, श्री हीरेन मेहता और श्री थॉमस मैथ्यु टी.)

(Sitting from L to R: Shri Raj Kumar Agrawal, Shri Ashwani Kumar, Shri Ramnath Pradeep, Shri Narendra Singh, Smt. Grace Koshie and Shri Lalit Kumar.
Standing from L to R: Shri V Raghuraman, Shri Kaushik Kumar Ghosh, Shri Venkatrao Y Ghorpade, Shri Ajay Garg, Shri Hiren Mehta and Shri Thomas Mathew T.)



मुख्य महा प्रबंधक

श्री यू. बालकृष्ण भट्ट

Chief General Manager

Shri U. Balakrishna Bhat

महा प्रबंधकगण

श्री बी.आर. भट्ट
श्री के. राम मूर्ति
श्री एच.एम.ए. खान
श्री एन.आर. शेट
श्री सी.वी.आर. राजेंद्रन
श्री एच.एस. सैनी
श्री बी.एन.सतीश
श्री सी.जी. पिंटो
श्री एम. परीत कुंजु
श्री सजीव कृष्णन
श्री वाई.एस. जैन
श्री बी. नारायण शेणै
श्री एस. पट्टाभिरामन
श्री के. गिरिधर शेणै
श्री बी. लक्ष्मीनारायणा
श्री के.वी. राघव कामत
श्री पी.आर. कारंत
श्री बी.के. दिवाकर
श्री पी.एस. बालिगा
श्री जय कुमार
श्रीमती स्वाति एस.एम.

General Managers

Shri B.R. Bhat
Shri K. Rama Murthy
Shri H.M.A. Khan
Shri N.R. Shet
Shri C.V.R. Rajendran
Shri H.S. Saini
Shri B.N. Satish
Shri C.G. Pinto
Shri M. Pareeth Kunju
Shri Sajeev Krishnan
Shri Y.S. Jain
Shri B. Narayan Shenoy
Shri S. Pattabiraman
Shri K. Giridhar Shenoy
Shri B. Lakshminarayana
Shri K.V. Raghava Kamath
Shri P. R. Karanth
Shri B. K. Divakara
Shri P. S. Baliga
Shri Jai Kumar
Smt. Swathi S.M.

मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी. आर. कारंत

Chief Financial Officer

P. R. Karanth

कंपनी सचिव

एस. के. दाश

Company Secretary

S. K. Dash

लेखा परीक्षक

मेसर्स आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
मेसर्स विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
मेसर्स ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
मेसर्स राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
मेसर्स के. वर्गीज एण्ड कं.
मेसर्स वी. नारायणन एण्ड कं.

Auditors

M/s. R. Devendra Kumar & Associates
M/s. Vinod Kumar & Associates
M/s. O.P. Totla & Co.
M/s. Rajendra K. Goel & Co.
M/s. K. Varghese & Co.
M/s. V. Narayanan & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर

अंतरण एजेंट

कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
प्लॉट नं. 17-24
विठ्ठल राव नगर
माधापुर
हैदराबाद – 500 081
दूरभाष: 040-44655115
040-44655117
फैक्स: 040-44655021
टोल फ्री नं. 1-800-3454-001
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

Registrar & Share

Transfer Agent

Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Plot No. 17-24
Vittal Rao Nagar
Madhapur
Hyderabad – 500 081
Tel: 040-44655115
040-44655117
Fax: 040-44655021
Toll Free No. 1-800-3454-001
E-mail: einward.ris@karvy.com

**वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2010-2011****विषय-सूची CONTENTS**

विवरण Particulars	पृष्ठ सं Page No.
1. अध्यक्ष का अभिभाषण CHAIRMAN'S STATEMENT	2
2. सूचना NOTICE	12
3. निदेशकों की रिपोर्ट DIRECTORS' REPORT	18
4. प्रबंधन-वर्ग विवेचन एवं विश्लेषण MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS	30
5. कार्पोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE	60
6. बैंक की गत दस वर्ष के निष्पादन की विशिष्टताएँ PERFORMANCE HIGHLIGHTS FOR THE LAST 10 YEARS	113
7. तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT	128
8. समेकित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा CONSOLIDATED BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT	180
9. कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. (अनुषंगी कंपनी) के लेखे ACCOUNTS OF CORPBANK SECURITIES LTD. (SUBSIDIARY COMPANY)	204
10. उपस्थिति पर्ची ATTENDANCE SLIP	229
11. एनईसीएस अधिदेश NECS MANDATE	231
12. प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	233

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से

उत्कृष्टता की ओर बढ़ते हुए....

प्रिय शेयरधारको,

1. वर्ष 2010-11 के लिए बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए मुझे प्रसन्नता है। इस अवसर पर मुझे देश के आर्थिक परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण तथा पिछले वर्ष के दौरान आपके बैंकके निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ आपके सम्मुख रखते हुए बेहद खुशी हो रही है।

2. आर्थिक परिदृश्य

2.1 वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त 8.0% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.5% की वृद्धि दर्ज हुई। पिछले वर्ष के 0.4% की वृद्धि की तुलना में कृषि क्षेत्र में 2010-11 में 6.6% की अच्छी वृद्धि देखी गई।


2.2 वित्त वर्ष 2010-11 की शुरुआत अप्रैल, 2010 में 11% की द्विअंकीय डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति से हुई। पहले खाद्य और ईंधन मूल्यों की वजह से बढ़ी, वर्ष के गुज़रते- गुज़रते सभी क्षेत्रों में छा गई। सरकारियों और विनिर्मित वस्तुओं की ऊँची कीमतों के कारण मार्च, 2011 में मुद्रास्फीति 8.98% तक बढ़ गई।

2.3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 10.5% की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान 7.8% की वृद्धि दर्ज की। विदेशी व्यापार की वजह से निष्पादन अच्छा रहा। सभी उम्मीदों को पार करते हुए देश की पण्य निर्यात ने वर्ष 2010-11 में 37.5% की सार्वकालिक उच्च वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। जबकि आयात में 21.6% की वृद्धि दर्ज हुई।

2.4 बैंकिंग परिदृश्य में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 25 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियों में पिछले वर्ष में दर्ज 17.2% की तुलना में 15.8% की वृद्धि हुई। बैंक उधार में वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिकल्पित खाद्येतर उधार वृद्धि लक्ष्य 20% से अधिक 21.4% की हुई। स्थूल मुद्रा (एम 3) में वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 17.1% की तुलना में 16.0% थी।

2.5 उच्च स्फीतिकारी दबावों और ब्याज दरों के उच्च स्तर, जो उच्चतर उधार लागत के कारण कार्पोरेटों की पूँजीगत विस्तार योजनाओं में मंदी से और भी बढ़ सकते हैं, की वजह से चालू वित्त वर्ष 2011-12 हेतु वृद्धि सामान्य हो सकती है। ऊर्जा और पण्य मूल्यों में अनिश्चितता अर्थव्यवस्था में कीमतों की स्थिति पर और भी दबाव डाल सकती है।

2.6 वर्ष 2010-11 के दौरान आपके बैंक ने शानदार निष्पादन किया है। बैंक ने एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए ₹. 2,00,000 करोड़ के कुल कारोबार के स्तर को पार किया है। बैंक 30% से अधिक कारोबार वृद्धि दर्ज कर पाया है। जमाराशियों में बैंकिंग क्षेत्र की 16% की वृद्धि के मुकाबले बैंकने 26% की वृद्धि दर्ज की तथा ऋणों में 21% की बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि की तुलना में 37% की वृद्धि हुई।




2.7 कारोबार विस्तार में इस शानदार गति से वृद्धि करने के अलावा बैंक, वित्तीय समावेशन, ग्राहक सेवा तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की पहल पर जोर देता रहा है। इन प्रयासों के लिए मान्यता के तौर पर समग्र कारोबार, वित्तीय समावेशन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ग्राहकसेवा के क्षेत्र में बैंक को कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जो उद्योग में हमारी मज़बूती और निष्पादन को प्रतिबिंबित करता है।

3. निष्पादन विशिष्टताएँ

अभी समाप्त वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज करते हुए आपके बैंकने शानदार संवृद्धि निष्पादन दर्ज किया है। निष्पादन संबंधी मुख्य बातें आपकी जानकारी के लिए नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)



FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR**RACING TOWARDS EXCELLENCE....**

Dear Shareholders,

1. It is with immense pleasure I present before you the Annual Report of the Bank for the year 2010-11. On this occasion I am happy to share with you in brief, the Economic Scenario of the Country and salient features of your Bank's Performance during the last one year.

2. Economic Scenario

2.1 During 2010-11, Indian economy registered a growth of 8.5% compared to a growth of 8.0% achieved in the financial year 2009-10. The agriculture sector has shown a good growth of 6.6% in 2010-11 as against previous year growth of 0.4%.


2.2 The financial year 2010-11 started with a double digit WPI headline inflation of 11% in April 2010. Initially driven by food and fuel prices, inflation became more generalized as the year progressed. High prices of vegetables and manufactured items drove the headline inflation in March 2011 to 8.98%.

2.3 The Index of Industrial Production (IIP), during financial year 2010-11, registered a growth of 7.8%, compared to a growth of 10.5% in the corresponding period of the previous year. It was the foreign trade, which gave good performance. Exceeding all expectations, the country's merchandise exports registered an all-time high annual growth rate of 37.5% in 2010-11, while the imports registered a growth of 21.6%.

2.4 On the banking front, during Financial Year 2010-11, the aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) as on 25th March 2011, increased by 15.8% compared to 17.2% recorded in the previous year. Bank credit grew by 21.4%, exceeding RBI's projected non-food credit growth target of 20% for Financial Year 2010-11. Broad money (M3) grew by 16.0% compared to 17.1% recorded in the corresponding previous year

2.5 The growth for the current Financial Year 2011-12 is expected to moderate due to higher inflationary pressures and high level of interest rates which may further get augmented due to slow down in the capital expansion plans of corporates due to higher borrowing cost. The uncertainty about energy and commodity prices may further strain the price situation in the economy.

2.6 During 2010-11, your Bank has done exceedingly well. The Bank has crossed a figure of Rs 2,00,000 crore in total business for the year ended March 2011, creating a milestone for the Bank. The Bank could register a business growth of over 30%. As against the industry growth of 16% in deposits, the Bank registered a growth of 26% and credit grew at over 37% against the system growth of 21%.




2.7 Besides growing at this wonderful pace in business expansion, the Bank has continued its emphasis on financial inclusion, customer service and corporate social responsibility initiatives. As recognition to these efforts, the Bank received number of awards, accolades and recognition in the field of overall business, financial inclusion, IT and Customer Service, showing our strength and performance across the industry.

3. Performance Highlights

Your Bank has recorded a spectacular performance for the just concluded financial year by registering a marked improvement in many spheres. The highlights of the performance are set out herein below for your information.

(₹ in crore)

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

3.1 कारोबार वृद्धि:

पहली बार आपके बैंक ने ₹ दो लाख करोड़ का कारोबार पार करते हुए एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तीन वर्षों की अवधि में दुगुना और 10 वर्षों में 8 गुना बढ़ा है।

बैंक का कुल कारोबार 31.03.2010 के ₹1,55,936 करोड़ के स्तर से 30.56% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.3.2011 को ₹ 2,03,598 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।

25.90% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए कुल जमा राशि ₹1,16,748 करोड़ तक तथा अग्रिम 37.42% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 86,850 करोड़ तक पहुँच गए।


निवेश पिछले वर्ष के ₹ 34,523 करोड़ से 25.87% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹ 43,453 करोड़ तक बढ़ गया।

3.2 लाभप्रदता

बैंक का परिचालनात्मक लाभ 22.73% की वृद्धि दर के साथ ₹485.67 करोड़ बढ़कर ₹2,622.40 करोड़ हो गया।

(₹ करोड़ में)

परिचालन लाभ व निवल लाभ



कर्मचारियों के लिए पेंशन के दूसरे विकल्प के प्रति प्रावधान को निकालकर परिचालनात्मक लाभ में 31.38% की वृद्धि हुई।

निवल लाभ पिछले वर्ष के स्तर से 20.77% बढ़कर ₹1,413.27 करोड़ हो गया।

सेवानिवृत्त/वर्तमान कर्मचारियों के लिए पेंशन के दूसरे विकल्प के प्रति प्रावधान को निकालकर निवल लाभ में 31.31% की वृद्धि दर्ज हुई।

3.3 बेसल II के तहत बैंक का सीआरएआर 14.11% के संतोषजनक स्तर पर रहा।

बैंक की निवल मालियत ₹ 7,138 करोड़ रही, जो 23.60% की वृद्धि दिखाती है।

इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 20.70% तथा आरओए 1.21% रहा।

प्रति शेयर आय ₹98.50 तथा प्रति शेयर बही मूल्य ₹497.62 तक बढ़ गया।

निवल ब्याज आय (एनआईआई) पिछले वर्ष के आंकड़े से 54.45% से बढ़कर ₹2,939.74 करोड़ हो गई। निवल ब्याज मार्जिन(एनआईएम) 2.52% रहा।

3.4 सकल एनपीए 0.91% तक कम हुई तथा निवल एनपीए 0.46% पर रही। आय में लागत का अनुपात 38.50% रहा।

स्टाफ उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई। जबकि प्रति कर्मचारी कारोबार मार्च 2010 के ₹12.69 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 को ₹15.73 करोड़ हो गया, इसी अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी निवल लाभ ₹9.52 लाख से बढ़कर ₹10.92 लाख हो गया।

बैंक का अटल विश्वास है कि नए ग्राहक लाने तथा वर्तमान ग्राहकों से अच्छे संबंध रखने से ही बैंक नए व अतिरिक्त कारोबार हासिल कर पाएगा। वर्ष के दौरान बैंक का ग्राहक आधार मार्च 2010 के 103.71 लाख से बढ़कर मार्च 2011 को 122.01 लाख हो गया।

3.5 **सेवा केन्द्र** : वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान बैंक के सेवा केन्द्रों की संख्या 5000 का मील पत्थर पार करके 5111 पहुँच गई, जिन में 1361 शाखाएँ, 1250 एटीएम व 2500 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ शामिल हैं। वर्ष के दौरान बैंक की 206 शाखाएँ, 105 एटीएम तथा 1300 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ खोली गईं।

3.6 लाभांश

मजबूत वित्तीय परिणामों को देखते हुए, आपके बैंक के निदेश मंडल ने प्रति ₹10/- के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए वर्ष 2010-11 के लिए ₹20/- के हिसाब से अब तक का सर्वाधिक लाभांश देने की सिफारिश की है।

4. नई पहल

बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी रहने के लिए आपके बैंक ने निम्नलिखित नई एवं चुनौतीपूर्ण पहल की है।

- वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बैंक मानकों का निर्धारण करता रहा है। 31.03.2012 के लिए निर्धारित वित्तीय समावेशन लक्ष्य को 31 दिसंबर 2010 तक ही (यानी निर्धारित दिनांक से 15 माह पहले ही) पूरा किया और राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा आबंटित 334 स्थानों में से 13 स्थानों में शाखा मॉडल तथा बाकी 321 स्थानों में कारोबार प्रतिनिधि मॉडल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ चालू की गईं।
- बैंक की पहुँच का विस्तार करने के लिए तथा प्रभावी निगरानी व नियंत्रण प्रणाली के लिए देश भर में 12 नए अंचल खोले गए जिससे शाखाओं की अनन्य निगरानी हो।

3.1 Business growth:

For the first time, your Bank has created a landmark by crossing Total Business figure of **Rupees Two lakh crore**. The Business of the Bank has doubled in three years span and grown 8 times in 10 years.

As on 31.3.2011, the Total Business of the Bank reached a level of ₹ 2,03,598 crore from ₹1,55,936 crore recorded as on 31.03.2010, registering a growth of 30.56%.

The Total Deposits surged to ₹1,16,748 crore at a growth rate of 25.90% and the advances reached ₹86,850 crore, registering a growth of 37.42%.


Investments grew to ₹43,453 crore from ₹34,523 crore during the previous year, registering a growth rate of 25.87%.

3.2 Profitability

Operating Profit of the Bank has grown by ₹485.67 crore at a growth rate of 22.73% to reach ₹2,622.40 crore.

(₹ in crore)

Operating Profit & Net Profit



Excluding the provision towards 2nd option for Pension scheme of employees, the Operating profit has grown by 31.38%.

Net profit has grown by 20.77% over the last year's figure and stood at ₹1,413.27 crore.

Excluding the provision towards 2nd option scheme of retired/existing employees, the Net profit has recorded a growth of 31.31%.

3.3 CRAR of the Bank under Basel II stood at a comfortable level of 14.11%

Net worth of the Bank stood at ₹ 7,138 crore, recording a growth of 23.60%

Return on Equity [ROE] works out to 20.70% & ROA works out to 1.21 %

Earnings per Share rose to ₹98.50 and the Book Value per share increased to ₹497.62.

Net Interest income (NII) increased by 54.45% to ₹2,939.74 crore - over the previous year's figure. Net Interest Margin (NIM) stood at 2.52%

3.4 The Gross NPA decreased to 0.91% and Net NPA stood at 0.46% Cost to Income ratio stood at 38.50%

The **Staff Productivity** has recorded a marked improvement. While, Business per employee moved up from ₹12.69 crore as of March 2010 to ₹15.73 crore as at March 2011, Net Profit per employee went up from ₹9.52 lakhs to ₹10.92 lakhs during the same period.

The Bank firmly believes that bringing in new clients and nurturing the relationship with existing clients will only help in getting new and additional business to the Bank. During the year, the clientele base of the Bank increased to 122.01 lakhs as on March 2011 from 103.71 lakhs as at March 2010.

3.5 Service Outlets : Bank's service outlets crossed 5000 mark during FY2011 to reach 5111 units comprising of 1361 Branches, 1250 ATMs & 2500 Branchless Banking Units. During the year, the Bank opened 206 Branches, 105 ATMs and 1300 Branchless Banking Units.

3.6 Dividend

Taking into consideration the strong financial results, the Board of Directors of your Bank has recommended an all time high dividend of ₹20/- per equity share of ₹10/- each for the year 2010-11.

4. New Initiatives

Your Bank has taken the following new and challenging initiatives to be at the forefront among the Banking sector:

- The Bank has been setting standards in the area of Financial Inclusion. The Bank has completed the Financial Inclusion target scheduled for 31.03.2012 by 31st December 2010 itself (i.e. 15 months ahead of the scheduled date i.e. 31.03.2012) and operationalised banking services in all the 334 locations allocated by various SLBCs- at 13 locations by way of Branch Model and at the remaining 321 locations by way of Business Correspondent model.
- To expand the reach of the Bank and to have effective monitoring and control mechanism, 12 New Zones across the country have been created for making branches more exclusive for monitoring.



- परिचालन की कार्यक्षमता व नियंत्रण बढ़ाने के लिए कार्पोरेट, मध्यम कार्पोरेट, लघु मध्यम उद्यम तथा वसूली के रूप में नए वर्टिकल्स बनाए गए।
- बैंक ने अपने ई-पेमेंट गेटवे के ज़रिए “ई-काणिके” (ई-डॉनेशन) सेवा शुरू की है जिससे श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंदिर को श्रद्धालु इंटरनेट के ज़रिए दान भेज सके।
- खुदरा अदायगी के लिए बैंक ने कार्पॉर्मकैश नामक मोबाइल आधारित वैलेट का शुभारंभ किया।
- बैंकको कॉमनवेलथ सेक्टरियट के सहयोग से युवा उद्यमी वित्तीय कार्यक्रम चलाने और 6 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।
- अत्यंत छोटे व्यापारियों / फेरीवालों के लिए स्वीप सुविधा के साथ बैंक ने ‘कार्प नैनो सूपर’ फ्लेक्सी बचत योजना शुरू की है।
- प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए ट्यूशन फीस के वित्तीयन की योजना ‘कार्प ट्यूटर फी’ की शुरुआत की गई है।
- खुदरा सावधि जमाओं में वृद्धि के लिए ‘ओपरेशन कस्टमर आउटरीच’ कार्यक्रम चलाया गया।
- सनदी लेखाकारों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ‘कार्प सीए’ नामक योजना शुरू की गई।
- कंपनी सचिवों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ‘कार्प सीएस’ योजना की शुरुआत की गई।
- ‘कार्प टैक्स सेवर प्लस’ जमा योजना का शुभारंभ हुआ, जिसके तीन लाभ हैं उच्च ब्याज दर, धारा 80 सी के तहत कर लाभ तथा वैयक्तिक दुर्घटना बीमा कवर।
- अनिवासी भारतीयों के लिए नई आवास ऋण योजना ‘कार्प होम प्रीमियम – एनआरआई’ शुरू की गई।
- कार्पोरेशन बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्पिन्ट एथलीट कु. अश्विनी ए.सी. को बैंक के ब्रैंड एम्बेसिडर के रूप में नियुक्त किया।
- बैंक ने अपने जन्म स्थान उडुपि, कर्नाटक में विरासत संग्रहालय तथा वित्तीय अनुसंधान केन्द्र खोलकर 106वाँ स्थापना दिवस मनाया।
- बैंक ने परिनियोजन के ध्यान क्षेत्र के रूप में देश भर के 5 केन्द्रों में लघु मध्यम उद्यम सम्मेलनों का आयोजन किया तथा लघु मध्यम उद्यम पर ध्यान देने के लिए 82 शाखाओं का चयन किया।

5. पुरस्कार एवं सम्मान

- कई क्षेत्रों में आपके बैंक को अव्वल माना गया है तथा उससे बैंकको श्रेय मिला जिन में से कुछ हैं:
- आपके बैंक को अपने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के लिए एशिया व पेसिफिक में विकास वित्तीयन संस्थानों की समिति

(एसोसियशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इनस्टिट्यूशन इन एशिया एण्ड पेसिफिक) से पुरस्कार मिला है तथा राज्य स्तरीय बैंकर समितियों द्वारा आर्बटि 334 स्थानों में निर्धारित दिनांक 31.03.2012 से 15 माह पहले ही 31 दिसंबर 2010 तक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के लागू करने के लिए स्काॅच केन्सेल्टन्सी सर्विसेस प्रा.लि. से ‘स्काॅच फिनान्शियल इन्क्लूशन अवार्ड 2011’ प्राप्त हुआ।

- आपके बैंक को फिनान्शियल एक्सप्रेस – इंडियास बेस्ट बैंक्स सर्वे 2010 द्वारा सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुरस्कार मिला तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में प्रथम स्थान पाया।
- कार्पोरेशन बैंक की ‘द आउटलुक मनी टीएनएस’ द्वारा अक्टूबर – दिसंबर 2010 के दौरान चलाए गए सर्वेक्षण में **भारत का सबसे अच्छा ग्राहक हितैषी बैंक** के रूप में गणना की गई है।
- ऑनलाइन बैंकिंग, वित्तीय समावेशन तथा प्रशिक्षण व ईलर्निंग में तकनॉलोजी के प्रयोग के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रायोजित तीन बैंकिंग तकनॉलोजी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- बंगलादेश विमन चेंबर ऑफ कमर्स व इंडस्ट्री को 11वें कॉमनवेलथ इंडिया स्मॉल बिजिनेज़ विकास प्रोग्राम के माध्यम से कार्पोरेशन बैंक द्वारा प्रदत्त समर्थन के लिए बंगलादेश विमन चेंबर ऑफ कमर्स एण्ड इंडस्ट्री द्वारा आपके बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक सम्मानित किए गए।

6. विकास, संगठनात्मक पुनर्रचना व गुणवत्ता के साथ विकास को गति लाने के परिवर्तनों के प्रसंस्करण के लिए बैंक ने कई कदम उठाए।

7. मैं, इस अवसर पर प्रबंधन पर अपना विश्वास रखने के लिए बैंक के सभी शोयरधारकों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बैंक की प्रगति के लिए सक्रिय सहभागिता तथा अच्छे योगदानों के लिए सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। निरन्तर समर्थन व प्ररिश्रम के लिए मैं बहुमूल्य ग्राहकों की याद करता हूँ। प्रगति हासिल करने में उनके समर्थन व मार्गदर्शन के लिए मैं भारतीय रिज़र्व बैंक व वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा।

बैंक हो तो ऐसा !

भवदीय,

(रामनाथ प्रदीप)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मंगलूर

दिनांक: 01-06-2011



- New Verticals in the form of Corporate, Mid Corporate, SME and Recovery have been created for enhancing the efficiency of operation and control.
- The Bank has launched “e-Kanike” (e-Donation) service through its e-payment gateway enabling devotees to send their donations through internet to Shri Kshetra Dharmastala temple.
- The Bank has also launched a mobile based valet for Retail payment called “CorpMcash”.
- Bank in collaboration with Commonwealth Secretariat proposes to hold Youth Enterprise Financing program and launch 6 pilot projects.
- A “Corp Nano Super” Flexi Savings Scheme with sweep facility was introduced for Micro Traders / hawkers.
- “Corp Tutor Fee” scheme for financing tuition fees for preparation of entrance examination of professional exams.
- “Operation Customer outreach” drive to increase retail Term Deposits.
- “Corp CA” to cater to the various financial needs of Chartered Accountants.
- “Corp CS” to cater to the various financial needs of Company Secretaries.
- “Corp Tax Saver Plus” deposit scheme with three benefits viz., High interest rate, Tax benefit under section 80C and Personal Accident Insurance Cover.
- “Corp Home Premium – NRI”, a New Housing Loan scheme for Non-Resident Indians (NRIs).
- Corporation Bank has appointed International Sprint Athlete Miss Ashwini A.C. as Brand Ambassador of the Bank.
- The Bank celebrated its 106th foundation day by dedicating a Heritage Museum and Financial Research Centre at Udupi, Karnataka – the Bank’s birthplace.
- Bank has held SME meets at 5 centres across the country as the focus area for deployment and 82 branches taken up for focussed lending to SME.

5. Awards and Accolades

- Your Bank has been adjudged as the first in so many areas and thereby brought laurels to its credit of which a few are:
 - Your Bank received an award for its Financial Inclusion Programme from Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) and Bagged “SKOCH Financial Inclusion Award 2011” instituted by SKOCH Consultancy Services Pvt. Ltd., for having operationalised financial inclusion programme in all the 334 locations allocated by SLBCs by 31st December 2010, 15 months ahead of the scheduled date of 31.03.2012.
 - Your Bank has been conferred the “Best Public Sector Bank” by Financial Express – India’s Best Banks Survey 2010” and has bagged the ‘Number One Slot’ under the category of “Nationalised Banks”.
 - Corporation Bank has been rated as **India’s most Customer Friendly Bank** in the survey conducted by ‘The Outlook Money - TNS’ conducted during October – December 2010.
 - The Bank has won Three Banking Technology Awards 2010 for its efforts in use of technology in Online Banking, Financial Inclusion and Training and e-learning initiatives under the auspices of the Indian Banks Association (IBAS).
 - The Chairman & Managing Director, of your Bank is honoured by Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI) for the support provided by Corporation Bank to BWCCI through XI Commonwealth – India Small Business Development Programme.
6. The Bank has initiated several steps towards people developments, organisational re-design and process changes to accelerate growth with quality.
7. I take this opportunity to express my sincere thanks and gratitude to all the shareholders of the Bank for reposing their faith and confidence in the Management. I thank all the employees for their active involvement and fine contribution towards the progress of the Bank. It is with sincere thanks I remember our valuable customers for their continued support and patronage. I would also like to thank RBI and Ministry of Finance, Government of India for their support and guidance in achieving the progress.

Bank ho toh aisa !

Yours sincerely,

(Ramnath Pradeep)

Chairman & Managing Director

Place: Mangalore
Date: 01-06-2011



श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा सागरदिधि (पश्चिम बंगाल) में 27 सितंबर, 2010 को नई शाखा का उद्घाटन।

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister seen inaugurating the new branch of the Bank at Sagardighi [West Bengal] on September 27, 2010.

श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा किर्नाहार (पश्चिम बंगाल) में बैंक द्वारा 14 अक्टूबर, 2010 को आयोजित ऋण वितरण शिविर का उद्घाटन।

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister at the inauguration of Credit Delivery Camp function held by the Bank at Kirnahar (West Bengal) on October 14, 2010.



श्री प्रणब मुखर्जी, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 12 मार्च, 2011 को बैंक के 106 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नई दिल्ली में बैंक के विरासत संग्रहालय, उडुपि और नए बैंकिंग आउटलेटों का उद्घाटन।

Shri Pranab Mukherjee, Hon'ble Union Finance Minister, at the Inauguration of Bank's Heritage Museum & new Banking Outlets at New Delhi, as part of Bank's 106th Foundation Day Celebrations on March 12, 2011.



श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 13 फरवरी, 2011 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में श्री कमलेश शर्मा, कॉमनवेल्थ महासचिव की उपस्थिति में एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इन्स्टिट्यूशन्स इन एशिया एंड पेसिफिक (एडीएफआईएपी) की तरफ से सुश्री एर्लीन ऑरेंशिया से प्रशस्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director of the Bank receiving the Award citation from Ms. Arlene Orenca from Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) in the presence of Shri Kamalesh Sharma, Commonwealth Secretary-General at a function held in Chandigarh on February 13, 2011.





13 अक्तूबर, 2010 को दिल्ली में श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री विनोद राय, आईएएस, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की उपस्थिति में श्री अमरजीत चोपड़ा, अध्यक्ष, आईसीएआई से समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान कर रहे हैं।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director, Corporation Bank exchanging the MoU with Shri Amarjit Chopra, President, ICAI in the presence of Shri Vinod Rai, IAS, Comptroller and Auditor General of India in Delhi on October 13, 2010.

श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 01 जून, 2011 को डॉ. डी. सुब्बराव, गवर्नर से बैंक की हिन्दी गृह-पत्रिका “मंगला” हेतु पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक भी उपस्थित।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director of Corporation Bank receiving award for its Hindi House Journal “Mangala” from Dr. D Subbarao, Governor, Reserve Bank of India in the presence of Dr. K.C.Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India on June 01, 2011.



श्री नमो नारायण मीणा, माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा 8 जनवरी, 2011 को राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर में कार्पोरेशन बैंक की नई शाखा का उद्घाटन।

Shri Namo Narain Meena, Hon'ble Union Minister of State for Finance inaugurating Corporation Bank's New Branch at Sawai Madhopur in the State of Rajasthan on January 8, 2011.

कर्नाटक राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग के संवर्धन के अवसर पर 2 मई, 2011 को बेंगलूर में श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री बी. एस. येडियुरप्पा का अभिनंदन करते हुए।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director of Corporation Bank greeting Shri B S Yeddyurappa, Hon'ble Chief Minister of Karnataka at Bangalore on the occasion of promotion of Organic Farming in Karnataka State on May 02, 2011.





9 अक्टूबर, 2010 को तारापुर (गुजरात) के निकट मोरज में वित्तीय समावेशन में कार्पोरेशन बैंक की पहल के बारे में डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को परिचय देते हुए।

The Bank's Initiatives on Financial Inclusion being explained to Dr. K.C.Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India in Moraj, near Tarapore (Gujarat) on October 9, 2010.

श्री रामलिंग रेड्डी, विधान सभा सदस्य, कर्नाटक सरकार 9 दिसंबर, 2010 को कार्पोरेशन बैंक की कोरमंगला, बेंगलूर शाखा में "प्राथमिकता बैंकिंग लॉज" के उद्घाटन की घोषणा करते हुए।

Shri Ramalinga Reddy, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Government of Karnataka declaring open the "Priority Banking Lounge" at Koramangala Branch in Bangalore on December 09, 2010.



मल्लोहल्ली ग्राम, दोड्डबल्लापुरा तालुक, बेंगलूर ग्रामीण ज़िले में 30 दिसंबर, 2010 को कार्पोरेशन बैंक के ग्रामीण विकास केन्द्र (शाखाहित बैंकिंग इकाई) का डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उद्घाटन।

Dr. K. C. Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India inaugurating Corporation Bank's Grameen Vikas Kendra (Branchless Banking Unit) at Mallohalli Village, Doddaballapura Taluq, Bangalore Rural District on December 30, 2010.










श्री नमो नारायण मीणा, माननीय केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा 27 नवंबर, 2010 को नई दिल्ली में कार्पोरेशन बैंक के आंचलिक कार्यालय के नए परिसर का उद्घाटन।

Shri Namoo Narain Meena, Hon'ble Union Minister of State for Finance inaugurating New Premises of New Delhi Zonal Office of the Bank on November 27, 2010.





निष्पादन विशिष्टताएँ PERFORMANCE HIGHLIGHTS





कार्पोरेशन बैंक
प्रधान कार्यालय : मंगला देवी मंदिर मार्ग
मंगलूर - 575 001,
दक्षिण कन्नड जिला, कर्नाटक राज्य, भारत

सूचना

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 56 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्पोरेशन बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक महासभा **शनिवार, 9 जुलाई, 2011 को पूर्वाह्न 10 बजे**, सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, पांडेश्वर, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार विमर्श किया जाएगा:

मद सं. 1: बैंक के 31 मार्च, 2011 के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के लिए बैंक के कार्य-निष्पादन तथा क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार विमर्श, अनुमोदन तथा स्वीकार करना।

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2010-2011 हेतु ईकिटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते कार्पोरेशन बैंक

(एस. के. दाश)

कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूर

दिनांक : 01-06-2011

नोट

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

जिस शेयरधारक को बैठक में भाग लेने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कार्पोरेशन बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

प्रॉक्सी के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी जो कार्पोरेशन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।

विनियम 70(vii) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत देनेवाला, लिखत से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म बैठक प्रारंभ होने से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **सोमवार, 4 जुलाई 2011** को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य में प्राप्त हो जाना चाहिए।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

बैंक के शेयरधारक कंपनी निकाय का विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, वार्षिक महासभा में भाग लेने और मतदान करने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति को उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिस बैठक में वह पारित किया गया हो, सत्यप्रति प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तिथि से **कम-से-कम चार दिन पहले** अर्थात् **सोमवार, 4 जुलाई, 2011** को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् **शाम 5.00 बजे** तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक को प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

3. संयुक्तधारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि शेयर संयुक्तधारकों के नाम में है, तब केवल पहले नामित व्यक्ति बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा और और वह ही बैठक में वोट डालने (मतदान या हस्त प्रदर्शन द्वारा) के लिए पात्र होगा।



CORPORATION BANK
HEAD OFFICE: MANGALA DEVI TEMPLE ROAD
MANGALORE – 575 001
D.K. DISTRICT, KARNATAKA STATE, INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the Fourteenth Annual General Meeting of the Shareholders of CORPORATION BANK will be held on **Saturday, 9th July 2011, at 10 a.m.** at Millennium Building, Corporation Bank, Head Office, Mangala Devi Temple Road, Pandeshwar, Mangalore – 575 001, KARNATAKA State to transact the following business:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2011, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2: To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2010-2011.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place: Mangalore
Date: 01-06-2011

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Corporation Bank.

As per the Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at its Head Office at Mangala Devi Temple Road, Mangalore – 575 001, Karnataka State **not later than FOUR DAYS** before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Monday, 4th July 2011.**

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, H.O., Mangalore-575 001 Karnataka State not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours i.e. **5.00 p.m. of Monday, 4th July 2011.**

3. EXERCISE OF RIGHTS OF JOINT HOLDERS

If shares are in the names of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to vote (by poll or by show of hands) in the meeting.



4. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ अनुबंधित है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उक्त उपस्थिति पत्रक बैठक स्थान पर सौंप दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र में यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, उल्लिखित करें।

5. सदस्यों के रजिस्टर की बंदी

कार्पोरेशन बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 के विनियम 12 के अनुसरण में बैंक के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियाँ, मंगलवार, 21 जून, 2011 से सोमवार, 27 जून 2011 (दोनों दिनों सहित) चौदहवीं वार्षिक महासभा हेतु तथा अंतिम लाभांश, यदि कोई है, प्राप्त करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से बंद रहेंगी।।

6. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में ₹10/- के प्रत्येक शेयर हेतु ₹20.00 का अंतरिम लाभांश घोषित किया जिसे इस वार्षिक महासभा में घोषित किया जाना है। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि प्रत्येक ₹10.00 के शेयर हेतु ₹ 20.00 का अर्थात् 200% लाभांश घोषित करें।

यदि वार्षिक महासभा में लाभांश की घोषणा की जाती है तो उसे 22 जुलाई, 2011 को या उसके बाद तथा इस घोषणा से 30 दिन के भीतर, उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा यथा प्रस्तुत बैंक के सदस्य/हितकारी स्वामी रजिस्टर में 20 जून, 2011 को मौजूद हैं।

7. लाभांश वारंट / राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) - (एनईसीएस) में बैंक खाते के विवरण

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड ने बैंकों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश वितरण तथा उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) का प्रयोग करते समय शेयरधारकों द्वारा दिए गए बैंक खाता विवरण लाभांश वारंट में उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। कुछ केंद्रों में ईसीएस सुविधा के अभाव तथा कुछ शेयरधारकों के ऐसी सुविधा प्राप्त न करने की स्थिति में बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण लाभांश वारंट में मुद्रित करेगा।

जिन शेयरधारकों के पास कागज़ी रूप में शेयर हैं, वे अभिलेखों को आवश्यक अद्यतन करने हेतु बैंक अधिदेश विवरण, बैंक के निवेशक सेवा विभाग को या बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के पास भेज सकते हैं। जिन शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं वे इस सम्बंध में

आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से सम्पर्क कर सकते हैं। ईसीएस अधिदेश/बैंक अधिदेश का प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

8. अदावी लाभांश यदि कोई है

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों को नहीं भुनाया है/अगर पूर्व अवधि के लाभांश प्राप्त नहीं हुए हैं तो डुप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से सम्पर्क करें। इस सम्बंध में बैंक समय-समय पर बैंक के लाभांश रजिस्टर के अनुसार संबंधित शेयरधारकों को अनुस्मारक भी भेज रहा है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी लाभांश की राशि, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित की जानी चाहिए तथा उसके पश्चात इससे संबंधित भुगतान का दावा बैंक या आईईपीएफ से नहीं किया जा सकेगा।

9. शेयरधारकों से निवेदन

क) तुलनपत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक महासभा के समय वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी, इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर डाक से भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आए।

ख) शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन

अपने शेयर अब भी कागज़ी रूप में धारित करनेवाले शेयरधारकों से अपने शेयरों को डीमैट करवाने का अनुरोध किया जाता है।

ग) पता परिवर्तन

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने पते में किसी परिवर्तन को निम्नलिखित को तुरंत अधिसूचित करें :

- शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट।
- कागज़ी रूप में धारित शेयरों के मामले में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्वा कम्प्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड, यूनिट: कार्पोरेशन बैंक, प्लाट सं.17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081.
- शेयरधारकों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल पते को भी बैंक में पंजीकृत या अद्यतन करें ताकि बैंक ई-मेल द्वारा अपना सभी पत्राचार/

**4. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

5. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS

Pursuant to Regulation 12 of the Corporation Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday the 21st June, 2011 to Monday the 27th June, 2011 (both days inclusive) in connection with the Fourteenth Annual General Meeting and for the purpose of determining the names of shareholders entitled to participate in the Annual General Meeting and to receive the dividend, if any.

6. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors have recommended at their meeting held on 29th April, 2011, a Dividend of ₹20.00 per share of ₹10/- each which is required to be declared by the shareholders at this AGM. The shareholders are therefore requested to declare the Dividend of ₹20.00 Per share of ₹10.00 each, i.e.200%.

The Dividend, if declared at the Annual General Meeting, will be paid on or after 22nd July, 2011 and within 30 days of declaration thereof, to those shareholders whose names appear on the Bank's Register of Members/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on 20th June, 2011.

7. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the Dividend Warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing Dividends as well as to use the National Electronic Clearing Service (NECS) facility wherever available. In the absence of NECS facility at certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with them in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.,

Hyderabad, for necessary updation of the records. The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participants for necessary action in this connection. A Proforma of NECS Mandate/Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

8. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received Dividend of previous periods if any are requested to contact the Share Transfer Agent for issue of duplicate Dividend Warrant. In this regard Bank is also sending reminder letters from time to time to the concerned shareholders as per Dividend Register of the Bank.

As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of Dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

9. REQUEST TO THE SHAREHOLDERS**(A) Copies of Balance Sheet**

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

(B) Dematerialisation of shares

Shareholders who are still holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialised.

(C) Change of address

Shareholders are requested to notify any change in their addresses to:

- Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialised form.
- The Share Transfer Agent, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Unit: Corporation Bank, Plot No. 17 - 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, HYDERABAD-500 081 **in respect of shares held in physical form.**
- Shareholders are also requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/



सूचना/वार्षिक रिपोर्ट को भेज सकें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें। भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड जो बैंक के शेयर अंतरण एजेंट है, उसे जल्द से जल्द अपने ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें।

घ) खातों संबंधी सूचना

खातों से संबंधित कोई सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा से कम से कम सात दिन पहले कंपनी सचिव, कार्पोरेशन बैंक, निवेशक सेवा विभाग, प्र.का. मंगलूर - 575 001, कर्नाटक राज्य को लिखें ताकि **शनिवार, 2 जुलाई, 2011 को अपराह्न 1.30 बजे तक** प्राप्त हो और बैंक सूचना तैयार रख सके।

ङ) फोलियो का समेकन

जो शेयरधारक शेयर कागज़ी रूप में एक से अधिक फोलियो में एक ही नाम से या नाम के उसी क्रम में संयुक्तनाम से धारित करते हैं, उनसे अनुरोध है कि एक ही फोलियो में समेकन हेतु शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड को भेजें।

च) स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारक बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को कागज़ी रूप में धारित शेयरों के संबंध में या शेयरों के डीमैट रूप में धारण के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को इसकी सूचना तुरंत दें:

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटने पर निवासी हैसियत में परिवर्तन।

ख) भारत के बैंक खाते से संबंधित ब्योरे, यथा पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, पिन के साथ बैंक का पता दें, यदि पहले नहीं दिया हो।

छ) अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/उपहार-कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते कार्पोरेशन बैंक

स्थान : मंगलूर
दिनांक: 01-06-2011

(एस. के. दाश)
कंपनी सचिव



Annual Report etc., through e-mail. Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., the Share Transfer Agent of the Bank, at the earliest.

(D) Information on Accounts

Shareholders seeking any information/clarification with regard to accounts are requested to address their letters to the Company Secretary, Corporation Bank, Investor Services Department, Head Office, Mangalore – 575 001, Karnataka State at least seven days in advance of the Annual General Meeting so as to reach latest by Saturday, 2nd July 2011 by 1.30 p.m., to enable the Bank to keep the information ready.

(E) Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

(F) Change of Status

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., in respect of shares held in physical form or to inform their respective Depository Participants if shares are held in dematerialised form immediately of:

- a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(G) Other information

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

By order of the Board of Directors
for CORPORATION BANK

(S. K. DASH)
COMPANY SECRETARY

Place: Mangalore
Date: 01-06-2011



निदेशकों की रिपोर्ट 2010-11

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा सहित बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

करोड़ से 21.85% की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 के दौरान ₹6,195.51 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान निवल ब्याज आय में ₹1,036.41 करोड़ की वृद्धि (54.45%) दर्ज हुई।

(₹ करोड़ में)

2. निष्पादन की एक झलक:

2.1 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के समग्र कारोबार ने ₹2,00,000 करोड़ का कीर्तिमान स्तर को पार किया। बैंक का कुल कारोबार 30.56% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹47,662 करोड़ की वृद्धि के साथ पिछले वित्त वर्ष 2009-10 के अंत के ₹1,55,936 करोड़ के स्तर से बढ़कर वर्ष 2010-11 के अंत तक ₹2,03,598 करोड़ तक पहुँच गया।

2.2 बैंक की कुल जमाराशियाँ 25.90% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹24,014 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2010 के ₹92,734 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹1,16,748 करोड़ हो गई हैं।

2.3 बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधी अपनी नीति के अनुरूप गुणवत्तायुक्त ऋण आस्तियों में विस्तार करने में अपना विवेकपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखा। बैंक के अग्रिम 37.41% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए ₹23,647 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2010 के ₹63,203 करोड़ के स्तर से बढ़कर 31 मार्च, 2011 को ₹86,850 करोड़ हो गए। वित्त वर्ष के दौरान ऋण विस्तार हेतु कृषि, लघु उद्योग, एसएमई और मध्यम आकार के कार्पोरेट सेगमेंटों के तहत ऋण बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

2.4 वित्त वर्ष के दौरान गैर निष्पादक आस्तियों की नकद वसूली के तहत बैंक का निष्पादन अच्छा बना रहा। वर्ष के दौरान बैंक ने गत वर्ष की ₹320.07 करोड़ की वसूली की तुलना में ₹627.33 करोड़ की नकद वसूली तथा गैर-निष्पादक आस्तियों का उन्नयन किया है।

2.5 वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में उत्साहजनक निष्पादन के फलस्वरूप अर्जन में समग्र रूप से वृद्धि हुई। निवल ब्याज मार्जिन में भी 31 मार्च 2010 के 2.07% की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 2.52% तक अच्छी-खासी वृद्धि हुई।

3. आय विश्लेषण

3.1 बैंक की ब्याज आय वित्त वर्ष 2009-10 के ₹6,987.69 करोड़ से ₹ 2,147.56 करोड़ (30.73%) की वृद्धि के साथ ₹9,135.25 करोड़ तक बढ़ गई, वहीं ब्याज व्यय वर्ष 2009-10 के ₹5,084.35

ब्यौरे	2009-10	2010-11	% परिवर्तन
ब्याज आय	6,987.69	9,135.25	30.73
ब्याज व्यय	5,084.35	6,195.51	21.85
निवल ब्याज आय	1,903.34	2,939.74	54.45
परिचालनात्मक व्यय	1,259.95	1,641.71	30.30
परिचालन लाभ	2,136.73	2,622.40	22.73
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं -(कर रहित)	474.43	688.76	45.18
कर पूर्व लाभ	1,662.30	1,933.64	16.32
कर हेतु प्रावधान	492.05	520.37	5.76
निवल लाभ	1,170.25	1,413.27	20.77

3.2 बैंक की कुल आय (ब्याज आय और ब्याजेतर आय का योग) पिछले वित्त वर्ष के ₹ 8,481.03 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 1,978.59 करोड़ (23.33%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 10,459.62 करोड़ हो गई।

3.3 प्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त ब्याजेतर आय वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹ 645.82 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹113.53 करोड़ (17.58%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹759.35 करोड़ तक बढ़ गई। कुल ब्याजेतर आय 31.03.2010 के ₹ 1,493.35 करोड़ से 31.03.2011 को ₹1,324.37 करोड़ तक घट गई।

3.4 निवल ब्याज आय में 31.03.2010 के ₹1,903.34 करोड़ से 31.03.2011 को ₹2,939.74 करोड़ तक 54.45% की वृद्धि दर्ज हुई।

3.5 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान परिचालनात्मक व्ययों में 30.30% की वृद्धि हुई है और ये वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹ 1,259.95 करोड़ की तुलना में ₹ 1,641.71 करोड़ रहे।

3.6 आय में लागत अनुपात (परिचालन व्यय/स्प्रेड + ब्याजेतर आय) 38.50% रहा।



DIRECTORS' REPORT 2010-2011

1. The Board of Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with Audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2011.

2. Performance at a glance :

2.1 The aggregate business of the Bank crossed another milestone mark of ₹ 2,00,000 crore during the financial year 2010-11. The total business of the Bank increased by ₹47,662 crore at a growth rate of 30.56% to reach ₹2,03,598 crore at the end of the financial year 2010-11, from ₹1,55,936 crore at the end of previous financial year 2009-10.

2.2 The total deposits of the Bank have grown to ₹1,16,748 crore as on 31st March, 2011 by ₹24,014 crore from ₹92,734 crore as on 31st March, 2010 registering a growth of 25.90%.

2.3 The Bank continued its prudent approach in expanding quality credit assets in line with its policy on Credit Risk Management. The advances of the Bank increased to ₹86,850 crore as on 31st March, 2011 by ₹23,647 crore from ₹63,203 crore as on 31st March, 2010 registering a growth rate of 37.41%. During the financial year, focused attention was given for accelerated lending under agriculture, SSI, SMEs and midsize corporate segments for expansion of credit.

2.4 The performance of the Bank under recovery of NPAs during the financial year continued to be good. During the financial year, the Bank effected a cash recovery and upgradation of NPAs of ₹627.33 crore as compared to ₹320.07 crore in the previous financial year.

2.5 The Bank recorded an encouraging performance in different functional areas during the financial year 2010-11 which resulted in increased earnings in absolute terms. The Net Interest Margin also marked an improvement from 2.07% as at 31st March 2010 to 2.52% as at 31st March 2011.

3. Income Analysis

3.1 Interest Income of the Bank recorded a growth of ₹2,147.56 crore (30.73%) from ₹6,987.69 crore in the year 2009-10 to ₹9,135.25 crore, as against the Interest expenses which grew by 21.85% from ₹ 5,084.35 crore

during the financial year 2009-10 to ₹6,195.51 crore during the year 2010-11. The Net Interest Income recorded a growth of ₹1,036.41crore [54.45%] during the same period.

(₹ in Crore)

Particulars	2009-10	2010-11	Change in %
Interest Income	6,987.69	9,135.25	30.73
Interest Expenditure	5,084.35	6,195.51	21.85
Net Interest Income	1,903.34	2,939.74	54.45
Operating Expenses	1,259.95	1,641.71	30.30
Operating Profit	2,136.73	2,622.40	22.73
Provisions & Contingencies- (Excl. Tax)	474.43	688.76	45.18
Profit before Tax	1,662.30	1,933.64	16.32
Provision for Tax	492.05	520.37	5.76
Net Profit	1,170.25	1,413.27	20.77

3.2 The total Income of the Bank [total of Interest Income and Non-Interest Income] improved to ₹10,459.62 crore during the financial year 2010-11 from ₹8,481.03 crore in the previous financial year recording a rise of ₹1,978.59 crore [23.33 %].

3.3 Non-Interest Income from Core Areas increased by ₹113.53crore [17.58%] from ₹645.82 crore in the financial year 2009-10 to ₹759.35 crore in the financial year 2010-11. The Total Non-Interest Income has declined from ₹1,493.35 crore as on 31.03.2010 to ₹1,324.37 crore as on 31.03.2011.

3.4 The Net Interest Income recorded a growth of 54.45% during the financial year from ₹1,903.34 crore as on 31.03.2010 to ₹2,939.74 crore as on 31.03.2011.

3.5 The Operating Expenses have shown an increase of 30.30% during the financial year 2010-11 and stood at ₹1,641.71 crore as compared to ₹1,259.95 crore in 2009-10.

3.6 The Cost to Income Ratio (Operating Expenses/Spread + Non Interest Income) stood at 38.50%.

4. कीमत-लागत अंतर विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

व्यौरे	2009-10	2010-11	वृद्धि	
			समग्र	%
औसत कार्यशील निधियाँ	91,750.00	1,16,636.00	24,886.00	27.12
कुल ब्याज आय	6,987.69	9,135.25	2,147.56	30.73
व्यय किया गया कुल ब्याज	5,084.35	6,195.51	1,111.16	21.85
कीमत-लागत अंतर	1,903.34	2,939.74	1,036.40	54.45
निधियों पर प्रतिफल	7.61%	7.83%		
निधियों की लागत	5.54%	5.31%		
निवल ब्याज मार्जिन	2.07%	2.52%		

5. परिचालन लाभ

- 5.1 परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹2,136.73 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹485.67 करोड़ (22.73%) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2,622.40 करोड़ हो गया।
- 5.2 आस्ति उपयोगिता अनुपात (औसत कार्यशील निधियों में सकल लाभ का प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2009-10 के 2.33% के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2010-11 में 2.25% रहा।

6. प्रावधान

- 6.1 ऋण हानियों हेतु प्रावधान, मानक आस्तियों, कराधान एवं अन्य हेतु प्रावधान वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹966.48 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹1,209.13 करोड़ रहा।

7. निवल लाभ तथा लाभांश

- 7.1 बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के ₹1,170.25 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में ₹1,413.27 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है।

वर्ष	निवल लाभ [₹ करोड़ में]	वृद्धि %
2008-09	892.77	21.47
2009-10	1,170.25	31.08
2010-11	1,413.27	20.77

- 7.2 निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2010-11 हेतु 200% लाभांश संस्तुत किया है जो प्रत्येक ₹10/- के पूर्णतः प्रदत्त शेयर हेतु ₹20.00 बनता है।


- 7.3 वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार बैंक वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु लाभांश वितरण कर का भुगतान करेगा। तदनुसार वर्ष 2010-11 हेतु लाभांश वितरण कर सहित लाभांश के फलस्वरूप कुल ₹344.33 करोड़ का बहिर्गमन होगा।

- 7.4 निवल लाभ में से ₹ 959.89 करोड़ सांविधिक एवं समान्य आरक्षित निधियों में अंतरित किए गए, ₹ 91 करोड़ विशेष आरक्षित निधि में अंतरित किए गए और ₹ 3.05 करोड़ पूंजी आरक्षित निधि में तथा ₹ 15 करोड़ कर्मचारी कल्याण निधि के लिए अलग रखे गए।

8. निवल मालियत एवं सीआरएआर

- 8.1 बैंक की निवल मालियत 31 मार्च, 2010 के ₹5,775 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2011 को ₹ 7,138 करोड़ हो गई।
- 8.2 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक ने पूंजी पर्याप्तता को मज़बूत करने तथा बैंक के दीर्घावधि संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कुल ₹550 करोड़ (टियर II के अंतर्गत) के बांड जारी किए।
- 8.3 बैंक ने टियर-I पूंजी के अंतर्गत अपने सीआरएआर को और मज़बूत करने के लिए अधिमान आधार पर भारत सरकार को ₹658.49 प्रति शेयर के इश्यू मूल्य पर प्रत्येक ₹10 अंकित मूल्य के 46,92,554 इक्विटी शेयर जारी और आबंटित भी किए।
- 8.4 पूंजी पर जोखिम समायोजित आस्ति अनुपात 31 मार्च 2010 को 15.00% था, जबकि 31 मार्च 2011 को 12.90% (बेसल I) रहा, जो भारत सरकार द्वारा नियत 9% की शर्त से बहुत अधिक है। बेसल II के अनुसार सीआरएआर अनुपात 14.11% है।

बेसल II के अंतर्गत सीआरएआर





4. Spread Analysis

[₹ in crore]

Particulars	2009-10	2010-11	Growth	
			Absolute	%
Average Working Funds	91,750.00	1,16,636.00	24,886.00	27.12
Total Interest Income	6,987.69	9,135.25	2,147.56	30.73
Total Interest Expended	5,084.35	6,195.51	1,111.16	21.85
Interest Spread	1,903.34	2,939.74	1,036.40	54.45
Yield on Funds	7.61%	7.83%		
Cost of Funds	5.54%	5.31%		
Net Interest Margin	2.07%	2.52%		

5. Operating Profit

5.1 The Operating Profit for the financial year 2010-11 stood at ₹2,622.40 crore as compared to ₹2,136.73 crore in the financial year 2009-10 registering an increase of ₹485.67 crore [22.73%].

5.2 The Asset Utilisation Ratio [percentage of Operating Profit to Average Working Funds] stood at 2.25% for the financial year 2010-11 compared to 2.33% for the financial year 2009-10.

6. Provisions

6.1 The Provision for Loan Losses, Provision on Standard Assets, Taxation and others aggregated to ₹1,209.13 crore in the financial year 2010-11 as compared to ₹966.48 crore in the financial year 2009-10.

7. Net Profit and Dividend

7.1 The Bank registered a Net Profit of ₹1,413.27 crore for the financial year 2010-11 compared to ₹1,170.25 crore in the financial year 2009-10.

Year	Net Profit [₹ in crore]	Growth %
2008-09	892.77	21.47
2009-10	1,170.25	31.08
2010-11	1,413.27	20.77

7.2 The Board of Directors has recommended a Dividend of 200% for the financial year 2010-11 which works out to ₹20.00 per fully paid-up share of ₹10/- each.

7.3 In terms of extant guidelines, the Bank will pay the Dividend Distribution Tax for the Financial Year 2010-11. Accordingly the total outflow on account of Dividend for the year 2010-11 will be ₹344.33 crore including the Dividend Distribution Tax.

7.4 Out of the Net Profit a sum of ₹959.89 crore was transferred to Statutory & General Reserves, ₹91 crore was transferred to Special Reserve, ₹3.05 crore to Capital Reserve and ₹15 crore was set-aside for Staff Welfare Fund.


8. Net Worth and CRAR

8.1 The Net Worth of the Bank improved to ₹7,138 crore as on 31st March, 2011 from ₹5,775 crore as on 31st March 2010.

8.2 For the year ended 31.03.2011, the Bank has raised bonds aggregating to ₹550 crore [under Tier-II] for strengthening the Capital Adequacy and enhancing the long term resources of the bank.

8.3 The Bank also issued and allotted 46,92,554 Equity Shares of the face value of ₹10/- each at an issue price of ₹658.49 per share to Government of India on preferential basis to further strengthen its CRAR under Tier I Capital.

8.4 The Capital to Risk Adjusted Assets Ratio (CRAR) stood at 12.90% (Basel I) as on 31st March, 2011 as against 15.00% as on 31st March, 2010 which is much above the norm of 9% stipulated by Reserve Bank of India. The CRAR as per Basel II guidelines works out to 14.11%.





8.5 बेसल I के अंतर्गत सीआरएआर का टियर-I संघटक 31 मार्च, 2010 के 9.03% की तुलना में 31 मार्च, 2011 को 7.95% तक घट गया क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2010-11 हेतु मौद्रिक नीति की द्वितीय तिमाही की समीक्षा में ₹ 75 लाख और उससे अधिक के आवासीय गृह ऋणों हेतु जोखिम भार बढ़ाया है।

प्रवर्ग	बेसल I		बेसल II	
	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2010	मार्च 2011
टियर I पूँजी	9.03%	7.95%	9.25%	8.69%
टियर II पूँजी	5.97%	4.95%	6.12%	5.42%
योग	15.00%	12.90%	15.37%	14.11%

8.6 ईक्रीटी पर प्रतिलाभ, प्रति शेयर अर्जन और प्रति शेयर बही मूल्य पिछले वर्ष के क्रमशः 20.26%, ₹81.58 और ₹402.60 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में क्रमशः 20.70%, ₹ 98.50 व ₹ 497.62 रहे।

9. लेखों का समेकन

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने यथा 31 मार्च, 2011 के अपने वित्तीय लेखों का अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि.के लेखों के साथ समेकन किया है। 31 मार्च, 2011 के समेकित विवरण के अनुसार कार्प बैंक ग्रुप की निवल मालियत 31 मार्च, 2010 के ₹ 5,832 करोड़ की तुलना में ₹ 7,201 करोड़ रही। वर्ष 2009-10 के क्रमशः ₹ 2,146.03 करोड़ के परिचालन लाभ और ₹ 1,181.35 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वर्ष 2010-11 हेतु परिचालन लाभ और निवल लाभ क्रमशः ₹ 2,632.20 करोड़ और ₹1,420.12 करोड़ रहे। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानदण्डों का अनुपालन किया है।

10. बैंक के सेवा-आउटलेट

10.1 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के कुल सेवा आउटलेट 5000 के स्तर को पार करते हुए 5,111 तक पहुँच गए जिसमें देश भर में 1,361 शाखाएं, 1,250 एटीएम और 2,500 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ शामिल हैं। इनमें 206 शाखाएं, 105 एटीएम और 1,300 शाखारहित बैंकिंग इकाइयाँ वर्ष के दौरान खोली गई थीं। बैंक के दुबई एवं हांगकांग में प्रतिनिधि कार्यालय भी हैं।

11. विज्ञापन एवं प्रचार

11.1 वर्ष के दौरान बैंक के ब्रांड और छवि निर्माण हेतु सघन प्रयास किए गए। बैंक ने तेज़ धाविका सुश्री अश्विनी ए.सी. को बैंक के नए ब्रैंड अंबासेडर के रूप में नियुक्त किया। उन्हें बैंक के प्रबंधक के

रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों और 2010 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा बैंक ने अपने उत्पादों, सेवाओं, ब्याज दरों एवं निष्पादन से संबंधित सूचना ग्राहकों, शेयरधारकों तथा आम जनता को विज्ञापनों एवं आऊटडोर प्रचार यूनितों के ज़रिए पहुँचाना जारी रखा।

12. सरकारी कारोबार

12.1 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक का कर संग्रहण 10.79 लाख चालानों सहित ₹36,588 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 9.81 लाख चालानों सहित ₹33,149 करोड़ था। संगृहीत रकम और चालानों में क्रमशः 10.4% और 10% की वृद्धि हुई।

12.2 बैंक ने मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु सरकारी कारोबार के अंतर्गत ₹ 8.11 करोड़ की आय प्राप्त की है जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 6.62 करोड़ थी।

13. कार्पोरेट सामाजिक दायित्वः

13.1 बैंक ने 2010-2011 के दौरान एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के नाते अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता निभाने के लिए मूलभूत ज़रूरतों और समाज के व्यापक हित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कई कल्याण उपाय शुरू किए हैं।

13.2 **कार्पोरेशन बैंक विरासत संग्रहालय और अनुसंधान केन्द्र, उडुपि:** उक्त विरासत संग्रहालय और वित्तीय अनुसंधान केन्द्र का बैंक के 106 वें स्थापना दिवस को माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने शुभारंभ किया है। यह विरासत केन्द्र लोगों को कर्नाटक के तटीय ज़िले में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा और खास तौर पर कार्पोरेशन बैंक द्वारा तय किए गए रास्ते की याद दिलाएगा जिसमें बैंकिंग का आविर्भाव, बैंकिंग लिखतों, अभिलेख, बैंक नोट और मुद्रा का प्रदर्शन होगा। इस विरासत संग्रहालय को उन तीर्थयात्रियों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जो भगवान कृष्ण की मंदिर नगरी उडुपि में आते हैं।

13.3 सामाजिक सरोकार हेतु समर्थनः

13.3.1 परोपकारी संस्थाओं को सहायता:

13.3.2 बैंक ने कार्पकंपैशन के तहत निम्नलिखित सत्कार्यों के लिए दान दिया –

- (i) श्री जयदेवा इंस्टिट्यूट ऑफ कार्डियोलजी के ज़रिए के. आर. हॉस्पिटल, मैसूर को प्राणरक्षक चिकित्सा उपकरणों से युक्त पूर्णतः सज्जित हाई-टेक एंब्युलेन्स (ii) दीन-हीन के पुनर्वास हेतु जनसेवा फाउंडेशन, पुणे (iii) अध्ययन विकास हेतु सेंटर फॉर



8.5 The Tier-I component of CRAR under Basel I has declined to 7.95% as on 31st March, 2011 as compared to 9.03% as on 31st March, 2010, as Reserve Bank of India increased the risk weight for residential housing loans of ₹75 lakh and above in the second quarter review of Monetary Policy for 2010-11.

Category	Basel I		Basel II	
	March 2010	March 2011	March 2010	March 2011
Tier-I Capital	9.03%	7.95%	9.25%	8.69%
Tier-II Capital	5.97%	4.95%	6.12%	5.42%
Total	15.00%	12.90%	15.37%	14.11%

8.6 The Return on Equity, Earnings Per Share and Book Value per Share for the Financial Year 2010-11 stood at 20.70%, ₹98.50 and ₹497.62 respectively, against 20.26%, ₹81.58 and ₹402.60 respectively for the previous Financial year.

9. Consolidated Accounts

9.1 As per RBI guidelines, the Bank has consolidated the financial accounts as at 31st March, 2011 with those of its wholly owned Subsidiary viz., Corp Bank Securities Ltd. As per the consolidated statement as on 31st March, 2011, the Net Worth of the Corp Bank group stood at ₹7,201 crore as compared to ₹5,832 crore as at 31st March, 2010. The consolidated Operating Profit and Net Profit for the financial year 2010-11 is ₹2,632.20 crore and ₹1,420.12 crore, respectively compared to ₹ 2,146.03 crore and ₹ 1,181.35 crore, respectively for the financial year 2009-10. The Bank has complied with the RBI guidelines and the Accounting Standards prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India.

10. Bank's Service Outlets

10.1 The Bank's total service outlets crossed 5000 mark during the year ending 31st March 2011 to reach 5,111 service outlets, comprising of 1,361 branches, 1,250 ATMs and 2,500 Branchless Banking Units across the country. Out of these 206 branches, 105 ATMs and 1,300 Branchless banking Units were opened during the year. The Bank is also having its representative offices at Hongkong and Dubai.

11. Advertisement and Publicity

11.1 During the year, concerted efforts were made for brand and image building of the Bank. The Bank has appointed Sprint Athlete Miss Ashwini A C as the new Brand Ambassador of the Bank. She has been appointed as

Manager of the Bank. She has won Gold Medals at the 2010 Commonwealth Games and the 2010 Asian Games. Apart from this, the Bank continued to communicate messages on its products, services, interest rates and the performance to the customers, shareholders and the general public through advertisements and outdoor publicity units.

12. Government Business

12.1 The Direct/Indirect tax collections of the Bank for the year ended March 2011 stood at ₹36,588 crore from 10.79 lakh challans as compared to ₹33,149 crore from 9.81 lakh challans collected during the corresponding previous year with a growth rate of 10.4% and 10% respectively under amount collected and number of challans handled.

12.2 The Bank has earned an aggregate income of ₹8.11 crore under Government business for the year ended March 2011, as against ₹6.62 crore achieved during the corresponding previous year.

13. Corporate Social Responsibility:

13.1 The Bank initiated several welfare measures focusing on the basic needs and aiming at the larger benefits of the society, to fulfill its commitment to social priorities as a responsible Corporate citizen during the Financial Year 2010-2011.

13.2 **Corporation Bank Heritage Museum & Research Centre, Udupi:** The Heritage Museum and Financial Research Centre was launched by the Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee on the 106th Foundation Day of the Bank. The Heritage Museum would remind the people about the path traversed by the Banking institutions in the coastal district of Karnataka in general and Corporation Bank in particular, by showcasing the evolution of Banking, banking instruments, records, Bank notes and currency. The Heritage Museum will be developed as a tourist spot for the pilgrims who visit the temple town of Lord Krishna, Udupi.

13.3 Support to Societal Concerns:

13.3.1 Assistance to Charitable Institutions:

13.3.2 The Bank extended CorpCompassion donation towards funding –

- (i) a fully equipped Hi-tech Ambulance with life saving medical equipments to K. R. Hospital, Mysore, through Sri Jayadeva Institute of Cardiology, Bangalore, (ii) Janseva Foundation, Pune, for rehabilitation of destitute,

डेवलपमेंट स्टडीज़ एण्ड एक्टिविटीज़, पुणे (iv) मल्टी ऑर्गन हार्वेस्टिंग एण्ड के लिए मोहन फाउंडेशन, हैदराबाद ।

13.3.3 बैंक द्वारा स्थापित ग्रामीण पुस्तकालयों को पुस्तकों की आपूर्ति: बैंक ने अपने शताब्दी समारोह के भाग के रूप में चरणबद्ध तरीके से स्थानीय ग्रामीण पंचायतों/शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से 100 ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना से संबंधित परियोजना शुरू की थी। 100 ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना के साथ संपन्न हो चुकी इस परियोजना को ग्रामीण प्रयोक्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। योजना के अनुसार बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान इनमें से हरेक पुस्तकालय को ₹ 10,000/- की पुस्तकों की आपूर्ति की है।

13.3.4 उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति: शताब्दी समारोह के दौरान शुरू की गई अपनी ग्रामीण विकास योजना के तहत बैंक ने देश भर के चुनिंदा गाँवों से आर्थिक रूप से पिछड़े 15 पात्र विद्यार्थियों को उन्नत/तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं।

13.3.5 कार्पबैंक स्वर्ण पदक योजना: बैंक ने विद्यार्थियों की शैक्षिक तथा पाठ्येतर क्रियाकलापों में उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु अपनी कार्पबैंक स्वर्ण पदक योजना के तहत देश भर में अभिनिर्धारित 25 शिक्षा संस्थाओं में 'सर्वश्रेष्ठ बहिर्गामी विद्यार्थी पुरस्कार' शुरू किया है। योजना के तहत प्रति वर्ष देश भर की अभिनिर्धारित संस्थाओं के सर्वश्रेष्ठ बहिर्गामी छात्रों को 8 ग्राम बज़न के स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं।

13.3.6 अन्य पहल: बैंक ने निम्नलिखित को वित्तीय सहायता दी:

- आरोग्य संधन चैरिटेबल ट्रस्ट, संतोषपुर, कोलकाता को मानसिक रूप से विकलांग के पुनर्वास योजना हेतु।
- बेलगाम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड, बेलगाम को महेश्वरी स्कूल फॉर ब्लाइंड, बेलगाम के विशेष बच्चों हेतु ढाँचागत उन्नयन हेतु।
- इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, मंगलूर को मंगलूर में ब्लड बैंक का रखरखाव करने के लिए जनरेटर और कंप्यूटर खरीदने हेतु।
- सर्वोदया जागृति ट्रस्ट (पं.), मंगलूर को आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के विभिन्न स्वसहायता समूह के सदस्यों के बच्चों के लिए नई पुस्तकें और यूनिफार्म वितरित करने हेतु।
- श्री शृंगेरी शारदा पीठम ट्रस्ट (पं.), मंगलूर को उनकी सम ज्ञ कल्याण परियोजनाओं आदि को समर्थन देने हेतु।

13.3.7 बैंक शिक्षा, ढाँचागत विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन से जुड़ी विभिन्न पहलों में सहभागिता भी की। बैंक ने कई दीन-हीन एवं अनाथों, वरिष्ठ नागरिकों और विशेष बच्चों की सेवा करनेवाली कई संस्थाओं का उनकी पुनर्वास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देते हुए समर्थन दिया। बैंक ने स्कूलों और संस्थाओं में शौचालय जैसी मूलभूत स्वच्छता सुविधाएं, स्वच्छ पेय जल सुविधाएं और वॉटर कूलर उपलब्ध कराने की कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी।

13.4 **कार्पोरेशन बैंकस्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई)**

1996 में स्थापित कार्पोरेशन बैंकस्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (सीओबीएसईटीआई) बैंकद्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान चिकमगलूर और कोडगु जिलों के बेरोज़गार युवकों की व्यावसायिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है जहाँ बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और प्रशिक्षण अवधि के दौरान उम्मीदवारों को रहने एवं खाने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। प्रारंभ से लेकर 31.03.2011 तक संस्थान ने 600 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 18650 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है जिसमें से 8521 उम्मीदवारों को कौशल विकास / नियमित कार्यक्रमों के तहत और 10129 को एसएचजी, एसजीएसवाई, पीएमआरवाई आदि जैसे सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कौशल विकास के अंतर्गत 8521 उम्मीदवारों में से 5705 स्वनियोजित हुए/बस गए हैं, जो 67% सफलता की दर दर्शाता है। 18650 उम्मीदवारों में से 12744 महिलाएं हैं, 1351 अल्प-संख्यक समुदाय के हैं और 3526 अजा/अजजा समुदाय के हैं। कोडगु जिले में एक और सीओबीएसईटीआई की स्थापना से संबंधित कार्यवाही जारी है, जिसके लिए कर्नाटक सरकार ने कुशालनगर के निकट 0.85 एकड़ ज़मीन दे दी है।

13.5 **कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच**

कार्पोरेशन बैंक आर्थिक विकास मंच को बैंक की एक लाभ-रहित आर्थिक इकाई के रूप में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था और वह अपने सामाजिक दायित्व को निभाते आ रहा है। वर्ष के दौरान सामाजिक सरोकार की विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ₹ 7.04 लाख के वित्तीय अनुदान दिए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता प्रदान किए गए क्षेत्रों में ढाँचागत सुविधाएं जैसे स्कूलों में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य व प्रसाधन सुविधा, विभिन्न स्कूलों में कक्षाओं, कंप्यूटर, फर्नीचर मध्याह्न भोजन परियोजनाएं आदि शामिल हैं।



- (iii) Centre for Development studies and Activities, Pune, for development of studies and (iv) Mohan Foundation, Hyderabad for Multi Organ Harvesting Aid.
- 13.3.3 Supply of Books for Rural Libraries set up by the Bank: As part of its Centenary celebrations, the Bank had launched the project of setting up 100 Rural Libraries at identified rural centres across the country, to be developed as Rural Knowledge Centres, in association with local Village Panchayats/Educational institutions in a phased manner. The project, which culminated with the setting up of 100 Rural Libraries, has been well received by the rural users. The Bank, as per the Scheme, also supplied additional sets of books worth ₹10,000/- to each of these libraries during the year 2010-11.
- 13.3.4 Scholarships to pursue higher studies: As part of its Rural Development scheme launched during the Centenary celebrations, the Bank supported 15 eligible economically backward students of identified villages across the country with educational scholarships to pursue higher/technical education.
- 13.3.5 CorpBank Gold Medal scheme: The Bank instituted 'The Best Outgoing Student Awards' in 25 identified educational institutions across the country under its CorpBank Gold Medal Scheme for promoting excellence, both in academic and extra curricular activities. Under the scheme, Medals weighing 8 grams of gold have been awarded to the Best Outgoing Students of the identified institutions across the country.
- 13.3.6 Other initiatives: The Bank extended financial assistance to :
- Arogya Sandhan Charitable Trust, Santoshpur, Kolkata for rehabilitation project of mentally challenged.
 - Belgaum District Association for Blind, Belgaum for Special Children of Maheshwari School for Blind, Belgaum for infrastructure upgradation.
 - Indian Red Cross Society, Mangalore for acquiring a Generator and a Computer unit for help maintaining the Blood Bank in Mangalore.
 - Sarvodaya Jagruthi Trust (Regd.), Mangalore, for distribution of new books and uniforms to the children of members of various SHGs who belonged to the economically and socially backward families.
 - Shri Sringeri Sharada Peetham Trust (Regd.), Shringeri, towards supporting their social welfare projects, etc.
- 13.3.7 The Bank has also involved itself in several initiatives in the field of Education, development of infrastructure, Rural development, Health and Hygiene, promotion of Art and Culture. The Bank supported many institutions who have been serving the Destitute and orphans, Senior citizens and Special Children, by funding their rehabilitation projects. The Bank funded several projects for providing basic hygienic facilities like toilets, clean drinking water facilities and water coolers in schools and institutions.
- 13.4 **Corporation Bank Self-Employment Training Institute [COBSETI]**
- The Corporation Bank Self Employment Training Institute [COBSETI] established at Chikmagalur in 1996 is an institute sponsored by the Bank to cater to the training needs of the rural unemployed youth hailing from the districts of Chikmagalur and Kodagu where the Bank has the Lead Bank responsibility. The training is imparted free of cost with free boarding and lodging to the trainees. Since inception till 31.03.2011, the Institute has conducted 600 training programmes and trained 18650 candidates, of which 8521 candidates under Skill Development/regular programme and 10129 under Govt. sponsored programmes like SHG, SGSY, PMRY etc. Out of 8521 candidates under Skill development, 5705 have become self-employed/ settled, indicating a success rate of 67%. Out of 18650 candidates, 12744 are women, 1351 are from minority communities and 3526 belong to SC/ST communities. The process of establishment of one more COBSETI in Kodagu district is under progress for which the Government of Karnataka has handed over 0.85 acre of land near Kushalnagar.
- 13.5 **Corporation Bank Economic Development Foundation**
- The Corporation Bank Economic Development Foundation ® was launched in the year 1992 as a non-profit economic outfit of the Bank and continues to fulfill its social obligation. Financial grants to the extent of ₹7.04 lakh were disbursed during the year for execution of various projects of social concerns. The areas of assistance during the financial year included providing infrastructure facilities such as clean drinking water, health and sanitary to schools, class rooms, computers, furniture, midday meal projects at various schools etc.



14 राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

बैंक राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

सरकारी पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने हेतु कंप्यूटरों में हिन्दी यूनिकोड फॉन्ट को एक्टिवेट किया जाता है और उसके नियमित उपयोग हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टाफ सदस्यों के लाभार्थ हिन्दी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

नगर राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन समिति (नराकास), मंगलूर के संयोजक के रूप में बैंक ने कार्यपालकों के लिए कार्यशाला और अनुवाद प्रशिक्षण कार्यशाला आदि आयोजित की। बैंक दक्षिण स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा समिति का भी संयोजक है।

बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक से कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। बैंक की तिमाही हिन्दी गृह पत्रिका "मंगला" को भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतर बैंक गृह पत्रिका प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हुआ।

15. बैंक द्वारा प्रायोजित अनुषंगियों और अन्य इकाइयों का निष्पादन

15.1 कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड

बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ (सीबीएसएल) ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 10.26 करोड़ की कुल आय, ₹ 9.74 करोड़ का कर पूर्व लाभ तथा ₹ 6.79 करोड़ का कर उपरांत लाभ (₹ 2.47 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति को बढ़े खाते डालने के बाद) अर्जित किया है जबकि वित्त वर्ष 2009-10 हेतु ये ₹ 9.40 करोड़, ₹ 9.20 करोड़ और ₹ 10.99 करोड़ (₹ 2.37 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति के सृजन के बाद) थे। 31.3.11 को प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी ₹ 75 करोड़ रही जबकि अधिशेष के पुनर्निवेश के बाद निवल मालियत ₹ 100.71 करोड़ तक बढ़ गई। आस्थगित कर बढ़े खाते खाते डालने की वजह से मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु प्रति शेयर अर्जन ₹ 0.91 था जबकि मार्च 2010 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु यह ₹ 1.47 था। कंपनी को ईक्विटी दलाली कारोबार करने के लिए आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त हुआ है और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ क्रियान्वयन प्रक्रिया जारी है। आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन कंपनी की ऋण/कर्ज सिंडिकेशन कारोबार शुरू करने की भी योजना है।

15.2 चिकमगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक (चिको बैंक)

बैंक द्वारा प्रायोजित तथा 28.04.1984 को स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चिकमगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक (चिको बैंक) की 53 शाखाएं हैं। 31.03.2011 को चिको बैंक की जमाराशियाँ ₹ 354.34 करोड़ तथा अग्रिम ₹ 231.59 करोड़ (सकल अग्रिम) रहे। चिको बैंक ने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 0.63 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है। वर्ष के दौरान बैंक 100% सीबीएस समर्थ बन गया है।

16. निदेशक मंडल की संरचना

16.1 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं।

16.2 श्री रामनाथ प्रदीप को भारत सरकार ने बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने 1 सितंबर 2010 को कार्यभार ग्रहण किया।

16.3 श्री अश्वनी कुमार को केंद्र सरकार ने बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने 1 दिसंबर 2010 से कार्यभार ग्रहण किया।

16.4 उक्त अवधि के दौरान निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हुए:

- श्री एम.ए. श्रीनिवासन 30.07.2010 से सेवानिवृत्त हुए।
- श्री जे.एम. गर्ग 31.07.2010 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्री असित पाल 30.11.2010 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्री सतीश गोयल 06.12.2010 को सेवानिवृत्त हुए।

16.5 निदेशक मंडल, बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान तथा बैंक के निदेशक के पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के व्यापार संचालन में श्री एम.ए. श्रीनिवासन, श्री जे.एम. गर्ग, श्री असित पाल और श्री सतीश गोयल से प्राप्त मार्गदर्शन एवं विवेकपूर्ण परामर्श की सराहना अभिलिखित करता है।

17. निदेशकों के दायित्व विवरण

निदेशक पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में:

17.1 महत्वपूर्ण विचलन, यदि कोई है, के संदर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।

17.2 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में तैयार की गई लेखा नीतियों के लगातार प्रयोग किया गया है।

**14. Progressive use of Official Language:**

The Bank ensures compliance of the directives of Government of India and RBI with regard to Hindi, as Official Language implementation.

For improving use of Hindi in official correspondences, Hindi Unicode fonts are activated in computers and trainings are imparted to staff members to enable them to make its regular usage. Hindi workshops and trainings are also conducted on a regular basis for the benefit of its staff members.

As convener of the Town official Language Implementation Committee (TOLIC), Mangalore, the Bank has conducted Workshops for Executives and Translation Training Workshops etc. The Bank is also the convener of the Official Language Committee of South Based Public Sector Banks.

The Bank has received various awards and accolades from Government of India and Reserve Bank of India for Official Language Implementation. The Bank's quarterly Hindi house magazine "Mangala" received award under RBI's Inter Bank House Magazine competition.

15. Performance of Subsidiaries and other units sponsored by the Bank**15.1 Corp Bank Securities Limited**

The Bank's wholly owned subsidiary, Corp Bank Securities Limited (CBSL) has earned a total income of ₹10.26 crore, posted Profit Before Tax of ₹9.74 crore and Profit After Tax of ₹6.79 crore (after write off of deferred tax asset of ₹2.47 crore) for FY 2010-11, while the corresponding figures for FY 2009-10 were ₹9.40 crore, ₹9.20 crore and ₹10.99 crore (after creation of deferred tax asset of ₹2.37 crore) respectively. The Paid up Equity Share Capital remained at ₹75 crore as on 31.3.11, while the tangible net worth, after plough back of surplus, has gone up to ₹100.71 crore. The Earning per Share for fiscal ended March, 2011 was ₹0.91 on account of deferred tax write off, while it was ₹1.47 for fiscal ended March 2010. The Company has secured requisite regulatory approvals for undertaking Equity Broking business and the enablement process with National Stock Exchange of India Ltd., (NSE) is taken forward. The Company has plans to undertake loan/ debt syndication business subject to getting requisite regulatory approvals.

15.2 Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank [CHIKO Bank] The Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank, a Regional Rural Bank [RRB] sponsored by the Bank and established on 28.04.1984 has 53 branches. The deposits of the Bank stood at ₹354.34 crore and advances at ₹231.59 crore [gross advances] as at 31.03.2011. The Bank has posted a net profit of ₹0.63 crore as at the year-ended 31.03.2011. The Bank has become 100% CBS compliant during the year.

16. Constitution of Board of Directors

16.1 The following changes have taken place in the Board of Directors of the Bank during the year ended 31st March, 2011.

16.2 Shri Ramnath Pradeep was appointed by the Central Government as Chairman and Managing Director of the Bank. He assumed office on 1st September 2010.

16.3 Shri. Ashwani Kumar was appointed by the Central Government as Executive Director of the Bank. He assumed office on 1st December, 2010.

16.4 The following members of the board retired from the Board of the Bank during the period:

- Shri M. A. Srinivasan retired effective from 30.07.2010.
- Shri J. M. Garg retired on 31.07.2010.
- Shri Asit Pal retired on 30.11.2010.
- Shri Satish Goel retired on 06.12.2010

16.5 The Board places on record its appreciation for the guidance and counsel received from Shri M.A. Srinivasan, Shri J. M. Garg, Shri Asit Pal and Shri Satish Goel during deliberations of the Board/Committees of the Board and also in the conduct of the Bank's business during their tenure of office as Directors of the Bank.

17. Directors' Responsibility Statements

The Directors confirm that in the preparation of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2011:

17.1 The applicable Accounting Standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

17.2 The Accounting Policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied.



- 17.3 वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति तथा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ का एक सही एवं वास्तविक दृश्य प्रदान करने हेतु उचित तथा विवेकी निर्णय एवं प्राक्कलन किए गए हैं।
- 17.4 भारत के बैंकों के लिए लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेख रखने में उचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया तथा लेखे सतत संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं।

18. आभार

- 18.1 बैंक के प्रतिष्ठित ग्राहकों, शेयरधारकों, शुभचिंतकों और भारत तथा भारत के बाहर के प्रतिनिधियों को उनकी सद्भावना, संरक्षण तथा हार्दिक सहयोग हेतु निदेशकगण धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
- 18.2 भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), बीएसई, एनएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल, विभिन्न राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों से बैंक

परिचालन में प्राप्त बहुमूल्य एवं समयोचित परामर्श, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए, निदेशकगण कृतज्ञतापूर्वक आभार ज्ञापित करते हैं।

- 18.3 निदेशकगण, सभी स्तरों के स्टाफ सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान बैंक की चहुँमुखी प्रगति से और ऊँचाइयाँ पाने के लिए योगदान दिया और आने वाले वर्षों में कार्पोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उनकी सतत सहभागिता की आशा करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 01-06-2011

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



17.3 Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the Financial Year and of the profit of the Bank for the year ended on 31st March, 2011.

17.4 Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate Accounting Records in accordance with the provisions of applicable laws Governing Banks in India and the accounts have been prepared on a going concern basis.

18. Acknowledgements

18.1 The Directors thank the valued customers, shareholders, well-wishers and correspondents of the Bank in India and abroad for their goodwill, patronage and support.

18.2 The Directors acknowledge with gratitude the valuable and timely advice, guidance and support received from Government of India, Government of Karnataka,

Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), BSE, NSE, NSDL, CDSL, various State Governments, Financial Institutions and the Statutory Central Auditors of the Bank in the functioning of the Bank.

18.3 The Directors place on record their deep appreciation of the valuable contribution of the members of the staff at all levels for the consistent growth of the Bank which took the Bank to a greater height during the year and look forward to their continued co-operation in realisation of the corporate goals in the years ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

(Ramnath Pradeep)

Chairman & Managing Director

Place : Mangalore

Date : 01-06-2011

प्रबंधन वर्ग विवेचन एवं विश्लेषण

1.0 2010-11 हेतु मौद्रिक एवं ऋण नीति

1.1. वर्ष 2010-11 हेतु मौद्रिक नीति एक ऐसे समय पर तैयार की गई है जब विश्व की अर्थव्यवस्था वित्तीय मंदी से सतत नीतिगत समर्थन और सुधरती वित्तीय बाजार परिस्थितियों की बदौलत संकट से उभर रही है। इस निस्तार प्रक्रिया की अगुआई विशेषकर एशिया में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) कर रही हैं यद्यपि उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों में वृद्धि कमजोर बनी हुई है।

1.2 जनवरी 10 हेतु विश्व आर्थिक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अनुमान लगाया है कि विश्व वृद्धि 2009 के (-)0.8% से 2010 में 3.9 % और 2011-12 में 4.3% तक सुधरेगी।

1.3 भारतीय अर्थव्यवस्था में निस्तार मजबूत रहा है। निर्यात की तेजी से वृद्धि हुई है, जिसकी जारी होने की उम्मीद थी। औद्योगिक क्षेत्र के निस्तार का आधार बढ़ता गया और उभरती हुई देशी व बाह्य मांग के बल पर मजबूत होकर आगे बढ़ने की उम्मीद थी। औद्योगिक क्षेत्र का वर्धित निष्पादन कार्पोरेट क्षेत्र की वर्धित लाभप्रदता पर प्रतिबिंबित हो गई। सेवा क्षेत्र के कार्यकलापों में उछाल था। इन सकारात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर, भारिबैंक ने यह मानते हुए कि सामान्य मानसून और बढ़ती घरेलू और बाह्य मांग के मद्देनजर औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का अच्छा निष्पादन बरकरार रहेगा, यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2010-11 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8% होगी या उससे अधिक भी हो सकती है।

1.4 नियामक ने मार्च 11 हेतु डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति 5.5% नियत की है। तथापि, मौद्रिक नीति का रुख मुद्रास्फीति की अवधारणा को 4.0-4.5% के दायरे में सीमित रखना है। मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य को आवेष्टित करती हुई तीन मुख्य अनिश्चितताएँ, प्रथमतः मनसून की संभाव्यताएँ, द्वितीयतः कच्चे तेल के मूल्य में परिवर्तनशीलता, तृतीयतः मांग का दबाव बढ़ने की सबूत थीं।

1.5 निजी क्षेत्र व सरकारी उधार के संवितरण की संसाधन मांग बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति संभाव्यताओं को वृद्धि तथा मुद्रास्फीति संभावनाओं के अनुसूचक मौद्रिक पूर्वानुमान किया गया है।

1.6 मुद्रा आपूर्ति 2010-11 के दौरान 17.0% बढ़ने की आशा थी।

1.7 2010-11 के दौरान कुल जमाराशियों में वृद्धि लगभग 18.0% रही। गैर-खाद्यान्न ऋण में वृद्धि लगभग 20.0% रही।

1.8 2010-11 में मौद्रिक नीति का समग्र उद्देश्य था:

- स्फीतिकारी दबाव से उपयुक्त, जल्द और कारगर ढंग से निपटने के लिए तैयार रहने के साथ-साथ मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर अंकुश लगाना।

- सक्रिय रूप से चलनिधि का प्रबंधन करना जिससे यह सुनिश्चित हो कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण माँग में वृद्धि की बेरोकटोक पूर्ति हो।
- ब्याज दर ढाँचे को मूल्य, उत्पादन और वित्तीय स्थिरता के अनुकूल बनाए रखना।

1.9 नीति में बैंक दर 6.0% पर अपरिवर्तित रखी गयी। अनुसूचित बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 6.0% तक 25 आधार अंकों से बढ़ाया गया। रिवर्स रेपो तथा रेपो दरें क्रमशः 5.25% तथा 3.75% तक 25 आधार अंकों से बढ़ाई गईं। सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को एनडीटीएल के 25% पर बरकरार रखा गया।

1.10 कुछ अन्य उपायों में शामिल हैं:

- रिअल टाइम ग्रॉस सेटिलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम पर सुपुर्दगी पर भुगतान-1 आधार पर कार्पोरेट बांडों में गौण बाजार लेनदेनों का निपटान सुसाध्य करने हेतु नेशनल सिक्क्युरिटीज क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएससीसीएल) और भारतीय क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (आईसीसीएल) को भारिबैंक के साथ अस्थाई पूलिंग खाते रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, भारिबैंक द्वारा विनियंत्रित सभी संस्थाओं को यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे 1 दिसंबर 09 से कार्पोरेट बांडों में ओटीसी लेनदेनों को अनिवार्य रूप से उपर्युक्त व्यवस्था द्वारा निपटाएं।
- कार्पोरेट बांडों में एक सक्रिय रेपो बाजार सुसाध्य बनाने के लिए कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेनों हेतु दिशानिर्देश 8 जनवरी 10 को जारी किए गए। 1 मार्च 10 से प्रभावी इन दिशानिर्देशों से 'एए' और उससे ऊपर रेट की गई सूचीबद्ध कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो किया जा सकेगा।
- यह देखते हुए कि संरचनात्मक क्रियाकलापों में लगी कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधि बांड सामान्यतः बैंकों द्वारा लंबी अवधि के लिए रखे जाते हैं और उनका व्यापार नहीं होता है और ऐसे बांडों में निवेश करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों को यह अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है कि बैंक ढाँचागत क्रियाकलापों में लगी कंपनियों द्वारा जारी गैर-एसएलआर बांडों में किए गए निवेश को जिनका न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता सात वर्ष है, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) प्रवर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत करें।
- बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश को (प्राथमिक और गौण बाजार, दोनों) जहाँ प्रतिभूतियों को एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, निवेश करते समय सूचीबद्ध प्रतिभूति में निवेश के रूप में माने जाने का प्रस्ताव था।
- सीडी और सीपी में सभी गौण बाजार लेनदेनों के लिए एक रिपोर्टिंग प्लैटफार्म शुरू करने का प्रस्ताव था।
- व्यष्टि एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र की सभी इकाईयों को दिए जाने वाले ₹5 लाख तक की वर्तमान सीमा के मुकाबले ₹10 लाख तक के ऋणों के मामले में संपार्श्विक प्रतिभूति पर ज़ोर न देने का बैंकों को अधिदेश देने का प्रस्ताव है।



MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1.0 Monetary and Credit Policy for 2010-11

1.1 The Annual Monetary Policy 2010-11 was drawn at a time when the Global Economy continued its recovery from the global financial meltdown amidst ongoing policy support and improving financial market conditions. The recovery process was led by Emerging Market Economies (EMEs), especially those in Asia, as growth remained weak in advanced economies.

1.2 In its World Economic Outlook Update for January 2010, the International Monetary Fund (IMF) projected that global growth will recover from (-) 0.8% in 2009 to 3.9% in 2010 and further to 4.3% in 2011-12.

1.3 The recovery in Indian economy was firm. Exports expanded at a good pace, a trend that was expected to continue. The industrial sector recovery increasingly became broad-based and was expected to take firmer hold going forward on the back of rising domestic and external demand. The improved performance of the industrial sector also got reflected in the improved profitability in the corporate sector. Service sector activities have shown buoyancy. Based on these positive sentiments, RBI projected the real GDP growth for the year 2010-11 at 8% with an upward bias under the assumption of a normal monsoon and sustenance of good performance of the industrial and services sectors.

1.4 The regulator placed the WPI inflation for March 2011 at 5.5%. However, the conduct of monetary policy targeted to condition and contain perception of inflation in the range of 4.0-4.5%. Three major uncertainties which clouded the outlook for inflation were firstly, the prospects of the monsoon; second, the volatility in crude prices and third being the evidence of demand side pressures building up.

1.5 Keeping in view the need to balance the resource demand to meet credit off take by the private sector and government borrowings, monetary projections have been made consistent with the growth and inflation outlook.

1.6 Money supply was projected to grow around 17.0% during 2010-11.

1.7 Growth projections for aggregate deposits during 2010-11 was placed at around 18.0% and for non-food credit was placed at 20.0%.

1.8 The overall stance of monetary policy in 2010-11 was intended to:

- o Anchor inflation expectations, while being prepared to respond appropriately, swiftly and effectively to further build-up of inflationary pressures.

- o Actively manage liquidity to ensure that the growth in demand for credit by both the private and public sectors is satisfied in a non-disruptive way.
- o Maintain an interest rate regime consistent with price, output and financial stability.

1.9 In the policy, the Bank Rate was left unchanged at 6.0%. The Cash reserve Ratio (CRR) of scheduled banks was raised by 25 bps to 6.0%. Repo and Reverse Repo Rate was increased by 25 bps each to 5.25% and 3.75%, respectively. Statutory Liquidity Ratio (SLR) was kept unchanged at 25% of NDTL.

1.10 Some of the other measures included :

- o To facilitate settlement of secondary market trades in corporate bonds on a delivery versus payment-1 basis on the Real Time Gross Settlement (RTGS) system, the National Securities Clearing Corporation Limited (NSCCL) and the Indian Clearing Corporation Limited (ICCL) were permitted to maintain transitory pooling accounts with the RBI. Further, guidelines were issued to all RBI regulated entities to mandatorily clear and settle all OTC trades in corporate bonds using the above arrangement introduced with effect from 1st December '09.
- o To facilitate the development of an active repo market in corporate bonds, the guidelines for repo transactions in corporate debt securities were issued on 8th January '10. The guidelines, which came into force with effect from 1st March '10, enabled repo in listed corporate debt securities rated 'AA' or above.
- o Considering that the long-term bonds issued by companies engaged in infrastructure activities are generally held by banks for a long period and not traded and also with a view to incentivising banks to invest in such bonds, it was proposed to allow banks to classify their investments, in non-SLR bonds issued by companies engaged in infrastructure activities and having a minimum residual maturity of seven years, under the Held to Maturity (HTM) category.
- o Investment in non-SLR debt securities (both primary and secondary market) by banks where the security is proposed to be listed on the Exchange(s) was proposed to be considered as investment in listed security at the time of making investment.
- o It was proposed to introduce a reporting platform for all secondary market transactions in CDs and CPs.
- o It was proposed to mandate banks not to insist on collateral security in case of loans up to ₹10 lakh as against the present limit of ₹5 lakh extended to all units of the Micro and Small Enterprises (MSEs) Sector.



- यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के निष्पादन की निगरानी करने की भारिबैंक की योजना है कि (i) संवर्धित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक व्यष्टि एवं लघु उद्यमों के ऋणों में 20% की वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। व्यष्टि एवं लघु उद्यमों को प्रदत्त अग्रिमों में व्यष्टि उद्यमों के उधार हेतु 60% के उप-लक्ष्य की प्राप्ति में कमी को भी 1 अप्रैल 10 से ग्रामीण संरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) या भारिबैंक द्वारा निर्दिष्टानुसार किसी अन्य निधि या अन्य वित्तीय संस्थाओं को अंशदान हेतु राशि आबंटित करने के प्रयोजनार्थ हिसाब में लिया जाएगा; और (ii) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को व्यष्टि उद्यम खातों की संख्या में 15 % की वार्षिक वृद्धि हासिल करनी चाहिए।
- बैंकों से अपेक्षा की गई थी कि वे अगले तीन वर्षों में क्रियान्वित करने हेतु निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) तैयार करें और मार्च 10 तक भारिबैंक को उसे प्रस्तुत करें। भारिबैंक ने अलग-अलग बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन योजना की चर्चा करके उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने का निर्णय लिया।
- मूलभूत संरचना विकास की बढ़ती वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारिबैंक ने सड़क/हाइवे परियोजनाओं के संबंध में निर्माण-परिचालन-अंतरण (बीओटी) मॉडल के अधीन वार्षिकियों को तथा जहाँ यातायात का निर्दिष्ट स्तर प्राप्त न होने पर परियोजना प्रायोजक को टॉल उगाही अधिकार के रूप में क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है, उसे इस शर्त पर मूर्त प्रतिभूति मानने का प्रस्ताव है कि वार्षिकियाँ और टॉल उगाही अधिकार प्राप्त करने हेतु बैंक का अधिकार कानूनी दृष्टि से प्रवर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय होगा।
- अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत मूलभूत संरचना ऋण खातों में वर्तमान 20% के निर्धारण के बजाय 15% का प्रावधान ज़रूरी होगा। इस कम प्रावधान का लाभ पाने के लिए बैंकों को सूचित किया गया था कि नकद प्रवाह को निलंबित करने और ऐसी नकदी पर प्रथम दावा पाने हेतु उपयुक्त प्रणाली क्रियान्वित करें।

2.0 2010-11 में समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

2.1 केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार 2009-10 के 8.0% की वृद्धि-दर की तुलना में 2010-11 हेतु आर्थिक वृद्धि 8.5% रहने का अनुमान है। 2010-11 में कृषि क्षेत्र में 6.6% की उच्चतर वृद्धि देखी गई जबकि पिछले वर्ष की वृद्धि 0.4% थी। 2010-11 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.8% रहने का अनुमान है, जो पहली तीन तिमाहियों में प्राप्त वृद्धि से धीमी है। वित्त वर्ष 2010-11 की प्रथम तिमाही में अर्थ-व्यवस्था 9.3% की दर बढ़ी, दूसरी तिमाही में 8.9% की दर से और तीसरी तिमाही में 8.3% की दर से बढ़ी।

2.2 वर्ष 2010-11 के दौरान फरवरी 2011 तक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि 7.8% रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 10.5% के उच्चतर स्तर पर थी। अप्रैल 10 से फरवरी 2011 के दौरान, वर्ष 2009-10 की समस्वी अवधि के मुकाबले खनन, विनिर्माण और विद्युत क्षेत्रों में क्रमशः 5.9%, 8.1 % और 5.6 % की वृद्धि पर प्राप्त हुई जिससे सामान्य सूचकांक में समग्र वृद्धि 7.8 % तक पहुँच गई।

2.3 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में वर्षानुवर्ष हो रहे अंतर के

आधार पर मापित डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति अप्रैल-मई 2011 के दौरान 11% से अधिक के उच्चतर स्तर पर थी, नवंबर 10 में वर्ष 2010-11 के सबसे कम स्तर 8.08% तक पहुँची थी। परंतु मुद्रास्फीति ने दिशा पलटी और दिसंबर 10 में 8.4% और मार्च 11 में 8.98% तक बढ़ गई जो मार्च 17, 2011 को मध्य तिमाही समीक्षा में भारिबैंक द्वारा मार्च, 2011 हेतु निर्धारित 8.0% के अनुमान से अधिक है। 2010-11 के दौरान अधिकांश समय खाद्य मुद्रास्फीति दो अंकों में रही। विश्व पण्यों के, खास तौर पर तेल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी, साथ-साथ खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों में तीव्र वृद्धि से, वर्ष आगे बढ़ते-बढ़ते, मुद्रास्फीति की स्थिति से सभी क्षेत्र प्रभावित हुए।

2.4 वर्ष 2010-11 में वित्तीय तथा चलनिधि की स्थिति मुद्रास्फीति विरोधी रूप के साथ स्थिर रही। चलनिधि समायोजन सुविधा में समामेलन स्थिति से व्यादेश स्थिति की ओर परिवर्तन नीतिगत दर में प्रभावी वृद्धि की ओर इंगित करता है।

2.5 2010-11 के दौरान देश के निर्यात 37.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए यूएस \$245.9 बिलियन तक पहुँच गए जबकि पिछले वर्ष समस्वी अवधि के दौरान ये यूएस \$178.8 बिलियन थे। उसी अवधि के दौरान आयात 21.6% की वृद्धि के साथ \$350.7 बिलियन (\$288.4 बिलियन) तक पहुँच गए। देश का व्यापार घाटा पिछले वर्ष के समस्वी अवधि के दौरान यूएस \$109.6 बिलियन से यूएस \$104.8 बिलियन तक घट गया।

2.6 वर्ष 2010-11 के दौरान, भारत की विदेशी विनिमय आरक्षित निधियाँ यूएस \$24.4 बिलियन से बढ़कर मार्च 2011 के अंत में यूएस \$303.4 बिलियन तक पहुँच गईं।

2.7 विश्व अर्थव्यवस्था का निस्तार 2011 में जारी रहने की उम्मीद है, यद्यपि उसकी गति मार्च 2010 के स्तर से कुछ कम होगी। आईएमएफ के अनुसार विश्व वृद्धि 2010 के 5.0 % से 2011 में 4.4 % तक थमने की आशंका है। वित्तीय उत्प्रेरकों के घटते प्रभाव, उन्नत अर्थव्यवस्था में तेल और अन्य पण्यों के ऊँचे दामों की वजह से वृद्धि की गति धीमी पड़ने का अनुमान है। कठोर मौद्रिक नीति और पण्यों की बढ़ती कीमतों की वजह से उभरते बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि भी घटने की आशंका है।

2.8 2011-12 के थोड़ी कमी के साथ ही प्रगति की संभाव्यता सकारात्मक दिखाई पड़ती है। विभिन्न एजेंसियों द्वारा वर्ष 2011-12 की संभाव्यताओं की रिपोर्ट एक मिश्रित चित्र प्रदान करता है, जिनमें कुछ 9% की वृद्धि की उम्मीद जताता है, जबकि, दूसरों की उम्मीद 8.0% से 8.5% के बीच है, जो वृद्धि दर में सामान्य स्थिति इंगित करती है। नीतिगत तालमेल में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि वृद्धि की अधोगामी जोखिम व मुद्रास्फीति की ऊर्ध्वगामी जोखिम बढ़ गई है। फर्मों की उच्च स्तरीय वृद्धि मांग स्थितियों को मज़बूत दिखाता है। वित्तीय समेकन प्रक्रिया का जारी रहना निजी निवेश को समर्थन दे सकता है। निर्यात हाल में हुई प्रगति तथा आयात में कमी निवल बाहरी मांग के लिए मज़बूत आधार प्रदान करता है।

3.0 2010-11 के दौरान बैंकिंग प्रवृत्तियाँ

3.1 मांग संबंधी स्फीतिकारी दबाव पर काबू पाने और स्फीतिकारी अपेक्षाओं का प्रबंधन करने तथा खाद्य एवं पण्य की कीमतों का प्रभाव सामान्य मुद्रास्फीति पर पड़ने से रोकने लिए विनियामक ने 2010-11 के दौरान व्यापक रूप से कठोर मुद्रास्फीति का सहारा लिया है। फरवरी 2010 से रेपो और रिर्स रेपो दरों को क्रमशः 6.75% और 5.75 % तक 200 और 250 आधार अंकों की वृद्धि की है।



- o The RBI planned to monitor the performance of banks to ensure that (i) all Scheduled Commercial Banks achieve a 20% year-on-year growth in credit to micro and small enterprises to ensure enhanced credit flow; (ii) any shortfall in the achievement of sub-target of 60% for lending to micro enterprises of the total advances granted to the micro and small enterprises, would also be taken into account for the purpose of allocating amounts for contribution to Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) or any other Fund with other Financial Institutions as specified by the RBI, with effect from 1st April'10; and (iii) all scheduled commercial banks should achieve a 15% annual growth in the number of micro enterprise accounts.
- o Banks were required to put in place a Board-approved Financial Inclusion Plan (FIP) in order to roll them out over the next three years and submit the same to the RBI by March '10. The RBI decided to discuss FIPs with individual banks and monitor their implementation.
- o With a view to meeting the increasing financing needs of infrastructure development the RBI proposed to treat annuities under Build-Operate-Transfer (BOT) model in respect of road/highway projects and toll collection rights, where there are provisions to compensate the project sponsor if a certain level of traffic is not achieved, as tangible securities subject to the condition that Banks' right to receive annuities and toll collection rights is legally enforceable and irrevocable.
- o Infrastructure loan accounts classified as sub-standard would attract a provisioning of 15% instead of the current prescription of 20%. To avail of this benefit of lower provisioning, banks were advised to place an appropriate mechanism to escrow the cash flows and also have a clear and legal first claim on such cash.

2.0 Macro-Economic Scenario in 2010-11

2.1 As per the revised estimates of Central Statistical Organisation (CSO), the economic growth for 2010-11 is estimated at 8.5% as compared to the growth rate of 8.0% in 2009-10. The agriculture sector has shown a higher growth of 6.6% in 2010-11 as against previous year's growth of 0.4%. India's GDP growth in the fourth quarter of 2010-11 is estimated at 7.8%, slower than the growth achieved in the first three quarters. Economy grew at 9.3% in the first quarter, 8.9% in the second quarter and 8.3% in the third quarter of fiscal 2010-11.

2.2 The 2010-11 growth of the Index of Industrial Production (IIP), stood at 7.8% compared to a higher growth of 10.5% achieved during previous year. The growth rate achieved by Mining, Manufacturing and Electricity sectors during 2010-11, over corresponding period of 2009-10, have been 5.9%, 8.1% and 5.6%, respectively, which moved the overall growth in the General Index to 7.8%.

2.3 WPI inflation, as measured by year-on-year variations in

the Wholesale Price Index (WPI), was high at over 11% during April - May 2011 moderated to 8.08% in November '11, the lowest level attained in 2010-11. However, inflation reversed course to rise to 8.4% in December'10 and further to 8.98% in March '11, exceeding the RBI's projection of 8.0% for March '11 set out in the mid quarter review on March 17, 2011. Food inflation remained double digits for greater part of 2010-11. Rising global commodity prices, particularly oil accompanied by a sharp increase in non-food manufactured products made the inflationary situation to become more generalized as the year progressed.

2.4 During 2010-11, the monetary and liquidity conditions remained consistent with the anti-inflationary stance. A shift from absorption mode to injection mode in the Liquidity Adjustment Facility (LAF) implies effective rise in policy rates.

2.5 The country's exports during 2010-11 registered growth of 37.5% to reach a level of US\$245.9 billion as against US\$178.8 billion in the previous year. During the same period imports grew by 21.6% to reach a figure of \$350.7 billion (\$288.4 billion). The country's trade deficit figure narrowed down to US\$ 104.8 billion from US\$ 109.6 billion in the previous year.

2.6 During 2010-11, India's foreign exchange reserves increased by US\$ 24.4 billion to reach US\$ 303.4 billion as at end-March 2011.

2.7 The global recovery was expected to sustain in 2011, although growth slowed down marginally from its pace in 2010. According to the IMF, global growth is likely to moderate from 5.0% in 2010 to 4.4% in 2011. Growth is projected to decelerate in advanced economies due to waning of impact of fiscal stimulus, and high oil and other commodity prices. Growth in EMEs is also expected to decelerate on account of monetary tightening and rising commodity prices.

2.8 The growth outlook for 2011-12 looks positive though with some downward bias. The available projections for 2011-12 by various agencies give a mixed picture with some projecting a growth of 9% while others within a range of 8.0 to 8.5%, suggesting a moderation in the growth process. Policy trade-offs may arise as downside risks to growth and upside risks to inflation have increased. High top-line growth for firms indicates strong demand conditions. Continuation of fiscal consolidation process could provide support for private investment. Recent improvement in exports and decline in imports provides a good base for net external demand.

3.0 Banking Trends during 2010-11

3.1 To rein in demand-side inflationary pressures and manage inflationary expectations and to contain the spillover of food and commodity prices into more generalized inflation, the regulator extensively used the tool of monetary tightening in 2010-11. The repo and reverse repo rates were increased by 200 and 250 bps since February'10, reach to reach 6.75% and 5.75%, respectively as at March'11.



3.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि जो वर्ष की शुरुआत से बढ़ती जा रही थी, दिसंबर 2010 में 24.2% (वर्षानुवर्ष) के उच्चतम स्तर तक पहुँची। बाद में मार्च 2011 में वह 21.2% तक कम हुई जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 20% के सांकेतिक अनुमान से थोड़ा-सा अधिक है।

3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमा राशियों में 2010-11 में 15.8% (पिछले वित्त वर्ष में 17.2%) की वृद्धि पर दर्ज हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2010-11 हेतु 18% की जमा वृद्धि का अनुमान लगाया था। जमा राशियों की वृद्धि के लक्ष्य से पिछड़ने का मुख्य कारण कठोर मुद्रा बाज़ार स्थिति और मुद्रास्फीति है। यही नहीं, व्याज दरों में वृद्धि के बावजूद लोगों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार निवेश के दूसरे स्रोतों को पसंद किया। नीतिगत दरों में वृद्धि और चलनिधि में कठोरता तथा कुछ बैंकों के मामलों में 100% से अधिक वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात पर भारतीय रिज़र्व बैंक की टिप्पणी की वजह से वित्त वर्ष 2010-11 के उत्तरार्ध में कुछ बैंकों द्वारा दी जानेवाली जमा दरों में तीव्र वृद्धि हुई।

3.4 2010-11 के दौरान धीमी जमा वृद्धि और त्वरित मुद्रा वृद्धि की वजह से मुद्रा आपूर्ति (एम 3) में 15.9% की वृद्धि भारतीय रिज़र्व बैंक के 17% के सांकेतिक अनुमान से भी कम थी।

3.5 वर्ष 2010-11 में चलनिधि की स्थिति काफी कठोर बनी, अक्टूबर 2010 से कठोरता की हद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के (+)/(-) 1% के सहज स्तर से बाहर हो गई। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि की स्थिति को सहज बनाने के लिए कई उपाय किए जिनमें शामिल हैं (i) सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव में कमी हेतु दांडिक ब्याज को अस्थाई रूप से माफ करते हुए एससीबी को उनके एनडीटीएल को 1% तक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन अतिरिक्त चलनिधि समर्थन- (कुछ समय तक यह सीमा एनडीटीएल के दो प्रतिशत थी) जिसे बाद में एसएलआर में स्थाई कटौती के बाद 1% तक घटा दिया गया; (ii) खुला बाज़ार परिचालन करना और (iii) दैनिक आधार पर दूसरा एलएएफ (एसएलएएफ) करना।

3.6 उद्योग व सेवा क्षेत्रों की ओर उधार प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि रही है। आधारभूत सुविधा क्षेत्र में विशेष रूप से उधार वृद्धि ठोस थी। अन्य क्षेत्रों में, धातु, वस्त्र, अभियांत्रिकी, खाद्य-संस्करण, हीरे व आभूषणों के संबंध में भी उधार की उपलब्धता बढ़ी। सेवा में वाणिज्यिक भू-संपदा व बैंकिंगेतर वित्तीय कं पनियों में उधार वृद्धि को गति मिली। आवास व वाहन ऋण में भी 2010-11 में बढ़त रही।

3.7 जहां तक मुद्रा बाज़ार का संबंध है, 2010-11 की प्रथम तिमाही में, स्पेक्ट्रम नीलामी में अप्रत्याशित राजस्व प्राप्ति के कारण वित्तीय स्थिति के सुधारने की उम्मीद से सरकारी प्रतिभूतियों में आय बढ़ गई। उसके बाद मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा परिणामी दर वृद्धि की उम्मीद व कठोर चलनिधि परिस्थितियों से जनवरी 2011 तक प्राप्तियाँ कम हुईं। 2011-12 में प्रथम अर्ध-वर्ष के लिए प्रतीक्षित वित्तीय घाटे व बाज़ार उधारों से कम चलनिधि की स्थिति में सुधार के कारण फरवरी व मार्च 2011 में साधारण गति लौटी।

3.8 भारतीय रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2010 में आधार दर प्रणाली शुरू की जिसमें बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली का स्थान ले लिया बैंकों को आधार दर परिकल्पित करने हेतु उपयुक्त बेंचमार्क और अन्य लागत मानदण्डों का चयन करने हेतु दिसंबर, 2010 अंत तक का समय दिया गया। बाद में कुछ बैंकों ने समयावधि बढ़ाने की माँग की। तदनुसार, बैंकों को अपनी आधार दरों को परिवर्तित करने में प्रयुक्त बेंचमार्क और कार्यप्रणाली परिवर्तित करने के लिए छः माह अर्थात् 30 जून 2011 तक की अतिरिक्त अवधि दी गई।

3.9 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मध्य-तिमाही मौद्रिक समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि बदलती आर्थिक स्थितियों में उसके सत्वर मौद्रिक कार्रवाईयों में आकस्मिकता का पुट न हो। अब भारतीय रिज़र्व बैंक हरेक तिमाही समीक्षा के बाद लगभग डेढ़ महीने के अंतराल में मध्य-तिमाही समीक्षा करता है।

4. बैंक का परिचालनगत निष्पादन

4.1 जमा संग्रहण

4.1.1 वर्ष 2010-11 के दौरान कासा वृद्धि हेतु ग्राहक विस्तार पर अनेक अभियान संचालित करने की रणनीति पर जोर दिया गया। इन अभियानों से 15.69 लाख चालू एवं बचत खाते खोले गए। खुदरा जमा राशियों हेतु प्रमुख और नई शाखाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया। आवर्ती जमा अभियान के अंतर्गत ₹ 107 करोड़ की प्रारंभिक रकम के साथ 94278 खाते खोले गए।

4.1.2 निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं:

- बैंक की बैंकेतर जमा राशियों में ₹ 16,926 करोड़ की निवल वृद्धि हुई और इस वर्ष के दौरान 21% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2011 को ₹96,911 करोड़ तक पहुँच गई।
- चालू जमा राशियाँ ₹ 14,042 करोड़ के स्तर तक पहुँच गईं। कर संग्रहण को छोड़कर वार्षिक वृद्धि ₹ 2,858 करोड़ के निवल संवर्धन के साथ 25.8% रही।
- बचत जमा राशियाँ 24.6% की वृद्धि दर से ₹ 3,201 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 16,226 करोड़ के स्तर तक पहुँचीं।
- मीयादी जमा राशियाँ 24.6% की वृद्धि दर से ₹ 13,136 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 66,643 करोड़ के स्तर तक पहुँचीं।
- बैंक की औसत बैंकेतर जमा राशियाँ 17% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹11,457 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2011 को ₹ 79,201 करोड़ हो गई। औसत कासा 26.8% की वृद्धि के साथ ₹ 4,490 करोड़ बढ़ते हुए ₹ 21,256 करोड़ हो गया।
- कुल बैंकेतर जमा राशियों में मांग जमा राशियों का हिस्सा 31% रहा। मांग जमा राशियाँ 14.3% संवृद्धि दर्ज करती हुई ₹ 26,478 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2011 को ₹ 30,268 करोड़ हो गई।
- बैंक ने वर्ष के दौरान 18,29,221 नए जमा खाते संगृहीत किए।



3.2 Schedule Commercial Banks (SCBs) credit growth, which had been trending upwards from the beginning of the year, reached an intra-year high of 24.2% (year-on-year) in December 2010. It slowed down subsequently to 21.2% by March 2011, which was marginally higher than the RBI's indicative projection of 20 per cent.

3.3 SCBs aggregate deposits registered a growth rate of 15.8% in 2010-11 (17.2% in previous fiscal). RBI had projected 18% deposit growth for 2010-11. Deposits lagged behind the targeted growth mainly due to tight money market position and inflation. Moreover, people preferred other sources of investment according to their needs, despite a hike in deposit rates. The increase in policy rates and tightness in liquidity and RBI's remark on higher incremental credit deposit ratio of over 100% in case of some banks resulted in aggressive hike in deposit rates offered by banks in the later part of the financial year 2010-11.

3.4 During 2010-11, money supply (M3) growth at 15.9% during 2010-11 was lower than the RBI's indicative trajectory of 17% due to slow deposit growth and acceleration in currency growth.

3.5 The liquidity condition became very tight in 2010-11. The extent of tightness since October 2010 was outside the comfort level of (+)/(-) 1% of Net Demand and Time Liabilities (NDTL) of SCBs. The RBI initiated several measures to ease the liquidity situation, including (i) additional liquidity support under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) to SCBs up to 1% of their NDTL by temporary waiver of penal interest for any shortfall in maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) – (for a brief period the limit was two per cent of NDTL), which was reduced to 1% following the permanent reduction in the SLR; (ii) conducting open market operations; and (iii) conducting the Second LAF (SLAF) on a daily basis.

3.6 There had been a significant increases in credit flow to industry and services. Credit growth to infrastructure sector, especially, was robust. Credit flows improved in respect of metals, textiles, engineering, food processing, and gems and jewellery, among others. Within services, credit growth accelerated to commercial real estate and Non-Banking Financial Companies. Housing and vehicle loans recovered in 2010-11.

3.7 As far as money market is concerned, the yields on government securities eased during the first quarter of 2010-11 in expectation of an improved fiscal position due to higher than anticipated revenues in spectrum auctions. Yields hardened thereafter till January 2011 on account of increase in inflation and consequent rate hike expectations as well as tight liquidity conditions. Yields, however, moderated in February and March 2011 on the back of improvement in liquidity conditions, lower than expected budgeted fiscal deficit and the projected market borrowing programme for the first half of 2011-12.

3.8 The RBI introduced the Base Rate System from July 2010, which replaced the Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) system. Banks were given time till end-December 2010 to select the appropriate benchmark and other cost parameters for computing the Base Rate. Subsequently, some banks requested for extension of time. Accordingly, banks were permitted to change the benchmark and methodology used in the computation of their Base Rates for a further period of six months, i.e., up to June 30, 2011.

3.9 The RBI decided to come out with mid-quarter monetary reviews so that its swift monetary actions in sync with changing economic conditions do not have a surprise element. The RBI now undertakes mid-quarter reviews roughly at the interval of about one and a half months after each quarterly review.

4. Bank's Operational Performance

4.1 Deposit Mobilisation

4.1.1 During the year 2010-11 emphasis was laid on clientele expansion with strategy of lining up a series of campaigns for CASA growth. The campaigns saw opening of over 15.69 lakh Current and Saving accounts. Key Branches and new branches were focused for retail deposits. Under the Recurring Deposit campaign 94278 accounts with an opening balance of ₹107 crore were opened.


4.1.2 Performance Highlights:

- i) The Non Bank Deposits of the Bank has registered a net accretion of ₹16,926 crore to reach ₹96,911 crore as at 31st March, 2011 registering a growth of 21% during the year.
- ii) Current deposits have reached a level of ₹14,042 crore. Excluding the Tax collections, the Y-O-Y growth is 25.8% with a net accretion of ₹2,858 crore.
- iii) Savings Deposits reached ₹16,226 crore with net accretion of ₹3,201 crore at 24.6% Y-O-Y growth.
- iv) Term deposits reached a level of ₹66,643 crore with a net accretion of ₹13,136 crore at a growth rate of 24.6% Y-O-Y.
- v) The average Non Bank Deposits of the Bank increased by ₹11,457 crore and stood at ₹79,201 crore as at 31st March, 2011 recording a growth of 17% year on year. Average CASA grew by 26.8% with net accretion of ₹4,490 crore and stood at ₹21,256 crore.
- vi) The Share of Demand Deposits in total Non Bank Deposits stood at 31%. Demand Deposits grew from ₹26,478 crore to ₹30,268 crore as at 31st March, 2011, **registering a growth of 14.3%.**
- vii) The Bank has added 18,29,221 New Deposit Accounts during the year.

4.2 ऋण संवृद्धि

4.2.1 31.03.2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के ऋण संविभाग ने 37.4% की संवृद्धि दर्ज की गई। फुटकर एवं कार्पोरेट खंड, दोनों के तहत बैंक के विभिन्न ऋण उत्पादों के तीव्र विपणन के ज़रिए ऋण में संवृद्धि प्राप्त की गई। अग्रिमों का स्तर 31.03.2010 के ₹ 63,203 करोड़ से ₹ 23,647 करोड़ की समग्र वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2011 को ₹ 86,850 करोड़ (प्रावधान का निवल) हो गया।

4.2.2 औसत अग्रिम में ₹ 14,121 करोड़ की बढोत्तरी हुई जो मार्च 2010 के ₹ 50,290 करोड़ से 28.1% वृद्धि दर के साथ मार्च 11 को ₹ 64,411 करोड़ हो गए। 31.03.2011 को ऋण-जमा अनुपात 73.0% रहा।



4.2.3 आधारभूत संरचना ऋण:


आधारभूत संरचना क्षेत्र को ऋण देते हुए बैंक राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में अधिक भागीदारी का प्रयास करता रहा है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक वृद्धिशील ऋण का 26.4% आधारभूत संरचना क्षेत्र में विनियोजित कर सका है। आधारभूत संरचना को बैंक का ऋण मार्च 2010 के ₹ 8,616 करोड़ से मार्च 2011 में ₹ 14,867 करोड़ तक बढ़ गया जिसमें ₹ 6,251 करोड़ (72.5%) की वार्षिक वृद्धि हुई। आधारभूत संरचना को बैंक का ऋण मार्च 2011 को बैंक के कुल ऋण का 17.1% है जो मार्च 2010 को 13.6% था।

4.2.4 एसएमई ऋण:

एसएमई सेगमेंट को ऋण देने पर बैंक का ज़ोर जारी रहा। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान एसएमई ऋण ₹ 6,485 करोड़ से ₹ 5,175 करोड़ (79.8%) बढ़कर मार्च 2011 को ₹ 11,660 करोड़ तक पहुँच गया। 31.03.2011 को एसएमई ऋण, बैंक के निवल बैंक ऋण का 13.4% है। इस क्षेत्र को झंझट-रहित ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सभी आंचलिक कार्यालयों में एसएमई केअर सेंटर स्थापित किए गए हैं।

एसएमई ऋण

(₹ करोड़ में)



4.3 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण

4.3.1 क्षेत्रगत अभिनियोजन

4.3.1.1 ऋण के रूप में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में विनियोजित कुल राशि ₹ 3,140 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2010 के ₹ 21,059 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को ₹ 24,199 करोड़ हो गई। बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, समायोजित निवल बैंक ऋण के 40% के भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंड के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण का 38.29% रहा।

4.3.1.2 विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत बैंक ने 104% की उपलब्धि दर्ज करते हुए ₹ 5,800 करोड़ की वार्षिक योजना के मुकाबले ₹ 6,036 करोड़ की राशि संवितरित की।

4.3.1.3 31.03.2010 के ₹ 6,175 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को कृषि ऋण ₹ 5,513 करोड़ रहा। 31 मार्च 2011 को कृषि के अंतर्गत विनियोजित निधियाँ समायोजित निवल बैंक ऋण के 8.72% हैं। वार्षिक ऋण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सघन प्रयास किए गए हैं। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त योजना और रणनीतियाँ तैयार की गई हैं।

4.3.1.4 व्यष्टि एवं लघु उद्यमों को ऋण मार्च 2010 के ₹ 5,707 करोड़ से बढ़कर मार्च 2011 को ₹ 10,707 करोड़ तक पहुँच गया जिसमें 87.60% की दर से ₹ 4,999 करोड़ की वृद्धि हुई। बैंक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत बीमाकृत ₹ 5.00 लाख तक के व्यष्टि एवं लघु उद्यमों के सभी ऋणों से संबंधित एक बारगी गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क वहन करता है।

4.4 सामाजिक ऋण


4.4.1 सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सामाजिक ऋण/गरीबी उन्मूलन योजनाओं तथा समाज के कमज़ोर वर्गों को ऋण के वितरण को पर्याप्त महत्व दिया गया ताकि बैंक की सामाजिक आर्थिक बाध्यताएँ पूरी हों।



4.2 Credit Growth

4.2.1 The credit portfolio of the Bank recorded a growth of 37.4% during the financial year ended 31.03.2011. Growth in credit was achieved through intense marketing of various loan products of the Bank, both under Retail and Corporate Segments. The level of advances increased from ₹63,203 crore as at 31.03.2010 to ₹86,850 crore [Net of Provision] as on 31.03.2011, thus registering an absolute growth of ₹23,647 crore.

4.2.2 The average advances grew by ₹14,121 crore from ₹50,290 crore as at March 2010 to ₹64,411 crore as at March 2011 registering a growth rate of 28.1%. The CD Ratio as on 31.03.2011 stood at 73.0%.




4.2.3 Infrastructure Lending:

The Bank has been endeavouring to participate more in the nation building activities by extending credit to Infrastructure sector. During the FY 2010-11, the Bank could deploy 26.4% of the Incremental Credit to Infrastructure Sector. Bank's Credit to Infrastructure increased from ₹8,616 crore as at March-2010 to ₹14,867 crore as at March-2011, thereby showing a Y-O-Y growth of ₹6,251 crore [72.5%]. The Infrastructure Exposure works out to 17.1% of the Bank's Credit Exposure as at March-2011 which was at 13.6% as at March 2010.

4.2.4 SME Credit:

The Bank's thrust for lending to SME segment continued. During the FY 2010-11, the SME credit has improved from ₹6,485 crore, to ₹11,660 crore as on March 2011 registering a Y-O-Y growth of ₹5,175 crore [79.8%]. SME credit constitute 13.4% of the Net Bank Credit of the Bank as at 31.03.2011. SME Care Centres have been established at all Zonal Offices of the Bank to ensure hassle-free flow of credit to this Sector.



4.3 Priority Sector Lending

4.3.1 Sectoral Deployment:

4.3.1.1 The total amount of credit deployment to Priority Sector by way of credit has moved up from ₹21,059 crore as at 31st March 2010 to ₹24,199 crore as at 31st March 2011, recording an increase of ₹3,140 crore. The Priority Sector advances of the Bank stood at 38.29% of the Adjusted Net Bank Credit as against RBI norm of 40% of ANBC.

4.3.1.2 Under the Special Agricultural Credit Plan [SACP], the Bank disbursed ₹6,036 crore as against the Annual Plan of ₹5,800 crore, registering an achievement of 104%.

4.3.1.3 The agricultural credit stood at ₹5,513 crore as at 31.03.2011 compared to ₹6,175 crore as at 31.03.2010. Funds deployed under Agriculture constituted 8.72% of ANBC as at 31st March 2011. Concerted efforts have been made for effective implementation of Annual Credit Plan. Suitable action plan and strategies have been worked out to ensure improved performance during the fiscal 2011-12.

4.3.1.4 Credit to Micro & Small Enterprises increased from ₹5,707 crore as at March 2010 to ₹10,707 crore as at March 2011, witnessing a growth of ₹4,999 crore at 87.60%. Bank bears the One Time Guarantee Fee and also the Annual Service Fee in respect of all loans up to ₹ 5.00 lakh to Micro & Small Enterprises covered under the Credit Guarantee Scheme.

4.4 Social Lending:

4.4.1 Dispensation of credit under various Government Sponsored Social Lending/ Poverty Alleviation Schemes and to Weaker sections of the society was given due importance so as to fulfill the Bank's socio-economic obligations.



4.4.2 वर्ष के दौरान व्यष्टि वित्त क्षेत्र ने उधार में त्वरित वृद्धि देखी गई। संयोजित स्वसहायता समूहों की संख्या मार्च 2010 के 98274 से मार्च 2011 को 103541 तक बढ़ गई। इसी प्रकार व्यष्टि वित्त क्षेत्र को ऋण मार्च 2010 के ₹ 537.43 करोड़ से 67% की वृद्धि के साथ मार्च 2011 को ₹ 897.59 करोड़ तक बढ़ गया। महिला हिताधिकारियों को वित्त 55 % से अधिक की वृद्धि दर से ₹ 2,450 करोड़ से ₹ 3,816 करोड़ तक बढ़ गया। समायोजित निवल बैंक ऋण के 6.04% का निष्पादन निर्दिष्ट 5% से अधिक है।

4.4.3 मार्च 2011 को ₹ 24,199 करोड़ के कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया ऋण ₹ 390.96 करोड़ हैं जबकि कमज़ोर वर्गों हेतु बैंक के अग्रिम ₹ 4,339.19 करोड़ रहे।

4.5 खुदरा ऋण

4.5.1 वर्ष 2010-11 के दौरान खुदरा ऋण बैंक का प्रमुख ध्यान केंद्रित क्षेत्र बना रहा। खुदरा ऋण के तहत बकाया ऋण 31.3.2010 के ₹ 11,696 करोड़ से ₹ 3,975 करोड़ (33.99%) की समग्र वृद्धि दर्ज करते हुए 31 मार्च, 2011 ₹ 15,671 करोड़ हो गया। निवल बैंक ऋण में खुदरा ऋण का हिस्सा 18.04% रहा।

4.5.2 वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कार्प योजनाओं के अंतर्गत वृद्धि मार्च 2010 के आंकड़ों के मुकाबले 23% की दर से ₹ 1,712 करोड़ रही जबकि पिछले वर्ष समस्ती अवधि के दौरान वृद्धि 19% की दर से ₹ 1,191 करोड़ थी।

4.5.3 कार्प होम और कार्प वेहिकल योजनाओं के अंतर्गत 19.07.2010 से 30.11.2010 तक आकर्षक ब्याज दरों और प्रसंस्करण दरों में रियायत के साथ विशेष प्रोत्साहक योजनाएं शुरू की गई थीं। आवास ऋण के अंतर्गत ₹1,127 करोड़ और वाहन ऋण योजनाओं के अंतर्गत ₹ 227 करोड़ की कुल मंजूरी के साथ अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

4.5.4 वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए उत्पाद शुरू किए गए -

- “कार्प सीए” सनदी लेखाकारों के लिए विशेष योजना
- “कार्प घर शोभा” घर की मरम्मत/नवीकरण/फर्निशिंग के वित्तीय हेतु आवास ऋण की परिवर्तित योजना
- “कार्प शुभ विवाह” विवाह व्ययों के वित्तीय हेतु योजना - ऐसी योजना शुरू करने वाला पहला बैंक
- “कार्प ट्यूटर फी” व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा की ट्यूशन फी के वित्तीय हेतु योजना
- “कार्प होम प्रीमियम - एनआरआई” अनिवासी भारतीयों के लिए विशेष आवास ऋण योजना
- “कार्प सीएस” कंपनी सचिवों के लिए विशेष योजना

4.6 खुदरा आस्ति हब:

4.6.1 संप्रति बैंक में 19 खुदरा हब परिचालित हैं। इन खुदरा आस्ति हबों ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्प योजनाओं के अंतर्गत कुल मिलाकर ₹ 3,341 करोड़ राशि के 44608 आवेदन मंजूर किए जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 2,298 करोड़ के 38180 कार्प योजना आवेदन मंजूर किए गए थे।

4.7 शिक्षा ऋण:

4.7.1 ऑन लाइन शिक्षा ऋण आवेदनों के सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतर्गत वित्त वर्ष के दौरान ₹ 30.14 करोड़ की राशि निहित 714 सैद्धांतिक अनुमोदन दिए गए।

4.8 ऋण आस्ति गुणवत्ता एवं वर्गीकरण

वर्षों से कम गैर निष्पादक आस्ति स्तर के द्वारा बैंक ने आस्ति गुणवत्ता में उच्च मानक बनाए रखा है। उधार खातों की सूक्ष्म निगरानी तथा त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई ने बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता सुनिश्चित की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ऋण आस्तियों का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

	यथा 31.03.2009		यथा 31.03.2010		यथा 31.03.2011	
	राशि	कुल आस्ति का %	राशि	कुल आस्ति का %	राशि	कुल आस्ति का %
मानक	48,367.90	98.86	62,978.11	98.98	86,423.22	99.09
अवमानक	145.20	0.30	268.98	0.42	355.76	0.41
संदिग्ध	236.26	0.48	181.38	0.28	249.24	0.29
हानिगत	177.76	0.36	200.58	0.32	185.23	0.21
सकल ऋण आस्तियाँ	48,927.12	100.00	63,629.05	100.00	87,213.45	100.00

ऋण आस्तियों की उच्च गुणवत्ता इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि बैंक ऋण में मानक आस्तियों का घटक 99.09% है।

4.9 वित्तीय समावेशन और शाखाहित बैंकिंग - “कार्प ग्रामीण विकास केंद्र”

4.9.1 वित्तीय समावेशन और शाखाहित बैंकिंग क्षेत्र में बैंक ध्यान केंद्रित रहा है। वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने 1300 शाखाहित बैंकिंग इकाइयाँ जोड़ी हैं जिससे मार्च 2011 के अंत तक इकाइयों की कुल संख्या 2500 हो गई। बैंक ने 12.60 लाख से अधिक “नो फ़िल” बचत बैंक खाते खोले जिनमें ₹39.43 करोड़ जमा शेष है और लगभग 23323 जनरल क्रेडिट कार्ड जारी किए जिनमें ₹30.23 करोड़ बकाया शेष है।

4.9.2 भारिबैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँवों को संपूर्ण शाखा या विस्तार पटल या सेवा पटल या आईटीसी आधारित समाधान द्वारा बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अनुसार 31.03.2012 तक वित्तीय समावेशन को क्रियान्वित करने के लिए बैंक को 334 गाँव आर्बटित किए गए थे। बैंक ने 31.12.2010 तक ही अर्थात् 31.03.2012 की समयवधि से 15 माह पहले ही, विभिन्न एसएलबीसी द्वारा आर्बटित सभी 334 स्थानों में -13 स्थानों में शाखा मॉडल द्वारा, और 321 स्थानों में बीसी मॉडल द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यान्वित किया।

4.9.3 बैंक ने 50 शहरी स्थानों में वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित किया है और इसे कार्प शहरी वित्तीय समावेशन केंद्र का नाम दिया है। मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के सहयोग से बैंक ने 15 स्थानों पर वित्तीय समावेशन कार्यान्वित किया है। बेंगलूर में बैंक ने एक एमएफआई और एनजीओ के



4.4.2 Lending to micro finance sector witnessed accelerated momentum during this year. Number of Self Help Groups credit linked increased from 98274 as at March 2010 to 103541 as at March 2011. Likewise, credit to micro finance sector increased from ₹537.43 crore as at March 2010 to ₹897.59 crore as at March 2011, registering a growth of 67 %. Finance to women beneficiaries has improved from ₹2,450 crore to ₹3,816 crore at a growth rate of above 55%. At 6.04% of ANBC, the performance is more than the stipulated 5% of ANBC.

4.4.3 As at March 2011, out of total priority sector credit of ₹24,199 crore, the outstanding credit to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes is ₹390.96 crore whereas our advances to Weaker Sections stood at ₹4,339.19 crore.

4.5 Retail Lending

4.5.1 Retail lending continued to be a focus area of the Bank during the year 2010-11. The outstanding credit under Retail lending improved from ₹11,696 crore as on 31.3.2010 to ₹15,671 crore as on 31.3.2011, recording a growth of ₹3,975 crore (33.99%). The share of the Retail Lending to the Net Bank Credit stood at 18.04%.

4.5.2 Growth under Corp Schemes during the Financial Year 2010-11 was ₹1,712 crore at 23% over the March 2010 figures whereas growth during the corresponding period last year was ₹1,191 crore at 19% .

4.5.3 Special promotional schemes were launched under Corp Home and Corp Vehicle loans from 19.07.2010 to 30.11.2010 at attractive interest rates with concessions in processing charges. The campaign was successfully completed with a total sanction of ₹1,127 crore under Housing loan and ₹227 crore under Vehicle loan schemes.

4.5.4 The following new products have been introduced during the year -

- “Corp CA” Special Scheme for Chartered Accountants.
- “Corp Ghar Shobha” a housing loan variant to finance repair/ renovation/ furnishing of house.
- “Corp Shubha Vivah” a scheme to finance marriage expenses- first Bank to introduce such scheme.
- “Corp Tutor Fee” a scheme to finance tuition fees for entrance exam of professional courses.
- “Corp Home Premium-NRI” a special housing loan scheme for NRIs.
- “Corp CS” a special scheme for Company Secretaries.

4.6 Retail Asset Hubs :

4.6.1 At present 19 Retail Hubs are operating in the Bank. These Retail Asset Hubs in total have sanctioned 44608 applications under various Corp Schemes amounting to ₹3,341 crore during the year, as against 38180 Corp Scheme applications amounting to ₹2,298 crore sanctioned during the previous year.

4.7 Education Loans :

4.7.1 Under in-principle approval of On-line education loan applications, during the financial year, 714 in-principle approvals were accorded amounting to ₹30.14 crore.

4.8 Credit Assets Quality and Classification

The Bank has maintained high standard in Asset quality as evidenced by lower NPA levels over the years. Close surveillance and initiation of prompt remedial action in borrowal accounts, ensured the quality of assets of the Bank.

The classification of the loan assets in terms of Prudential Norms issued by the RBI is as follows:

[₹ in crore]

	As on 31.03.2009		As on 31.03.2010		As on 31.03.2011	
	Amount	% to total asset	Amount	% to total asset	Amount	% to total asset
Standard	48,367.90	98.86	62,978.11	98.98	86,423.22	99.09
Sub-Standard	145.20	0.30	268.98	0.42	355.76	0.41
Doubtful	236.26	0.48	181.38	0.28	249.24	0.29
Loss	177.76	0.36	200.58	0.32	185.23	0.21
Gross Loan Assets	48,927.12	100.00	63,629.05	100.00	87,213.45	100.00

The high quality of the loan assets is evidenced by the fact that the Standard assets constitute 99.09% of the Bank Credit.

4.9 Financial Inclusion and Branchless Banking – “Corp Grameen Vikas Kendras”

4.9.1 Financial Inclusion and Branchless Banking has been the thrust area for the Bank. During the financial year, the Bank added 1300 Branchless Banking units to take the total number of units to 2500 as at the end of March 2011. The Bank has opened more than 12.60 lakh “no-frill” savings bank accounts with a balance of ₹39.43 Crore and around 23323 General Credit Cards with an outstanding balance of ₹30.23 Crore.

4.9.2 As per the High-Level Committee constituted by RBI, all villages with population above 2000 should be provided with banking facility either through brick and mortar branch or extension counter or service counter or ICT based solution. As per this, the Bank was allotted 334 villages for implementation of the financial inclusion by 31.03.2012. The Bank has implemented financial inclusion in all the 334 locations, 13 locations by the way of Branch Model and 321 locations by the way of BC Model, allocated by various SLBCs by 31.12.2010 itself i.e. 15 months ahead of the schedule i.e. 31.03.2012.

4.9.3 The Bank has implemented Urban Financial Inclusion in 50 urban locations and branded it as Corp Shahari Vitthiya Samaveshana Kendra. In association with M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd., the Bank has implemented Financial Inclusion in 15 locations. In Bangalore, the Bank has implemented Urban Financial Inclusion in 30 locations in co-ordination with one MFI and an NGO. In Pune, the same has been implemented in 4 locations. A mobile based Urban



सहयोग से 30 स्थानों पर शहरी वित्तीय समावेशन कार्यान्वित किया है। पुणे में इसे 4 स्थानों पर कार्यान्वित किया गया है। माननीय वित्त राज्यमंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने सवाई माधोपुर, राजस्थान में एक स्थान पर मोबाइल आधारित शहरी वित्तीय समावेशन शुरू किया था।

4.9.4 बैंक के वित्तीय समावेशन मॉडल पर एक प्रेसेंटेशन कॉमनवेलथ सेक्रेटेरियेट, लंदन को किया गया था। कॉमनवेलथ सेक्रेटेरियेट के सहयोग से बैंक का युवा उद्यम वित्तीयन कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है और शाखारहित बैंकिंग मॉडल का इस्तेमाल करके सतत उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

4.9.5 बैंक के 106 वें संस्थापना दिवस को माननीय वित्त मंत्री द्वारा 12 मार्च 2011 को उद्घाटन किए गए विरासत केंद्र उडुपि में बैंक का वित्तीय समावेशन स्रोत केंद्र स्थापित किया गया है। बैंक के संस्थापक के भवन को विरासत केंद्र के रूप में समर्पित किया गया है जहाँ बैंक ने निम्नलिखित क्रियाकलाप शुरू किए हैं:

- वित्तीय समावेशन स्रोत केंद्र (एफआईआरसी)
- वित्तीय साक्षरता और परामर्श केंद्र
- वित्तीय अनुसंधान केंद्र
- कार्पोरेशन बैंक कॉमनवेलथ सेन्टर
- सभागृह

4.9.6 शाखारहित बैंकिंग के सभी ग्राहकों को क्रमशः व्यक्ति पेंशन और व्यक्ति बीमा (गैर-जीवन) उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट और युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

4.9.7 बैंक ने निवासियों को यूआईडी संख्या जारी करने हेतु रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी (यूआईडीएआई) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

4.9.8 बैंक ने वित्तीय समावेशन पहल हेतु निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं-

- स्कॉच फाउंडेशन से स्कॉच फाइनेंशियल इंकलूजन अवार्ड- "इंकलूजन चैंपियन ऑफ द इयर"
- आईबीए से उत्तम वित्तीय समावेशन पहल अवार्ड

5. वसूली

5.1 बैंक, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गनिर्देशों का अनुपालन करता रहा है। बेहतर एनपीए प्रबंधन हेतु बैंक की त्रिमुखी रणनीति कायम है:

- क. निवारक कार्रवाई
- ख. वसूली और उन्नयन
- ग. समाधान और समझौता

5.2 बैंक की सकल एनपीए पिछले वर्ष के अंत के ₹ 650.94 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को ₹ 790.23 करोड़ रहा। पिछले वित्त वर्ष के अंत में 1.02% की तुलना में 31 मार्च, 2011 को सकल एनपीए सकल अग्रिमों का 0.91% था।

5.3 बैंक का निवल एनपीए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत के ₹197.25

करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2011 को ₹ 397.74 करोड़ था। निवल अग्रिमों में बैंक का निवल एनपीए अनुपात पिछले वर्ष के 0.31% से बढ़कर 31.03.2011 को 0.46% हो गया। विवेक संगत मानक के रूप में बैंक धारित प्रतिभूतियों की प्रकृति और मात्रा का लिहाज किए बिना उधारकर्तावार ₹ 25,000/- से कम की कुल देयता वाले सभी एनपीए खातों हेतु पूरा प्रावधान करता है।

5.4 वित्तीय वर्ष के दौरान नकद वसूली तथा उन्नयन पिछले वित्त वर्ष के ₹ 320.08 करोड़ की तुलना में ₹ 627.33 करोड़ रहा। वसूली में सुधार शाखाओं/आंचलिक कार्यालयों के स्तर पर उधार खातों की सतत निगरानी एवं अनुवर्तन, नई चूक को रोकने के लिए प्रधान कार्यालय स्तर पर संभावित एनपीए की निगरानी ओटीएस योजनाओं/समझौता निपटारों के कारगर कार्यान्वयन हेतु और वसूली कैंपों की वजह से हुआ। वसूली निष्पादन में और सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरफेसी अधिनियम का सहारा लिया गया।


5.5 ₹ 5 लाख तक (सहित) की शेषराशि वाले छोटे एनपीए खातों हेतु "कार्प समझौता" नाम की ओटीएस योजना 15.09.2010 से 31.03.2011 तक परिचालन में थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक ने 3489 पात्र खातों में ₹ 6.94 करोड़ वसूल किए। इस प्रक्रिया में ₹ 8.13 करोड़ की कुल राशि के 3402 पात्र खाते बंद किए गए।

5.6 ₹ 5 लाख तक के बकाया शेषराशि के बिना किसी प्रतिभूति वाले सभी एनपीए खातों की वसूली हेतु 01.04.2010 से 31.12.2010 तक एक विशेष वसूली अभियान परिचालन में था। उक्त अभियान अवधि के दौरान 1277 स्टाफ सदस्यों की सक्रिय सहभागिता से ₹11.80 करोड़ की राशि वसूल की गई।

5.7 वर्ष के दौरान बैंक ने देश भर में 250 वसूली शिविर आयोजित किए और ₹ 44.67 करोड़ वसूल किए। बैंक ने छोटे और लंबे समय से एनपीए खातों की वसूली हेतु चुनिंदा केन्द्रों में 41 "लोक अदालतें" भी आयोजित की जिनमें 826 खातों में ₹ 3.34 करोड़ के एनपीए को निपटारा और 710 खातों में 0.84 करोड़ की वसूली की गई।

6. टूटरी एवं निवेश परिचालन

(₹ करोड़ में)





Financial Inclusion was launched by Honourable Minister of State for Finance Shri Namo Narain Meena at one location in Sawai Madhopur, Rajasthan.

4.9.4 A presentation on the Financial Inclusion Model of the Bank was made to the Commonwealth Secretariat in London. The Bank, in collaboration with Commonwealth Secretariat proposes to hold Youth Enterprise Financing program and is focusing on providing sustainable Enterprise Development using Branchless Banking Model.

4.9.5 The Financial Inclusion Resource Centre of the Bank has been set up at Heritage Centre Udupi, on its inauguration on the 12th March 2011, by the Honourable Finance Minister on the 106th Foundation day of the Bank. The building owned by the founder of the bank, has been dedicated as a heritage centre wherein the Bank has launched following activities.

- Financial Inclusion Resource centre (FIRC)
- Financial Literacy and Counseling Centre
- Financial Research center
- Corporation Bank Commonwealth Center
- Auditorium

4.9.6 The Bank has signed Memorandum of Understanding (MOU) with Unit Trust of India and United India Insurance Company Ltd for providing Micro Pension and Micro Insurance (Non-Life) respectively, to all customers of Branchless Banking.

4.9.7 The Bank has also signed MOU with Unique Identification Authority of India (UIDAI) for acting as Registrars for issue of UID numbers to residents.

4.9.8 Bank has bagged following awards for Financial Inclusion Initiatives:

- SKOCH Financial Inclusion Award 2011-“Inclusion Champion of the year” from SKOCH Foundation
- Best Financial Inclusion Initiative Award from IBA

5. Recovery

5.1 The Bank has been complying with the RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. The Bank continues to apply a three pronged strategy of better NPA Management:

- a. Preventive Actions
- b. Recovery and Upgradation
- c. Resolution and Settlement

5.2 The Gross NPA of the Bank was ₹790.23 crore as on 31.03.2011 compared to ₹650.94 crore as at the end of the previous financial year. The Gross NPA constituted 0.91% of the Gross Advances as on 31st March 2011 as against 1.02% at the end of the corresponding previous financial year.

5.3 The Net NPA of the Bank was ₹397.74 crore as on 31st March 2011 compared to ₹197.25 crore as at the end of the previous financial year. The net NPA ratio of the Bank

against the Net Advances has slightly increased from 0.31% of the previous year to 0.46% as at 31.03.2011. As a matter of prudence, the Bank provides in full for all NPA accounts with borrower wise aggregate liability of less than ₹25,000/- irrespective of the nature and extent of securities held.

5.4 The Cash recovery and Upgradation during the Financial Year 2010-11 stood at ₹627.33 crore, compared to ₹320.08 crore in the previous Financial Year. The improvement in the recovery has taken place on account of continuous monitoring and close follow up of borrowal accounts at Branches/Zonal Offices, effective implementation of One Time Settlement (OTS) schemes/ Compromise settlements and Recovery Camps. The SARFAESI Act has been used as an enabling tool to ensure further improvement in Recovery Performance.


5.5 An OTS scheme called “Corp Samjotha” for small NPA accounts with balance inclusive of ₹5 lakh was in operation between 15.09.2010 to 31.03.2011. Under this scheme, the Bank has recovered ₹6.94 crore from 3489 eligible accounts. In the process 3402 eligible accounts with a total amount of ₹8.13 crore were closed.

5.6 A special Recovery Campaign was operational from 01.04.2010 to 31.12.2010 for recovery of all NPA accounts with outstanding balance upto ₹5 lakh, which are not backed by any securities. During the campaign period ₹11.80 crore was recovered with the active participation of 1277 staff members.

5.7 During the year, the Bank held 250 Recovery Camps across the country and recovered ₹44.67 crore. The Bank also held 41 “Lok Adalats” in select centers to recover small and chronic NPAs in which NPAs amounting to ₹ 3.34 crore was settled in 826 accounts and recovery of ₹0.84 crore was made in 710 accounts.

6. Treasury and Investment Operations

(₹ in Crore)





6.1 31 मार्च, 2011 को बैंक के कुल निवेश, बैंक के जोखिम अवबोध तथा निवेश नीति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसूच्य प्रतिभूतियों की परिपक्वता मिश्रण के साथ ₹ 43,453 करोड़ थे।

6.2 बैंक कार्पोरेट/पीएसयू बांड सेगमेंट, जमा प्रमाण-पत्र तथा वाणिज्यिक पत्र बाजार में सक्रिय प्रतिभागी है।

6.3 रिपोर्टाधीन वर्ष में निवेशों पर औसत आय पिछले वर्ष के 6.84% स्तर की तुलना में 7.04% रही।

6.4 निवेशों की बिक्री से प्राप्त निवल लाभ पिछले वर्ष के ₹ 308.83 करोड़ की तुलना में 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु ₹ 209.48 करोड़ था।

6.5 बैंक ने सभी ब्याज अर्जन करने वाली प्रतिभूतियों हेतु अवधि, आशोधित अवधि तथा जोखिम पर मूल्य जैसे जोखिम प्रबंधन उपाय प्रारंभ किए हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

7.1 2010-11 के दौरान कुल विदेशी विनिमय पण्यवर्त में 13.79% की वृद्धि दर्ज की गई। कुल विदेशी विनिमय पण्यवर्त में अन्तर बैंक पण्यवर्त 15.46% वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष के दौरान ₹ 4,46,090 करोड़ रहा। व्यापारी पण्यवर्त ₹ 59,973 करोड़ से बढ़कर ₹ 61,790 करोड़ हो गया।

7.2 बैंक की 52 “बी” वर्ग शाखाएँ हैं जो विदेशी विनिमय कारोबार संभालती हैं। इन सभी शाखाओं में व्यापारी पण्यवर्त, शुल्क आधारित आय, ग्राहकाधार वृद्धि एवं निर्यात ऋण के क्षेत्र में उत्साहजनक वृद्धि हुई।

7.3 फॉरेक्स कारोबार बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों में निर्यातक - आयातक बैठकें आयोजित की गईं।

7.4 कार्पोरेट कार्यालय एवं निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग के कार्यपालकों ने अनिवासी भारतीयों की बैठकों को संबोधित किया और दुबई, हाँगकाँग और थायवान दौरे के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों से भी मिले।

7.5 वर्ष के दौरान एफ सीएनआर लेनदेन भी स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) दायरे के तहत लाए गए हैं। इसके अलावा स्विफ्ट भुगतान संदेश को अब नॉस्टो जमाओं का दक्षता से संचालन करने हेतु संबंधित विनिर्दिष्ट शाखाओं को नॉस्टो लेनदेनों सहित दिए जा रहे हैं।

7.6 मिलान पर लगातार ध्यान एवं सुधार ने बकाया नॉस्टो प्रविष्टियों को पर्याप्त रूप से कम करने में सहायता की है।

7.7 बैंक ने पाँच नए एक्सचेंज हाउसों अर्थात् अल् रोस्तमनि एक्सचेंज - दुबई, एमिरेट्स इंटरनेशनल एक्सचेंज दुबई, एशिया एक्सचेंज, दुबई, एल फरदान एक्सचेंज, दुबई के साथ खाड़ी के अनिवासीय भारतीयों के लिए आवक प्रेषण सुसाध्य करने हेतु गठबंधन किए। इसके साथ खाड़ी के एक्सचेंज हाउसों के साथ गठबंधनों की संख्या 16 हो गई।

7.8 बैंक ने त्वरित विप्रेषण व्यवस्था हेतु एक पदाधिकारी को अल्-जमान एक्सचेंज, दोहा, खतार को प्रतिनियुक्त किया, जिनके साथ बैंक का गठबंधन है।

8. व्यापारी बैंकिंग गतिविधियाँ

बैंक ने वर्ष के दौरान 32 लाभांश पे-आऊट तथा 79 इश्यू संग्रहण कार्य सफलतापूर्वक संचालित किए।

9. बहुमूल्य धातु कारोबार

9.1 वर्ष के दौरान बहुमूल्य धातु कारोबार से कुल पण्यवर्त ₹ 6006.11 करोड़ रहा तथा स्वर्ण ऋणों को छोड़कर आय ₹ 6.27 करोड़ रही।

9.2 2, 4, 5, 8, 20 एवं 50 ग्राम के मूल्यवर्ग में स्वर्ण सिक्के 360 से अधिक शाखाओं में बेचे जा रहे हैं।

10. नामित शाखाएँ और निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग:

10.1 प्रक्रिया में सुधार

क) नामित शाखाओं और निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग (आईआईबीडी) के बीच सभी प्रकार के फॉरेक्स लेनदेनों के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) इनेबल कर दिया गया है। शाखाओं द्वारा लगभग सभी लेनदेन आईआईबीडी में एसटीपी के ज़रिए स्वतः अपलोड किया जाता है।

ख) इस वर्ष के दौरान लिंक शाखाओं में “दर माँगने की सुविधा” इनेबल की गई है और सभी एफ सीएनआर लेनदेनों को एसटीपी के अंतर्गत लाया गया है। आईआईबीडी में मिरर बैलेंस तत्काल अपडेट होता है और एफ सीएनआर लेनदेनों का 97% से अधिक लेनदेन ऑटो मोड के अंतर्गत है।

ग) नॉस्टो जमाओं को सीबीएस में अपलोड किया गया है जिससे 80% से अधिक नॉस्टो खातों का स्वतः समाधान सुनिश्चित होता है।

घ) वेस्टर्न यूनिनयन मनी ट्रांसफर हेतु वीज़मैन फॉरेक्स प्रा.लि. के साथ गठबंधन करार किया जिससे दुनिया भर से भारत को प्रेषण किया जा सकेगा।

ङ) नामित शाखाओं में फॉरेक्स दरों के ऑनलाईन प्रदर्शन हेतु इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की संस्थापना की।

च) सुलभ प्रसंस्करण हेतु जोखिम प्रबंधन सर्वर में फॉरेक्स और स्वर्ण की स्थिति की अपलोडिंग।

छ) एक्सचेंज हाउस - समाधान सरल बनाया गया।

11. उगाही एवं भुगतान सेवाएँ (कैप्स)

11.1 कार्पोरेट क्षेत्रों में एक पसंदीदा नकदी प्रबंधन सेवा बैंक के रूप में बैंक ने नकदी प्रबंधन सेवाओं में अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा है। वर्ष के दौरान बैंक ने टर्नओवर, आय और ग्राहक संवृद्धि में स्थिर निष्पादन दर्शाया है।

11.2 एक अग्र-सक्रिय सीएमएस बैंक के रूप में बैंक ने कई “ग्राहक उन्मुख” उत्पाद/प्रौद्योगिकी पहल की है।

11.3 उनमें हैं:

i) ऑटोमेटेड चैनल फाइनेंसिंग सुविधा: इस सुविधा के अंतर्गत बैंक ओईएम के व्यापारियों/आपूर्तिकारों को इनवॉइस के आधार पर वित्त प्रदान करेगा और यह संपूर्ण प्रक्रिया इनवॉइस जनरेट करने से लेकर नियत तारिखों को निधियों का निपटान होने तक पूर्णतः स्वचालित है। वर्ष के दौरान इस सुविधा को सुधारने हेतु ध्यान केन्द्रित किया गया।



6.1 The aggregate Investment of the bank as on 31st March 2011 were ₹43,453 crore with maturity mix of securities consistent with risk perceptions and investment policies of the Bank.

6.2 The Bank is an active player in the Corporate/PSU Bonds segment, Certificate of Deposits and commercial paper market.

6.3 The average yield on investments during the report year stood at 7.04% compared to the previous year's level of 6.84%.

6.4 The net profit from sale of investments was ₹209.48 crore for the year-ended 31.03.2011 as compared to ₹ 308.83 crore in the previous year.

6.5 The Bank has put in place the risk management tools like Duration, Modified Duration and Value at Risk for all interest bearing securities.

7. International Banking

7.1 During the year 2010-11, the total forex turnover registered a growth of 13.79%. Out of the total forex turnover, interbank turnover was ₹4,46,090 crore during the year recording a growth of 15.46%. Merchant turnover increased from ₹59,973 crore to ₹61,790 crore.

7.2 The Bank has 52 "B" category branches, which cater to the foreign exchange business. There is an encouraging growth in the area of Merchant turnover, fee based income, clientele growth and export credit in all these branches.

7.3 In order to increase forex business, Exporter-importer meets were conducted at important trade centers.

7.4 Executives from Corporate Office and Investment & International Banking Division (IIBD) of the Bank addressed meeting of NRIs and also met Foreign Institutional Investors during their visit to Dubai, Hong Kong and Taiwan.

7.5 During the year, FCNR transactions have also been brought under Straight Through Processing (STP) ambit. Furthermore, SWIFT payment messages are now being relayed to the concerned Designated Branches along with the Nostro transactions for efficient handling of Nostro credits.

7.6 Sustained focus and improvement in Reconciliation has helped in bringing down the outstanding Nostro entries substantially.

7.7 Bank has entered into tie ups with five new Exchange Houses viz. Al Rostamani Exchange-Dubai, Emirates International Exchange-Dubai, Asia Exchange-Dubai, Al Ghurair Exchange-Dubai, Al Fardan Exchange-Dubai to facilitate inward remittances from NRIs based in Gulf. With this the total number of tie up arrangements with Gulf based Exchange houses has reached 16.

7.8 An official of the Bank was deputed to Al Zaman Exchange, Doha Qatar with which the bank has a tie up for Speed Remittance arrangement.

8. Merchant Banking Activities

During the year Bank handled 32 dividend payout and 79 issue collection assignments successfully.

9. Precious Metal Business

9.1 During the year, the Bank achieved an aggregate turnover of ₹6006.11 crore earning an Income of ₹ 6.27 crore from Precious Metals Business excluding gold loans.

9.2 Gold coins in the denominations of 2, 4, 5, 8, 20 and 50 grams are being sold at over 360 branches.

10. Designated Branches and Investment and International Banking Division :

10.1 Process Improvement

- a) Straight Through Processing (STP) has been enabled between Designated Branches and Investment and International Banking Division (IIBD) for all types of Forex Transactions. Almost all transactions done by branches are auto uploaded at IIBD through STP.
- b) During this year, Link Branches have been enabled with "rate seeking facility" and all the FCNR transactions are brought under STP. Mirror balance at IIBD is updated instantaneously and more than 97% of the FCNR transactions are under auto mode.
- c) Nostro Credits are uploaded to CBS thereby enabling auto reconciliation of Nostro accounts to the extent of more than 80%.
- d) Entered into Tie-up arrangement with Weizman Forex Pvt. Ltd., for Western Union Money Transfers which would enable global remittances to India.
- e) Initiated installation of Electronic Display Board for online display of Forex Rates at Designated Branches
- f) Uploading of Forex & Gold Positions to Risk Management Server for easy processing.
- g) Exchange Houses – Reconciliation simplified.

11. Collection and Payment Services (CAPS)

11.1 The Bank, a preferred Cash Management Services (CMS) Banker in Corporate sector continues to retain its premier position under CMS. The Bank has shown consistent performance under Turnover, Income and Clientele growth during the year.

11.2 As pro-active CMS Banker, the Bank has initiated host of 'customer centric' new Product/technological initiatives.

11.3 Amongst them are:

- i) Automated Channel Financing Facility: Under this facility, the Bank will finance against invoice to the dealers of the OEMs/Suppliers and the entire process is fully automated right from invoice generation to settlement of funds on due dates. During the year, focussed attention was given to improve the facility.



- ii) बैंक ने कार्ड आधारित ऑनलाइन लेनदेनों को सुसाध्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे (ईपीजी) स्थापित किया है। उक्त पेमेंट गेटवे कि सी भी बैंक द्वारा जारी वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड को स्वीकार करता है। वर्ष के दौरान ये सेवाएं शिक्षा संस्थाओं, दूरसंचार प्रभाग और एलआईसी को प्रदान की गई।
- iii) आरटीजीएस/एनईएफटी आधारित उगाही सुविधा देश भर में बैंक की किसी भी शाखा से (कोर समर्थ)
- iv) उगाही प्रबंधन के अंतर्गत पहुँच को विस्तार करने के लिए स्थानीय चेक उगाही केन्द्रों की संख्या 448 तक बढ़ाई गई।
- v) उपर्युक्त पहल से अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक सीएमएस बाज़ार में परिचालन दक्षता के ज़रिए सेवा स्तर में सुधार हुआ है।

12. अंतर शाखा लेखा समाधान

12.1 अंतर शाखा लेनदेनों का समय पर समाधान और त्वरित निरसन बैंक की विशिष्टता बनी हुई है। आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था के इस प्रमुख क्षेत्र में अपनी दक्षता बनाए रखने हेतु बैंक की अन्तर शाखा लेनदेनों की केन्द्रीय संसाधन प्रणाली है।

12.2 वित्तवर्ष 2010-2011 के दौरान बैंक ने अंतर शाखा लेनदेनों का समय पर समाधान करने के क्षेत्र में अपनी प्रमुख दक्षता बनाए रखी। अंतर-शाखा लेनदेनों को सामान्यतः लेनदेन के अगले दिन ही प्रसंस्कृत करके समाधान किया जाता है। 31-03-2011 तक प्रवर्तित किए गए सभी अंतर शाखा लेनदेनों तथा 15.03.2011 तक की सभी प्रविष्टियों (जारी मांग ड्राफ्ट संबंध में जमा को छोड़कर) को निरस्त किया गया है।

13. सूचना प्रौद्योगिकी पहल

13.1 बैंक की आईटी पहल का उद्देश्य ऐसे ग्राहक उन्मुख उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करना है जो ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाए और साथ ही कारगर प्रबंधन सूचना प्रणाली के ज़रिए आंतरिक दक्षता और निर्णयन प्रक्रिया में सुधार करे। ग्राहक सुविधा में मूल्य वर्धन करनेवाले विभिन्न ग्राहक सुलभ डेलिवरी चैनल हैं:

13.2 कोर बैंकिंग

बैंक की सभी 1423 इकाइयाँ सीबीएस के अंतर्गत हैं, अर्थात् 100% शाखाएँ/कार्यालय कोर बैंकिंग के अंतर्गत कार्यरत हैं। वर्ष के दौरान कार्यान्वित महत्वपूर्ण मॉड्यूल हैं- क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा मॉड्यूल, सममूल्य पर देय सुविधा के अंतर्गत पोस्ट फंडिंग सॉफ्टवेयर, कार्प प्रगति पूर्व-निर्धारित ऑवरड्राफ्ट सीमा, एएमएल पैकेज, एनआरओ आरडी मॉड्यूल और रीटेल हब से संबंधित लोन ट्रेकिंग।

13.3 एटीएम

बैंक ने देश भर में 8 बायोमेट्रिक एटीएमों सहित 1250 एटीएम परिचालित व नेटवर्क से जोड़े है। इनमें आउटसोर्सिंग मॉडल के तहत संस्थापित 69 एटीएम शामिल हैं।

इन्स्टेंट डेबिट कार्ड, भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक एटीएम लेनदेन के बाद पिन की प्रविष्टि और सभी आईवीआर लेनदेनों के लिए ओटीपी सुविधा एटीएमों में वर्ष के दौरान प्रदान की गई नई सुविधाओं में कुछ हैं।

13.4 पीओएस टर्मिनल

मार्च 2011 के अंत तक देश भर में विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बैंक के 16420 पीओएस टर्मिनल हैं।

13.5 नेट बैंकिंग

सुविधा की वजह से ग्राहकों के बीच उत्पाद की व्यापक स्वीकार्यता को देखते हुए बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग की आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि की है।

वर्ष के दौरान कार्पनेट के अंतर्गत प्रारंभ की गई नई सुविधाएं हैं:

ऑनलाइन बैंकिंग को अधिक प्रयोक्ता सुलभ और विशेषताओं से युक्त बनाया गया है जिनमें शामिल हैं-

एक्सेस की स्पीड बनाने के लिए लोड बेलेंसर का कार्यान्वयन

ग्राहकों द्वारा 2Gएस कर जमा को ऑनलाइन देखना

गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में कर का ई-पेमेंट इनेबल करना

कांडला और एनएमपीटी पोर्टों के लिए पोर्ट कंम्यूनिटी सिस्टम पेमेंट गेटवे

ग्राहकों को अपने ऋण आवेदन की स्थिति जानने हेतु ऑनलाइन लोन ट्रेकिंग

ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए एकीकृत सरल प्लग-इन मर्चेन्ट मॉड्यूल

सभी ऑनलाइन लेनदेनों के लिए पुष्टिकरण एसएमएस और ई-मेल संदेश

कर के थोक भुगतान के लिए फाइल अपलोड की सुविधा

भारतीय जीवन बीमा निगम और न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं के लिए पेमेंट गेटवे सुविधा

गैर-एजेंसी बैंकों के ज़रिए करों की उगाही

13.6 एसएमएस बैंकिंग

मूल्य वर्धन के रूप में बैंक ने 06.02.2007 से अपने ग्राहकों के लिए शॉर्ट मेसेज सर्विस (एसएमएस) बैंकिंग सुविधा प्रारंभ की है। 31.03.2011 को 153628 ग्राहक इस सुविधा का लाभ उठाते हैं। वर्ष के दौरान एसएमएस बैंकिंग के अंतर्गत जोड़ी गई नई सुविधाएं हैं:

पीओएस टर्मिनल और इंटरनेट के ज़रिए किए गए डेबिट कार्ड आधारित लेनदेनों के लिए एसएमएस अलर्ट।

सभी ग्राहकों हेतु एनईएफटी क्रेडिट/वापसी की पुष्टिकरण हेतु एसएमएस अलर्ट।

सभी पंजीकृत ग्राहकों के लिए एनईएफटी, ईसीएस, एनईसीएस (जमा और नामे दोनों) हेतु एसएमएस अलर्ट

ग्राहकों को दूसरे बैंकों को निधियाँ भेजने और दूसरे बैंकों से निधियाँ प्राप्त करने के लिए अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) का कार्यान्वयन बैंक नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के सहयोग से इस मॉड्यूल को पहले पहल कार्यान्वित करनेवाले बैंकों में एक है।

13.7 मोबाइल भुगतान सुविधा

पेमेंट मोबाइल पेमेंट प्लेटफार्म है जो ग्राहकों को अपने मोबाइल फोनों के ज़रिए



- ii) The bank has set-up Electronic Payment Gateway (ePG) for facilitating card based online payments. The payment gateway accepts all Visa/Master credit/debit cards issued by any bank. During the year the services are extended to Educational institutions, telecommunication Division and LIC.
- iii) RTGS /NEFT based collection facility from any branch of the Bank (core enabled) in the country.
- iv) The local cheque collection centres have been increased to 448 in order to expand the reach under collection management.
- v) The above initiatives have improved the service delivery standards through operational efficiency to stay ahead in the highly competitive CMS market.

12. Inter-Branch Aaccounts Reconciliation

12.1 Timely reconciliation and speedy elimination of Inter-Branch transactions continue to be the forte of the Bank. The bank has a Central Inter Branch reconciliation system for Processing of Inter-Branch Transactions, in order to maintain efficiency in this vital area of housekeeping.

12.2 During the financial year 2010-11, the Bank continued to maintain its core competence in the area of timely reconciliation of Inter-Branch transactions. The Inter-Branch transactions were generally processed and reconciled on the next day of the transaction. All Inter-Branch transactions emanated up to 31.03.2011 stand reconciled and all entries (other than credits in respect of Demand Drafts issued) up to 15.03.2011 stand eliminated as at 31.03.2011.

13. Information Technology Initiatives

13.1 The Bank's IT initiatives are aimed at providing customer oriented products and services that enhance customer convenience while at the same time improve internal efficiency and decision making process through effective Management Information System. The various customer friendly delivery channels that add value to the customer convenience are :

13.2 Core Banking

All the 1423 units of the Bank are under CBS i.e. 100% of the branches/offices are functioning under Core Banking. The important modules implemented during the year are -Regional Electronic Clearing Service Module, Post funding software under the Payable at Par facility, Corp-Pragathi - Pre-defined overdraft limit, AML package, NRO RD module and Loan Tracking pertaining to Retail Hubs.

13.3 ATMs

The Bank has operationalised and networked 1250 ATMs across the country inclusive of 8 Biometric ATMs. This is inclusive of 69 ATMs installed under the outsourcing model.

Instant Debit Cards, Pin Entry after every ATM transaction as per RBI guidelines and OTP facility for all IVR transactions are some of the new facilities provided in ATMs during the year.

13.4 POS Terminals

As at the end of March 2011, the Bank has 16420 Point of Sale (POS) Terminals installed at different merchant establishments all over the country

13.5 Net Banking

In view of the wide acceptability of the product amongst the customers due to the convenience of operation it provides, the Bank has enhanced infrastructure facilities in internet banking.

The new facilities introduced under CorpNet during the year are :

- The online Banking has been made more user friendly and feature rich during the year which include -
- Implementation of Load Balancer to improve speed of access
- Online viewing facility for 26AS Tax credits by customers.
- Enabling e-Payment of taxes in states of Goa, Gujarat & Maharashtra
- Port Community System payment Gateway for Kandla and NMPT ports
- Online Loan tracking enabling customers track the status of their loan application.
- A unified easy plug-in merchant module for acquiring e-commerce transaction.
- Confirmation SMS and Email message for all online transaction introduced
- Option to file upload for bulk payment of taxes
- Payment Gateway facility to LIC of India and New India Assurance Co.
- Enabling collection of taxes through Non-Agency Banks.

13.6 SMS Banking

As a value addition, the Bank has introduced Short Message Service (SMS) Banking facility for its customers with effect from 06.02.2007. As on 31.03.2011, 153628 customers enjoy this facility. The new facilities introduced under SMS Banking during the year are -

- SMS Alert for Debit card based transactions done at POS terminals and through internet.
- SMS Alert for NEFT credit/return confirmation for all customers.
- SMS Alert for NEFT, ECS, NECS (both credit and debit) for all registered customers.

Implementation of Inter Bank Mobile Payment Service (IMPS) to enable customers to send and receive funds from other Banks. The Bank was one of the first set of Banks to implement this module in association with the National Payment Corporation of India (NPCI)

13.7 Mobile Payment facility

PayMate is a mobile payment platform, which enables the



लेनदेन करने की सुविधा देता है। इसमें ग्राहकों को अपनी खरीददारी के लिए एसएमएस के जरिए भुगतान करने की सुविधा है। 2500 से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्यतः ऑनलाइन व्यापारियों को भुगतान करने हेतु पेमेंट सुविधा का प्रयोग किया जा सकता है।

13.8 सरकारी कारोबार मॉड्यूल :

प्रत्यक्ष कर वसूली (ओएलटीएस) : ऑनलाइन इंज़ट रहित कर भुगतान सुविधा के कारण प्रत्यक्ष कर के ई- भुगतान का महत्व एवं स्वीकृति बढ़ी है। इससे सुरक्षा एवं गोपिनीयता को सुनिश्चित करते हुए लेनदेन पूरा हो पाता है। यह सुविधा टीडीएस प्रेषण के लिए सभी शाखाओं में उपलब्ध कराई गयी है।

अप्रत्यक्ष कर वसूली (ईज़ियस्ट): अप्रत्यक्ष करों की अदायगी के लिए ई भुगतान की ईज़ियस्ट मॉड्यूल को व्यापक स्वीकृति मिली है कि इस सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यह सुविधा बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध कराई गई है।

सीमा शुल्क वसूली: सीमा शुल्क के संग्रहण व प्रेषण हेतु सॉफ्टवेयर दिल्ली, चेन्नै एवं विशाखापट्टणम एयर कार्गो सीमा शुल्क कार्यालयों में icegate.com के जरिये सक्रिय बनाया गया है।

राज्य करों में वसूली : दिल्ली एवं गोवा में भौतिक रूप से वैट संग्रहण के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात एवं गोवा में राज्य करों का ई-भुगतान सक्रिय बना दिया गया है। इस मॉड्यूल को निकट भविष्य में कर्नाटक, केरल एवं आंध्रप्रदेश राज्यों में संबद्ध राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त होते ही प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

गैर एजेन्सी बैंकों द्वारा कर अपलोड : सॉफ्टवेयर को ग्राहक अनुरूप करते हुए 23 गैर एजेन्सी बैंकों द्वारा बैंक के कर अपलोड मॉड्यूल का उपयोग किया जा रहा है।

13.9 रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस)

बैंक की 1234 इकाइयों (शाखाओं और विस्तार पटलों सहित) में आरटीजीएस की सुविधा प्रदान की जा रही है। आरटीजीएस लेनदेन स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के द्वारा सक्षम किया गया है। वर्ष के दौरान ₹14,89,695 करोड़ निहित 15,57,936 लेनदेन आरटीजीएस के जरिए किए गए।

13.10 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)

बैंकों में निधि अंतरण हेतु एनईएफटी योजना बैंक की 1214 इकाइयों में कार्यान्वित की गई है। कार्पोरेट और एटीएम के जरिए भी एनईएफटी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्ष के दौरान ₹13,838 करोड़ के 26,26,180 लेनदेन आरटीजीएस के माध्यम से किए गए।

13.11. एकीकृत राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली:

बैंक के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार के लिए एकीकृत राजकोषीय प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) सॉफ्टवेयर पूर्णतः चालू किया गया और आरटीजीएस से संबद्ध

किया गया। विदेशी विनिमय के लिए निर्धारित सभी शाखाएँ आईआईबीडी के साथ स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) और चैट मॉड्यूल के लिए सक्षम की गई है।

1. संपर्क शाखा में एफसीएनआर लेन देन हेतु स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग कार्यान्वित।
2. डीलरों से सीधे दर प्राप्त करने के अलावा सिस्टम के जरिए ग्राहक हितैषी एवं एफसीएनआर जमा का स्व नवीकरण और एक शाखा से दूसरी में जमा अंतरण जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने हेतु एफसीएनआर मॉड्यूल को प्रारूपित एवं आशोधित किया था।
3. कोर-बैंकिंग सॉफ्टवेयर एवं एकीकृत ट्रेज़री मॉड्यूल में आशोधन के साथ ग्राहकों को प्रत्यक्ष दर प्रदान करने हेतु प्रोग्राम विकसित किए गए।
4. सभी एफसीएनआर लेनदेन नामित, संपर्क शाखाएं एवं आईआईबीडी के बीच स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के अधीन है।
5. अपेक्षित फॉर्मेट के अनुसार एडवान्स डिस्प्ले सिस्टम में फॉरेक्स कार्ड दरों को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध करायी गई। कार्ड दरों के प्रदर्शन संबंधी बोर्ड सभी नामित शाखाओं में उपलब्ध करायी गया।
6. एफआई की अपेक्षानुसार रियूटर डील प्रदर्शन एवं ccil ऑनलाइन स्थिति की व्यवस्था की गई।
7. स्वर्ण स्थितियों पर फ्लैश रिपोर्ट की तैयारी, जोखिम प्रबंधन हेतु फॉरेक्स स्थिति एवं स्वर्ण स्थिति अपलोड सुविधा, काउटर पार्टी शाखा निवेश का अभिग्रहण, स्पॉट बकेट पर ईईएफसी, आरएफसीए, आरएफसीटी, डीओटीएच प्रदर्शित करने हेतु गेप रिपोर्ट और दैनिक देशी पुनर्मूल्यांकन (बाज़ार जोखिम दरों से ग्रहित दर) आदि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के तहत प्रारम्भ की गई अन्य पहल है।

13.12 रैम (जोखिम निर्धारण मॉडल)

नए ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण एवं संस्तुति तथा समीक्षा / नवीकरण हेतु बैंक के सभी स्तरों - प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों, 40 बड़ी शाखाओं, एसएमई, बड़ी कार्पोरेट शाखाओं, ओवरसीज़ शाखाओं एवं औद्योगिक वित्त शाखाओं में रैम सिस्टम प्रारम्भ किया गया जिससे प्रस्तावों को जोखिम संभाव्यता आधार पर प्रसंस्कृत किया जाता है।

13.13 ई-लर्निंग

बैंक ने ई-लर्निंग व्यवस्था स्थापित की है। तत्काल इन्टैक्टिव ऑनसाइट लर्निंग (आईओएल) के लिए सूचना व संचार तकनीकी का उपयोग कर शिक्षा पद्धति की ताकतों का सुचारू समन्वयन - यानी अद्यतन तक नॉलोजी के साथ कक्षागत अध्ययन।

13.14 अन्य पहल:

लाभांश भुगतान मॉड्यूल विकसित किया गया और कोर में कार्यान्वित किया गया ताकि लाभांश एवं ब्याज वारंट देने में सुविधा हो सके। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शूरो ऑफसाइट एटीएम/शाखाओं में डिजिटल वीडियो रिकार्डिंग, व चेक ट्रंक्शन प्रणाली चेन्नै में शुरू की गई। सभी व्यवहार्य



customers to transact using their mobile phones. It allows customers to pay for their purchases through SMS. PayMate facility can be used to make payments at over 2500 merchant establishments, primarily online merchants.

13.8 Government Business Modules

Collection of Direct tax [OLTAS] : E-payment of Direct taxes has gained in importance and acceptance due to the online hassle free payment facility it provided in completing the transactions, ensuring safety and confidentiality. This facility has been provided in all the branches for the purpose of remitting TDS.

Collection Of Indirect Tax [Easiest] The Easiest module, the E-payment mode for remittance of Indirect tax (Central Excise and Service Tax), has widely been accepted as the number of customers opting for it is increasing. The facility has been made available at all the branches of the Bank.

Collection Of Customs Duty : Software for collection and remittance of Customs duty has been enabled through icegate.com in Delhi, Chennai and Vishakhapatnam air cargo and customs offices.

Collection Of State Taxes : In addition to physical collection of VAT in Delhi, Maharashtra and Goa, e-payment of State Taxes is enabled in Maharashtra, Gujarat and Goa. It is proposed to introduce this module in the states of Karnataka, Kerala and Andhra Pradesh in the near future on getting the permission from the respective state governments.

Tax Upload By Non-Agency Banks: With the customization of the software, 23 non-agency banks are making use of the tax upload module of the Bank.

13.9 Real Time Gross Settlement (RTGS)

Inter Bank and Customer Transactions under RTGS system are enabled through 1234 units (including Branches and Extension Counters). RTGS transactions are enabled through Straight Through Processing (STP). During the year 15,57,936 transactions amounting to ₹14,89,695 crores were made through RTGS.

13.10 National Electronic Funds Transfer (NEFT)

NEFT Scheme for funds transfer across banks has been implemented in 1214 units of the Bank. NEFT facility is also provided through CorpNet and ATM. During the year 26,26,180 transactions amounting to ₹13,838 crore were made using NEFT.

13.11 Integrated Treasury Management System

Integrated Treasury Management System (ITMS) Software for International Banking Business of the Bank is fully operationalised and interfaced to RTGS. All the Forex Designated Branches are enabled for Straight Through Process (STP) and Chat Module with IIBD:

- 1) Straight through Processing for Link branch FCNR transactions implemented.
- 2) The FCNR module was redesigned and modified to make it user friendly and additional facilities like auto renewal of FCNR deposits and transfer of deposits from one branch to another were facilitated through the system apart from obtaining the rates directly from the dealers.
- 3) With the modifications in Core Banking Software and Integrated Treasury Module, Programs have been developed to offer Direct Rate to customers.
- 4) All FCNR transactions are under STP between Designated, Link branches and IIBD.
- 5) Provided a facility to Upload Forex Card rates to Advance display systems as per the required format. Boards for displaying Card Rates have been provided to all the Designated Branches.
- 6) As per the requirement of AFI, Display of reuter deals and ccil online position arranged.
- 7) Generation of Flash Report on Gold Positions, facility to upload the Forex Positions and Gold Positions for Risk Management, Capturing of Counter Party Branch Exposure, Gap Report to display EEFC, RFCA, RFCT, DOTB on spot bucket and Domestic daily Revaluation (rates pickup from market risk rates) are the other initiatives introduced under International Business.

13.12 RAM (Risk Assessment Model)

The RAM system is being introduced for processing and sanction of new as well as review/renewal of credit proposals at all levels of the Bank at Head office, Zonal offices, at 40 Big branches, SME, Large Corporate Branches, Overseas branches and Industrial Finance Branches, wherein the proposals are processed on risk perception.

13.13 E-Learning

The Bank has established an e-Learning set up. Leveraging Information & Communication Technology (ICT) for Real-time Interactive Onsite Learning (IOL) platform seamlessly integrating the strengths of the methods of education i.e. classroom teaching – with the latest technology.

13.14 Other Initiatives :

Dividend Payout module developed and implemented in Core to facilitate handling of Dividend and Interest Warrants, Digital Video Recordings at Off-site ATMs/Branches, Cheque Truncation System introduced at Delhi National Capital Region, being extended to Chennai city, Email facility at all feasible branches/offices, Direct Debit facility facilitating debit to various accounts across branches and pooling the credits to meet the demands of various hire purchasing and insurance companies for their small value, recurring payments,



शाखाओं/कार्यालयों में ई-मेल सुविधा शाखाओं के बीच विभिन्न खातों में नामे देने हेतु प्रत्यक्ष नामे सुविधा और विभिन्न किराया खरीदी एवं बीमा कंपनियों के अपने छोटे मूल्य की मांगें पूरा करने हेतु जमाओं का एकत्रीकरण, आवर्ती भुगतान, एचआरएमएस पैकेज में सुधार, कोर में केन्द्रीकृत अंतर शाखा समाधान, अधिक आईटी सुरक्षा, विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु आपदा निस्तार आदि ग्राहक सुविधा बढ़ाने हेतु प्रारम्भ की गयी अन्य नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहल है।

13.15 पुरस्कार :

तकनोलजी इंटीग्रेशन में बैंक की विशेष उपलब्धियों ने बैंक को वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाया है।

- बैंक की वित्तीय समावेशन पहल के लिए स्कोच कन्सलटेन्सी सर्विसस प्रा.लि द्वारा सस्थापित “स्कोच फैनान्सियल अवार्ड 2011” बैंक ने भारतीय बैंक संघ/भारतीय व्यापार वित्त निगम (आईबीए / टीएफसीआई) से वर्ष 2010 हेतु तीन पुरस्कार प्राप्त किए हैं।
- “बेस्ट फैनान्सियल इन्क्लूशन इनीशियेटिव” श्रेणी के तहत विजेता पुरस्कार
- “बेस्ट यूएस ऑफ टेकनोलोजी इन ट्रेनिंग एण्ड ई लर्निंग इनिशियेटिव्स” श्रेणी के तहत विजेता पुरस्कार
- “बेस्ट ऑन लाइन बैंक” श्रेणी के तहत रनर अप पुरस्कार

14. क्रेडिट कार्ड

14.0 बैंक का क्रेडिट कार्ड संविभाग बैंक ऋण का महत्वपूर्ण तथा काफी संभाव्य घटक है। उससे संबद्ध बृहत् संभाव्यता को देखते हुए बैंक ने इस संविभाग में विस्तार हेतु कदम उठाए हैं।

14.1 31 मार्च 2011 को बैंक द्वारा ₹183.09 करोड़ की कुल सीमा के साथ कुल 34076 क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। बैंक मुख्यतः अपने वर्तमान ग्राहकों को कार्ड जारी कर रहा है।

14.2 कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज़ करने हेतु बैंक ने अपने ग्राहकों को पूर्व अनुमोदित कार्ड जारी करना शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने खुदरा सेमेंट के उधारकर्ताओं के लिए कार्प फायदा नाम की एक नई योजना शुरू की है।

14.3 ग्राहक सुविधा हेतु बैंक ने प्रौद्योगिकी उन्मुख सेवाएँ जैसे ऑटो डेबिट कार्ड सुविधा, एसएमएस अलर्ट, ई-विवरण, क्रेडिट कार्ड ब्योरे का ऑनलाइन अवलोकन, ऑनलाइन लेनदेनों हेतु एटीएम इंटरफेस तथा वीसा अधिप्रमाणन, तथा इन्टैक्टिव वॉयस रेस्पॉन्स सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से लेनदेन हेतु वन टाइम पासवर्ड का जारीकरण आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराई है। इन सभी सुविधाओं से ग्राहकों द्वारा सक्षमता से कार्ड के प्रयोग की अपेक्षा है।

14.4 सभी लेनदेनों के लिए 30 जून 2011 से प्रभावी रूप में एसएमएस अलर्ट सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव है।

14.4.1 सुपुर्दगी के माध्यम

14.4.2 एटीएम : 31-3-2011 को बैंक के 1250 एटीएम हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान एटीएमों में 6.75 करोड़ से भी अधिक का लेनदेन हुआ। अधिक लेनदेन वाले 45 साइटों में बैंक का दूसरा एटीएम लगा दिया गया। आउटसोर्सिंग के तहत बैंक ने और 2000 एटीएम संस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

14.4.3 डेबिट कार्ड : 31.3.2011 को बैंक द्वारा जारी कुल कार्डों की संख्या करीबन 48 लाख हो रही है, जिनमें से वर्ष 2010-11 के दौरान 7.85 लाख कार्ड जारी किए गए। अधिक से अधिक कार्ड उत्पाद प्रदान करने के हमारे प्रयास में बैंक ने अतिरिक्त सुविधाओं के साथ प्रीमियम डेबिट कार्ड के पलेटिनम नामक कार्ड प्रारंभ किया है। शुरुआती तौर पर बैंक प्राथमिकता प्राप्त ग्राहकों को पलेटिनम डेबिट कार्ड जारी कर रहा है। बैंक ने इन्स्टैंट डेबिट कार्ड को प्रारम्भ किया है जो ग्राहकों को खाता खोलते ही प्राप्त होगा और अगले दिन ही वह उससे अपने खाते से परिचालन कर सकता है।

14.4.4 पीओएस मशीन : वर्ष 2009-10 के दौरान पूरे भारत में पीओएस परियोजना का शुभारम्भ किया गया। इन टर्मिनलों की उपयोगिता के संबंध में प्रतिसूचनाएँ उत्साहवर्धक हैं तथा 31-03-2011 को बैंक की 16420 मशीनें संस्थापित हैं।

14.4.5 प्रीपेड गिफ्ट कार्ड : बैंक ने 13.10.2009 को इस उद्देश्य के साथ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शुरू किया था कि कार्पोरेटों तथा व्यक्तियों द्वारा इसके प्रयोग से उपहार दिए जा सकें। इस उत्पाद को हार्दिक स्वीकृति मिली व 31-03-2011 तक बैंक ने लगभग ₹ 8 करोड़ के कुल 40000 कार्ड जारी किए। बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों की अपेक्षाएँ पूरी करने हेतु उनके कर्मचारी के वेतन भुगतान के प्रति प्रीपेड पे-रोल कार्ड भी शुरू किया।

14.4.6 कैम्पस कार्ड:- विद्यार्थी समूह को लक्ष्य करके जारी इस उत्पाद को अधिक लोकप्रियता मिली और 31-03-2011 तक ऐसे कार्ड जारी करने के लिए 92 संस्थान सूचीबद्ध हुए। कार्डों की संचित संख्या 31-03-2011 को 42000 बन गई है।

14.4.7 निक्षेपागार सेवाएँ

बैंक एनएसडीएल का सहभागी है तथा अपने ग्राहकों को डीमैट खाता खोलना, डीमैटैरियलैसेशन, रिमैटैरियलैसेशन, शेयरों की सुपुर्दगी व निपटान, प्रतिभूतियों की गिरवी व दृष्टिबंधन, कार्पोरेट कार्रवाई की सुविधा देना आदि सुविधाएँ देता है। बैंक ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन व्यापार सुविधा देने हेतु मेसर्स एचएसबीसी इन्वेस्ट डायरेक्ट सिक्युरिटीज (इंडिया) लि. तथा मेसर्स रेलिगरे सिक्युरिटीज लि. के साथ गठबंधन किया है। बैंक देश भर की डीपी तथा एएसबीए पदनामित शाखाओं में अपना सेवातंत्र बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

14.4.8 अवरुद्ध रकम द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए-आस्बा)

अवरुद्ध रकम द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए-आस्बा) लागू करने के लिए सेबी द्वारा पहचाने गए चार बैंकों में हमारा बैंक एक था। यह आईपीओ, एफपीओ व बुकबिल्डिंग माध्यम से या नियम मूल्य जारीकरण के माध्यम से राइट इश्यू के लिए आवेदन देनेवाले निवेशकों के लाभ के लिए अतिरिक्त भुगतान रीति है। यह विकल्प सभी प्रवर्गों के निवेशकों को मिलता है - क्यूआईबी, बोडी कार्पोरेट, एचएनआई आदि जैसे गैर-संस्थागत निवेशक तथा खुदरा प्रवर्ग जिन में ₹ 2.0 लाख तक के निवेश करनेवाले व्यक्तिगत निवेशक हैं। आस्बा आवेदन के लिए निम्नलिखित प्रकार के खातों में रकम रोकी रखी जा सकती हैं - बचत, चालू, सीएलएसबी, सीसीएसडीएल, ईसीओडी तथा सी एसबीए। देश भर में हमारा बैंक 500 आउटलेटों में आस्बा की सुविधा देता है। नेट



improvement in HRMS package, Centralised Inter-branch reconciliation in Core, Enhancing IT Security, Disaster Recovery Set up for different applications etc., are some of the other innovative technological initiatives introduced for enhancing the customer convenience.

13.15 Awards

The outstanding achievements of the Bank in technology integration enabled the Bank to receive following awards for the year 2010-11:

- “Skoch Financial Inclusion Award 2011” for Financial Inclusion Initiatives instituted by Skoch Consultancy Services Pvt. Ltd.

The Bank had bagged three awards in the IBA/TFCI (Indian Banks Association/Trade Finance Corporation of India) Awards 2010:

- Winner Award under the category “Best Financial Inclusion Initiative”
- Winner Award under the category “Best use of Technology in Training & eLearning Initiatives” and
- Runner Up Award under the category “Best Online Bank”

14. Credit Cards

14.0 Credit Card portfolio of the Bank forms an important and a very potential element of Bank Credit. In view of the large potential associated with it the Bank has taken steps to expand this portfolio.

14.1 As on 31st March 2011, the Bank had issued a total of 34076 credit cards aggregating a limit of ₹183.09 crore. The Bank is predominantly issuing Cards to its existing customers.

14.2 To quicken the process of issuing the cards, Bank has started issuing of pre-approved cards to its customers. In addition to this a new scheme called CORP FAIDA has been introduced to cover borrowers of retail segment.

14.3 For customer convenience, Bank has introduced tech-savvy services such as Auto Debit facility, SMS alerts, e-statements, on-line viewing of credit card details, ATM interface and Verified by Visa authentication for on line transactions and issuance of OTP (One Time Password) to IVR transactions.(Interactive Voice Response System). All these facilities are expected to help the customers to use the Cards efficiently.

14.4 SMS alerts for all transactions is proposed to be introduced with effect from 30th June 2011.

14.4.1 Delivery Channels

14.4.2 ATMs: As of 31.03.2011, the Bank installed 1,250 ATMs. During 2010-11, more than 6.75 crore transactions were executed at the ATMs. The Bank installed second ATMs at 45 sites with high footfalls. The Bank has started to install 2000 more ATMs under outsourced model.

14.4.3 Debit Cards: As of 31.03.2011, the total number of cards issued by the bank is nearing 48 lakhs of which 7.85 lakh cards were issued during 2010-11. In our endeavor to offer more and more card products, the Bank has launched Platinum variance of Premium Debit Card with additional features. To start with, the Bank is issuing Platinum Debit Cards to Priority Customers. The Bank has also launched Instant Debit Card which a customer will get immediately on opening the account and enable him to operate his account the next day.

14.4.4 POS Machines: During 2009-10, the Bank rolled out the POS project across India. The feedback on the terminals is encouraging and as on 31.03.2011, the Bank installed 16,420 machines.

14.4.5 Prepaid Gift Cards: The Bank launched Prepaid gift cards on 13.10.2009 to meet the gifting requirements of corporates and individuals. The product has been well received and as of 31.03.2011, the Bank issued about 40,000 cards amounting to nearly ₹8 crore. The Bank has also rolled out prepaid Payroll Card to meet the requirements of the corporate customers with regard to the salary pay out of their employees.

14.4.6 Campus Cards: This product targeted at the student community has further gained popularity and as of 31.03.2011, the Bank enrolled 92 institutions for issue of campus cards. The cumulative campus card population as on 31.03.2011 was 42,000 cards.

14.4.7 Depository Services

The Bank is a participant of National Securities Depository Ltd.,(NSDL) and offers Demat services to its customers such as opening of Demat Accounts, Dematerialization, Rematerialisation, delivery & settlement of shares, pledge & hypothecation of securities, facilitating corporate action etc. The DP services are presently being offered in more than 80 branches of the bank. The Bank has also tied up with M/s. HSBC InvestDirect Securities (India) Ltd., and M/s. Religare Securities Ltd., for offering Online and Offline Trading facilities to its customers. The Bank is in the process of expanding its network DP and ASBA (Application Supported by Blocked Amount) designated branches across the country.

14.4.8 ASBA (Application Supported by Blocked Amount)

Our Bank was one of the first four banks identified by SEBI to introduce ASBA. It is an additional payment mechanism for the benefits of investors who apply in IPO, FPO & Rights Issues through book building route or through Fixed Price Issue. This option is available to all segments of investors – QIBs, Non Institutional Investors such as Body Corporates, HNI etc and Retail segment consisting of individual investors investing upto Rs 2.00 lacs. The types of accounts enabled for blocking of amount for ASBA applicants are - Savings, Current, CLSB, CCSDL, ECOD and C ASBA. Our



बैंकिंग ग्राहकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से आस्बा के लिए आवेदन देने के लिए बैंक ने अत्यंत सुविधाजनक पद्धति शुरू की है। यानी, डीमैट ग्राहक आईडी, डीपी आईडी, नाम, पैन नंबर आदि बैंक की वेबसाइट में आस्बा शीर्ष के तहत प्रथम पंजीकरण स्तर पर 'मैन्टैन् इन्वेस्टेस' के तहत उपलब्ध उप शीर्षक में देने होते हैं। कोल इंडिया, एमओआईएल, पवर ग्रिड, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया आदि बड़े आईपीए/एफपीओ में बैंक निवेशकों से उल्लेखनीय निधियाँ पा सका है। शेयर आबंटित होने तक आवेदक के खाते में नाम नहीं किया जाता। इससे इश्यू के बाद शेयरों के आबंटन तथा प्रतिभूतियों के आबंटन तक निवेशक-ग्राहक का पैसा बैंक के पास रहता है। इससे शेयरों के आबंटित न होने पर निधियों के लौटाने की बात नहीं उठती। बैंक ने इसे ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधा के रूप में शुरू किया है। आवेदन प्रस्तुत करते समय निवेशक-ग्राहक का धन अदा नहीं किया जाता और इसलिए आवेदित शेयरों के आबंटन तक ग्राहक के धन को ब्याज मिलता रहता है। यह प्रक्रिया धनवापसी आदेश मिलने में विलंब व उसके खो जाने आदि से निवेशक को बचती है।

15. विपणन पहल

15.1 कारोबार विकास की दृष्टि से ग्राहकों और संस्थाओं तक पहुँचने के लिए बैंक के प्रयासों में मदद देने के लिए एक सुदृढ़, दक्ष और गतिशील विपणन ढाँचा बनाया गया है।

15.2 **कासा के अंतर्गत ग्राहक अधिग्रहण:** बैंक के विपणन दल के लिए कासा खातों को संगृहीत करना उच्चतम प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। वर्ष के दौरान बैंक 45000 चालू खाते और 16.50 लाख बचत बैंक खाते संगृहीत कर सका है। यह पिछले वर्ष के दौरान संगृहीत 38400 चालू खाते और 9.05 लाख बचत बैंक खातों के मुकाबले हैं। इसके साथ बैंक ने 12 मिलियन ग्राहक आधार का कीर्तिमान स्तर पार किया है। यही नहीं, बचत बैंक खाते संगृहीत करने की औसत दर मार्च 2010 की लगभग 2 खातों से मार्च 2011 में 5 खाते प्रति शाखा प्रति दिन तक पहुँच गई।

15.3 **“मिलियनेयर रिकरिंग डिपॉजिट” योजना और बिक्री प्रोत्साहन अभियान:** आवर्ती जमा योजना को लोक प्रिय बनाने के लिए 15 मई 2010 से 31 अगस्त 2010 तक 3 ½ माह का राष्ट्रव्यापी बिक्री प्रोत्साहन अभियान चलाया गया जिसमें 94000 खातों में ₹107 करोड़ की राशि संगृहीत की गई।

15.4 अभियान:

15.4.1 **बचत बैंक अभियान:** अगस्त से दिसंबर 2010 तक पाँच माह लंबा बचत बैंक अभियान चलाया गया था। उक्त अभियान के दौरान 7.75 लाख बचत बैंक खातों में ₹820 करोड़ संग्रहीत किए गए।

15.4.2 **चालू खाता केंद्रित गतिविधि:** दिसंबर, 2010 से मार्च 2011 तक 4 माह की अवधि हेतु चालू खाता केंद्रित गतिविधि चलाई गई। उक्त

अभियान से 16670 खातों में ₹895 करोड़ जमाराशि संगृहीत करने में मदद मिली।

15.4.3 **एनआरआई अभियान:** एनआरआई निवेश को आकर्षित करने के लिए 15 दिसंबर 2010 से 15 जनवरी 2011 तक एक माह की अवधि का एनआरआई अभियान चलाया गया जिसके तहत 3269 नए खातों में ₹161 करोड़ जमाराशि संगृहीत की गई।

15.5 **प्राथमिकता प्राप्त बैंकिंग सेवाएँ प्रारंभ करना:** उच्च मालियत वाले व्यक्तिगत ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु बैंक की चुनिंदा शाखाओं में प्राथमिकता प्राप्त बैंकिंग सेवाएँ शुरू की गई हैं। बचत बैंक खातों में पाँच लाख रुपये से अधिक औसत शेषराशि रखनेवाले ग्राहकों को प्राप्त सुविधाओं में प्रायोरिटी लाँज में प्रवेश समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर और प्लेटिनम डेबिट कार्ड जैसे विशिष्ट लाभ शामिल हैं।

15.6 **वरिष्ठ नागरिक पटलों का प्रारंभ:** चुनिंदा शाखाओं को वरिष्ठ नागरिक शाखाओं के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और वहाँ वरिष्ठ नागरिकों हेतु समर्पित काउंटर खोले गए हैं। शाखाएँ स्वास्थ्य रक्षा निगरानी उपकरण, स्थानीय क्लिनिक के साथ गठबंधन आदि जैसी विशिष्ट सुविधाएँ भी वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान कर रही हैं।

16. ग्राहक सेवा

नए ग्राहकों व अतिरिक्त कारोबार प्राप्त करने में बैंक को तकनीकी संबद्ध उत्पाद व सेवाएँ तथा मुस्तैद व कुशल ग्राहक सेवा मददगार होती है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राहक सेवा सुधारने के लिए बैंक ने कई पहल कीं। ग्राहकों तथा शाखाओं के साथ समन्वयन के लिए हर आंचलिक कार्यालय में ग्राहक संबंध प्रबंधकों की नियुक्ति की गई ताकि शिकायतों का शीघ्र निपटान हो सके। सेवा क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर चर्चा हेतु दो ग्राहकों को शामिल करके गठित ग्राहक सेवा समिति की बैठक शाखा / आंचलिक कार्यालय स्तर पर मासिक आधार पर आयोजित की जाती है। तिमाही आधार पर ग्राहक सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। ग्राहकों के अभ्यावेदनों पर कार्रवाई हेतु ग्राहक सेवा-स्थायी समिति तथा निदेशक मण्डल की ग्राहक सेवा समिति भी गठित है।

17. एकीकृत जोखिम प्रबंधन

17.1 बेसल II अनुपालन

17.1.1 वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विश्व भर की बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाएँ विभिन्न प्रकार की जोखिमों से ग्रस्त हैं। बेसल II समझौते के फलस्वरूप तथा विश्वभर में उसके लागू होने से जोखिम प्रबंधन में स्वस्थ व्यवहार आवश्यक हो गए हैं। जोखिम प्रबंधन बैंक की संगठनात्मक संरचना तथा कारोबार रणनीतियों का अभिन्न अंग है। जोखिम को पहचानने, मापने, निगरानी करने एवं नियंत्रित करने से बैंक की हानि को कम किया जा सकता है और लाभ को बढ़ाया जा सकता है। ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालनगत जोखिम बैंक द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख जोखिम हैं।

17.1.2 “कार्यपालकों की जोखिम प्रबंधन समिति” तथा “बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति” बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन देख



Bank is offering ASBA through more than 500 outlets across the country. For net banking customers the bank has introduced a very convenient mode of applying for ASBA through internet i.e only with simple information such as Demat Client ID, DP ID, Name, PAN Number etc. at the first registration level under the 'Maintain Investors' sub-heading available in the website of the Bank under ASBA head. The bank has been able to attract substantial funds from investors in major IPOs /FPOs such as Coal India, MOIL, Power Grid, Punjab & Sind Bank, Shipping Corporation of India etc. The applicant's account does not get debited until shares are allotted to him. This allows the investor customer's money to remain with the bank till the shares are allotted after the Issue and allotment of securities. This eliminates the need for refunds on shares not being allotted. The Bank has introduced this facility as a value addition for the benefit of its customers. The investor customer's funds are not parted at the time of submission of the application and hence keep earning interest till the applied shares are allotted. The process relieves the investor from the hassles of delay in getting refund orders and its misplacement etc..

15. Marketing Initiatives

15.1 A cohesive, competent and a vibrant marketing set up has been put in place to support the efforts of the Bank in reaching out to the customers and institutions from the point of view of Business development.

15.2 **Clientele Acquisition under CASA:** Mobilizing CASA accounts has been the top most priority for the Bank's Marketing Force. During the current year, the Bank could mobilise 45000 Current Accounts and 16.50 lakh Savings Bank Accounts. This is as against 38400 Current Accounts and 9.05 lakh Savings Bank Accounts mobilized during the previous year. With this, the Bank has crossed the landmark figure of 12 million customer base. Further, the average rate of mobilizing SB accounts has reached 5 accounts per branch per day in March 2011 from around 2 accounts in March 2010.

15.3 **'Millionaire Recurring Deposit' Scheme & Sales Promotion Drive:** An aggressive 3½ month long nation-wide sales promotion drive was carried out for popularizing the Recurring Deposit Scheme from 15th of May 2010 till 31st of August 2010 in which an amount of Rs 107 crore has been mobilized from 94000 accounts.

15.4 Campaigns

15.4.1 **Savings Bank Campaign:** A five month long Savings Bank Campaign was held from August to December 2010. During the campaign, ₹820 crore was mobilized from 7.75 lakh Savings Bank Accounts.

15.4.2 **Current Account focused Activity:** A Current Account focused activity was conducted from December 2010 till March 2011 for a period of 4 months. The campaign has helped in

mobilizing 16670 accounts with a balance of Rs 895 crore.

15.4.3 **NRI Campaign:** With a view to attract the NRI investments, a month long NRI Campaign was conducted from 15th of December 2010 till 15th of January 2011 in which 3269 new accounts with a balance of ₹161 crore was opened.

15.5 **Introduction of Priority Banking Services:** Priority Banking Service has been introduced in select branches of the Bank to cater to the High Networth Individual customers maintaining more than ₹ 5 lakh as Quarterly Average Balance in Savings Bank Accounts. The services provided include special benefits like access to Priority Lounge, a Dedicated Relationship Manager and Platinum Debit Card, etc.

15.6 **Introduction of Senior Citizen Counters:** Select Branches of the Bank have been designated as Senior Citizen Branches with dedicated counters to cater to the requirements of Senior Citizens. These branches are also provided with exclusive facilities such as health care monitoring equipment, tie-up with a local clinic, etc.

16. Customer Service

16.1 Technology driven products and services with a prompt and efficient customer service aid the Bank in getting new customers and additional business. With this in mind, the Bank has taken a number of initiatives that help in improving its customer service. Customer Relationship Managers (CRMs) have been appointed at every Zonal office to co-ordinate with the customers and the branch for ensuring speedier disposal of grievances. Meetings of the Customer Service Committee with two customers of the branch forming the committee, are held on a monthly basis at Branch/Zonal office level to discuss on the issues related to the service area. A customer meet is also held on quarterly basis. A Standing Committee on Customer Service and Customer Service Committee of the Board are in place to take care of the Customer representations.

17. Integrated Risk Management

17.1 Basel II Compliance

17.1.1 Consequent upon globalization, Banks and other Financial Institutions all over the world are exposed to different types of risks. The emergence of Basel-II accord and its increasing applicability throughout the world, calls for sound practices in risk management. Risk Management is an integral part of a Bank's organizational structure and business strategy. Identification, measurement, monitoring and controlling the risk enables the Bank to minimize losses and maximize profits. The major types of risks faced by the Bank are Credit Risk, Market Risk and Operational Risk.

17.1.2 Risk Management Committee of Executives and Risk Management Committee of the Board are looking after the implementation of integrated risk management systems in the



रही हैं। उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम तथा परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक को सुस्पष्ट जोखिम प्रबंधन नीतियाँ हैं।

17.1.3 बैंक ने संभाव्य जोखिमों के मूल्यांकन के लिए आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया तथा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया लागू की है ताकि इन जोखिमों का प्रबंधन व कमीकरण किया जा सके तथा जोखिम से संबंधित उसकी पूँजी पर्याप्तता का मूल्यांकन किया जा सके। अत्यंत दूभर परिस्थितियों में भी संभाव्य प्रभाव के संबंध में बैंक को बेहतर समझ प्रदान करते हुए जोखिम निर्धारण का स्तर बढ़ाने के लिए दबाव जाँच प्रक्रिया लागू की गई है। आगे चलकर, इस प्रक्रिया से उम्मीद की जाती है कि जोखिम नियंत्रण कार्य में तथा संपूर्ण संस्थान को निर्णय लेने के लिए एक लक्ष्य प्रदान करेगी।

17.2 ऋण जोखिम

17.2.1 ऋण जोखिम प्रबंधन के मामले में बैंक ने क्रिसिल द्वारा तैयार किए हुए रिस्क असेसमेंट मोडल नामक ऋण निर्धारण प्रणाली कार्यान्वित की। ₹10 लाख और ऊपर के वाणिज्यिक ऋण प्रस्तावों का प्रसंस्करण इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर बेसल II के इंटर्नल रेटिंग बेसड अप्रोच की ओर बढ़ने में बैंक को मदद करेगा। ऋण जोखिम का स्ट्रेस टेस्टिंग हर तिमाही में की जाती है।

17.2.2 बैंक ने ग्रूप ऋण नीति सूत्रबद्ध की है, जो परिचालन के उन क्षेत्रों को शामिल करते हुए जहाँ ऋण जोखिम शामिल है, ऋण प्रबंधन हेतु नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करती है। इस नीति से बैंक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि कर सकता है जिससे बैंक अपने ऋण संविभाग में स्थिर तथा स्वस्थ संवृद्धि दर्शा सकता है जिसके परिणामस्वरूप समग्र रूप से सुधरा निष्पादन होगा।

17.2.3 उपर्युक्त नीति के अनुसार बैंक ने वैयक्तिक उधारकर्ताओं, गैर कार्पोरेट उधारकर्ताओं हेतु विवेकपूर्ण सीमाएँ, उद्योगों, संवेदनशील क्षेत्रों हेतु प्रवेश स्तरीय एक्सपोजर मानदण्ड, बड़ी एक्सपोजर सीमाएँ, मानक वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानक, एक्सपोजर सीमाएँ / उच्चतम सीमा, रेटिंग श्रेणी आदि तय किए हैं। निदेशक मंडल नियमित रूप से विवेकपूर्ण सीमाओं की समीक्षा करता है।

17.2.4 बैंक ने बहुस्तरीय ऋण अनुमोदन की व्यवस्था भी लागू की है जिसमें ऋण प्रस्ताव संबंधी मंजूरी प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले अनुमोदन ग्रिड द्वारा मंजूर किए जाते हैं। बैंक ने ऋण प्रस्तावों की त्वरित तथा दक्ष निपटान हेतु खुदरा ऋण अनुमोदन के लिए प्रमुख क्षेत्रों में खुदरा हब तथा बड़े ऋण प्रस्तावों के प्रसंस्करण हेतु प्रत्येक अंचल में केन्द्रीकृत ऋण प्रसंस्करण कक्ष स्थापित किए हैं।

17.2.5 बैंक ने ऋण आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने तथा नीतियों, क्रियाविधि तथा अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक ऋण समीक्षा प्रणाली लागू की है। 31.3.2011 को समाप्त वर्ष में बैंक ने ऋण समीक्षा प्रणाली के तहत बैंक के लगभग 68% ऋण संविभाग की समीक्षा की है।

17.2.6 उधार खातों के संचालन में अपवादों पर नज़र रखने तथा ऋण संविभाग की सुदृढ़ता सुरक्षित करने / सुधारने हेतु सुधारात्मक उपाय करने के लिए कोर बैंकिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से अब ऑफसाइट निगरानी की जाती है। उधार खातों की स्वतंत्र तथा प्रभावी निगरानी हेतु सभी आंचलिक कार्यालयों में ऋण निगरानी कक्ष स्थापित किए गए हैं।

17.2.7 बैंक ने पोर्टफोलियो स्तर पर ऋण जोखिम के मूल्यांकन हेतु तथा संविभाग की गुणवत्ता सुधारने के लिए रणनीतियाँ अपनाने तथा कुछ उधारकर्ताओं, क्षेत्रों या उद्योगों को एक्सपोजर के संकेन्द्रण के संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उद्योग जोखिम निर्धारण व संविभाग विवेचन के कार्य की ज़िम्मेदारी भी ली है।

17.2.8 उधार खातों का रेटिंग माइग्रेसन पर अध्ययन भी किया जाता है तथा संभावित गुणवत्ता की सुरक्षा के लिए समुचित उपचारात्मक कार्रवाई भी की जाती है।

17.3 बाज़ार जोखिम

17.3.1 बाज़ार जोखिम वह जोखिम है, जो बाज़ार मूल्य में उतार-चढ़ाव, जो विशेषतः ब्याज दरों, विदेशी विनिमय दरों तथा ईक्विटी तथा वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तनों के कारण होते हैं। इन परिवर्तनों का बैंक के अर्जनों तथा उसकी पूँजी पर प्रत्यक्ष प्रभाव होगा। इन परिवर्तनों की व्याप्ति बैंक की चलनिधि तथा लाभप्रदता पर पड़ सकती है।

17.3.2 बाज़ार जोखिमों के प्रबंधन के लिए बैंक की निवल ब्याज आय की स्थिरता तथा उसकी स्थिर प्रगति पर जोर दिया जाता है। बाज़ार स्थिति, निधीयन स्वल्प, अवधि, प्रति पार्टी सीमाएँ तथा विभिन्न संवेदनीय मानदंडों पर निगरानी रखी जाती है। प्रोन्नत जोखिम प्रबंधन उपाय, जैसे मूल्य-जोखिम, अर्जन-जोखिम, निवल एक दिवसीय आरंभिक राशि सीमा तथा संशोधित समयावधि सीमा बाज़ार जोखिम के प्रबंधन में प्रयुक्त होते हैं।

17.4 परिचालनात्मक जोखिम

17.4.1 परिचालनगत जोखिम सभी कारोबार परिचालनों का भाग है तथा परिचालनगत जोखिम का प्रबंधन स्वस्थ समग्र जोखिम प्रबंधन प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। कारोबार का आकार तथा जटिलता तथा बैंक के जोखिम दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निरंतर प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से क्षेत्र स्तर के कार्मिकों को ज्ञान देने पर जोर दिया जाता है। बेसल II ढांचे के तहत प्रोन्नत लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए और जोखिम प्रबंधन में उद्योग क्षेत्र के बेहतर जोखिम प्रबंधन के अपनाने के लिए बैंक ने परामर्शदाताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप परिचालनगत जोखिम प्रबंधन हेतु साफ्टवेयर वेन्डरों की नियुक्ति की है।

17.4.2 बैंक की योजना है कि विभिन्न कारोबार स्तरों में संचालनात्मक रिस्क हानि आंकड़े एकत्र करने के लिए ऑपरेशनल रिस्क सॉफ्टवेयर चरणबद्ध रूप से चालू करें। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से संकटपूर्ण इकाइयों के लिए रिस्क कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट प्रक्रिया व की रिस्क इंडिकेटर निगरानी भी चरणबद्ध रूप से की जाएगी।

17.4.3 जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के तहत पाँच कारोबार जोखिमों तथा दो नियंत्रण जोखिमों को शामिल करते हुए जोखिम संविभाग टेम्प्लेट तिमाही आधार पर तैयार किए जाते हैं, तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाते हैं।



bank. The Bank has well laid down risk management policies for management of credit risk, market risk and operational risk.

17.1.3 The Bank has put in place Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess the risks to which it is exposed and the risk management processes in order to manage and mitigate those risks and to further evaluate its capital adequacy relative to its risks. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the Bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances. Going forward, this exercise is expected to render an objective basis for decision making both to the risk control function and to the entire institution.

17.2 Credit Risk

17.2.1 In the area of credit risk management, the Bank has implemented credit rating system, namely Risk Assessment Model (RAM) developed by CRISIL for assigning internal rating. Commercial credit proposals of ₹10 lakh and above are processed through this software. This software will help the bank to move over to Internal Rating Based (IRB) Approach of BASEL – II. The software also has a module called Capital Assessment Model (CAM), which is used to compute capital for credit risk under Standardized Approach of Basel-II. Stress testing of credit risk is conducted every quarter.

17.2.2 Bank has formulated a Group Credit Policy, which lays down policy guidelines for credit management covering all areas of operation where credit risk is involved. The policy would enable the bank to enhance the risk management capabilities thus making it possible for the bank to show a steady and healthy growth in its credit portfolio, resulting in overall improved performance.

17.2.3 In terms of the above policy, the Bank has set prudential limits to individual borrowers, non-corporate borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc. The Board reviews the prudential limits regularly.

17.2.4 The Bank has implemented a multi-tier credit approving system wherein the loan proposals are cleared by an “Approval Grid” before being placed to the respective sanctioning authorities. For speedy and efficient disposal of credit proposals, the Bank has established Retail Hubs at major centres for retail credit approval and Centralized Credit Processing Cells at each of the Zones for appraising larger credit proposals.

17.2.5 The Bank has put in place a Loan Review Mechanism to improve the quality of loan products and to ensure adherence to the policies, procedures and other statutory requirements. For the year ended 31.03.2011, the Bank has reviewed approximately 68% of the credit portfolio of the Bank under Loan Review Mechanism.

17.2.6 Offsite surveillance through the core banking platform is now made use of to track exceptions in the conduct of borrowal accounts and initiate timely corrective action to protect/improve the health of credit portfolio. Credit monitoring cells have also been formed at all the zonal offices for independent and effective monitoring of borrowal accounts.

17.2.7 The Bank has also undertaken Industry Risk Assessment and Portfolio Studies in order to assess the credit risk at the portfolio level and adopt strategies to improve the quality of portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration of exposures to certain borrowers or industries.

17.2.8 Study on rating migration of borrowal accounts is undertaken and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

17.3 Market Risk

17.3.1 Market Risk is the risk to the Bank resulting from the movements in market prices particularly due to the changes in the interest rates, equity and commodity prices. The changes will have direct impact on the Bank's earnings and its capital. These changes can have ramifications on Bank's liquidity and profitability.

17.3.2 For management of Market Risk, the emphasis has been placed on stabilization and steady growth of Bank's net interest income (NII). Market position, funding patterns, duration, counter party limits and various sensitive parameters are monitored. The advanced Risk Management tools such as Value at Risk (VaR), Earning at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOP) and Modified Duration limits are used in managing market risk.

17.4 Operational Risk

17.4.1 Operational Risk is embedded in all business operations and the management of operational risk is an important part of the sound Integrated Risk Management Structure. In the background of the size and complexity of business and risk philosophy of the bank, emphasis is being given to impart knowledge at the field level through continuous training process. In order to move over to the advanced approaches under the Basel II framework and adopt industry best practices in risk management, the bank has appointed consultants and software vendor for implementing operational risk management framework conforming to international standards.

17.4.2 Bank is planning to roll out the operational risk software to collect the operational risk loss data across the different business lines in a phased manner. Risk Control Self Assessment (RCSA) exercise and Key Risk Indicator (KRI) monitoring for critical units will also be carried out with the help of this software in a phased manner.

17.4.3 Under the Risk Based Supervision, Risk Profile Templates covering five business risks and two control risks are prepared on quarterly basis and submitted to RBI.



18. आस्ति देयता प्रबंधन

18.1 आस्ति देयता प्रबंधन कार्य में बैंक की समेकित निधियों के प्रवाह की आयोजना, निर्दिष्ट करना व नियंत्रित करना, स्तर, मिक्स, लागत तथा प्रतिफल शामिल है। आस्ति देयता प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम हटाना नहीं, बल्कि उसका प्रबंधन इस प्रकार करना है कि निवल ब्याज आय की अस्थिरता कम हो जाए।

18.2 जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण के एक अंग के रूप में बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता, आस्तियों एवं देयताओं की परिपक्वता और तरलता का विश्लेषण करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करता है। ब्याज दर जोखिम प्रबंधन तथा निवल ब्याज मार्जिन बढ़ाने के लिए जोखिम पर अर्जन एवं अवधि जैसे मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक माह चलनिधि जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम का दबाव परीक्षण किया जाता है। बैंक ट्रेडिंग जोखिम मापने के लिए जोखिम-पर-मूल्य लागू करता है।

18.3 बैंक ने आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आलको) गठित की है जो ब्याज दर परिवर्तन, जमाराशियों एवं अग्रिमों हेतु उत्पाद मूल्य-नियतन, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं का वाँछित परिपक्वता प्रोफाइल, बैंक निधियों हेतु माँग, बैंक का नकद प्रवाह, लाभप्रदता आयोजना एवं समग्र तुलन पत्र प्रबंधन की समीक्षा हेतु नियमित अंतराल में बैठक करती है।

19 मानव संसाधन प्रबंधन

19.1 कारोबार संवृद्धि, नेटवर्क के विस्तार और पदत्याग/सेवानिवृत्ति की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु वर्ष के दौरान 1367 नए कर्मचारियों की भर्ती की। पिछले वर्ष के 13143 की तुलना में 31 मार्च, 2011 को कुल कर्मचारियों की संख्या 13861 रही।

19.2 बैंक की स्टाफ उत्पादकता 31.03.2010 के ₹ 12.69 करोड़ के मुकाबले 24.05% की वृद्धि दर्ज करते हुए यथा 31.03.2011 को ₹ 15.73 करोड़ हो गई। वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी निवल लाभ ₹ 9.52 लाख से बढ़कर ₹ 10.92 लाख हो गया।

19.3 बैंक विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में रोज़गार हेतु आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता रहा है। वर्ष के दौरान भर्ती किए गए 1367 उम्मीदवारों में से 302 उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के हैं। कुल कर्मचारियों की संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 31 मार्च, 2011 को 3677 (26.53%) है।

19.4 अन्य आरक्षित प्रवर्गों का भी बैंक में यथोचित प्रतिनिधित्व है। 31 मार्च, 2011 को 1951 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारी, 284 शारीरिक रूप से विकलांग और 718 भूतपूर्व सैनिक बैंक की स्टाफ सूची में हैं।

20. मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण

20.1 संगठनात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बैंक में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान 912 स्टाफ सदस्यों को अगले उच्चतर प्रवर्ग/स्केल में पदोन्नत किया गया।

20.2 बैंक ने कर्मचारी कल्याण योजनाओं में और भी सुधार किए हैं। बैंक ने खेलकूद एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी सतत प्रोत्साहित किया है।

20.3 कार्यदल की कार्यकुशलता विकास संगठन की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ाता है। बैंक ने कौशल तथा व्यवहार संबंधी पहलुओं को सुधारने हेतु 11241 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। इन में धनशोधन निवारण पर कार्यशाला, केवाईसी तथा संबधित गैर-तकनीकी विषयों पर ई-लर्निंग कार्यक्रम शामिल हैं।

20.4 प्रशिक्षण में ई-लर्निंग के उपयोग के लिए बैंक को भारतीय बैंक संघ से पुरस्कार मिला है। स्टाफ उत्साहवर्धन योजना के अनुसार, बैंक अंतर्निहित संभाव्यता को सक्रिय करने तथा संगठनात्मक संवृद्धि हेतु अधिक योगदान देने के लिए कारोबार नेता तथा टीम हेतु नकद तथा गैर-नकद प्रोत्साहन के साथ विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ चला रहा है। कारोबार इकाइयों के उत्कृष्ट निष्पादन हेतु कार्पोरेट पुरस्कार के संचालन के साथ साथ विशेष अभियानों / ड्राइवों में विनिर्दिष्ट निष्पादन मानदंडों के पाने पर पुरस्कृत किया जाता है। बैंक को प्रोत्साहन हेतु वर्ष के कर पश्चात् लाभ का 1% निर्दिष्ट करने की अनुमति है तथा कारोबार विकास हेतु इस सीमा का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

20.5 उत्तराधिकार योजना

कर्मचारियों की प्रेरणा बढ़ाने के लिए बैंक लिपिक से अधिकारी प्रवर्ग में, श्रेणी-I से श्रेणी-IV तक पदोन्नति की प्रक्रिया में फास्ट ट्रेक पदोन्नति का अवसर देता है। वर्ष 2010-11 के दौरान फास्ट ट्रेक के तहत निम्नानुसार पदोन्नति दी गई।

कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी I से म प्र श्रेणी II	-	84
म प्र श्रेणी II से म प्र श्रेणी III	-	35
म प्र श्रेणी III से कार्यपालक श्रेणी IV	-	22

सामान्यतः सीधी भर्ती केवल श्रेणी I में की जाती है। वर्तमान अधिकारियों की आयु को देखते हुए सकारात्मक रुख आपनाने हुए वर्ष 2010-11 के दौरान उच्च स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार की है।

म प्र श्रेणी II	-	10
म प्र श्रेणी III	-	4

इन कदमों से मध्यम प्रबंधन पद तथा प्रवेश स्तरीय कार्यपालक पद को मज़बूत करेगा तथा ऐसे युवा प्रबंधकों का निर्माण करेगा जो आनेवाले वर्षों में उत्तरदायित्व ले पाएँगे।

21. निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा

21.1 आंतरिक निरीक्षण

21.1.1 उचित मूल्यांकन पर ध्यान देते हुए प्रभावी लेखा-परीक्षा प्रणाली, वर्धित कार्यकुशलता, क्षमता की निरन्तरता, निम्न जोखिम तथा बैंक का सुचारू कार्यनिष्पादन के लिए प्रभावी जोखिम नियंत्रण उपाय आदि बैंक के आंतरिक निरीक्षण की मुख्य नीतिगत अवधारणाएँ हैं। वर्तमान बैंकिंग की गतिशीलता को देखते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने 01.04.2003 से प्रभावी रूप में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की नीति अपनाई है।



18 Asset Liability Management (ALM)

18.1 The ALM Function involves planning, directing and controlling the flow, level, mix, cost and yield of consolidated funds of the Bank. The primary objective of ALM is not to eliminate risk, but to manage it in such a way that the volatility of net interest income is minimized.

18.2 As a part of Risk Management and Control, the Bank is using the ALM system for studying and analyzing the interest rate sensitivity (Gap Analysis), Maturity and Liquidity analysis of Assets and Liabilities. Models like Earning at Risk and Duration are used for interest rate risk management and improving the Net Interest Margin. Stress testing of liquidity risk and interest rate risk is conducted every month. The Bank applies Value-at-Risk (VaR) to measure the trading risk.

18.3 The Bank has constituted the Asset Liability Management Committee (ALCO) which meets at regular intervals to review the interest rates scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for bank funds, cash flows of the Bank, Profit Planning and overall balance sheet management.

19. Human Resources Management

19.1 To meet the requirements of Business Growth, Branch Network expansion and attrition / retirements, Bank has recruited 1367 fresh employees during the year. The total staff strength stood at 13861 on 31st March 2011 as compared to 13143 as on last day of the previous year.

19.2 Staff productivity in the Bank increased from ₹12.69 crore as on 31.03.2010 to ₹15.73 crore. as on 31.03.2011 recording a growth of 24.05%. Net Profit per employee increased from ₹9.52 lakhs to ₹10.92 lakhs during the year.

19.3 The Bank has been following the guidelines for reservation in employment to specified categories. During the year 1367 candidates were recruited out of which 302 candidates belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe categories. The representation of Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees in the total staff strength was 3677 (26.53%) as on 31.03.2011.

19.4 The Bank also has a fair representation of other reserved categories. As on 31st March 2011, 1951 other Backward Communities, 284 physically handicapped and 718 Ex-servicemen were on the rolls of the Bank.

20. Human Resources Development & Training

20.1 In keeping with the organizational growth, there have been adequate promotional opportunities in the Bank. During the fiscal year 912 members of staff were promoted to the next higher cadre / scale.

20.2 The Bank has effected improvements in the Staff Welfare Schemes. The Bank also continued to promote sports, games and cultural activities.

20.3 Skill development of the workforce improves the competitiveness of the organization. Bank has trained 11241 employees to improve their behavioral aspects and skills. This includes workshops on Anti-Money Laundering, E-learning programmes on KYC and related non-technical areas.

20.4 Bank has received award from IBA for usage of e-learning for training. As per the People Engagement Plan, the Bank is administering various incentive schemes with monetary and non-monetary incentives for business leaders and team to activate the innate potential and prompt them to contribute extra towards organizational growth. While continuing to administer Corporate Awards for rewarding performance of business units, performances on special campaigns/drives are rewarded on attaining specific performance parameters. The Bank is permitted to earmark 1% of Profit after Tax (PAT) of the year for releasing incentives and has utilized this limit optimally for business development.

20.5 Succession Planning

To enhance the psychological motivation among the officers, the Bank is providing opportunity of “Fast Track Promotion” in promotion process from clerical to officer cadre, for promotion from one scale to next scale from Scale I upto Scale IV. During the year 2010-11, promotions were effected under “Fast Track” as under:

Junior Management Scale I to MM Scale II	–	84
MM Scale II to MM Scale III	–	35
MM Scale III to Executive cadre scale IV	–	22

Even though direct recruitment is usually restricted to scale I, looking at the age profile of existing officers, Bank has proactively taken initiative during the year 2010-11 to directly recruit officers at higher levels as under:

MM Scale II	:	10
MM Scale III	:	4

These initiatives will strengthen the middle management and entry level executive positions and build young managers who can take up responsibility during the ensuing years.

21. Inspection and Audit

21.1 Internal Inspection

21.1.1 Effective Audit system with focused approach on proper assessment, effective risk containment measures that provides adequate internal control mechanism for improved efficiency, sustained quality, low risk and smooth functioning of the Bank are the key policy perspectives of the Internal Inspection of the Bank. In the light of fast changing dynamics of today’s banking and in line with the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the Bank has adopted this policy of risk based internal Audit with effect from 01.04.2003.



21.1.2 जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा जोखिम निर्धारण, जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य कार्पोरेट अभिशासन उद्देश्यों की उपलब्धि में सहायक होने के साथ-साथ विनियामक तथा सुव्यवस्थित अनुपालन स्तर पर प्रबंधन वर्ग को आश्वासन देना है।

21.1.3 बैंक की शाखाओं तथा अन्य कार्यालयों का विभिन्न प्रकार के निरीक्षण तथा लेखापरीक्षाएं की जाती हैं ताकि जोखिम का उचित नियंत्रण तंत्र हो तथा परिचालन की कार्यक्षमता बढ़े।

21.1.4. शाखाओं / कार्यालयों के लेखा-परीक्षा कार्यकलापों के विकेन्द्रीकरण के अंग के रूप में 10 आंचलिक लेखापरीक्षा कार्यालय मुख्य केन्द्रों में स्थापित किए गए ताकि शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित आवधिकता पर की जा सके। दो वर्ष में एक बार प्रधान कार्यालय, आंचलिक कार्यालयों व अग्रणी बैंक के विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों का भी नियमित निरीक्षण किया जाता है। चिकमगलूर का COBSEI, कार्प बैंक क्युरिटीज़, चिको बैंक तथा क्रेन्सी चेस्टों का भी वर्ष में एक बार निरीक्षण किया जाता है। मुंबई का निवेश व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग का निरीक्षण 6 माह में एक बार किया जाता है। निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा नीति के अनुसार अभिनिर्धारित शाखाओं/ कार्यालयों में नियमित संगामी लेखा-परीक्षा की जाती है।

21.1.5 निरीक्षण में पाई जानेवाली मुख्य कमियाँ कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति / निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की जानकारी व उचित दिशानिर्देशों के लिए रखी जाती है।

21.1.6 अक्सर बैंक आतंकवाद के वित्तीयन के विरुद्ध अग्रणी प्रतिरक्षक होते हैं और वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग के विरुद्ध सजग रहकर इस दिशा में काफी योगदान दे सकते हैं। उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राहक स्वीकृति, ग्राहक पहचान, लेनदेनों की निगरानी और जोखिम प्रबंधन आदि क्षेत्रों में धन-शोधन निवारण पर बैंक की शाखाओं/कार्यालयों को समय-समय पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

22. विधि सेवाएं

बैंक के विधि सेवा विभाग की उधार दी गई राशि की वसूली सहित बैंक द्वारा किए गए वाणिज्यिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रतिभूति के रूप में प्रदत्त अचल संपत्तियों के हक विलेखों का परीक्षण/जांच, मामला विशेष के दस्तावेज तैयार करने, विधिक लेखा परीक्षा संचालित करने, बैंक के बकायों को वसूल करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही शुरू करने के संबंध में शाखाओं को परामर्श देने, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों से प्राप्त आवेदनों तथा/अपीलों की जांच जैसे बहुविध कार्य करता है। विधि सेवा प्रभाग सिविल/आपराधिक न्यायालयों, उपभोक्ता न्यायालयों, बैंकिंग लोक पाल व अन्य विविध विधिक प्राधिकारियों जैसे विभिन्न फारमों में शुरू की गई विधिक कार्यवाहियों में बैंक के बचाव संबंधी कार्य भी करता है। आयकर, बिक्री कर व अन्य प्राधिकारियों से कुर्की आदेशों से संबंधित मामलों को भी दक्षतापूर्वक संभाला जाता है। मृत जमाकर्ताओं संबंधी दावों को असुविधा और विलंब के बिना निपटाने के लिए प्रभाग ने प्रक्रिया सरल बनाई है। विधि अधिकारी नियमित रूप से एवं सतत रूप से विभिन्न विधिक मामलों संबंधी कार्य करते हैं व समयबद्ध रूप में शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों को विधिक समाधान प्रदान कर रहे हैं ताकि क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में बैंक के हित की रक्षा हो।

23. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

23.1 बैंक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी नामित किए हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। बैंक उक्त अधिनियम के प्रावधानों का सभी स्तरों पर अनुपालन कर रहा है और जनता से प्राप्त सभी आवेदनों और अपीलों को निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निपटा रहा है।

24. सुरक्षा

24.1 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं पर हमलों के विशेष संदर्भ में देश भर में चुनौतीपूर्ण कानून एवं व्यवस्था की पृष्ठभूमि में बैंक, सार्वजनिक आस्तियों, ग्राहकों, नियोजकों तथा बैंक के संपत्तियों की सुरक्षा हेतु सजग, सतर्क तथा चिंतित है। बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करने के प्रयास किए गए। बैंक ने अग्रेसर तक, सुरक्षा संकेत तक, एक्सेस नियंत्रण प्रणाली तथा वीडियो निगरानी जैसे भौतिक सुरक्षा उपायों के सख्त कार्यान्वयन के अतिरिक्त बल गुणक के रूप में प्रौद्योगिकी पर पूरी तरह निर्भर होकर सुरक्षा जोखिम रोकने/ कम करने हेतु प्रगतिशील रुख अपनाया है। संबंधित प्रभाग के कर्मचारियों का सुरक्षा प्रबंधक के साथ बारंबार विचार विनिमय प्रचलित खतरों तथा उपायों से उन्हें अवगत कराने में सहायक कारक के रूप में अतिरिक्त आयाम देता है। बैंक सुरक्षा प्रबंधन क्षेत्र के अधुनातन विकास से अवगत है तथा उसका लक्ष्य ग्राहक को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु प्रमुख मेट्रिक्स का निरंतर अनावरण तथा अगम्य मार्ग का पता लगाना है।

25. अनुपालन

25.1 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसूच बैंक ने अनुपालन प्रभाग स्थापित किया गया है। उप महा प्रबंधक के स्तर के कार्यपालक को उक्त प्रभाग के प्रमुख हैं तथा बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं।

बैंक का अनुपालन कार्य विभिन्न विधानों में दिए लागू सांविधिक प्रावधानों का सख्त अनुपालन, बैंकों को लागू नियमों एवं विनियमों का अनुपालन तथा आंतरिक नीतियों एवं उचित व्यवहार संहिताओं के अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण व संतुलन बनाए रखता है।

26. सतर्कता तंत्र

26.1 सार्वजनिक निधियों के अभिरक्षक के रूप में हमसे ईमानदारी, निष्ठा एवं दक्षता की उच्चतम मानक की अपेक्षा होती है। बैंकिंग संगठन आपसी विश्वास तथा भरोसे के सिद्धान्त पर कार्य करते हैं। संगठनात्मक संरचना में बेहतर स्पष्टता एवं प्रभाविता के लिए प्रत्येक कार्यात्मक प्रभाग की भूमिका एवं दायित्वों को भली-भाँति परिभाषित एवं प्रलेखित किया गया है। बैंक के सतर्कता कार्य मुख्यतः निवारक और खोज प्रकृति का है, न कि दण्डात्मक कार्रवाई करना। सतर्कता तंत्र प्रहरी की भूमिका निभाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्तिगत लाभ या फायदा प्राप्त करने हेतु विनिर्धारित



21.1.2. Risk Based Internal Audit lays focus on Risk Identification, Risk Management, adequacy of Control Systems and Procedures as well as optimum use of resources. It aims at giving an assurance to the Management on the level of regulatory and systemic compliance besides assisting in accomplishment of corporate governance objectives.

21.1.3. Branches and other Offices of the Bank are subjected to different types of Inspection & Audits so as to contain risk, have proper control mechanism and improve efficiency of operation.

21.1.4. As part of decentralization of certain audit functions of branches/offices, 10 Zonal Audit Offices (ZAOs) were set up at important centers so as to carry out internal audit functions of branches at regular periodicity. The various functional divisions at Head Office, Zonal offices and Lead Bank Offices were also subjected to regular inspection once in two years, COBSETI at Chikmagalur, Corp Bank Securities, Chiko Bank and Currency Chests are subjected to Regular Inspection once in a year. The Investment & International Banking Division at Mumbai is subjected to Inspection once in 6 months. Regular concurrent audit is being carried out at the branches/ Offices identified as per the Inspection and Audit Policy.

21.1.5. Important findings of inspection is placed before the Audit Committee of Executives (ACE)/Audit Committee of the Board for information and suitable directions.

21.1.6 Banks are often the front-line defense against financing of terrorism and can contribute significantly by increasing vigilance against the abuse of the financial system. Keeping in mind the said objective, detailed guidelines on Anti Money Laundering (AML) covering the areas of customer acceptance, customer identification, monitoring of transactions and risk management etc. have been issued to branches/offices of the Bank from time to time.

22. Legal Services

Legal Services Division of the Bank plays a significant role in the various commercial activities undertaken by the Bank, including recovery of the monies lent. It has been performing diversified activities such as scrutiny of title to immovable properties offered as security, preparation of case specific documents, conduct of legal audit, advising branches as to the initiation of necessary steps to recover the dues of the Bank and examination of applications and appeals received from citizens under the Right to Information Act. Legal Services Division has also been taking effective steps in defending the Bank in legal proceedings initiated before various forums like Civil/Criminal Courts, Consumer Forums, Banking Ombudsmen and various other statutory authorities. Matters pertaining to orders of attachments from income tax, sales tax or other authorities are effectively handled. The Division has devised a simplified procedure for settlement of claims relating to deceased depositors with least amount of inconvenience and delay. The Law Officers are regularly and continuously handling varied legal matters and offering legal guidance to branches and Administrative Offices in a time bound manner and take steps to safeguard the interest of the Bank in all its spheres of activities.

23. The Right to Information Act 2005

23.1 Bank in pursuance of the enactment of Right to Information Act, 2005, has designated Public Information Officers and Appellate Authorities at Head Office and Zonal Offices. The disclosures under the Act are displayed in the Bank's website. Bank is complying with the provisions of the said Act at all levels and disposing of all the applications and appeals received from the public within the stipulated time frame.

24. Security

24.1 In the back drop of challenging law and order situation across the country with specific reference to attack against banks and financial institutions, the Bank has been alert, conscious and concerned about the safety of public assets, customers, employees and bank's property. Efforts were channelised to strengthen the risk management system of the Bank. Bank has adopted forward posture in implementing measures to avoid/minimise security risk by heavily leaning on technology as force multiplier in addition to ruthless implementation of physical security measures like fire alarm, security alarm, access control system, CCTVs and video surveillance. Frequent interactive sessions with the employees manning the show windows by Security Managers adds additional dimension as contributing factor in sensitising them with prevalent threats and measures. Bank is abreast with latest development in the security management field aiming to constantly rediscover the key matrixes for breaking new grounds and to tread untraveled tracks with the sole aim of providing utmost comfort to the customers.

25. Compliance

25.1 The Bank has a Compliance Division in place as mandated by Reserve Bank of India. An Executive of the rank of Deputy General Manager heads the division and represents as the Chief Compliance Officer (CCO) of the Bank.

The compliance function in the Bank maintains a system of internal checks and balances designed to ensure, strict observance of applicable statutory provisions contained in various legislations, compliance with rules and regulations applicable to banks and adherence to internal policies and fair practices codes

26. Vigilance Machinery

26.1 As custodians of public funds, the Bank is expected to maintain highest standards of honesty, integrity and efficiency. Banking Organizations essentially work on the philosophy of mutual trust and confidence. The roles and responsibilities of each functional division in Banks are well defined and documented for better clarity and effectiveness. The vigilance functions in the Bank are primarily in the nature of prevention and detection rather than taking punitive action. The vigilance machinery plays the role of a watchdog so as to ensure that the laid down systems and procedures are not tampered with for



प्रणालियों एवं पद्धतियों में हेरफेर नहीं किया जाता है। यह ओहदे और हैसियत का लिहाज़ किए बिना नैसर्गिक न्याय तथा अपराधी को दंडित करने के सिद्धांत में विश्वास रखता है।

26.2 जहाँ पद्धतियों एवं प्रणालियों के घोर उल्लंघन के प्रसंग की रिपोर्ट की जाती है या बैंक अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं जो संबंधित अधिकारी की ईमानदारी पर प्रश्न चिह्न लगाता है, वहाँ जाँच के आदेश दिए जाते हैं और जहाँ अपेक्षित है गलती करनेवाले अधिकारी के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई सहित निवारक उपाय किए जाते हैं। एक पूर्व-सक्रिय उपाय के तौर पर सतर्कता प्रभाग निवारक जाँच करके पाए गए उल्लंघनों को रिपोर्ट करता है। वह यह सुझाव भी देता है कि सभी के एकजुट प्रयास से कैसे ऐसे उल्लंघनों से बचा जा सकता है।

26.3 बैंक ने निवारक सतर्कता तंत्र क्रियान्वित किया है। शाखाओं को निदेश दिया गया है कि हर माह निवारक सतर्कता बैठक आयोजित करें। उक्त बैठकों में स्टाफ सदस्यों को अपना कार्य अनुभव के बारे में चर्चा करनी है और सूचना बाँटनी है ताकि पूरे बैंक में सजगता और जागस्कता पदा की जा सके।

26.4 बैंक ने अपनी 'व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी' बनाई है जिसका उद्देश्य कर्मचारियों कि सहायता से अप्रिय घटनाओं को पहचानना है और समय पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए प्रारंभिक चरण में ही उसे रोकना / बैंक की रक्षा करना है। इस तंत्र में इसका इस्तेमाल करनेवाले कर्मचारियों को परेशान किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त पूर्वापार भी हैं।

27. अवसर

वित्त वर्ष 2010-11 के अंत में, बैंक ने ₹ 2,00,000 करोड़ के कुल कारोबार के कीर्तिमान को पार किया है और यह 30.56% की वृद्धि के साथ ₹ 2,03,598 करोड़ रहा।

1361 शाखाओं, 1250 एटीएमों व 2500 शाखारहित बैंकिंग इकाइयों के साथ बैंक की देश भर में उपस्थिति है और दुबई और हाँगकांग में विदेशी प्रतिनिधि कार्यालयों के ज़रिए विश्व स्तर पर उपस्थिति दर्ज की है।

कार्पोरेशन बैंक का आधार काफी मज़बूत है जो कारोबार आंकड़ों, लाभप्रदता संख्याओं, एनपीए स्तर और शुरुआत से लेकर पिछले 106 वर्षों के लाभ और लाभांश अदायगी के ट्रैक रिकॉर्ड से प्रतिबिंबित होता है।

कर्मचारी लाभप्रदता की दृष्टि से यह उद्योग के उत्तम बैंकों में एक है। दक्ष कार्यबल, शाखाओं की व्यापक नेटवर्क और बेहतर आधारभूत संरचना सुविधाएं, स्पर्धात्मक ग्राहक सेवा और उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त वातावरण ने बैंक को जनता के दिलों में स्थान बनाने में मदद दी है।

देश भर में 13 राज्यों में 2500 शाखारहित बैंकिंग इकाइयों सहित वित्तीय समावेशन में अग्रणी है।

आईटी आधारित नवीन उत्पादों को पेश करने में तत्पर बैंक की सभी शाखाओं में कंप्यूटरीकृत वातावरण है और ये कोर बैंकिंग के ज़रिए परस्पर जुड़ी हैं।

कई प्रकार के डेलिवरी चैनल, महानगरीय केन्द्रों में मज़बूत उपस्थिति, दूसरे बैंकों की तुलना में सापेक्ष युवा कार्यदल।

28. चुनौतियाँ

आर्थिक स्थिति में परिवर्तनों के कारण भारत में बैंकिंग उद्योग में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं।

आर्थिकव्यवस्था में मुद्रास्फीति की उच्च दर का बैंकिंग उद्योग की वृद्धि दर पर भी प्रभाव पड़ता है।

किसी भी अन्य उद्योग की तरह बैंकों को भी दैनंदिन परिचालन में ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, ब्याज कीमत-लागत अंतर घटने से बैंक की लाभप्रदता की संरचना प्रभावित होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कारोबार उत्पादों के लिए ब्याज दर, विनियामक दिशानिर्देशों, नीतियों, उपबंधों आदि में परिवर्तन बैंक की परिचालनात्मक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकता है।

वसूली प्रबंधन, आस्ति देयता प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता का निष्पादन पर असर डाल सकती है।

प्रतिस्पर्धा की वजह से मार्जिन कम होना और लाभप्रदता पर दबाव।

29. भावी योजनाएं

विश्व मानकों सहित सबसे पसंदीदा बैंक के रूप में उभरने के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बैंक ने विभिन्न पहल की है।

बैंक ने मार्च 2014-15 तक 2155 शाखाओं की नेटवर्क के साथ ₹ 5 लाख करोड़ कारोबार प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

2014-15 तक 37 मिलियन के ग्राहक आधार और 12000 शाखारहित बैंकिंग इकाइयों के स्तर तक पहुँचना।

अधिक यूरोपीय और आफ्रिकी देशों में शाखाएं खोलकर अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को मज़बूत करना।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 01-06-2011

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



any personal gain or benefit. It believes in the principles of natural justice and punishing the guilty irrespective of rank and position.

26.2 Wherever instances of serious violation in the systems and procedures are reported or complaints received against the Bank officials, which primarily reflects on the integrity of the Official, an investigation is ordered and preventive measures are taken including taking punitive action against the erring officials wherever required. As a pro-active measure, the Vigilance Division also conducts preventive checks and reports on the deviations observed. It also suggests how such violations can be avoided with the collective effort of all.

26.3 The Bank has a Preventive Vigilance Mechanism in place. Branches have been directed to convene Preventive Vigilance Meetings every month. In the said meetings, staff members have to discuss, share information and their work experiences so that alertness and awareness is generated through out the Bank.

26.4 The Bank has framed its own "Whistle Blower Policy", the objective of which is to identify any untoward events with the help of the employees and to take timely corrective measures so as to prevent / protect the Bank at the initial stage itself. This mechanism also provides adequate safeguards against victimization of employees who avail of this mechanism.

27. Opportunities

At the close of the financial year 2010-11, the bank has crossed the land mark total business of ₹ 2,00,000 crore and stood at ₹2,03,598 crore with a growth of 30.56%.

The bank has pan-India presence with 1361 Branches, 1250 ATMs & 2500 Branchless Banking units and has registered its global presence through its foreign representative offices at Dubai and Hongkong.

Corporation Bank has very strong fundamentals which are reflected in the business figures, profitability numbers, NPA level and with a track record of profit and dividend payment since its inception, for the last 106 years.

It is amongst the best banks in the industry in terms of employee productivity. A high calibre workforce, high network of branches better infrastructure facilities, a competitive customer service and an advanced tech savvy environment helped the bank to get a prime slot in the minds of the people.

Pioneer in Financial inclusion with 2500 branchless banking units spanning over 13 states across the country.

A trendsetter in the IT based innovations, bank is having fully computerised environment in all its branches with interconnectivity through core banking.

A wide range of Delivery Channels, strong presence in the metro centres, comparatively younger workforce as compared to other Public Sector Banks.

28. Threats

The banking industry in India is undergoing a major transformation due to changes in economic conditions :

High rate of inflation of the Economy have a say on the growth pace of the Banking Industry.

Banks, like any other industry are exposed to credit, Market and operational risks in the day to day operation, thinning of Interest spread affects the profitability structure of the Bank.

Any change in the interest rate by Reserve Bank of India for the business products, Regulatory guidelines, Policies, Provisions etc. may affect the operational viability of the Bank.

Effectiveness of Recovery Management, Asset Liability Management and Risk Management may have its own impact on performance.

Thinning of margins and pressure on profitability due to competition.

29. Road map towards the future

To become the most preferred Bank with Global Standards, Corporation Bank has taken various initiatives to attain this coveted goal.

The bank has a visionary target of achieving business size of ₹ 5 lakh crore with a network of 2155 branches by March 2014-15.

To reach a customer base of 37 million by 2014-15 and 12000 branchless banking units.

Strengthening the international presence by opening branches in more European and African countries.

For and on behalf of the Board of Directors

**(Ramnath Pradeep)
Chairman & Managing Director**

Place : Mangalore
Date : 01-06-2011



कार्पोरिट अभिशासन पर रिपोर्ट

1. कार्पोरिट अभिशासन बैंक का देश के कानून के अनुसार सबसे दक्ष, पारदर्शी और नैतिक रूप से दैनंदिन कार्य करने में बैंक की अंतर्निहित मूल्य प्रणाली में प्रतिबिंबित होता है जिसका मूल उद्देश्य सभी स्टेकधारकों – ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, साझेदारों, प्रतिस्पर्धियों, सरकार तथा समाज के साथ निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए सतत आधार पर शेयर धारकों की संपत्ति को अधिकतम बनाना है। यह एक ऐसी प्रणाली का आविर्भाव है जिसमें मूल्य, सिद्धांत, प्रबंधन नीतियाँ और पद्धतियाँ कारगर तरीके से आत्मसात करते हुए इज़हार किया जाता है।

अच्छे कार्पोरिट अभिशासन के उद्देश्य

कार्पोरिट अभिशासन का मूलभूत उद्देश्य दीर्घावधि शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने के साथ-साथ सभी स्टेकधारकों के हित का संरक्षण करना है। विधिक तथा नैतिक तरीके से दीर्घावधि शेयरधारक मूल्य को बढ़ाना, बैंक के अंदर तथा बाहर, ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों, भागीदारों, प्रतिस्पर्धियों, सरकार और समाज के साथ सभी लेनदेनों में निष्पक्षता, शिष्टाचार तथा गरिमा सुनिश्चित करना, कार्पोरिट अभिशासन संस्कृति और मूल्यों के प्रति कटिबद्धता प्रतिबिंबित करता है। खुला, पारदर्शी तथा योग्यता आधारित प्रबंधन भी अच्छे कार्पोरिट अभिशासन के प्रमुख अंग हैं।

कारोबार को अर्थव्यवस्था और समाज में परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु एक ऐसे नवीन प्रारूप को तलाशना है जो प्रणालीगत सोच को प्रस्फुटित करेगा तथा यह अचानक एवं बारबार होनेवाले परिवर्तनों के लिए अनुकूल होना चाहिए। हम विश्वास करते हैं कि कार्पोरिट अभिशासन इस परिवर्तन को लाने में एक प्रेरक-तत्व का काम करेगा।

बैंक में कार्पोरिट अभिशासन

बैंक का यह विश्वास है कि सुदृढ़ कार्पोरिट अभिशासन निवेशक की आस्था को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अहम है। एक ज़िम्मेदार कारोबार इकाई के रूप में बैंक विवेक, खुलापन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, प्रकटन आदि पर आधारित ठोस कार्पोरिट प्रथाओं के प्रति कटिबद्ध है जिससे निवेशकों और स्टेक धारकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हो और दीर्घावधि सफलता सुनिश्चित हो। कार्पोरेशन बैंक में कार्पोरिट अभिशासन विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही नहीं बल्कि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुकूल रहकर भी विकसित किया गया है। ग्राहक संतुष्टि तथा शेयरधारकों

के मूल्य में वृद्धि करने के दो उद्देश्यों के साथ बैंक उत्कृष्टता हेतु अथक प्रयास कर रहा है। बैंक की प्रकृति ग्राहक से विकसित होती है जिसका केंद्र बिंदु शेयरधारक है।

2. बैंक का दार्शनिक सिद्धांत:

2.1 बैंक का दार्शनिक सिद्धांत उसके कार्पोरिट आदर्श वाक्य 'सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु' अर्थात् "सब की समृद्धि हो" में प्रतिबिंबित होता है जो समाज और अर्थव्यवस्था, जिसमें बैंक परिचालनरत हैं, की भलाई की ओर अग्रसर करता है। बैंक का दृढ़ विश्वास है कि कार्पोरिट अभिशासन के स्वस्थ सिद्धांत सफलता की महत्वपूर्ण कुंजियाँ हैं क्योंकि ये इसके स्टेक धारकों का विश्वास जीतने की क्षमता को बढ़ाती हैं। उत्तम कार्पोरिट अभिशासन शीर्ष से, अर्थात् हमारे निदेशक मंडल और प्रबंधन से आरंभ होता है, जो उपयुक्त निर्णय लेते हैं और उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करते हैं।

3. निदेशक मंडल

3.1 निदेशक मंडल का गठन यथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अनुसार किया गया है और इसमें वैविध्यपूर्ण व्यावसायिक अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है। वर्ष (2010-2011) की समाप्ति पर निदेशक मंडल में 13 निदेशक हैं जिनमें 10 गैर-कार्यपालक निदेशक हैं तथा उनमें से 7 स्वतंत्र निदेशक हैं जो एनएसई एवं बीएसई के साथ बैंक द्वारा किए गए ईक्रीटी सूचीकरण करार के खंड 7 पर सेबी के परिपत्र दिनांकित 29 अक्तूबर 2004 में उल्लिखित मानदंडों के अनुरूप भी चुने गए हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आनेवाले ये निदेशक मंडल को विशेषज्ञता और विस्तृत अनुभवयुक्तज्ञान प्रदान करते हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की 15 बैठकें आयोजित की गईं।

3.2 निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियों का गठन किया है जो महत्वपूर्ण प्रयोजनमूलक क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट तथा संकेन्द्रित ध्यान देती हैं तथा बैंक के क्रियाकलापों को नियंत्रित करती हैं। विभिन्न समितियों के ब्योरे और वर्ष 2010-2011 के दौरान हरेक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की कुल संख्या निम्नानुसार है:



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance reflects the built in value system of the Bank in conducting its day to day affairs in a most efficient, transparent and ethical way in accordance with the law of the land, with an ultimate objective of maximizing shareholders' wealth on a sustainable basis, while ensuring fairness to all the stakeholders – the customers, employees, shareholders, partners, competitors, the government and the society at large. It is the evolution of a system by which the values, principles, management policies and procedures are ingrained and manifested in an effective way.

Objectives of Good Corporate Governance

The fundamental objective of corporate governance is to enhance the long-term shareholder value while, at the same time, protecting the interest of all the stakeholders. Maximising long-term shareholder value in a legal and ethical manner, ensuring fairness, courtesy and dignity in all transactions within and outside the Bank, with customers, employees, investors, partners, competitors, the government and the society reflects the corporate governance culture and commitment to values. Open, transparent and merit-based management are also the key ingredients of good corporate governance.

The business must look for innovation that stimulates systemic thinking, to play a crucial role in bringing about a change in the economy and society and should be adaptable to sudden and frequent changes. We believe, corporate governance acts as a catalyst in bringing about this transformation.

Corporate Governance in the Bank

The Bank believes that sound Corporate Governance is critical to enhance and retain investor trust. As a responsible Business entity, the Bank is committed to sound corporate practices based on conscience, openness, fairness, professionalism, disclosures etc., to attaining performance with integrity and accountability, paving the way for enhancing investors' and stakeholders' confidence and thus ensuring long-term success. Governance at Corporation Bank is evolved by not only ensuring compliance with regulatory requirements but also by being responsive to

customer needs. The Bank strives for excellence with the twin objectives of enhancing customer satisfaction and shareholders value. Corporation Bank's ethos, evolve with customer and have the shareholder as the focal value.

2.0 The Bank's philosophy:

2.1 The Bank's philosophy is driven by its Corporate Motto 'Sarve Janah Sukhino Bhavantu', which means "Prosperity for all", that which leads to the betterment of the society and economy in which we operate. The Bank strongly believes that sound principles of corporate governance are important key to success, as these enhance the ability to secure the confidence of its stakeholders. Good Corporate Governance starts at the top, with the Board of Directors and the Management, who take appropriate decisions and guide the Bank in achieving highest standards of excellence.

3. Board of Directors

3.1. The Board is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended and is represented by persons with diversified professional experience. At the end of the year (2010-11) under report the Board comprises of 13 directors out of which, 10 are non-executive directors and among themselves 7 are independent directors conforming to the criteria mentioned in SEBI circular dated 29th October, 2004 on clause 49 of the Listing Agreement for Equity entered into by the Bank with NSE & BSE. The Directors, hailing from different strata of society, with diverse professional qualifications, bring in their rich experience to the Board. 15 meetings of the Board of Directors were held during the period under report.

3.2. The Board has constituted various committees which provide specific and focused attention to the important functional areas and control the affairs of the Bank. The details of various committees and the total number of meetings held by each committee during the year 2010-11 are as follows :



क्रम सं.	बोर्ड की समितियों के नाम	आयोजित बैठकों की संख्या
1.	प्रबंधन समिति	23
2.	लेखा-परीक्षा समिति	13
3.	विभागीय पदोन्नति समिति	4
4.	निवेशक शिकायत समिति	4
5.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति	6
6.	जोखिम प्रबंधन समिति	7
7.	उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति	7
8.	शेयर अंतरण समिति	10
9.	ग्राहक सेवा समिति	6
10.	पारिश्रमिक समिति	1
11.	नामांकन समिति	2
12.	बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन समिति (आईसीएएपी)*	5
13.	वित्तीय समावेशन समिति	1
14.	अधिमान आबंटन समिति	1

* बनाई गई नीति के अनुसार इस समिति में कुछ सदस्य बैंक के उच्च कार्यपालकों में से हैं अर्थात्, मुख्य महा प्रबंधक, महा प्रबंधक।

3.3 बोर्ड की समितियों के विवरण आगे के पृष्ठों में दिए गए हैं। निदेशक मंडल और उसकी समितियाँ बारंबार अंतरालों में बैठक करती हैं तथा नैतिक प्रथाओं और व्यावसायिक प्रबंधन द्वारा निष्पादन के उच्च मान सुनिश्चित करने हेतु विवेकपूर्ण और दक्ष रीति से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करती हैं।

3.4 नीति निरूपण, निष्पादन समीक्षा एवं विश्लेषण तथा नियंत्रण जैसी जिम्मेदारियाँ निदेशक मंडल द्वारा निभाई जाती हैं। निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप बैंक के कार्यपालकों और कार्यपालकों की समितियों को विभिन्न अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं। निदेशक मंडल ऐसे प्रत्यायोजित अधिकारों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है और बैंक के कारगर कार्य-संचालन हेतु उनमें आवश्यक संशोधन किया जाता है।

3.5 बैंक की नीतियों की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है और बदलते परिदृश्य और बाजार मांगों के अनुरूप उनमें आवश्यक आशोधन किए जाते हैं।

3.6 31.3.2011 की स्थिति के अनुसार निदेशकों का संघटन:

निदेशकों का प्रकार	निदेशकों की संख्या
कार्यपालक	3
गैर-कार्यपालक	3
गैर-कार्यपालक स्वतंत्र	7
कुल	13

3.7 निदेशकों तथा 2010-2011 के दौरान निदेशक मंडल और अन्य समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्यौरे

क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड एवं बोर्ड की समिति (यों) के सदस्य	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की सं.	भाग लिए बैठकों की संख्या	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री रामनाथ प्रदीप 01.09.2010 से	अप्रनि	निदेशक मंडल	8	8	1
			प्रबंधन समिति	15	15	
			ग्राहक सेवा समिति	4	4	
			शेयर अंतरण समिति (अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक सदस्य को रूप में कानि उपस्थित होंगे)	7	7	
			जोखिम प्रबंधन समिति	5	5	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	4	4	
			आईसीएएपी समिति	3	3	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	4	4	
			विभागीय पदोन्नति समिति	2	2	



Sl. No.	Name of the Committees of the Board	Total No. of Meetings held
1.	Management Committee	23
2.	Audit Committee	13
3.	Departmental Promotion Committee	4
4.	Investors Grievance Committee	4
5.	Information Technology Committee	6
6.	Risk Management Committee	7
7.	Committee to Monitor Large Value Frauds	7
8.	Share Transfer Committee	10
9.	Customer Service Committee	6
10.	Remuneration Committee	1
11.	Nomination Committee	2
12.	Internal Capital Adequacy Assessment Committee of Senior Executives of the Bank (ICAAP)*	5
13.	Financial Inclusion Committee	1
14.	Preferential Allotment Committee	1

* In this committee few members are also from Top Executives of the Bank viz., Chief General Manager, General Managers as per policy framed.

3.3 The details of Committees of the Board are provided in the following pages. The Board and its Committees meet at frequent intervals and guide the Bank to achieve its objectives in a prudent and efficient manner to ensure high standards of performance through ethical practices and professional management.

3.4 The responsibilities such as policy formulation, performance review and analysis and controls are discharged by the Board. The Board has delegated various powers to the Executives and Committees of Executives of the Bank in consonance with the policies laid down by the Bank. The delegated powers are periodically reviewed by the Board and necessary revision is made for effective functioning of the Bank.

3.5. The policies of the Bank are reviewed on an annual basis and necessary modifications are effected in tune with the changing scenario and the market demands.

3.6 Composition of Directors as on 31.3.2011:

Type of Directors	No. of Directors
Executive	3
Non-Executive	3
Non-Executive Independent	7
Total	13

3.7 Details of Directors, their attendance in the Board and other Committee Meetings during 2010-2011

Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board	No. of meetings held during the tenor of the Director	No. of meetings attended	Memberships in other Boards
1.	Shri. Ramnath Pradeep Since 01.09.2010	CMD	Board	8	8	1
			Management Committee	15	15	
			Customer Service Committee	4	4	
			Share Transfer Committee (In the absence attended by ED as an alternate Member)	7	7	
			Risk Management Committee	5	5	
			Information Technology committee	4	4	
			ICAAP Committee	3	3	
			Committee to monitor large value frauds	4	4	
			Departmental Promotion Committee	2	2	



क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड एवं बोर्ड की समिति(यों) के सदस्य	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	अन्य बोर्डों में सदस्यता
2.	श्री नरेन्द्र सिंह	कानि	निदेशक मंडल	15	15	1
			प्रबंधन समिति	23	23	
			लेखा परीक्षा समिति	13	12	
			ग्राहक सेवा समिति	6	6	
			निवेशक शिकायत समिति	4	4	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	6	6	
			शेयर अंतरण समिति (अप्रति अनुपस्थित होने पर)	0	0	
			जोखिम प्रबंधन समिति	7	7	
			आईसीएएपी समिति	5	5	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	7	7	
			अधिमान आबंटन समिति	1	1	
3.	श्री अश्वनी कुमार 01.12.2010 से	कानि	निदेशक मंडल	5	5	शून्य
			प्रबंधन समिति	9	8	
			लेखा परीक्षा समिति	4	4	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			निवेशक शिकायत समिति	1	1	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	3	3	
			जोखिम प्रबंधन समिति	3	3	
			आईसीएएपी समिति	2	2	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	3	3	
			अधिमान आबंटन समिति	1	1	
4.	श्री ललित कुमार (केंद्र सरकार नामिती)	गैकानि	निदेशक मंडल	15	11	1
			लेखा समीक्षा समिति	13	8	
			निवेशक शिकायत समिति	4	3	
			जोखिम प्रबंधन समिति	7	3	
			पारिश्रमिक समिति	1	1	
			विभागीय पदोन्नति समिति	4	4	
			वित्तीय समावेशन उप-समिति	1	1	



Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board	No. of meetings held during the tenor of the Director	No. of meetings attended	Memberships in other Boards
2.	Shri Narendra Singh	ED	Board	15	15	1
			Management Committee	23	23	
			Audit Committee	13	12	
			Customer Service Committee	6	6	
			Investor Grievance committee	4	4	
			Information Technology committee	6	6	
			Share Transfer Committee (In the absence of CMD)	0	0	
			Risk Management Committee	7	7	
			ICAAP Committee	5	5	
			Committee to monitor Large Value frauds	7	7	
			Preferential Allotment Committee	1	1	
3.	Shri Ashwani Kumar Since 01.12.2010	ED	Board	5	5	NIL
			Management Committee	9	8	
			Audit Committee	4	4	
			Customer Service Committee	2	2	
			Investor Grievance committee	1	1	
			Information Technology committee	3	3	
			Risk Management Committee	3	3	
			ICAAP Committee	2	2	
			Committee to monitor Large Value frauds	3	3	
			Preferential Allotment Committee	1	1	
4.	Shri Lalit Kumar (Central Government Nominee)	NED	Board	15	11	1
			Audit Committee	13	8	
			Investor Grievance committee	4	3	
			Risk Management Committee	7	5	
			Remuneration committee	1	1	
			Departmental promotion Committee	4	4	
			Financial Inclusion Sub-Committee	1	1	



क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड एवं बोर्ड की समिति(यों) के सदस्य	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	अन्य बोर्डों में सदस्यता
5.	श्रीमती ग्रेस कोशी (भा.रि.बैंक नामिती) 30.07.2010 से	स्वनि गैकानि	निदेशक मंडल	9	7	शून्य
			प्रबंधन समिति	15	10	
			लेखा परीक्षा समिति	7	6	
			नामांकन समिति	1	1	
			पारिश्रमिक समिति	0	0	
			ग्राहक सेवा समिति	1	1	
			विभागीय पदोन्नति समिति	3	3	
6.	श्री वी रघुरामन	काम नि/ गैकानि	निदेशक मंडल	15	15	शून्य
			प्रबंधन समिति	14	13	
			ग्राहक सेवा समिति	6	6	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	3	3	
			निवेशक शिकायत समिति	4	4	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	7	7	
7.	श्री कौशिक कुमार घोष 16.04.2010 से	अनि/ गैकानि	निदेशक मंडल	15	14	शून्य
			प्रबंधन समिति	9	9	
			ग्राहक सेवा समिति	6	6	
			जोखिम प्रबंधन समिति	5	5	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	3	3	
			अधिमान आबंटन समिति	1	0	
8.	श्री राज कुमार अग्रवाल 14.05.2010 से	स्वनि/ सलेनि	निदेशक मंडल	14	13	शून्य
			प्रबंधन समिति	21	21	
			लेखा परीक्षा समिति	12	11	
			जोखिम प्रबंधन समिति	5	5	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	5	5	
9.	श्री सुवर्ण सान्याल (03.04.2011 तक)	स्वनि/ गैकानि	निदेशक मंडल	15	15	शून्य
			प्रबंधन समिति	14	14	
			पारिश्रमिक समिति	1	1	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	7	7	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			जोखिम प्रबंधन समिति	2	2	
			नामांकन समिति	2	2	
			अधिमान आबंटन समिति	1	1	
वित्तीय समावेशन उप-समिति	1	1				



Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board	No. of meetings held during the tenor of the Director	No. of meetings attended	Memberships in other Boards
5.	Smt. Grace Koshie (RBI Nominee) Since 30.07.2010	ID/ NED	Board	9	7	NIL
			Management committee	15	10	
			Audit Committee	7	6	
			Nomination Committee	1	1	
			Remuneration Committee	0	0	
			Customer Service Committee	1	1	
			Departmental Promotion Committee	3	3	
6.	Shri V.Raghuraman	WD/ NED	Board	15	15	NIL
			Management committee	14	13	
			Customer Service Committee	6	6	
			Information Technology committee	3	3	
			Investor Grievance Committee	4	4	
			Committee to Monitor Large Value Frauds	7	7	
7.	Shri Kaushik Kumar Ghosh Since 16.04.2010	OD/ NED	Board	15	14	NIL
			Management committee	9	9	
			Customer Service Committee	6	6	
			Risk Management Committee	5	5	
			Information Technology committee	3	3	
			Preferential Allotment Committee	1	0	
8.	Shri Raj Kumar Agrawal Since 14.05.2010	ID/ CAD	Board	14	13	NIL
			Management Committee	21	21	
			Audit Committee	12	11	
			Risk Management Committee	5	5	
			Committee to Monitor Large Value Frauds	5	5	
9.	Shri Suvarna Sanyal (Till 03.04.2011)	ID/ NED	Board	15	15	NIL
			Management Committee	14	14	
			Remuneration committee	1	1	
			Committee to monitor Large value frauds	7	7	
			Customer service committee	2	2	
			Risk Management committee	2	2	
			Nomination Committee	2	2	
			Preferential Allotment Committee	1	1	
Financial Inclusion Sub-Committee	1	1				



क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड एवं बोर्ड की समिति(यों) के सदस्य	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	अन्य बोर्डों में सदस्यता
10.	श्री वेंकटराव वाई घोरपडे	स्वनि/ गैकानि	निदेशक मंडल	15	12	2
			प्रबंधन समिति	3	2	
			ग्राहक सेवा समिति	4	3	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	6	6	
			पारिश्रमिक समिति	1	1	
			शेयर अंतरण समिति	10	8	
			नामांकन समिति	2	1	
			अधिमान आबंटन समिति	1	0	
11.	श्री हीरेन मेहता	स्वनि/ शेनि	निदेशक मंडल	15	13	1
			प्रबंधन समिति	11	7	
			लेखा परीक्षा समिति	13	13	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			आईसीएएपी समिति	5	4	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	6	4	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	7	5	
12.	श्री थॉमस मैथ्यू टी.	स्वनि/ शेनि	निदेशक मंडल	15	11	5
			प्रबंधन समिति	8	2	
			लेखा परीक्षा समिति	3	2	
			ग्राहक सेवा समिति	2	0	
			जोखिम प्रबंधन समिति	5	2	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	2	1	
13.	श्री अजय गर्ग	स्वनि/ शेनि	निदेशक मंडल	15	14	शून्य
			प्रबंधन समिति	9	7	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			जोखिम प्रबंधन समिति	7	6	
			शेयर अंतरण समिति	10	9	
			निवेशक शिकायत समिति	4	4	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	6	5	
			अधिमान आबंटन समिति	1	0	
			वित्तीय समावेशन उप-समिति	1	0	



Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board	No. of meetings held during the tenor of the Director	No. of meetings attended	Memberships in other Boards
10.	Shri Venkatrao Y Ghorpade	ID/ NED	Board	15	12	2
			Management Committee	3	2	
			Customer service committee	4	3	
			Information Technology Committee	6	6	
			Remuneration Committee	1	1	
			Share Transfer Committee	10	8	
			Nomination Committee	2	1	
			Preferential Allotment Committee	1	0	
11	Shri Hiren Mehta	ID/ SD	Board	15	13	1
			Management Committee	11	7	
			Audit Committee	13	13	
			Customer Service Committee	2	2	
			ICAAP Committee	5	4	
			Information Technology Committee	6	4	
			Committee to Monitor Large Value Frauds	7	5	
12.	Shri Thomas Mathew T	ID/ SD	Board	15	11	5
			Management Committee	8	2	
			Audit Committee	3	2	
			Customer Service Committee	2	0	
			Risk Management committee	5	2	
			Committee to Monitor Large Value Frauds	2	1	
13.	Shri Ajay Garg	ID/ SD	Board	15	14	NIL
			Management Committee	9	7	
			Customer Service Committee	2	2	
			Risk Management committee	7	6	
			Share Transfer Committee	10	9	
			Investor Grievance Committee	4	4	
			Information Technology Committee	6	5	
			Preferential Allotment Committee	1	0	
			Financial Inclusion Sub-Committee	1	0	



दिनांक 31.03.2011 से पहले बैंक के निदेशक मंडल में रहे निदेशक तथा विभिन्न बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी ब्योरे निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	प्रकार	बोर्ड एवं बोर्ड की समिति(यों) के सदस्य	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या	अन्य बोर्डों में सदस्यता
1.	श्री जे. एम. गर्ग 31.07.2010 तक	अप्रनि	निदेशक मंडल	6	6	शून्य
			प्रबंधन समिति	6	6	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			शेयर अंतरण समिति	2	2	
			जोखिम प्रबंधन समिति	1	1	
			आईसीएएपी समिति	2	2	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	2	2	
			विभागीय पदोन्नति समिति	1	1	
2.	श्री एम.ए. श्रीनिवासन 30.07.2010 तक	स्वनि/ गैकानि	निदेशक मंडल	6	4	शून्य
			प्रबंधन समिति	6	5	
			लेखा परीक्षा समिति	6	5	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			पारिश्रमिक समिति	1	1	
			नामांकन समिति	1	1	
			जोखिम प्रबंधन समिति	1	1	
			विभागीय पदोन्नति समिति	1	1	
3.	श्री असित पाल 30.11.2010 तक	कानि	निदेशक मंडल	10	10	शून्य
			प्रबंधन समिति	14	14	
			लेखा परीक्षा समिति	9	9	
			ग्राहक सेवा समिति	4	4	
			जोखिम प्रबंधन समिति	4	4	
			शेयर अंतरण समिति	1	1	
			सूचना प्रौद्योगिकी समिति	3	3	
			उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु समिति	4	4	
			निवेशक शिकायत समिति	3	3	
			विभागीय पदोन्नति समिति	1	1	
आईसीएएपी समिति	3	3				
4.	श्री सतीश गोयल 06.12.2010 तक	स्वनि/ गैकानि	निदेशक मंडल	10	10	शून्य
			प्रबंधन समिति	8	8	
			ग्राहक सेवा समिति	2	2	
			जोखिम प्रबंधन समिति	2	2	
			नामांकन समिति	2	2	

- अप्रनि - भारत सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कानि - भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यपालक निदेशक
गैकानि - भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामिती गैर-कार्यपालक निदेशक
कामनि - भारत सरकार द्वारा नामिती कामगार कर्मचारी निदेशक
अनि - भारत सरकार द्वारा नामिती अधिकारी कर्मचारी निदेशक
शेनि - शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशक - स्वतंत्र निदेशक
सलेनि - सनदी लेखाकार निदेशक - स्वतंत्र निदेशक
स्वनि - स्वतंत्र निदेशक



The following are the details of directors who were on the Board of the Bank prior to 31.03.2011 and the attendance of various committee meetings.

Sl. No.	Name of the Director	Type	Board and Member of the Committee(s) of the Board	No. of meetings held during the tenor of the Director	No. of meetings attended	Memberships in other Boards
1.	Shri J.M.Garg till 31.07.2010	CMD	Board	6	6	NIL
			Management Committee	6	6	
			Customer Service Committee	2	2	
			Share Transfer Committee	2	2	
			Risk Management Committee	1	1	
			ICAAP Committee	2	2	
			Committee to Monitor Large Value Frauds	2	2	
Departmental Promotion Committee	1	1				
2.	Shri M. A. Srinivasan till 30.07.2010	ID/ NED	Board	6	4	NIL
			Management Committee	6	5	
			Audit Committee	6	5	
			Customer Service Committee	2	2	
			Remuneration Committee	1	1	
			Nomination Committee	1	1	
			Risk Management Committee	1	1	
Departmental Promotion Committee	1	1				
3.	Shri Asit Pal till 30.11.2010	ED	Board	10	10	NIL
			Management Committee	14	14	
			Audit Committee	9	9	
			Customer Service Committee	4	4	
			Risk Management Committee	4	4	
			Share Transfer Committee	1	1	
			Information Technology Committee	3	3	
			Committee to Monitor Large Value Frauds	4	4	
			Investor Grievance Committee	3	3	
			Departmental Promotion Committee	1	1	
ICAAP Committee	3	3				
4.	Shri Satish Goel till 06.12.2010	ID/ NED	Board	10	10	NIL
			Management Committee	8	8	
			Customer Service Committee	2	2	
			Risk Management Committee	2	2	
			Nomination Committee	2	2	

CMD – Chairman & Managing Director appointed by Government of India

ED – Executive Director appointed by Government of India

NED – Non-Executive Director nominated by Government of India/Reserve Bank of India

WD – Workman Employee Director nominated by Government of India

OD – Officer Employee Director nominated by Government of India

SD – Director elected by Shareholders - Independent Director

CAD – Chartered Accountant Director- Independent Director

ID – Independent Director



3.8 वर्ष 2010-11 के दौरान, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित दिनांकों को 15 बार बैठकें की: (दिनांक, माह व वर्ष प्रारूप में तारीखें)

23.04.2010	22.05.2010	23.06.2010*	24.06.2010	09.07.2010
28.07.2010	20.08.2010	17.09.2010	21.10.2010	27.11.2010
27.12.2010	21.01.2011	14.02.2011	19.02.2011	12.03.2011

* निदेशक मंडल की रणनीति बैठक

3.9 निदेशक मंडल का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है अथवा जिन सभी कंपनियों में वे निदेशक हैं, पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करते हैं। (इस उद्देश्य हेतु केवल तीन समितियों यानि लेखा परीक्षा समिति, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और पारिश्रमिक को लिया जाता है)। कोई भी निदेशक बैंक के किसी दूसरे निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

3.10 निदेशकों के संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे प्रस्तुत है:

3.10.1 श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री रामनाथ प्रदीप को कार्पोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और उन्होंने 1 सितंबर 2010 को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले श्री रामनाथ प्रदीप सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक थे।

श्री रामनाथ प्रदीप को विधि में स्नातक उपाधि और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है। उन्हें भारत सरकार का मेरिट स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुआ है। एलएलबी पूरा करने के बाद एक छोटी अवधि के लिए श्री प्रदीप प्रैक्टिस की और मध्य प्रदेश वित्त निगम में विधि अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। वर्ष 1981 में उन्होंने एक छोटी अवधि के लिए देना बैंक में काम किया और उसके बाद मुंबई में ओएनजीसी ऑफ-शोर प्रोजेक्ट में भर्ती हुए। 1984 में श्री प्रदीप वरिष्ठ प्रबंधक (विधि) के रूप में पुनः देना बैंक में भर्ती हुए।

वर्ष 1989 में देना बैंक में मुख्य प्रबंधक के रूप में उनकी पदोन्नति हुई और विभिन्न पदों पर कार्य किया। देना बैंक का क्रेडिट कार्ड शुरू करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पहली आस्ति वसूली शाखाओं में एक शुरू करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वे वर्ष 1994 में सहायक महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए और उन्होंने भोपाल क्षेत्र का क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में नेतृत्व किया। उसके बाद उप महा प्रबंधक के रूप में औद्योगिक वित्त शाखा, मुंबई का नेतृत्व किया। 1999 में वे बैंक के महा प्रबंधक के रूप में पदोन्नत हुए और उन्होंने ट्रेजरी, वसूली प्रबंधन और आस्ति देयता प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया।

वर्ष 2001 में वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप महा प्रबंधक की श्रेणी पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए और तत्पश्चात बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त हुए और उसके बाद वर्ष 2005 तक उन्होंने महा प्रबंधक (विधि व वसूली) के रूप में कार्य किया।

इस दौरान बतौर बाह्य ठेका कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) को बैंक में कार्यान्वित करने के बैंक के प्रयासों में सहयोगी रहे जिसके लिए श्रेष्ठ बाह्य ठेका मॉडल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सराहना प्राप्त हुई।

बैंक ऑफ इंडिया में प्रतिनियुक्ति के बाद श्री रामनाथ प्रदीप ने जनवरी 2006 में पुनः देना बैंक में कार्यग्रहण किया। वे आइटी विभाग तथा सीबीएस कार्यान्वयन के प्रभारी थे। बैंक के अन्य सोल्यूशनों के साथ सीबीएस का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक किया गया।

दिसंबर 2008 में उन्होंने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान ग्राहकों को प्रतिधारित करने तथा सभी स्तरों के कर्मचारियों, ग्राहकों व नियामक सरकारी प्राधिकारियों में आत्मविश्वास को बहाल करने की दिशा में बैंक आगे बढ़ा।

3.10.2 श्री नरेंद्र सिंह, कार्यपालक निदेशक

श्री नरेंद्र सिंह ने, जो विज्ञान तथा विधि में स्नातक है, इलाहाबाद बैंक में वर्ष 1980 में सीधी भर्ती अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। वर्ष 1985 में इलाहाबाद बैंक में मध्यम प्रबंधन श्रेणी में वरिष्ठ विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए।

उन्होंने तीन दशकों लंबे अपने बैंकिंग करियर में इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों तथा प्रशासनिक कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

आंचलिक प्रमुख के रूप में श्री नरेंद्र सिंह ने बंगाल के कोलकाता, बेहाला, सिलिगुडी तथा बारासात केंद्रों में कार्य किया तथा इलाहाबाद बैंक के प्रधान कार्यालय में निधि प्रबंधन व लेखा प्रभाग का नेतृत्व किया। बाद में उन्होंने मुंबई तथा दिल्ली में बैंक के आंचलिक कार्यालयों का नेतृत्व किया।

साधारण बीमा कारोबार के नए आयाम पर, प्रबंधकीय दक्षता, प्रबंधन शिक्षा कार्यक्रम आदि सहित बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया।

श्री नरेंद्र सिंह ने कार्यपालक निदेशक के पद पर पदोन्नति तक इलाहाबाद बैंक में योजना, विकास, विपणन, प्रचार, धन शोधन निवारण व केवाईसी प्रभागों का नेतृत्व किया। बैंकिंग संबंधी बहुमुखी प्रतिभा के बैंकर श्री नरेंद्र सिंह का तीन दशकों लंबा बैंकिंग अनुभव है।

श्री नरेंद्र सिंह ने 7 दिसंबर, 2009 को कार्पोरेशन बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला।

3.10.3 श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक

भारत सरकार ने इलाहाबाद बैंक के महाप्रबंधक श्री अश्वनी कुमार को 5 वर्षों की अवधि के लिए कार्पोरेशन बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त और भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट श्री अश्वनी कुमार 1981 में लखनऊ में इलाहाबाद बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती हुए।



3.8 During the year 2010-11, the Board of Directors met on 15 occasions on the following dates: (Dates in DD-MM-YYYY format)

23.04.2010	22.05.2010	23.06.2010*	24.06.2010	09.07.2010
28.07.2010	20.08.2010	17.09.2010	21.10.2010	27.11.2010
27.12.2010	21.01.2011	14.02.2011	19.02.2011	12.03.2011

*** Strategy Meeting of Board of Directors.**

3.9 None of the Directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a Director. (Only three Committees viz. the Audit Committee, the Shareholders'/Investors Grievance Committee and the Remuneration Committee are considered for this purpose). None of the Director is related to any other Director of the Bank.

3.10 A brief profile of the Directors is furnished hereunder.

3.10.1 Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director

Shri Ramnath Pradeep was appointed by the Government of India as Chairman & Managing Director of Corporation Bank and he has assumed the office of Chairman & Managing Director of the Bank on 1st September, 2010.

Before his appointment as Chairman & Managing Director, Shri Ramnath Pradeep was Executive Director of Central Bank of India.

Shri Ramnath Pradeep is a Law Graduate and a Post Graduate in Economics. He is a recipient of Government of India's merit scholarship. After completion of LLB, Shri Pradeep practiced for a short period and joined Madhya Pradesh Financial Corporation as a Law Officer. He Joined Dena Bank in the year 1981 and worked there for a brief period and thereafter joined ONGC Off-Shore Project at Mumbai. Shri Pradeep rejoined Dena Bank as Senior Manager [Legal] in 1984.

He was promoted as a Chief Manager of Dena Bank in the year 1989 and held various positions. He was instrumental in launching of Credit Card for Dena Bank and also setting up one of the first Asset Recovery Branches in Public Sector Banks. He was promoted as Assistant General Manager in 1994 and headed Bhopal region as its Regional Manager. He then headed the Industrial Finance Branch, Mumbai as the Deputy General Manager. He was promoted as General Manager of the Bank in the year 1999 and he worked in various areas like Treasury, Recovery Management and Asset Liability Management etc.

In the year 2001 he was posted as the Chief Vigilance Officer in the Scale of Deputy Managing Director in State Bank of India and thereafter re-appointed in Bank of India as Chief Vigilance Officer and then as General Manager (Legal & Recovery) upto 2005. During his tenure, he supported Bank's effort to

implement Core Banking Solutions (CBS), an outsourcing model, which received appreciation from International Community for best outsourcing model.

After completion of his deputation at Bank of India, Shri Pradeep joined Dena Bank in January 2006. He was the in-charge of IT department and CBS implementation. The CBS was successfully implemented along with most of other solutions in the Bank.

He took charge as Executive Director of Central Bank of India in December 2008. During his tenure the Bank moved forward in terms of retention of the customers and restoring confidence among employees at all levels, customers and Regulatory Govt. Authorities.

3.10.2 Shri Narendra Singh, Executive Director

Shri Narendra Singh, a Graduate in Science and Law, started his career as directly recruited Officer in Allahabad Bank in 1980. In the year 1985 he was appointed as the Senior Law Officer in Middle Management Grade III of Allahabad Bank.

He worked in different capacities in various branches, Regional/ Zonal Offices, Administrative Office of Allahabad Bank during his banking career spanning three decades.

As Zonal Head, Shri Narendra Singh served the bank at Kolkata, Behala, Siliguri and Barasat centres in West Bengal and led the Fund Management and Accounts Division at the Head Office of Allahabad Bank. Later on, he headed the Bank's Zonal Offices at Mumbai and New Delhi.

He attended many training programmes covering various areas of banking including Emerging Dimension in General Insurance business, Managerial Effectiveness, Management Education Programme, etc.

Shri Narendra Singh headed the Planning, Development, Marketing, Publicity, Anti-Money Laundering & KYC Divisions of Allahabad Bank till his elevation to the post of Executive Director. A versatile banker, Shri Narendra Singh carries with him three decades of rich Banking experience.

Shri Narendra Singh joined Corporation Bank and took charge as the Executive Director of the Bank on 7th December 2009.

3.10.3 Shri Ashwani Kumar, Executive Director

Shri Ashwani Kumar, General Manager of Allahabad Bank has been appointed by the Government of India as the Executive Director of Corporation Bank, for a period of 5 years.

Shri Ashwani Kumar a Post Graduate in Chemistry and a Certified Associate of Indian Institute of Bankers joined Allahabad Bank in 1981 as Probationary Officer at Lucknow.



श्री कुमार परिचालन और प्रशासनिक स्तर पर बैंकिंग में काफी अनुभवी हैं। सीतापुर के अग्रणी जिला प्रबंधक के रूप में और मुंबई के इंटीग्रेटेड टूजरी के प्रमुख के रूप में काम करने की वजह से उन्हें ग्रामीण विकास और टूजरी परिचालनों में प्रचुर अनुभव है।

उन्होंने प्रधान कार्यालय में भी लगभग पाँच वर्ष काम किया है जिस दौरान उन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यपालक सहायक, आयोजना एवं विकास, विपणन, खुदरा ऋण, प्रचार, एएलएम, टूजरी परिचालन और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, एएमएल विभाग आदि के प्रमुख के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई।

उन्होंने एनआईबीएम, जेएनआईडीबी और बीटीसी आदि में महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों में भाग लिया। उन्हें वर्ष 2000 में लंदन नैन स्केश्या मोकाटा और पैरिस में सोशिएट जनराले में बुलियन पर सेवाकालीन प्रशिक्षण पर तथा वर्ष 2005 में एनआईबीएम, पुणे में कार्पोरेट उत्कृष्टता हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम और केल्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिकागो, युएसए में भी भेजा गया था।

कार्यपालक निदेशक के रूप में उनकी पदोन्नति से पहले वे नई दिल्ली में फील्ड जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत थे और बैंक के आठ उत्तरी अंचलों में कारोबार विकास संभाल रहे थे।

कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर 01.12.2010 को कार्पोरेशन बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

3.10.4 श्री ललित कुमार (सरकार नामिती निदेशक)

श्री ललित कुमार ने जो 1995 बैच के भारतीय अर्थशास्त्र सेवा के अधिकारी हैं, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित होने पर बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार नामिती निदेशक के रूप में दिनांक 9 दिसंबर 2009 को कार्यभार संभाला।

श्री ललित कुमार ने जो अब भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के बीमा प्रभाग के निदेशक हैं, अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से ली तथा स्नातकोत्तर उपाधि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली से प्राप्त की।

उन्हें कारोबार प्रशासन में स्वैनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नॉलजी, मेलबर्न, आस्ट्रेलिया से स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त है।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय स्टेट बैंक (लखनऊ अंचल) में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की तथा एमएमटीसी लि., सरकारी स्वामित्व वाले ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, में उप प्रबंधक के रूप में भी काम किया। उन्होंने पहले वित्त मंत्रालय में परियोजना प्रबंधन इकाई तथा पूँजी बाज़ार प्रभाग में उप निदेशक के रूप में काम किया था।

उन्होंने बहुत सारी संस्थानों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इन में जोर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, अट्लान्टा, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमआईटीसी माल्टा, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरियेट व इकॉनॉमिक प्लानिंग यूनिट, काउलालंपूर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद शामिल हैं।

अब वे सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीयकृत नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि. में निदेशक हैं।

वे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र स्तरीय तथा प्रशासनिक स्तरीय विभिन्न क्षेत्रों में वैविध्यपूर्ण उच्चकोटि के अनुभव के धनी हैं।

3.10.5 श्रीमती ग्रेस कोशी (भारिबैंक नामिती निदेशक)

श्रीमती ग्रेस एलीज़बथ कोशी, मुख्य महा प्रबंधक (01 मार्च 2011 के कार्यपालक निदेशक की हैसियत दी गई) और सचिव, केन्द्रीय बोर्ड, सचिव-विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई, को भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती के रूप में जुलाई 30, 2010 से बैंक के निदेशक मंडल में नामित किया है।

श्रीमती कोशी को मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विद्या व मैट्रिक अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता के साथ अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है व ग्रेड बी में सीधी भर्ती से भारिबैंक में 1976 में भर्ती हुई। उन्हें उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त है तथा भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक में भर्ती होने से पहले उन्होंने सोफिया कॉलेज, मुंबई में दो वर्षों के लिए लक्कर के रूप में काम किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के सचिव के रूप में वे केन्द्रीय बैंक अभिशासन व संबंधित अनुपालन के मामलों के लिए उत्तरदायी हैं। उनके कामों में अन्य कार्यों के साथ-साथ केन्द्रीय मंडल व उसकी समितियों की बैठकों, उच्च प्रबंधन समूह तथा उप गवर्नरों की समिति बैठकों से संबंधित मामले देखने होते हैं। वे प्रशासनिक व उच्च प्रबंधन के प्रॉटोकॉल संबंधी मामलों की प्रभारी हैं जो भारतीय रिज़र्व बैंक में विदेशी उच्चाधिकारियों, संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के दौरो संबंधी व्यवस्था करने के अतिरिक्त है।

श्रीमती कोशी को भारतीय रिज़र्व बैंक में केन्द्रीय बैंकिंग में 34 वर्षों से अधिक का विपुल व वैविध्यपूर्ण अनुभव प्राप्त है। वर्तमान पद पर आने से पहले 2001 से 2004 तक श्रीमती कोशी भारिबैंक के केन्द्रीय कार्यालय में विदेशी विनियम विभाग के प्रभारी रही हैं। उन्होंने देना बैंक के बोर्ड में भी भारिबैंक के नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है।

3.10.6 श्री वी. रघुरामन (कामगार कर्मचारी निदेशक)

श्री वेंकटरामन रघुरामन को केंद्र सरकार द्वारा 14 नवंबर, 2008 से बैंक के बोर्ड में कामगार कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री वी. रघुरामन विशेष सहायक हैं तथा संप्रति बैंक की चेन्नई-इंदिरानगर शाखा में कार्यरत हैं। उन्हें बैंकिंग तथा ट्रेड यूनिन आंदोलन दोनों में प्रचुर अनुभव है। उन्हें 34 वर्षों का बैंकिंग अनुभव है। वे कार्पोरेशन बैंक कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष, एआईबीईए की राज्य यूनिट, तमिलनाडु बैंक कर्मचारी परिसंघ, के ट्रेजरर तथा एआईबीईए की केन्द्रीय समिति के सदस्य हैं। श्री वी. रघुरामन को विज्ञान तथा वाणिज्य में स्नातक उपाधि प्राप्त है तथा भारतीय बैंकर संस्थान के सीएआईआईबी भी हैं।



Shri Kumar has a vast experience in Banking both at operational level and administrative level. He has exposure both in rural development and treasury operations having worked as Lead District Manager, Sitapur and also as Head of Treasury at Integrated treasury at Mumbai.

He has also worked in Head Office for around five years holding important assignments of Executive Assistant to Chairman & Managing Director, Head of Planning & Development, Marketing, Retail Credit, Publicity, ALM, Treasury Operations and International Business, AML Dept. etc.

He has undergone important trainings at NIBM, JNIDB & BTC etc. He was also sent for on the job training on Bullion at Scotia Mocatta at London & Societe Generale at Paris in the year 2000 and Programme on Leadership Development for Corporate Excellence at NIBM Pune & Kellogg School of Management Chicago, USA in the year 2005.

Before his elevation to the post of Executive Director he was working as Field General Manager, New Delhi looking after business development of Bank's eight Zones in north.

Elevated to the position of Executive Director and assumed charge in Corporation Bank w.e.f. 01.12.2010

3.10.4 Shri Lalit Kumar (Government Nominee Director)

Shri Lalit Kumar, an India Economic Service Officer of the 1995 batch, has joined the Board of Directors of the Bank on 9th December 2009, on being nominated by the Government of India as the Government of India nominee.

Shri Lalit Kumar, presently Director, Insurance Division of Ministry of Finance, Government of India took his Honours degree in Economics from Delhi University and the Masters Degree from the Jamia Millia Islamia University, Delhi.

He is also a Masters Degree holder in the discipline of Business Administration from the Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia.

He started his career as Probationary Officer with State Bank of India (Lucknow Circle) and also worked with MMTTC Ltd., the state owned Trading Corporation of India, as Deputy Manager. He has earlier worked with Ministry of Finance in the capacity of Deputy Director, Project Management Unit and Capital Market Division.

He has attended a number of national and international training programmes which includes institutes like Georgia State University, Atlanta, Asian Development Bank, International Monetary Fund, MITC Malta, Commonwealth Secretariat & Economics Planning unit Kualalampur National Institute of Rural Development, Hyderabad.

Presently he holds the Directorship in the State Owned National Insurance Co. Ltd.

Shri Lalit Kumar is carrying with him a rich and varied experience of different sectors of the Indian Economy both in the field level as well the administrative level.

3.10.5 Smt. Grace Elizabeth Koshie (RBI Nominee Director)

Smt. Grace Elizabeth Koshie, Chief General Manager (granted ED status with effect from March 1, 2011) and Secretary to the Central Board, Secretary's Department, Reserve Bank of India, Mumbai, has been nominated by the Government of India as the Reserve Bank of India nominee on the Board of the Bank with effect from July 30, 2010.

Smt. Koshie, a postgraduate in Economics with specialization in the area of Econometrics and Monetary Economics from Bombay University, joined Reserve Bank of India in the year 1976 as a Direct Recruit in Grade B. She also holds a PG diploma in Higher Education and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

Before joining Reserve Bank, she worked as a lecturer in Sophia College, Mumbai for a period of two years.

As Secretary to the Central Board of the Reserve Bank of India she is responsible for central bank governance and related compliance matters. Her work includes, among other assignments, matters connected to the Meetings of the Central Board and its Committee, Top Management Group and the Deputy Governors' Committee Meetings. She is also in charge of providing administrative and protocol support to the Top Management apart from arranging the visits of foreign dignitaries, Parliamentary delegations to the RBI.

Smt. Koshie carries with her rich and varied experience of over 34 years of central banking in the Reserve Bank of India. Prior to the current position Smt. Koshie was holding charge of the Foreign Exchange Department in RBI Central Office from 2001-2004. She also served as RBI's nominee Director on the Board of Dena Bank.

3.10.6 Shri V. Raghuraman (Workmen Employee Director)

Shri Venkatraman Raghuraman has been appointed as Workman Employee Director on the Board of the Bank by the Central Government effective from 14th November, 2008.

Shri V. Raghuraman is a Special Assistant and presently working at Chennai – Indiranagar Branch of the Bank. He has rich experience both in Banking and trade union movement. He has over 34 years of Banking Service to his credit. He is the Vice-President of Corporation Bank Employees Union, Treasurer of Tamilnadu Bank Employees Federation, a State unit of AIBEA and Central Committee Member of AIBEA. Shri V. Raghuraman is a graduate in Science and Commerce and also a CAIIB from the Indian Institute of Bankers.



3.10.7 श्री कौशिक कुमार घोष (अधिकारी कर्मचारी निदेशक)

श्री कौशिक कुमार घोष बैंक के प्रधान कार्यालय में विधि सेवा प्रभाग में प्रबंधक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा 16.4.2010 को बैंक के निदेशक मंडल में अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए नामित किया गया। श्री घोष उड़ीसा राज्य में जन्मे हैं तथा बैंक के प्रधान कार्यालय में विधि अधिकारी के रूप में वर्ष 1985 में कार्यग्रहण किया तथा बाद में कोलकाता में स्थानांतरित हुए। अब वे प्रधान कार्यालय में विधि सेवा प्रभाग में कार्यरत हैं। श्री घोष ने रेवनशॉ कॉलेज, कटक से वर्ष 1974 में कामर्स में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1977 में विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वे वर्ष 1985 में कार्पोरेशन बैंक में भर्ती होने तक उड़ीसा उच्च न्यायालय में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहे थे। श्री घोष कार्पोरेशन बैंक में अधिकारी आंदोलन के सक्रिय नेता हैं और संप्रति कार्पोरेशन बैंक अधिकारी संगठन के महा सचिव हैं। श्री घोष का कार्यकाल 16.04.2010 से 15.04.2013 तक है।

3.10.8 श्री राज कुमार अग्रवाल (सनदी लेखाकार निदेशक)

श्री राज कुमार अग्रवाल पेशे से सनदी लेखाकार हैं तथा उनको “भारत में वाणिज्यिक कर तथा मूल्यवर्धित कर के तुलनात्मक विश्लेषण” पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त है।

वे आयकर बार एसोसियेशनों, सीए शाखाओं, चेम्बर ऑफ कामर्स, व्यापार संगठनों तथा रोटी क्लब में अतिथि संकाय भी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ वैट की विधि, व्यवहार एवं प्रक्रिया रेडी रेकरन सहित, कमेन्ट्री ऑन छत्तीसगढ़ वैट, छत्तीसगढ़ राज्य में व्यापार और औद्योगिक विकास की संभावनाएं तथा नई सीमित दायित्ववाली साझेदारी (एलएलपी) कैसे निगमित करें और दूसरे प्रकार के संगठनों से कैसे परिवर्तित करें, इन विषयों पर पुस्तकें लिखने तथा समाचार पत्रों व सीए जर्नलों में कई लेख लिखने का श्रेय प्राप्त है।

वे रायपुर सीए शाखा के विभिन्न पदों, सीए शाखा के विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों तथा आयकर बार एसोसियेशन में विभिन्न पदों पर विराजमान थे।

वे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एमएसएमई अधिनियम के तहत औद्योगिक क्षेत्रों की शिकायतों के निवारण हेतु गठित राज्य स्तरीय मूल्य वर्धित कर सलाहकार समिति तथा स्टेट फेलिसिटेशन काउंसिल के सदस्य हैं।

श्री अग्रवाल वित्त, आयकर तथा प्रबंधन कन्सेल्टेन्सी में 23 सालों के अनुभव के धनी हैं तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की व राज्य सरकारी निगमों तथा उद्योगों की लेखापरीक्षा समिति में सदस्य रहे हैं।

उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के गैर-शासकीय निदेशक के रूप में भी कार्य किया है और निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति की अध्यक्ष भी थे।

उन्हें केन्द्र सरकार ने सनदी लेखाकार प्रवर्ग के अंतर्गत अंशकालिक गैर-शासकीय निदेशक के रूप में 14 मई 2010 से 3 वर्षों के लिए बैंक के निदेशक मंडल में नामित किया है।

3.10.9 श्री सुवर्ण सान्याल (अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक):

श्री सुवर्ण सान्याल को केंद्र सरकार द्वारा 4 अप्रैल, 2008 से तीन वर्ष के लिए अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है। श्री सान्याल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। एक छोटी अवधि तक निजी क्षेत्र में कार्य करने के बाद वर्ष 1972 में श्री सान्याल भारतीय स्टेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में भर्ती हुए व वर्ष 2003 में महा प्रबंधक के पद पर आसीन हुए और 2007 में सेवानिवृत्त हुए।

महा प्रबंधक के रूप में वे एनपीए प्रबंधन, शेयर एवं बांड विभाग के प्रमुख रहे और भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एसबीआईसीआई बैंक लि., के प्रबंध निदेशक भी थे। भारतीय बैंकर्स संस्थान से सर्टिफाइड एसोसिएट श्री सान्याल को खुदरा बैंकिंग और कार्पोरेट बैंकिंग के क्षेत्र में 36 वर्षों का वैविध्यपूर्ण व गहन अनुभव है।

श्री सान्याल को ग्रामीण भारत की समस्याओं की गहन जानकारी है तथा उन्होंने सेवा में रहते अपनी विभिन्न तैनातियों के दौरान इन क्षेत्रों में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु गंभीर प्रयास किए हैं।

एक सच्चे प्रकृति प्रेमी, अनुभवी बैंकर श्री सान्याल विश्व वन्य जीव निधि-भारत के आजीवन सदस्य हैं।

3.10.10 श्री वेंकटराव वाई. घोरपडे (अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक)

श्री वेंकटराव वाई. घोरपडे को भारत सरकार ने बैंक के बोर्ड में 15 जुलाई, 2008 से तीन वर्षों की अवधि हेतु गैर अधिकारी निदेशक के रूप में नामित किया है।

कर्नाटक राज्य के निवासी श्री घोरपडे औद्योगिक पृष्ठभूमि के सक्रिय समाज सेवक हैं। विकेंद्रित अभिशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञ व व्यवहर्ता, वे बेल्लारी जिला परिषद (बेल्लारी जिला पंचायत) के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विभिन्न जिला विकास योजनाओं का कार्यान्वयन किया। उद्योगतंत्रवादी के रूप में उन्होंने कई हाई-टेक उद्योग प्रारंभ किए। संप्रति, श्री घोरपडे संदूर लैमिनेट्स लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संदूर माइक्रोसर्कीट के प्रबंध निदेशक हैं।

समाज सेवक के रूप में, श्री घोरपडे ने संदूर में अखिल महिला सहकारी बैंक (महिला बैंक) की शुरुआत की जो कर्नाटक में इस प्रकार का पहला है। वे संदूर एज्यूकेशनल सोसाइटी का प्रबंधन भी करते हैं जो 13 स्कूल तथा एक तकनीकी संस्थान चलाती है।

श्री घोरपडे ने भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक डिग्री तथा दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजेलिस से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।

**3.10.7 Shri Kaushik Kumar Ghosh (Officer Employee Director)**

Shri Kaushik Kumar Ghosh, Manager attached to Legal Services Division of the Bank at HO has been nominated by the Government of India on 16.04.2010 as Officer Employee Director on the Board of the Bank for a period of three years. Shri Ghosh hails from the state of Orissa, joined the Bank as a law officer at Head Office in 1985 and later transferred to Kolkata. At present he is working in Legal Services Division at Head Office. Shri Ghosh has graduated in the discipline of commerce from Ravenshaw College, Cuttack in the year 1974. He also completed his law degree in the year 1977 and was a practicing advocate in the High court of Orissa till he joined Corporation Bank in the year 1985. Shri Ghosh is an active leader of Officer's movement in Corporation Bank and presently he is the General Secretary of Corporation Bank Officer's Organisation. Mr Ghosh's term starts from 16.04.2010 and up to 15.04.2013.

3.10.8 Shri Raj Kumar Agrawal (Chartered Accountant Director)

Shri Raj Kumar Agrawal is a Chartered Accountant by profession and holds a Ph.D in "Comparative analysis between Commercial Tax and Value Added Tax in India".

He is also a visiting faculty to Income Tax Bar Associations, CA branches, Chamber of Commerce, Trade Associations and Rotary Club. He has to his credit books written on Law, Practice and Procedure of Chattisgarh VAT with ready Reckoner, Commentary on Chattisgarh VAT, Prospects in Trade and Industrial development in Chattisgarh State and How to Incorporate a New Limited Liability Partnership (LLP) and Conversion from other Forms of Organisation and also many articles given to Newspapers and CA Journals.

He held various positions in Raipur CA branch, in various committees of Regional Council of the CA branch and in Income Tax Bar Association.

He was Member of State level Value Added Tax Advisory Board and State Felicitation Council set up by Chattisgarh Government to facilitate grievances of Industrial Sectors under MSME Act.

Shri Agrawal carries with him rich experience of over 23 years in the field of Finance, Income Tax and Management Consultancy and was on audit panel of various Nationalised Banks, State Government Corporations and Industries.

He also served as Non official Director of United Bank of India and was also the Chairman of the Audit Committee of the Board.

He has been nominated by the Central Government as a part time Non-Official Director under Chartered Accountant category on the Board of the Bank from 14th May 2010 for a period of 3 years.

3.10.9 Shri Suvarna Sanyal (Part-time Non-Official Director)

Shri Suvarna Sanyal was nominated by the Central Government on 4th April 2008 as a part time non-official director for a period of three years. Shri Sanyal is an engineering graduate. After a brief stint in the private sector, he joined State Bank of India as probationary officer in the year 1972 and rose to the position of General Manager in the year 2003 and retired in 2007.

As General Manager he headed NPA Management and the Shares and Bonds Department, and was also the MD of SBICI Bank Ltd., a wholly owned subsidiary of SBI. A certified Associate of the Indian Institute of Bankers, Shri Sanyal carries with him rich and varied experience of 36 years in the fields of both Retail and Corporate Banking.

Shri Sanyal has a deep insight into the problems of rural India and has done considerable work in Agriculture and rural development during the course of his various postings while in service.

A true nature lover, a veteran Banker, Shri Sanyal is a life member of the World Wildlife Fund-India.

3.10.10 Shri Venkatrao Y. Ghorpade (Part-time Non-Official Director)

Government of India has nominated Shri Venkatrao Y. Ghorpade as part time non-official Director on the Board of the Bank from 15th July, 2008 for a period of three years.

Shri Ghorpade, hailing from the State of Karnataka, is an active social worker with an industrial background. An expert and practitioner in the area of decentralised governance, he was the President of the Bellary District Council (Bellary Zilla Panchayat). As a President, he implemented the various District development plans. As a technocrat, he has started many hi-tech industries. Presently, Shri Ghorpade is the CMD of Sandur Laminates Ltd. and MD of Sandur Microcircuits.

As a social worker, Shri Ghorpade has started an all-woman Co-operative Bank (Mahila Bank) in Sandur - first of its kind in Karnataka. He also administers the Sandur Educational Society, which runs 13 schools and a technical institution.

Shri Ghorpade holds a Bachelor's degree in Electronics from India and a Post-graduate degree in Computers from the University of Southern California, Los Angeles.



3.10.11 श्री हीरेन मेहता (शेयरधारक निदेशक):

पेशे से सनदी लेखाकार, श्री हीरेन मेहता दिल्ली के निवासी हैं। श्री मेहता फेल्लो सनदी लेखाकार तथा पिछले 41 वर्षों से अस्तित्व में रही फर्म, मेसर्स दिनेश मेहता एण्ड कं. के वरिष्ठतम साझेदार हैं। उन्हें कराधान, लेखापरीक्षा सेवा और लेनदेन परामर्श के क्षेत्र में 19 वर्षों से अधिक योग्यतोर अनुभव है। उनकी शैक्षणिक योग्यता में एलएलबी भी शामिल है।

उनके व्यावसायिक अनुभव में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की सांविधिक लेखापरीक्षा शामिल है। वे मुख्यतः टैक्स प्रैक्टिस में लगे हैं और विभिन्न कार्पोरेंटों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं प्रवासी कंपनियों के लिए कर संबंधी मुकदमे संभालते हैं। कर संबंधी मसलों पर वे टैक्स मैगजिनों और पत्रिकाओं में विभिन्न लेख लिखते रहे हैं।

श्री मेहता बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले निदेशक के रूप में थे और उन्होंने 25 जुलाई 2008 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। पुनर्निर्वाचन होने पर 9 अगस्त 2008 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया।

3.10.12 श्री थॉमस मैथ्यू टी. (शेयरधारक निदेशक)

श्री थॉमस मैथ्यू टी. ने 09.08.2008 को शेयरधारक निदेशक के रूप में बैंक के बोर्ड में कार्यग्रहण किया। वे कला संकाय में स्नातकोत्तर, विधि में स्नातक तथा प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं। वे इन्व्योरेन्स इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के एसोसिएट भी हैं तथा इन्हें अर्थशास्त्र, प्रबंधन तथा बीमा के क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। भारतीय जीवन बीमा निगम में 33 वर्षों से अधिक कार्य करने के कारण उन्हें जीवन बीमा के क्षेत्र में प्रचुर अनुभव है। वे संप्रति भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशकों में से एक हैं। उन्होंने भारत तथा विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

3.10.13 श्री अजय गर्ग (शेयरधारक निदेशक)

विधि के क्षेत्र में अनुभवी श्री अजय गर्ग एक कंपनी सचिव तथा कार्पोरेट वकील हैं, जो संप्रति फरीदाबाद और मुंबई में कार्यालयों वाले एजीबी एण्ड पार्टनर्स में साझेदार रूप में प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं।

एलएलबी के अलावा उन्हें अर्थशास्त्र, वाणिज्य और कारोबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्था के फेल्लो सदस्य तथा भारतीय बीमा संस्थान के लाइसेंसिएट हैं।

वे लघु हाइड्रो हेतु अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन के आजीवन सदस्य तथा एक पंजीकृत ट्रेड मार्क अर्नी हैं।

वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान फरीदाबाद चैप्टर, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के उत्तर भारतीय क्षेत्रीय परिषद के अतिथि संकाय भी हैं।

श्री गर्ग को बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया तथा उन्होंने 9 अगस्त, 2008 से कार्यभार ग्रहण किया।

4. निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन और परिचालन बैंक हेतु लागू सीमा तक सूचीकरण करार के खण्ड 49 के साथ यथा पठित भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिदेशों द्वारा शासित होता है। मंडल की लेखा-परीक्षा समिति बैंक में संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य, जिसमें बैंक के भीतर का आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा निरीक्षण का आयोजन, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण कार्य सम्मिलित है, को निर्देशन प्रदान करने के अलावा परिचालन का पर्यवेक्षण भी करती है और बैंक के सांविधिक/बाह्य लेखा-परीक्षा कार्य और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों का अनुवर्ती कार्य करती है।

लेखा-परीक्षा समिति ऐसे विषयों में आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई जाँच-पड़ताल के निष्कर्षों की समीक्षा करती है जहाँ कपट का संदेह होता है या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनियमितता या विफलता देखी जाती है तथा वहाँ नियंत्रण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सुझाव देती है। जहाँ तक बाह्य लेखा-परीक्षा का संबंध है, यह समिति, वार्षिक लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले, लेखा नीतियों और कार्य-प्रणालियों में परिवर्तनों, ड्राफ्ट लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी, तथा पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही की सीमित समीक्षा / विधिक अपेक्षाओं सहित लेखा-कार्य संबंधी मानकों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन पर ध्यान देते हुए सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से विचार-विमर्श करती है।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति में 6 निदेशक सम्मिलित हैं। वर्तमान सदस्य हैं श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी कुमार, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री ललित कुमार (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक), श्रीमती ग्रेस कोशी (भारिबैं द्वारा नामित निदेशक) श्री राज कुमार अग्रवाल (सनदी लेखाकार निदेशक) तथा श्री हीरेन मेहता (शेयरधारक निदेशक)। शेयरधारक निदेशक और पेशे से सनदी लेखाकार श्री हीरेन मेहता द्वारा लेखा-परीक्षा समिति की बैठक दिनांकित 28.07.2009 से लेकर इस समिति की अध्यक्षता की जाती है। सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार श्री एस.के. दाश, कंपनी सचिव, बोर्ड सचिवालय एवं निवेशक सेवा विभाग, लेखा परीक्षा समिति के भी सचिव हैं।

4.2 प्रबंधन समिति

प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया गया। समिति में 9 निदेशक हैं तथा वर्तमान सदस्य हैं श्री रामनाथ प्रदीप (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी कुमार (कार्यपालक निदेशक), श्रीमती ग्रेस कोशी, श्री कौशिक कुमार घोष, श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री वेंकटराव वाई घोरपडे, श्री हीरेन मेहता और श्री अजय

**3.10.11 Shri Hiren Mehta (Shareholder Director)**

Shri Hiren Mehta, a Chartered Accountant by profession hailing from Delhi. Shri Mehta is a Fellow Chartered Accountant and senior most partner of M/s. Dinesh Mehta & Co. a firm in existence for last 41 years. He has a post qualification experience of 19 years in the field of taxation, auditing services and transaction advisory. His educational qualifications also include LLB.

His professional experience includes Central Statutory Audit of State Bank of Hyderabad. He is predominantly engaged in tax practice and is handling tax litigation for various corporates, multi nationals and expatriate companies. He has been contributing various articles on tax issues in tax magazines and journals.

Shri Mehta was on the Board of the Bank as a Director representing the Shareholders and completed his term of Office on 25th July 2008 and was re-elected and assumed office on 9th August 2008.

3.10.12 Shri Thomas Mathew T. (Shareholder Director)

Shri Thomas Mathew T. Joined the Board of the Bank as shareholder director on 09.08.2008. A Post Graduate in Arts, graduate in Law and Post Graduate Diploma holder in Management. He is also an Associate of Insurance Institute of India and has specialisation in the fields of Economics, Management and Insurance. He has rich experience in the field of Life Insurance, having served Life Insurance Corporation of India (LIC) for more than 33 years. He is presently one of the Managing Directors of LIC. He has attended various training programmes in India and abroad.

3.10.13 Shri Ajay Garg (Shareholder Director)

Shri Ajay Garg, Company Secretary and Corporate Lawyer, having experience in the field of Law, is presently practicing as Corporate Lawyer as Partner in M/s. AGB and Partners having offices at Faridabad and Mumbai.

Apart from LLB, he is Post Graduate in Economics, Commerce and Business Management; fellow member of Institute of Company Secretaries of India and a licentiate of Institute of Insurance of India.

He is a Life Member of International Association for Small Hydro and a Registered Trade Mark Attorney.

He is also a visiting faculty to the Institute of Chartered Accountants of India Faridabad Chapter, Northern India Regional Council of Institute of Company Secretaries of India.

Shri Garg was elected as Shareholder Director of the Bank and assumed Office with effect from 9th August 2008.

4. Committees of the Board:**4.1 Audit Committee of the Board**

The formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB) is governed by the directives of Reserve Bank of India, guidelines of Ministry of Finance, Government of India and read with clause 49 of the Listing Agreement to the extent applicable to the Bank. The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organisation, operationalisation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India.

Audit Committee reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism. As regards external audit, the Committee interacts with Statutory Central Auditors before the finalisation of the annual accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, compliance with accounting standards and Stock Exchange including 1st, 2nd and 3rd quarter limited review/legal requirements.

The Audit Committee of the Board comprises of the following 6 Board members. The present members are Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar, Executive Directors of the Bank, Shri Lalit Kumar, (Government of India Nominee Director), Smt. Grace Koshie (RBI Nominee Director), Shri Raj Kumar Agrawal, (Chartered Accountant Director) and Shri Hiren Mehta (Shareholder Director). The Committee is chaired by Shri Hiren Mehta, Shareholder Director and Chartered Accountant by profession from Audit Committee Meeting dated 28.07.2009. As per clause 49 of the Listing Agreement Shri S. K. Dash, Company Secretary, Board Secretariat & Investors Services Department of the Bank is also the Secretary to ACB.

4.2 Management Committee

The Management Committee is constituted as per the provisions of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 as amended. The Committee comprises of 9 directors and the present members are Shri Ramnath Pradeep (Chairman and Managing Director), Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar (Executive Directors), Smt. Grace Koshie, Shri Kaushik Kumar Ghosh, Shri Raj Kumar Agrawal, Shri Venkatrao Y Ghorpade, Shri Hiren Mehta, and Shri Ajay Garg, Directors. The Chairman & Managing



गर्ग, निदेशक। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। प्रबंधन समिति को बैंक के सामान्य व्यापार लेन-देनों के संबंध में वित्तीय मंजूरी देने के ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के प्रत्यायोजित अधिकारों से परे हैं।

4.3 विभागीय पदोन्नति समिति

विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में 3 निदेशक अर्थात् श्री रामनाथ प्रदीप (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), श्री ललित कुमार (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक) और श्रीमती ग्रेस कोशी (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक) हैं। यह समिति बैंक के अनुशासन संबंधी मामलों और बैंक के वेतनमान VI से वेतनमान VII के उच्च कार्यपालकों की पदोन्नतियों की देखरेख करती है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.4 निवेशक शिकायत समिति

बैंक ने निवेशकों की शिकायतों के निवारण पर विशेष ध्यान देने हेतु बोर्ड की एक समिति – “निवेशक शिकायत समिति” (आईजीसी) का गठन किया

है। इस समिति में 5 सदस्य हैं अर्थात् श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी कुमार – कार्यपालक निदेशक, श्री ललित कुमार, श्री वी. रघुरामन और श्री अजय गर्ग, निदेशक। शेरधारकों द्वारा निर्वाचित गैर-कार्यपालक तथा स्वतंत्र निदेशक, श्री अजय गर्ग समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

सूचीकरण करार के खंड 47 के अनुसार श्री एस.के. दाश, बैंक के बोर्ड सचिवालय तथा निवेशक सेवा विभाग के प्रभारी कंपनी सचिव, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करारों की विविध शर्तों और सेबी द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन के उद्देश्य हेतु अनुपालन अधिकारी हैं।

इस वर्ष के दौरान शेरधारकों से 345 शिकायतें प्राप्त हुईं। तथापि 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार कोई भी शिकायत निपटान के लिए लंबित नहीं थी। यदि शेरधारक से अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है तो सामान्यतः सात दिनों की अवधि के भीतर शिकायतों का निपटान किया जाता है। वर्ष 2009-10 की तुलना में, प्राप्त, निपटायी गई और वर्ष 2010-11 के अंत में लंबित शिकायतों को दर्शाने वाली तालिका नीचे प्रस्तुत है।

शिकायतों की प्रकृति	31-3-09 को लंबित	2009-10			2010-11		
		प्राप्त	निपटायी	31-3-10 को लंबित	प्राप्त	निपटायी	31-3-11 को लंबित
धन वापसी/लाभांश की अप्राप्ति	–	276	276	–	341	341	–
शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति	–	–	–	–	–	–	–
अंतरण हेतु भेजे गए शेयर प्रमाण पत्र की अप्राप्ति	–	–	–	–	–	–	–
विविध	–	–	–	–	–	–	–
स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए प्राप्त	–	–	–	–	–	–	–
सेबी के ज़रिए प्राप्त	–	–	–	–	4	4	–
कुल	–	276	276	–	345	345	–

यद्यपि निवेशक शिकायतों के निवारण हेतु संप्रति लिया जानेवाला औसत समय युक्ति-संगत है, फिर भी, बैंक, निवेशक शिकायतों की अनुक्रिया में उच्चतर मानकों को स्थापित करने हेतु समय अंतराल को और भी घटाने के लिए प्रयासरत है।

4.5 सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बदलते परिवेश में, ग्राहकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बैंक विविध सूचना प्रौद्योगिकी उपाय करता रहा है। इन परियोजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन करने तथा ग्राहक सुविधा एवं संतुष्टि को बढ़ाने की दृष्टि से नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद प्रदान करने की संभाव्यताओं का पता लगाने हेतु बैंक का मार्गदर्शन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में 8 सदस्य हैं अर्थात् श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री वी. रघुरामन, श्री कौशिक कुमार घोष, श्री वेंकटराव वाई घोरपडे, श्री हीरेन मेहता और श्री अजय गर्ग। श्री रामनाथ प्रदीप बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.6 जोखिम प्रबंधन समिति

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति एकीकृत जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंक को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए गठित की गयी थी। इस समिति में 8 निदेशक हैं और श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इसकी अध्यक्षता करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी



Director Chairs the Committee Meetings. The Management Committee has financial sanctioning powers in respect of normal business transactions of the Bank, which are beyond the delegated powers of the Chairman & Managing Director.

4.3 Departmental Promotion Committee:

The Departmental Promotion Committee comprises of 3 Directors, viz. Shri Ramnath Pradeep (Chairman & Managing Director), Shri Lalit Kumar (Government Nominee Director) and Smt. Grace Koshie (RBI Nominee Director) as members. The Committee oversees the disciplinary cases in the Bank and promotions of top executives of the Bank from scale VI to scale VII. The Chairman & Managing Director Chairs the Committee Meetings.

4.4 Investors Grievance Committee

The Bank has constituted a Committee of the Board by name “Investors Grievance Committee” (IGC) – to specifically look into the redressal of investors’ grievances. The

Committee comprises of 5 members viz. Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar – the Executive Directors, Shri Lalit Kumar, Shri V. Raghuraman and Shri Ajay Garg, directors. Shri Ajay Garg, Non-Executive and Independent Director elected by the Shareholders, Chairs the Committee Meetings.

In terms of Clause 47 of the Listing Agreement for Equity, Shri S. K. Dash, Company Secretary in charge of Board Secretariat and Investor Services Department of the Bank is the Compliance Officer for the purpose of complying with various terms of Listing Agreements with Stock Exchanges and directives issued by SEBI.

During the year, 345 grievances were received from shareholders. However, as at 31st March, 2011, none of them was pending for redressal. Grievances are normally resolved within a period of seven days, unless further information from the shareholder is required. A table showing Grievances received, disposed off and pending as at the end of the year 2010-11 vis-à-vis 2009-10 is furnished hereunder:

Nature of Grievances	Pending as on 31-3-09	2009-10			2010-11		
		Recd.	Disposed	Pending As on 31-3-10	Recd.	Disposed	Pending As on 31-3-11
Non-receipt of refund/dividend	–	276	276	–	341	341	–
Non-receipt of share certificate	–	–	–	–	–	–	–
Non-receipt of share certificate sent for transfer	–	–	–	–	–	–	–
Miscellaneous	–	–	–	–	–	–	–
Recd. through Stock Exchanges	–	–	–	–	–	–	–
Recd. through SEBI	–	–	–	–	4	4	–
Total	–	276	276	–	345	345	–

Though the average time taken for redressal of investor grievances at present is reasonable, to set higher standards in responding to the investor grievances, Bank has been consistently striving for reducing the time lag.

4.5 Information Technology Committee

To keep pace with the changing business environment and to enhance the customer convenience, the Bank has been taking various IT initiatives. To guide the Bank for accelerated implementation of these projects and also to explore the possibility of providing innovative technology based products and services that perfectly suit the needs of the customers; Information Technology Committee has been constituted.

The Committee comprises of 8 members viz. Shri Ramnath Pradeep, the Chairman and Managing Director, Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar - the Executive Directors of the Bank, Shri V. Raghuraman, Shri Kaushik Kumar Ghosh, Shri Venkatrao Y Ghorpade, Shri Hiren Mehta and Shri Ajay Garg. Shri Ramnath Pradeep, Chairman and Managing Director of the Bank chairs the Committee Meetings.

4.6 Risk Management Committee

The Risk Management Committee of the Board was formed to guide the Bank as regards integrated risk management. The Committee comprises of 8 Directors and is Chaired by Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director. The other



कुमार, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री ललित कुमार, श्री कौशिक कुमार घोष, श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री थॉमस मैथ्यू टी और श्री अजय गर्ग, निदेशक ।

4.7 उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी समिति

एक करोड़ एवं अधिक रुपयों के कपटों की निगरानी पर केंद्रीभूत ध्यान देने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च मूल्य के कपटों की निगरानी हेतु बोर्ड की एक समिति का गठन किया गया। समिति में 7 निदेशक हैं और इसकी अध्यक्षता श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी कुमार - बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री वी. रघुरामन, श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री सुवर्ण सान्याल (03 अप्रैल 2011 तक, यानी बैंक में उनके निदेशक के रूप में रहने तक, 29.04.2011 से उनके स्थान पर श्री कौशिक कुमार घोष) तथा श्री हीरेन मेहता, निदेशक।

4.8 शेयर अंतरण समिति

शेयरों के अंतरण, रिमेडियल लाइजेशन तथा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने से संबंधित शेयरधारकों के अनुरोधों पर विचार करने के उद्देश्य से प्रचलित विनियमों के अनुरूप निदेशक मंडल ने बोर्ड की एक "शेयर अंतरण समिति" गठित की है। समिति में 3 सदस्य हैं अर्थात् श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में श्री नरेन्द्र सिंह या श्री अश्वनी कुमार - कार्यपालक निदेशक समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। श्री वेंकटराव वाई. घोरपडे और श्री अजय गर्ग समिति के अन्य दो सदस्य हैं।

4.9 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार तथा व्यक्तिगत ग्राहक अधिकारों के संरक्षण तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने ग्राहक सेवा समिति का गठन किया। ग्राहक सेवा समिति के वर्तमान सदस्य हैं श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जो समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, श्री नरेन्द्र सिंह और श्री अश्वनी कुमार, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री वी. रघुरामन, श्री कौशिक कुमार घोष, श्री वेंकटराव वाई घोरपडे, श्री थॉमस मैथ्यू टी और श्री अजय गर्ग, निदेशक ।

4.10 पारिश्रमिक समिति

पूर्णकालिक निदेशकों (अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक) को निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के तहत पात्र प्रोत्साहन राशि का आकलन करने हेतु निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। भारत सरकार के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को देय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था। श्री ललित कुमार, भारत सरकार द्वारा नामिती निदेशक समिति की बैठकों

की अध्यक्षता करते हैं। श्रीमती ग्रेस कोशी, भारि.बैं. नामिती, श्री वेंकटराव वाई घोरपडे और श्री सुवर्ण सान्याल (03 अप्रैल 2011 तक, यानी बैंक में उनके निदेशक के रूप में रहने तक, 29.04.2011 से उनके स्थान पर श्री हीरेन मेहता) निदेशक समिति के सदस्य हैं ।

4.11 नामांकन समिति

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 22-12-2007 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के वर्तमान शेयरधारक निदेशकों और जो बैंक के शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामांकन दायर करते हैं, उनकी बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत उपयुक्तता एवं उचित स्थिति का विनिश्चय करने हेतु सम्यक जांच की प्रक्रिया संचालित करने के लिए बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3ए) तथा धारा 9(3एबी) के साथ पठित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांकित 01-11-2007 के अनुसार नामांकन समिति गठित की गई । इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं श्री ललित कुमार, श्री राज कुमार अग्रवाल, श्री सुवर्ण सान्याल और श्री वेंकटराव वाई घोरपडे, निदेशक । श्री सुवर्ण सान्याल, निदेशक (03 अप्रैल 2011 तक, यानी बैंक में उनके निदेशक के रूप में रहने तक, 29.04.2011 से उनके स्थान पर श्री ललित कुमार, निदेशक) समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

4.12 बैंक के उच्च कार्यपालकों की आंतरिक पूंजी पर्याप्तता समिति (आईसीएएपी समिति)

बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थायित्व को मज़बूत करने के लक्ष्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्तमान बेसल I प्रथाओं में सुधार लाने की दृष्टि से बेसल II द्वारा शुरू किए गए नए पूंजी पर्याप्तता ढाँचे की तर्ज पर दिशानिर्देश सूत्रबद्ध किए हैं। उक्त नीति के लक्ष्य हैं भारिबैंक के दिशानिर्देशों, बेसल II के दिशानिर्देशों तथा समग्र कंपनी अभिशासन सिद्धांतों के अनुसार आंतरिक पूंजी का प्रबंधन करना, बैंक के कारोबार व संचालन में अंतर्निहित जोखिमों को पहचानने, मूल्यांकन करने, मापने और समुच्चयन करने की प्रक्रिया निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध पूंजी बैंक के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करना कि आईसीएएपी को सुकर बनाने हेतु भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो।

उक्त समिति के सदस्य हैं श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नरेन्द्र सिंह और श्री अश्वनी कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री हीरेन मेहता, निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालक अर्थात् श्री बी.के. दिवाकर, ऋण प्रभाग के प्रभारी महा प्रबंधक, श्री पी. राजाराम कारंत, महा प्रबंधक, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय प्रबंधन प्रभाग और श्री सी. वी.आर. राजेन्द्रन, महा प्रबंधक, निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग।



members of the Committee are Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar, the Executive Directors of the Bank, Shri Lalit Kumar, Shri Kaushik Kumar Ghosh, Shri Raj Kumar Agrawal, Shri Thomas Mathew T and Shri Ajay Garg, Directors.

4.7 Committee to Monitor Large Value Frauds

With a view to closely monitor frauds involving amounts of ₹ one crore and above, a Committee of the Board to Monitor Large Value Frauds has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee comprises of 7 Directors and is chaired by Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director. The other members of the Committee are Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar, the Executive Directors of the Bank, Shri V. Raghuraman, Shri Raj Kumar Agrawal, Shri Suvarna Sanyal (till 03rd April 2011, i.e. the date of his completion of term of Directorship of the Bank, in his place with effect from 29.04.2011 Shri Kaushik Kumar Ghosh) and Shri Hiren Mehta, Directors.

4.8 Share Transfer Committee

To meet the requests of the shareholders such as for transfer, rematerialisation and issuance of duplicate share certificates, a “Share Transfer Committee” of the Board was constituted by the Board of Directors in line with the extant regulations. The Committee comprises of 3 members viz., Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director or in his absence Shri Narendra Singh or Shri Ashwani Kumar – the Executive Directors of the Bank chairs the committee meetings. Shri Venkatrao Y. Gorpade and Shri Ajay Garg, Directors are the other two members of the committee.

4.9 Customer Service Committee

With a view to safeguard the rights of individual customers and to deliver better customer service, the Bank has constituted the Customer Service Committee of the Board, in line with the directions of the Reserve Bank of India. The present members of the customer service committee are Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director, who chairs the committee meetings, Shri Narendra Singh and Shri Ashwani Kumar – Executive Directors of the Bank, Shri V. Raghuraman, Shri Kaushik Kumar Ghosh, Shri Venkatrao Y Ghorpade, Shri Thomas Mathew T and Shri Ajay Garg, Directors.

4.10 Remuneration Committee

The Remuneration Committee was constituted to evaluate the performance of the Whole Time Directors (viz. CMD and EDs) for arriving at the eligible amount of incentives payable to them under Performance Linked Incentive Scheme. As per the extant guidelines of Government of India, the Committee was constituted to award the incentives payable to the CMD and EDs. Shri Lalit Kumar, Government of India Nominee,

chairs the committee meetings. Smt. Grace Koshie, RBI Nominee, Shri Venkatrao Y. Ghorpade and Shri Suvarna Sanyal (till 03rd April 2011, i.e. the date of his completion of term of Directorship of the Bank, in his place Shri Hiren Mehta was included with effect from 29.04.2011), Directors are the members of the Committee.

4.11 Nomination Committee

The Nomination Committee was constituted by the Board of the Bank at its meeting held on 22-12-2007 as per the guidelines issued by Reserve Bank of India dated 01-11-2007 read with Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 to undertake a process of due diligence to determine “fit and proper” status of the existing Shareholder Directors of the Bank and those who file Nominations to be elected as Shareholder Directors of the Bank under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980. The present members of the committee are Shri Lalit Kumar, Shri Raj Kumar Agrawal, Shri Suvarna Sanyal and Shri Venkatrao Y. Ghorpade, Directors. The committee meetings are chaired by Shri Suvarna Sanyal, Director (till 03rd April 2011, i.e. the date of his completion of term of Directorship of the Bank, in his place Shri Lalit Kumar, Director with effect from 29.04.2011).

4.12 Internal Capital Adequacy Assessment Committee (ICAAP Committee)

The Reserve Bank of India has formulated guidelines in the lines of the new Capital Adequacy framework introduced by Basel II which seeks to enhance the existing Basel I practices with an objective of strengthening the soundness and stability of the Banking system. The objectives of the policy are to ensure management of internal capital in accordance with the RBI Guidelines, Basel II Guidelines and overall Corporate Governance Principles, to describe the process for identification, assessment, measurement and aggregation of the risks inherent in the Bank’s business and operations, to ensure that the available capital is commensurate with the Bank’s risk profile and to ensure that there is clear assignment of roles and responsibilities for facilitating the ICAAP.

The Committee consists of Shri Ramnath Pradeep, Chairman and Managing Director, Shri Narendra Singh and Shri Ashwani Kumar – Executive Directors, Shri Hiren Mehta, Chairman of the Audit Committee of the Board and Senior Executives of the Bank namely, Shri B. K. Divakara, General Manager and in charge of Credit Division, Shri P. Rajaram Karanth, General Manager, Risk Management and Financial Management Division and Shri C. V. R. Rajendran, General Manager, Investments and International Banking Division.



4.13 कारोबार/प्रबंधन/परिचालनात्मक परामर्शदाताओं के चयन के लिए निदेशक मंडल की समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त संसूचना संदर्भ सं. एफ नं. 9/11/2008 - आईआर- दिनांकित 29.12.2008 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 29.10.2009 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के लिए कारोबार/प्रबंधन/परिचालनात्मक परामर्शदाताओं के चयन के लिए निदेशक मंडल की समिति का गठन किया। कारोबार/प्रबंधन/परिचालनात्मक परामर्शदाताओं के चयन के मामले में दिशानिर्देश यह निर्धारित करता है कि खुला निमंत्रण और प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों (महा प्रबंधक व ऊपर) की एक समिति पैनल तैयार करें। इन बोलियों का मूल्यांकन निदेशन मंडल की समिति द्वारा किया जाना है जिनमें लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सरकारी (अधिकारी) नामिती शामिल हो।

वर्तमान में निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति में श्री रामनाथ प्रदीप, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री नरेन्द्र सिंह और श्री अश्वनी कुमार, बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री ललित कुमार, सरकार नामिती निदेशक और श्री हीरेन मेहता, निदेशक मंडल की लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। समीक्षा अवधि के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

4.14 वित्तीय समावेशन समिति

वित्तीय वर्ष 2011-2015 के लिए निर्धारित दीर्घावधि योजना (एलआरपी) के संदर्भ में बैंक ने वृद्धि संबंधी विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करते हुए योजना प्रक्रिया और वृद्धि रणनीति में बाहरी एवं स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाने की पहल की है। अर्न्स्ट एण्ड यंग के प्रतिनिधियों द्वारा किए गए विस्तृत प्रसेंटेशनों और व्यावसायिक निविष्टियों के आधार पर निदेशक मंडल ने कार्यान्वयन संबंधी पहलू पर चर्चा की और तदनुसार दिनांक 20.10.2010 को 3 निदेशकों अर्थात्, श्री ललित कुमार, सरकार नामिती निदेशक, श्री अजय गर्ग और श्री सुवर्ण सान्याल, (03 अप्रैल 2011 तक, यानी बैंक में उनके निदेशक के रूप में रहने तक, 29.04.2011 से उनके स्थान पर श्री कौशिक कुमार घोष) निदेशकों सदस्यों के रूप में लेते हुए वित्तीय समावेशन समिति गठित की गई थी। श्री के. राममूर्ति, महा प्रबंधक, वित्तीय समावेशन संयोजक एवं समन्वयक होंगे।

4.15 अधिमान आबंटन समिति

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा किए गए अनुमानों के

आधार पर भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी शेयरों के अधिमान आबंटन द्वारा बैंक की पूँजी में ₹ 309 करोड़ (रुपये तीन सौ नौ करोड़ मात्र) निवेश करने का फैसला सूचित किया। असाधारण महासभा में बैंक के शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने के बाद भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के निर्गमन और आबंटन पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल ने दिनांक 19.2.2011 को 'निदेशक मंडल की अधिमान आबंटन समिति' नाम की एक समिति गठित की। 6 निदेशकों से इस समिति का गठन किया गया अर्थात् श्री नरेन्द्र सिंह, श्री अश्वनी कुमार - कार्यपालक निदेशक, श्री सुवर्ण सान्याल, (03 अप्रैल 2011 तक, यानी बैंक में उनके निदेशक के रूप में रहने तक) श्री वेंकटराव वाई घोरपडे, श्री कौशिक कुमार घोष और श्री अजय गर्ग, निदेशक श्री नरेंद्र सिंह, कार्यपालक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

4.16 अन्य समितियाँ

20.10.2010 को गठित वित्तीय समावेशन समिति के साथ-साथ निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2011-2015 हेतु निर्धारित दीर्घावधि योजना (एलआरपी) के संदर्भ में अन्य उप समितियाँ भी गठित की जैसे (i) बीमा/आस्ति प्रबंधन कंपनी/पैरा बैंकिंग क्रियाकलाप समिति (ii) कारोबार प्रक्रिया पुनर्निर्धारण, उत्पादकता संवर्धन और शाखा कार्य प्रवाह समिति, (iii) आईटी सेवाओं, कोर बैंकिंग समाधान तथा भुगतान उत्पाद और सेवाएं समिति और (iv) टूज़री परिचालन/विदेश में विस्तार/उत्पाद पेशकश और जोखिम प्रबंधन समिति। वित्त वर्ष 2010-11 में इन समितियों की कोई भी बैठक नहीं हुई है।

5. निदेशकों को पारिश्रमिक

5.1 भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक (केन्द्र सरकार नामिती निदेशक के रूप में और भा. रि. बैंक नामिती निदेशक के रूप में) को छोड़कर गैर कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड व समिति की बैठकों में उपस्थित होने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

5.2 वर्ष 2010-11 हेतु बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों को नियुक्ति की निर्धारित शर्तों तथा केन्द्र सरकार द्वारा तैयार प्रोत्साहन योजना के अनुसार प्रदत्त पारिश्रमिक के विवरण निम्नवत् हैं।

(₹ में)

विवरण	श्री रामनाथ प्रदीप अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री नरेन्द्र सिंह कार्यपालक निदेशक	श्री अश्वनी कुमार कार्यपालक निदेशक	श्री जे. एम. गर्ग पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री असित पाल पूर्व कार्यपालक निदेशक
वेतन	8,26,247.00	12,32,302.50	4,03,000.00	9,28,500.00	8,25,672.50
निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	शून्य	2,04,794.52	शून्य	8,00,000.00	6,50,000.00
कुल	8,26,247.00	14,37,097.02	4,03,000.00	17,28,500.00	14,75,672.50
स्टॉक विकल्प	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



4.13 Committee of the Board for Selection of Business/Management/Operational consultants for the bank

In terms of the guidelines received from Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No. F.No. 9/11/2008- IR dt.29.12.2008, the Board of the Bank at its meeting held on 29.10.2009, constituted the Committee of the Board for Selection of Business/Management/Operational Consultants for the Bank. In the matter of appointment of Business/Management/Operational Consultants, the guideline stipulates that the panel prepared by a Committee of the Senior Officers (GM and above) of the Bank on the basis of open invitation and response received, the evaluation of these bids should be done by a Committee of Directors of the Board which include Chairman of the Audit Committee and the Government (Officer) Nominee.

The Committee constituted by the Board presently consist of Shri Ramnath Pradeep, Chairman and Managing Director of the Bank, Shri Narendra Singh and Shri Ashwani Kumar- Executive Directors of the Bank, Shri Lalit Kumar, Government Nominee Director and Shri Hiren Mehta, Chairman of the Audit Committee of the Board. This committee did not meet during the period under review.

4.14 Financial Inclusion Committee

In the context of Long Range Plan (LRP) set for the Financial Year 2011 – 2015, the Bank had taken initiative to infuse an external and independent perspective into the Planning Process and growth strategy, by seeking insights into various growth initiatives of the Bank. Based on the detailed presentations made and professional inputs given by Ernst and Young representatives, the Board discussed on the implementation aspect and accordingly, the Financial Inclusion Committee was constituted on 20.10.2010 with 3 directors as its members viz., Shri Lalik Kumar, the Government Nominee Director, Shri Ajay Garg and Shri Suvarna Sanyal (till 03rd April 2011, i.e. the date of his completion of term of Directorship of the Bank, in his place with effect from 29.04.2011 Shri Kaushik Kumar Ghosh), Directors. Shri K. Ramamurthy, General Manager, Financial Inclusion, will be the convener and coordinator.

4.15 Preferential Allotment Committee

Based on the projections made by the Bank for the year ended

31st March 2011, the Government of India informed its decision to infuse ₹309 crore (Rupees Three hundred nine crore only) to the capital of the Bank by way of preferential allotment of Equity shares to the Government of India. The Board, on 19.02.2011, constituted a Committee by name the “Preferential Allotment Committee of the Board” to consider the issue and allotment of the equity shares to the Government of India, after the proposal is approved by the shareholders of the Bank at the Extra Ordinary General Meeting. The committee was constituted with 6 directors namely, Shri Narendra Singh, Shri Ashwani Kumar – the Executive Directors, Shri Suvarna Sanyal(till 03rd April 2011, i.e. the date of his completion of term of Directorship of the Bank), Shri Venkatrao Y Ghorpade, Shri Kaushik Kumar Ghosh and Shri Ajay Garg, Directors. The Committee was chaired by Shri Narendra Singh, Executive Director.

4.16 Other Committees :

Along with the Financial Inclusion Committee formed by the Board on 20.10.2010, the Board also formed 4 other Sub-committees like (i) Insurance/Asset Management Company/ Para Banking activity Committee, (ii) Business Process Re-engineering, Productivity enhancement and branch work flow Committee, (iii) Enhancement of IT services, Core Banking solutions and Payment Products and Services Committee and (iv) Treasury Operations/Overseas expansion/Product Offerings and Risk Management Committee, in the context of the Long Range Plan (LRP) set for the Financial Year 2011 – 2015. No meetings of these committees have taken place during the financial year 2010-11.

5. Remuneration to Directors

5.1 Only sitting fees as prescribed by the Government of India for attending Board and Committee meetings are paid to the non executive and non executive independent directors except director nominated by the Government of India (Nominee as Central Government Director and RBI Nominee Director).

5.2 The details of remuneration paid to the whole-time Directors of the Bank, i.e., Chairman & Managing Director and the Executive Directors, as per terms and conditions of appointment fixed and incentive Scheme framed by the Central Government, i.e. for the year 2010-11 is furnished hereunder.

(in ₹)

Particulars	Shri Ramnath Pradeep Chairman & Managing Director	Shri Narendra Singh Executive Director	Shri Ashwani Kumar Executive Director	Shri J.M. Garg, Former Chairman and Managing Director	Shri Asit Pal Former Executive Director
Salary	8,26,247.00	12,32,302.50	4,03,000.00	9,28,500.00	8,25,672.50
Performance Linked Incentive	NIL	2,04,794.52	NIL	8,00,000.00	6,50,000.00
Total	8,26,247.00	14,37,097.02	4,03,000.00	17,28,500.00	14,75,672.50
Stock Option	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



6. वर्ष 2010-11 हेतु बैंक में कार्पोरेट अभिशासन के संबंध में सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों से प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

7. महासभा

7.1 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, महासभा में शेयरधारक तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने, अनुमोदन करने तथा अपनाने के लिए पात्र हैं।

7.2 पिछली तीन वार्षिक महासभा के विवरण:

वित्त वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10
वार्षिक महासभा का समय और दिनांक	08.08.2008 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे	25.07.2009 समय: अपराह्न 12.30 बजे	10.07.2010 समय: अपराह्न 12.30 बजे
स्थान	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर
पारित विशेष संकल्प	3 शेयरधारक निदेशकों का मतपत्र द्वारा मतदान प्रक्रिया के ज़रिए निर्वाचन	शून्य	शून्य

7.3 असाधारण महासभा

बैंक में प्रतिनिधित्व के आधार पर भारत सरकार को अधिमान आधार पर 46,92,554 ईक्विटी शेयरों के निर्गमन और आबंटन पर विचार करने और अनुमोदित करने के लिए प्रधान कार्यालय, मंगलूर में बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण महासभा आयोजित की गई थी, जिसके विवरण निम्नानुसार हैं:

बैठक का दिनांक और समय	स्थान	उद्देश्य	पारित विशेष संकल्प
15 मार्च 2011 अपराह्न 12.30 बजे	बैंक का प्रधान कार्यालय व कार्पोरेट कार्यालय, मंगलूर	भारत सरकार को अधिमान आधार पर 46,92,554 ईक्विटी शेयरों का निर्गमन अनुमोदित करना	भारत सरकार को अधिमान आधार पर 46,92,554 ईक्विटी शेयरों का निर्गमन अनुमोदित किया

7.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र

सूचीकरण करार के उपबंध 49 के तहत सीईओ तथा सीएफओ प्रमाण पत्र बैंक के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है तथा एक प्रति कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

8. महत्वपूर्ण प्रकटन

8.1 प्रबंधन (निदेशक मंडल के रूप में परिभाषित) के महत्वपूर्ण वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेनों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिसके बैंक के हितों से विरोध की संभावना हो तो उसकी निदेशक मंडल को समय-समय पर सूचना दी गयी है।

8.2 बैंक ने पूंजी बाजार से संबद्ध मामलों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और गत तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक की न तो निंदा की गई न बैंक पर कोई

जुर्माना लगाया गया। यह पुष्टि की गई है कि किसी भी कार्मिक को बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से मना नहीं किया गया है। बैंक ने सांविधिक समयावधि के भीतर वार्षिक महासभा आयोजित की है और पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया है। बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए लागू सीमा तक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुसरण किया है।

9. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य अपेक्षाएँ

9.1 बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ईक्विटी सूचीकरण करार के खंड 49 में दी गई सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

9.2 गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की सीमा का विवरण निम्नवत् है



6. In terms of the Clause 49 of the Listing Agreement for Equity, a Certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on Corporate Governance in the Bank for the year 2010-11 and the same is annexed to this report.

7. General Meetings

7.1 In terms of the amended provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the shareholders at the Annual General Meeting are entitled to discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit and Loss account, the report of the Board of Directors and Auditors' Report.

7.2 Particulars of past three Annual General Meetings:

Financial Year	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Date & Time of the AGM	08-08-2008 Time: 10.00 a.m	25-07-2009 Time 12.30 p.m.	10.07.2010. Time 12.30 p.m
Venue	Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore	Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore	Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore
Special Resolutions passed	Election of 3 Shareholder Directors was done through Voting process by ballot paper.	Nil	Nil

7.3 Extraordinary General Meeting :

To consider and approve the issue and allotment of 46,92,554 equity shares on preferential basis to Government of India, based on its representation to the Bank, an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank was held at HO, Mangalore, the details of which are as follows :

Date and Time of the Meeting	Venue	Purpose	Special Resolutions passed
15th March 2011 at 12.30 p.m.	Bank's Head Office & Corporate Office, Mangalore	To approve the issue of 46,92,554 Equity Shares on Preferential basis to Government of India	approved the issue of 46,92,554 Equity Shares on Preferential basis to Government of India .

7.4 CEO & CFO Certificate

The certificate of CEO & CFO under Clause 49 of Listing Agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to the Corporate Governance Report.

8. Material Disclosures

8.1 Material, financial and commercial transactions of the management (defined as 'Board of Directors'), where they have personal interest, that may have a potential conflict with the interest of the bank at large have been reported to the Board from time to time.

8.2 The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and as such not been penalised or imposed with strictures by the stock exchanges

or SEBI or any other statutory authority during the last three years. This has been affirmed that no personnel has been denied access to Audit Committee of the Board. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame. The bank has followed the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India, to the extent applicable to a Public Sector Bank.

9. Mandatory and non-mandatory requirements

9.1 Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement for Equity entered into with the Stock Exchanges.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.



	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.1	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय के लिए पात्र होना चाहिए तथा अपने कर्तव्य के निष्पादन में वहन किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए भी उसे अनुमति दी जाए।	बैंक की अध्यक्षता कार्यपालक अध्यक्ष करते हैं और अतः यह अपेक्षा लागू नहीं है।
9.2.2	बोर्ड को एक पारिश्रमिक समिति का गठन करना चाहिए जो उनकी ओर से तथा शेयरधारकों की ओर से सहमत शर्तों पर कार्यपालक निदेशकों के लिए पेंशन अधिकार एवं कोई क्षतिपूर्ति अदायगी सहित विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेजों पर कंपनी की नीति निर्धारित करे।	पूर्णकालिक निदेशकों/गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक/बैठक शुल्क भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक को अदा किए जाने वाले प्रोत्साहन का आकलन करने हेतु बैंक द्वारा पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।
9.2.3	पिछले छः माह की महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध वार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए।	इसे बैंक की वेबसाइट में अपलोड किया गया है।
9.2.4	पोस्टल मतदान	बैंक ने ऐसे कोई अत्यावश्यक मामले विचारार्थ नहीं लिए हैं जिसपर पोस्टल मतदान द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित हो।
9.2.5	लेखा परीक्षा अर्हताएँ - कंपनी, अबाधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली अपना सकती है।	बैंक ने इस अपेक्षा का अनुपालन किया है।
9.2.6	निदेशक मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण-कंपनी अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी के कारोबार मॉडल में तथा कंपनी के कारोबार मानदंडों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशकों के रूप में उनके दायित्वों तथा उन्हें पूरा करने की उत्कृष्ट पद्धति में प्रशिक्षित करें।	बैंक अपने निदेशकों को प्रशिक्षण के भरपूर अवसर प्रदान कर रहा है ताकि वे अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।
9.2.7	गैर कार्यपालक निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन, मूल्यांकित किए जाने वाले निदेशक को छोड़कर पूरे निदेशक मंडल के शीर्ष ग्रूप द्वारा किया जा सकता है व यह शीर्ष ग्रूप मूल्यांकन यह विनिश्चय करने की प्रणाली हो सकती है कि क्या गैर कार्यपालक निदेशकों की नियुक्तिके कार्यकाल का विस्तार किया जाए/जारी रखा जाए।	भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश दिनांकित 01-11-2007 के अनुसार बैंक के बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा समय-समय पर केवल शेयरधारक निदेशकों की उपयुक्तता एवं समुचित स्थिति का विनिश्चय किया जा रहा है।
9.2.8	व्हिसल ब्लोअर नीति	बैंक के बोर्ड ने व्हिसल ब्लोअर नीति नामक एक नीति तैयार की है, इसके तहत एक प्रणाली स्थापित की गई कि कैसे कोई कर्मचारी यदि कोई अनुचित व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध कपट अथवा संहिता या मूल्यों के उल्लंघन के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट कर सकता है। इस प्रणाली में इस प्रक्रिया का उपयोग करने वाले कर्मचारी को प्रताड़ना के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षा का भी प्रावधान है। इसे बैंक के अंदर समुचित रूप से परिपत्र द्वारा संसूचित किया गया है।

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल द्वारा 17-12-2005 को आचार संहिता तैयार की गई। यह पुष्टि की जाती है कि वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों तथा बैंक के महा प्रबंधकों द्वारा इनका अनुपालन किया गया। इस रिपोर्ट के अंत में इस आशय की घोषणा संलग्न है।

11. संसूचना के माध्यम

11.1 त्रैमासिक वित्तीय परिणाम निर्धारित समय के भीतर ऐसे स्टॉक

एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, त्रैमासिक वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र और मंगलूर के एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार-पत्र में भी प्रकाशित किए गए हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान त्रैमासिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में निम्नानुसार प्रकाशित किए गए।



	Requirement	Compliance
9.2.1	A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is chaired by an Executive Chairman and as such this requirement is not applicable.
9.2.2	The board should set up a remuneration committee to determine on their behalf and on behalf of the shareholders with agreed terms of reference, the company's policy on specific remuneration packages for executive directors including pension rights and any compensation payment.	Remuneration/sitting fee paid to the whole-time Directors/Non-Executive Directors respectively, is as per the guidelines of the Government of India. The Bank has constituted a remuneration committee to look in to the incentives to be paid to the CMD & EDs as per the directives of the Government of India.
9.2.3	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	It has been uploaded in the webs site of the Bank.
9.2.4	Postal Ballot	The Bank has not taken up for consideration any of the critical matters, which require to be decided by postal ballot.
9.2.5	Audit qualifications – Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	The Bank has complied with this requirement.
9.2.6	Training of Board Members – Company may train its Board members in the business model of the company as well as the risk profile of the business parameters of the company, their responsibilities as directors, and the best ways to discharge them.	The bank is providing ample training opportunities to its directors to enable them to discharge their duties most effectively.
9.2.7	The performance evaluation of non-executive directors could be done by a peer group comprising the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated; and Peer Group evaluation could be the mechanism to determine whether to extend / continue the terms of appointment of non-executive directors.	As per Reserve Bank of India Guidelines dated 01-11-2007, a fit and proper status is being done by the Nomination Committee of the Board of the Bank at the time of election of the Shareholder Directors and on an annual basis.
9.2.8	Whistle Blower Policy	The Board of the Bank has framed a policy known as Whistle Blower Policy, under which a mechanism was established as to how an employee can report to the management about unethical behaviour if any, actual or suspected fraud or violation of conduct or ethics. This mechanism also provides adequate safeguards against victimisation of employee who avail of this mechanism. This was appropriately communicated within the Bank by circular.

10. Code of Conduct

The Board framed Code of Conduct on 17.12.2005. It is hereby affirmed that compliance was made by Board members and General Managers of the Bank on Annual basis. A declaration to this effect is attached at the end of this report.

11. Means of Communication

11.1 Quarterly financial results are submitted to the Stock

Exchanges where the shares of the Bank are listed, within the stipulated time frame. Further, the quarterly financial results are also published in at least one national newspaper and one regional language newspaper based at Mangalore. During the year 2010-11, the quarterly financial results were published in the newspapers as under.



तिमाही समाप्त/बोर्ड की बैठक की तारीख	अंग्रेजी/क्षेत्रीय दैनिक का नाम	प्रकाशन की तारीख
मार्च 2010/ 23-04-2010	बिज़नेस स्टैंडर्ड	24-04-2010
	इकॉनोमिक टाइम्स	24-04-2010
	उदयवाणी	26-04-2010
	बिज़नेस लाइन	26-04-2010
जून 2010/ 28-07-2010	इकॉनोमिक टाइम्स	29-07-2010
	हिन्दूस्तान टाइम्स	29-07-2010
	फिनेन्शियल एक्सप्रेस	29-07-2010
	बिज़नेस स्टैंडर्ड	29-07-2010
	बिज़नेस लाइन	29-07-2010
	हिन्दूस्तान	29-07-2010
	पंजाब केसरी	29-07-2010
	उदयवाणी	29-07-2010
सितंबर 2010/ 21-10-2010	बिज़नेस लाइन	22-10-2010
	फिनेन्शियल एक्सप्रेस	22-10-2010
	उदयवाणी	22-10-2010
दिसंबर 2010/ 21-01-2011	बिज़नेस लाइन	22-01-2011
	बिज़नेस स्टैंडर्ड	22-01-2011
	इकॉनोमिक टाइम्स	22-01-2011
	उदयवाणी	22-01-2011

11.2 वित्तीय परिणाम, बैंक द्वारा जारी प्रेस प्रकाशनी, विश्लेषकों को किया गया प्रस्तुतीकरण, सामान्य शेयरधारक सूचना, बाजार मूल्य डाटा, शेयर धारिता पैटर्न आदि बैंक की वेबसाइट www.corpbank.in में भी दिये जाते हैं।

11.3 वर्ष 2010-11 के दौरान नामिती/नियुक्त निदेशक तथा वर्तमान निदेशकों का एक संक्षिप्त परिचय इस रिपोर्ट के साथ पैरा सं. 3.10 में संलग्न है।

12. सामान्य शेयरधारक सूचना

12.1. वार्षिक महासभा के विवरण:

दिन और दिनांक	शनिवार, 09.07.2011
समय	पूर्वाह्न 10.00 बजे
स्थान	स्थान सहस्राब्दि भवन, कार्पोरेशन बैंक प्रधान कार्यालय एवं कार्पोरिटे कार्यालय, मंगलूर - 575 001
वित्तीय वर्ष	अप्रैल 2010 से मार्च 2011
वार्षिक महासभा करने हेतु तथा लाभांश, यदि कोई हो, हेतु लेखा-बही बंदी के दिनांक	21.06.2011 से 27-06-2011 (दोनों दिनों सहित)
वर्ष 2010-11 हेतु लाभांश	₹ 10/- के प्रत्येक शेयर हेतु ₹ 20/- का लाभांश संस्तुत
वार्षिक महासभा में लाभांश घोषित करने पर उसके भुगतान की संभावित तिथि	22 जुलाई 2011 को या उसके बाद

12.2 सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक कूट:

क्र.सं.	स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक कूट	शोक कर्ज सूचीकरण कूट
1.	मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई), प्रथम तल, न्यू ट्रेडिंग रिंग रोतुन्डा बिल्डिंग, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400 001	532179	शून्य (सूचीबद्ध नहीं)
2.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, 5वाँ तल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई- 400 051	CORPBANK	प्रतिभूति प्रकार : BB प्रतिभूति : CORB

आगामी वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु सूचीकरण शुल्क उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों को तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज को ऋण सूचीकरण शुल्क भी 25-04-2011 को विप्रेषित कर दिया गया है।

12.3 बैंक का वित्तीय कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 माह की अवधि का है।

12.3.1 वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:



Quarter ended/Date of Board Meeting	Name of the English/ Regional daily	Date of Publication
March 2010/ 23-04-2010	Business Standard	24-04-2010
	Economic Times	24-04-2010
	Udayavani	26-04-2010
	Business Line	26-04-2010
June 2010/ 28-07-2010	Economic Times	29-07-2010
	Hindustan Times	29-07-2010
	Financial Express	29-07-2010
	Business Standard	29-07-2010
	Business Line	29-07-2010
	Hindustan	29-07-2010
	Punjab Kesari	29-07-2010
Udayavani	29-07-2010	
September 2010/ 21-10-2010	Business Line	22-10-2010
	Financial Express	22-10-2010
	Udayavani	22-10-2010
December 2010/ 21-01-2011	Business Line	22-01-2011
	Business Standard	22-01-2011
	Economic Times	22-01-2011
	Udayavani	22-01-2011

11.2 The financial results, press releases issued by the Bank, presentation made to analysts, general shareholder information, market price data and shareholding pattern etc. are also put on the website of the Bank www.corpbank.in.

11.3 A brief resume of the Directors nominated/appointed during the year 2010-11 and the existing Directors is appended in this report under para No. 3.10.

12. General Shareholder Information

12.1 Particulars of Annual General Meeting:

Day & Date	Saturday, 09.07.2011
Time	10.00 a.m.
Venue	Millennium Building, Corporation Bank Head Office & Corporate Office, Mangalore – 575 001
Financial Year	April 2010 to March 2011
Dates of Book Closure for the AGM and dividend, if any	21.06.2011 to 27.06.2011 (both days inclusive)
Dividend for the year 2010-11	₹ 20/- dividend recommended for per share of ₹10/- each.
Tentative date of payment of dividend if declared in the AGM	On or after 22nd July, 2011.

12.2 Stock Exchanges listed & stock code:

Sl. No.	Stock Exchange	Stock Code	Wholesale Debt Listing Code
1.	Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) 1st Floor, New Trading Ring Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI - 400 001	532179	NIL (not Listed)
2.	National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), MUMBAI – 400 051	CORPBANK	SecurityType : BB Security : CORB

The Listing Fee for the next financial year 2011-12, for Equity Listing, has already been remitted to the above Stock Exchanges and also the Debt Listing Fee remitted to National Stock Exchange of India Ltd., on 25-04-2011.

12.3 The financial calendar of the Bank is from 1st April to 31st March, comprising 12 months period.

12.3.1 Financial performance is as under:



(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2011 को समाप्त तिमाही (लेखा-परीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (लेखा-परीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित)	31.03.2011 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित) (समेकित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखा-परीक्षित) (समेकित)
1	अर्जित ब्याज (क+ख+ग+घ)	255536.09	187186.39	913524.82	698768.73	913503.80	698768.73
	(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	188225.77	130121.81	647520.90	497920.29	647499.88	497920.29
	(ख) निवेशों पर आय	59091.04	50084.97	232767.41	178451.58	232767.41	178451.58
	(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	435.18	170.02	1488.66	375.31	1488.67	375.31
	(घ) अन्य	7784.10	6809.59	31747.85	22021.55	31747.84	22021.55
2	अन्य आय	49042.05	32299.81	132436.96	149333.86	133403.62	150171.64
3	कुल आय (1+2)	304578.14	219486.20	1045961.78	848102.59	1046907.42	848940.37
4	व्यय किया गया ब्याज	179360.62	128244.55	619550.53	508434.65	619485.72	508322.57
5	परिचालन व्यय (i) + (ii)	50559.61	36743.54	164170.99	125995.27	164201.37	126014.65
	(i) कर्मचारी लागत	29957.13	20263.58	89493.62	63170.44	89510.20	63180.16
	(ii) अन्य परिचालन व्यय	20602.48	16479.96	74677.37	62824.83	74691.17	62834.49
	(ब्याज व्यय को छोड़कर कुल व्यय के 10% से अधिक सभी मदों को अलग से दर्शाया जाए)						
6	कुल व्यय (4+5) (प्रावधानों और आकस्मिकताओं को छोड़कर)	229920.23	164988.09	783721.52	634429.92	783687.09	634337.22
7	प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	74657.91	54498.11	262240.26	213672.66	263220.33	214603.15
8	प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिकताएं	26949.82	16510.18	68876.49	47442.54	68876.49	47442.54
9	असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	सामान्य कार्यकलापों से कर पूर्व लाभ (+)/हानि(-) (7-8-9)	47708.08	37987.93	193363.77	166230.12	194343.84	167160.61
11	कर व्यय	13175.00	6755.00	52036.98	49205.00	52331.87	49025.80
12	सामान्य कार्यकलापों से कर के पश्चात् निवल लाभ (+)/हानि(-) (10-11)	34533.08	31232.93	141326.79	117025.12	142011.97	118134.81
13	असाधारण मदें (कर व्ययों का निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	अवधि हेतु निवल लाभ (+)/हानि (-) (12-13)	34533.08	31232.93	141326.79	117025.12	142011.97	118134.81
15	प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी (शेयर का अंकित मूल्य ₹10 है)	14813.06	14343.79	14813.06	14343.79	14813.06	14343.79
16	पुनर्मूल्यन आरक्षित निधियों को छोड़कर अन्य आरक्षित निधियां (पिछले लेखा- वर्ष के तुलन-पत्र के अनुसार)	698967.83	563142.82	698967.83	563142.82	705337.67	571348.55
17	विश्लेषणात्मक अनुपात						
	(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%
	(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात						
	बेसल I	12.90%	15.00%	12.90%	15.00%	13.04%	15.18%
	टियर I	7.95%	9.03%	7.95%	9.03%	8.04%	9.16%
	टियर II	4.95%	5.97%	4.95%	5.97%	5.00%	6.02%
	बेसल II	14.11%	15.37%	14.11%	15.37%	14.26%	15.43%
	टियर I	8.69%	9.25%	8.69%	9.25%	8.80%	9.31%
	टियर II	5.42%	6.12%	5.42%	6.12%	5.46%	6.12%
	(iii) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (₹)						



[₹ in lakhs]

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2011 (Audited)	Quarter ended 31.03.2010 (Audited)	Year ended 31.03.2011 (Audited)	Year ended 31.03.2010 (Audited)	Year ended 31.03.2011 (Audited) Consolidated	Year ended 31.03.2010 (Audited) Consolidated
1	Interest earned (a)+(b)+(c)+(d)	255536.09	187186.39	913524.82	698768.73	913503.80	698768.73
	(a) Interest / Discount on Advances / Bills	188225.77	130121.81	647520.90	497920.29	647499.88	497920.29
	(b) Income on Investments	59091.04	50084.97	232767.41	178451.58	232767.41	178451.58
	(c) Interest on balances with reserve Bank of India and other inter bank funds	435.18	170.02	1488.66	375.31	1488.67	375.31
	(d) Others	7784.10	6809.59	31747.85	22021.55	31747.84	22021.55
2	Other Income	49042.05	32299.81	132436.96	149333.86	133403.62	150171.64
3	TOTAL INCOME (1+2)	304578.14	219486.20	1045961.78	848102.59	1046907.42	848940.37
4	Interest Expended	179360.62	128244.55	619550.53	508434.65	619485.72	508322.57
5	Operating Expenses (i) + (ii)	50559.61	36743.54	164170.99	125995.27	164201.37	126014.65
	(i) Employees cost	29957.13	20263.58	89493.62	63170.44	89510.20	63180.16
	(ii) Other Operating Expenses	20602.48	16479.96	74677.37	62824.83	74691.17	62834.49
	(All items exceeding 10% of the total expenditure excluding interest expenditure may be shown separately)						
6	TOTAL EXPENDITURE (4+5) (Excluding Provisions and contingencies)	229920.23	164988.09	783721.52	634429.92	783687.09	634337.22
7	Operating Profit before Provisions and Contingencies (3-6)	74657.91	54498.11	262240.26	213672.66	263220.33	214603.15
8	Provisions (other than tax) and Contingencies	26949.82	16510.18	68876.49	47442.54	68876.49	47442.54
9	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities before tax (7-8-9)	47708.08	37987.93	193363.77	166230.12	194343.84	167160.61
11	Tax Expense	13175.00	6755.00	52036.98	49205.00	52331.87	49025.80
12	Net Profit (+)/Loss (-) from ordinary Activities after tax (10-11)	34533.08	31232.93	141326.79	117025.12	142011.97	118134.81
13	Extraordinary items (net of tax expense)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Net Profit (+)/Loss (-) for the period (12-13)	34533.08	31232.93	141326.79	117025.12	142011.97	118134.81
15	Paid-up equity share capital (Face value of the Share is ₹10)	14813.06	14343.79	14813.06	14343.79	14813.06	14343.79
16	Reserves excluding revaluation reserves (as per balance sheet of previous accounting year)	698967.83	563142.82	698967.83	563142.82	705337.67	571348.55
17	Analytical Ratios						
	(i) Percentage of shares held by Government of India	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%
	(ii) Capital Adequacy Ratio						
	Basel I	12.90%	15.00%	12.90%	15.00%	13.04%	15.18%
	Tier I	7.95%	9.03%	7.95%	9.03%	8.04%	9.16%
	Tier II	4.95%	5.97%	4.95%	5.97%	5.00%	6.02%
	Basel II	14.11%	15.37%	14.11%	15.37%	14.26%	15.43%
	Tier I	8.69%	9.25%	8.69%	9.25%	8.80%	9.31%
	Tier II	5.42%	6.12%	5.42%	6.12%	5.46%	6.12%
	(iii) Earning Per Share (EPS) (in ₹)						



	क) इस अवधि के, चालू वर्ष तथा गत वर्ष हेतु असाधारण मदों (कर व्ययों का निवल) से पहले मूलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं)	24.05	21.77	98.50	81.58	98.98	82.36
	ख) इस अवधि के, चालू वर्ष तथा गत वर्ष हेतु असाधारण मदों के बाद मूलभूत तथा तनूकृत ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं)	24.05	21.77	98.50	81.58	98.98	82.36
	(iv) एनपीए अनुपात						
	(क) सकल एनपीए	79023.44	65093.72	79023.44	65093.72	79023.44	65093.72
	(ख) निवल एनपीए	39774.35	19724.56	39774.35	19724.56	39774.35	19724.56
	(ग) सकल एनपीए का %	0.91%	1.02%	0.91%	1.02%	0.91%	1.02%
	(घ) निवल एनपीए का %	0.46%	0.31%	0.46%	0.31%	0.46%	0.31%
	(v) आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.12%	1.22%	1.21%	1.28%	1.11%	1.19%
18	सार्वजनिक शेयरधारिता						
	शेयरों की संख्या (वास्तविक)	61440000	61440000	61440000	61440000	61440000	61440000
	शेयरधारिता का प्रतिशत	41.48%	42.83%	41.48%	42.83%	41.48%	42.83%
19	प्रवर्तकों तथा प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता						
	(क) गिरवीकृत/भारग्रस्त						
	शेयरों की संख्या	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता के % के रूप में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की शेयर पूँजी के % के रूप में)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ख) भार-रहित						
	शेयरों की संख्या (वास्तविक)	86692554	82000000	86692554	82000000	86692554	82000000
	शेयरों का प्रतिशत (प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता के % के रूप में)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की शेयर पूँजी के % के रूप में)	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%

बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अर्थात् कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लि. सहित समेकित वित्तीय विवरण ।



	a) Basic and diluted EPS before Extraordinary items (net of tax expense) for the period, for the year to date and for the previous year (Not annualised)	24.05	21.77	98.50	81.58	98.98	82.36
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items for the period, for the year to date and for the previous year (not annualised)	24.05	21.77	98.50	81.58	98.98	82.36
	(iv) NPA Ratios						
	(a) Gross NPA	79023.44	65093.72	79023.44	65093.72	79023.44	65093.72
	(b) Net NPA	39774.35	19724.56	39774.35	19724.56	39774.35	19724.56
	(c) % of Gross NPA	0.91%	1.02%	0.91%	1.02%	0.91%	1.02%
	(d) % of Net NPA	0.46%	0.31%	0.46%	0.31%	0.46%	0.31%
	(v) Return on Assets	1.12%	1.22%	1.21%	1.28%	1.11%	1.19%
18	Public Shareholding						
	Number of Shares (Actuals)	61440000	61440000	61440000	61440000	61440000	61440000
	Percentage of Share Holding	41.48%	42.83%	41.48%	42.83%	41.48%	42.83%
19	Promoters and Promoter Group Shareholding						
	(a) Pledged/ Encumbered						
	Number of Shares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Non-encumbered						
	Number of Shares (Actuals)	86692554	82000000	86692554	82000000	86692554	82000000
	Percentage of Shares (as a % of the total shareholding of promoter and promoter group)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentage of Shares (as a % of the total share capital of the Company)	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%	58.52%	57.17%

Consolidated financial statement is inclusive of the wholly owned subsidiary of the Bank, namely, Corp Bank Securities Ltd.




12.4 स्टॉक मार्केट डाटा - वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में लेनदेन किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक अधिकतम और न्यूनतम दर निम्नानुसार है:

माह	एनएसई			बीएसई		
	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (सं)	अधिकतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (सं)
अप्रैल	552.10	479.00	2240018	552.30	480.20	557269
मई	544.70	492.40	1685236	543.55	495.30	233188
जून	551.65	512.90	1118642	551.50	513.90	332718
जुलाई	575.10	514.90	2145705	573.15	515.65	554190
अगस्त	628.85	569.75	1667887	630.00	569.25	477907
सितंबर	708.40	587.15	3216239	709.10	586.10	663117
अक्टूबर	788.80	694.00	2019062	787.60	691.50	446180
नवंबर	798.65	687.50	1774506	799.25	689.50	366302
दिसंबर	719.30	610.50	1401721	720.30	613.40	189256
जनवरी	637.55	535.55	1566915	635.80	538.80	449298
फरवरी	581.45	536.20	1343457	580.70	534.55	269415
मार्च	638.00	537.80	1777444	638.50	538.15	307356

12.4.1 एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी में उतार-चढ़ाव की तुलना में बैंक की शेयर कीमत का निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

शेयर मूल्य में उतार - चढ़ाव (एन.एस.ई. (₹))






12.4 Stock Market Data - The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and the Bombay Stock Exchange – Mumbai (BSE) during the financial year 2010-11 are as follows:

Month	NSE			BSE		
	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)	High (₹)	Low (₹)	Volume (Nos.)
APRIL	552.10	479.00	2240018	552.30	480.20	557269
MAY	544.70	492.40	1685236	543.55	495.30	233188
JUNE	551.65	512.90	1118642	551.50	513.90	332718
JULY	575.10	514.90	2145705	573.15	515.65	554190
AUGUST	628.85	569.75	1667887	630.00	569.25	477907
SEPTEMBER	708.40	587.15	3216239	709.10	586.10	663117
OCTOBER	788.80	694.00	2019062	787.60	691.50	446180
NOVEMBER	798.65	687.50	1774506	799.25	689.50	366302
DECEMBER	719.30	610.50	1401721	720.30	613.40	189256
JANUARY	637.55	535.55	1566915	635.80	538.80	449298
FEBRUARY	581.45	536.20	1343457	580.70	534.55	269415
MARCH	638.00	537.80	1777444	638.50	538.15	307356

12.4.1. Performance of Bank's share price in comparison with the movement of S&P CNX Nifty is shown here below.

Share Price Movement (NSE) (₹.)





12.5 प्रति शेयर आंकड़े

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
अंकित मूल्य (₹)	10	10	10	10	10
31 मार्च की स्थिति के अनुसार बाजार दर (₹)	289.25	283.05	179.85	481.00	638.15
प्रत्येक ₹ 10 का प्रति शेयर अर्जन (₹)	37.38	51.24	62.24	81.58	98.50
प्रत्येक ₹ 10 का प्रति शेयर लाभांश (₹)	9.00	10.50	12.50	16.50	20.00*
बही मूल्य (₹)	262.51	294.79	341.36	402.60	497.62
लाभांश अदायगी (%)	24.08	20.49	20.07	20.22	24.36

* प्रत्येक ₹ 10 के शेयर हेतु ₹ 20/- का लाभांश संस्तुत

12.6 शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट हैं, जिन्हें पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश में परिवर्तन, ईसीएस अधिदेश (कागज़ी शेयरों के मामले में), शेयरों के अंतरण इत्यादि के बारे में संसूचनाएं भेजी जा सकती हैं। रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट का पता निम्नानुसार है :

मेसर्स कार्बी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनित: कार्पोरेशन बैंक

प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठल राव नगर

माधापुर, हैदराबाद - 500 081

(दूरभाष: 040-44655115/117: फैक्स: 040-44655021)

टोल फ्री नंबर 1-800-3454-001

(ई-मेल: einward.ris@karvy.com)

12.7 शेयर अंतरण प्रणाली

12.7.1 बैंक के ईक्विटी शेयरों से संबंधित सभी मामलों के निपटान करने के अधिकार के साथ 27 मार्च, 2004 से निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की गई। शेयरों का त्वरित अंतरण करने, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने तथा रिमिटिरियलाइसेशन करने हेतु उक्त समिति बारंबार अंतरालों में बैठकें करती रही हैं और यह इस संबंध में बोर्ड को सूचना प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी है। वर्ष के दौरान समिति की 10 बैठकें हुईं।

12.7.2 वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए शेयर अंतरणों की संख्या 17,800 है और 31 मार्च, 2011 को कोई शेयर अंतरण लंबित नहीं है।

12.7.3 **स्थाई खाता संख्या (पीएन):** सेबी के अद्यतन निदेशों तथा सूचीकरण करार के संशोधन के अनुसार कागज़ी शेयरों के निम्नलिखित

लेनदेन करने के लिए अंतरिती द्वारा पैन कार्ड की अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है:

- शेयरों का अंतरण
- मृत शेयरधारक(कों) के नाम का निरसन
- कानूनी वारिसों को शेयरों का अंतरण
- शेयरों का क्रम परिवर्तन - जब नाम के क्रम में कोई परिवर्तन हो।

12.7.4 **कार्पोरेट अभिशासन में हरित पहल:** वर्तमान इलक्ट्रॉनिक युग में बेहतर कार्पोरेट अभिशासन व कार्पोरेट अनुशासन में हरित पहल के रूप में पत्राचार, सूचनाओं व वार्षिक रिपोर्टों का डाक से भौतिक रूप से प्रेषण के विकल्प के रूप में इलक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषण स्वीकार्य पद्धति है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत यह अनुमत है। इससे न केवल कागज़, मुद्रण की लागत को बचाता है तथा सुपुर्दगी का समय भी बचाता है, बल्कि संचार का सुरक्षित व गतिशील तरीका भी है। शेयर धारकों से इसलिए अनुरोध है कि बैंक में अपना ई-मेल पते का पंजीकरण/अद्यतनीकरण करें ताकि बैंक पत्राचार, सूचनाएँ वार्षिक रिपोर्ट आदि भविष्य में पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकें। **डीमैट रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने अपने डिपोज़िटरी पार्टिसिपेंट के पास अपने ई-मेल पते का पंजीकरण/अद्यतनीकरण करें। भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि. को अपना ई-मेल पता भेजें/अद्यतन करें, जो बैंक का पंजीयक हैं, ताकि बैंक में हरित पहल का सहभागी हो सकें।**

12.8 शेयर-धारिता का संवितरण

12.8.1 31-03-2010 की स्थिति की तुलना में 31-03-2011 के अनुसार शेयर धारिता का संवितरण:

धारित ईक्विटी शेयर	31-03-2010 की स्थिति के अनुसार				31-03-2011 की स्थिति के अनुसार			
	शेयर धारकों की सं.	कुल का %	शेयरों की सं.	कुल का %	शेयर धारकों की सं.	कुल का %	शेयरों की सं.	कुल का %
5000 तक	32479	97.36	30390960	2.12	38349	97.07	3330992	2.25
5001 से 10000	411	1.23	316005	0.22	555	1.40	428831	0.29
10001 से 20000	193	0.58	284069	0.20	247	0.63	364949	0.25
20001 से 30000	58	0.17	1444770	0.10	83	0.21	206858	0.14
30001 से 40000	36	0.11	1282000	0.09	35	0.09	121794	0.08
40001 से 50000	18	0.05	832590	0.06	30	0.08	137668	0.09
50001 से 100000	42	0.13	2940720	0.21	67	0.17	479007	0.32
100001 व अधिक	123	0.37	1391508220	97.00	140	0.35	143062455	96.58
कुल	33360	100.00	1434400000	100.00	39506	100.00	148132554	100.00



12.5 Per Share Data

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
Face Value (₹)	10	10	10	10	10
Market quotation as on 31st March (₹)	289.25	283.05	179.85	481.00	638.15
Earning Per Share of ₹10 each (₹)	37.38	51.24	62.24	81.58	98.50
Dividend per share of ₹10 each (₹)	9.00	10.50	12.50	16.50	20.00*
Book Value (₹)	262.51	294.79	341.36	402.60	497.62
Dividend payout (%)	24.08	20.49	20.07	20.22	24.36

*Dividend ₹20/- per Share of ₹10/- each recommended.

12.6 Share Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad is the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, to whom communications regarding change of address, change in Bank Mandate, NECS Mandate (in case of shares in physical mode), transfer of shares, etc. could be addressed. The address of Share Transfer Agent is as under:

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.

Unit: Corporation Bank

Plot No. 17-24, Vittal Rao Nagar

MADHAPUR, Hyderabad - 500 081

(Tel: 040-44655115/117; Fax: 040-44655021)

Toll Free No. 1-800-3454-001

(E-mail: einward.ris@karvy.com)

12.7 Share Transfer System

12.7.1 With effect from 27th March, 2004 a Share Transfer Committee of the Board of Directors was constituted with powers to deal with all matters pertaining to equity shares of the Bank. The Committee had been meeting at frequent intervals for effecting speedy transfer of shares, issuance of duplicate share certificates and re-materialisation and is responsible for submission of information in this regard to the Board. The Committee met 10 times during the year.

12.7.2 Number of share transfers effected during the year 2010-11 was 17800 and the pendency of share transfers as at 31st March, 2011 was NIL.

12.7.3 Permanent Account Number (PAN) : As per SEBI directive and amendment to the Listing Agreement, submission

of attested copy of PAN card by the Transferee/s, is made mandatory for effecting following transactions of Physical shares :

- Transfer of Shares.
- Deletion of name of the deceased shareholder/s
- Transmission of shares to the legal heir/s
- Transposition of shares- when there is a change in the order of names.

12.7.4 Green Initiative in Corporate Governance:

In the present electronic era, as a better corporate governance practice and as part of the Green initiative in Corporate Governance, sending communications, notices and annual reports in electronic form as an alternative to sending the same in physical mode by post has become an acceptable practice as permitted under Information Technology Act, 2000. This not only saves on cost of papers, printing and time taken for delivery, but also acts as a safer and speedier mode of communication. Shareholders are therefore, requested to register/update their e-mail address with the Bank to enable the Bank to send all communications/notices/Annual Report etc., to their registered e-mail address, in future. **Shareholders holding shares in demat mode are requested to register/update their e-mail addresses with the respective Depository Participants. Shareholders holding physical shares are requested to send/update their e-mail address with M/s Karvy computershare Pvt. Ltd., the Registrar of the Bank, at the earliest, to enable the Bank to be a part of this green initiative.**

12.8 Distribution of Shareholding

12.8.1 Distribution of shareholding as on 31-03-2011 vis-à-vis position as at 31-03-2010

Holding Equity Shares	As on 31-03-2010				As on 31-03-2011			
	No. of share holders	% to total	No. of shares	% to total	No. of share holders	% to total	No. of shares	% to total
Upto 5000	32479	97.36	30390960	2.12	38349	97.07	3330992	2.25
5001 to 10000	411	1.23	316005	0.22	555	1.40	428831	0.29
10001 to 20000	193	0.58	284069	0.20	247	0.63	364949	0.25
20001 to 30000	58	0.17	1444770	0.10	83	0.21	206858	0.14
30001 to 40000	36	0.11	1282000	0.09	35	0.09	121794	0.08
40001 to 50000	18	0.05	832590	0.06	30	0.08	137668	0.09
50001 to 100000	42	0.13	2940720	0.21	67	0.17	479007	0.32
100001 & above	123	0.37	1391508220	97.00	140	0.35	143062455	96.58
TOTAL	33360	100.00	1434400000	100.00	39506	100.00	148132554	100.00




12.8.2 बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10/- है। वर्ष के दौरान बैंक ने निदेशक मंडल और दिनांक 15.03.2011 को आयोजित असाधारण महासभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त कर भारत सरकार को अधिमान आधार पर 46,92,554 ईक्विटी शेयर जारी किए, जिनके

ब्योरे इस रिपोर्ट के 7.3 असाधारण महासभा के तहत दिए गए हैं। बैंक ने वर्ष के दौरान ₹ 550 करोड़ के प्रामिजरी नोट की प्रकृति के अप्रतिभूत मोचनयोग्य अपरिवर्तनीय गैर-संचयी गौण बांड भी जारी किए।

12.8.3 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता पैटर्न

क्र. सं.	शेयरधारकों का प्रवर्ग	धारित शेयरों की सं.			कुल धारिता का %
		कागज़ी	डीमैट	कुल	
1.	भारत के राष्ट्रपति	*4692554	82000000	86692554	58.52
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम भारतीय जीवन बीमा निगम मार्केट प्लस-1 भारतीय जीवन बीमा निगम - वेल्थ प्लस	-	35188864 1568647 1000000	37757511	25.49
3.	भारतीय वित्तीय संस्थाएं	-	1830691	1830691	1.24
4.	म्यूचुअल फंड और यूटीआई	100	6759286	6759386	4.57
5.	निगमित निकाय (आईसीबी)	18500	3310096	3328596	2.25
6.	बैंक	200	162518	162718	0.11
7.	विदेशी संस्थागत निवेशक	1100	6761086	6762186	4.56
8.	ओसीबी	5100	-	5100	0.00
9.	एनआरआई	86300	302428	388728	0.26
10.	निवासी व्यक्ति	788755	3656329	4445084	3.00
	योग	5592609	142539945	148132554	100.00

* डीमैट जमा 05.04.2011 को किया गया है, अर्थात् 29.03.2011 को अधिमान आधार पर शेयरों के आबंटन के पश्चात्।



12.8.4 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार कुल विदेशी शेयरधारिता (अनिवासी भारतीय, ओसीबी और एफआईआई) 4.82% रही, जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के 20% के निर्धारित स्तर के भीतर है।

क्र. सं.	प्रवर्ग	31-03-2010 की स्थिति के अनुसार		31-03-2011 की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की सं.	कुल पूंजी का %	शेयरों की सं.	कुल पूंजी का %
1.	विदेशी संस्थागत निवेशक	6071579	4.23	6762186	4.56
2.	ओसीबी	5100	0.00	5100	0.00
3.	एनआरआई	314579	0.22	388728	0.26
	योग	6391258	4.45	7156014	4.82




12.8.2 The equity shares of the Bank have a face value of ₹10/- each. During the year the Bank has issued 46,92,554 Equity shares on preferential basis to the Government of India on its approval by the Board and the shareholders in the Extraordinary General Meeting held on 15.03.2011, the

details of which are furnished under 7.3 Extraordinary General Meeting of this report. The Bank has also raised unsecured redeemable nonconvertible noncumulative subordinated Bonds in the nature of promissory note to the extent of ₹550 crore during the year.

12.8.3 Shareholding Pattern as on 31-3-2011

Sl. No.	Category of Shareholders	No. of shares held			% to total holding
		Physical	Demat	Total	
1.	President Of India	*4692554	82000000	86692554	58.52
2.	LIC OF INDIA LIC OF INDIA MARKET PLUS – 1 LIC OF INDIA – WEALTH PLUS	–	35188864 1568647 1000000	37757511	25.49
3.	Indian Financial Institutions	–	1830691	1830691	1.24
4.	Mutual Funds & UTI	100	6759286	6759386	4.57
5.	Bodies Corporate (ICBs)	18500	3310096	3328596	2.25
6.	Banks	200	162518	162718	0.11
7.	Foreign Institutional Investors	1100	6761086	6762186	4.56
8.	OCBs	5100	–	5100	0.00
9.	NRIs	86300	302428	388728	0.26
10.	Resident Individuals	788755	3656329	4445084	3.00
	TOTAL	5592609	142539945	148132554	100.00

*Demat credit was given on 05.04.2011 i.e. subsequent to allotment of the shares made on 29.03.2011 on preferential basis.



12.8.4 The total foreign shareholding (NRIs, OCBs and FIIs) as at 31st March, 2011 was 4.82% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank.

Sl. No.	Category	As on 31-03-2010		As on 31-03-2011	
		No. of shares	% to total capital	No. of shares	% to total capital
1.	Foreign Inst. Investors	6071579	4.23	6762186	4.56
2.	OCBs	5100	0.00	5100	0.00
3.	NRIs	314579	0.22	388728	0.26
	TOTAL	6391258	4.45	7156014	4.82



12.8.5 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार बैंक के पाँच शीर्ष शेयरधारक

क्र. सं.	शेयरधारक के प्रवर्ग	धारित शेयरों की सं.	कुल धारिता का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	86692554	58.52%
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम (उसकी अनुषंगियों सहित)	37757511	25.49%
3.	रिलायन्स कैपिटल ट्रस्टी कं. लि. खाता रिलायन्स बैंकिंग फंड	1825815	1.23%
4.	मैथ्यूस इंडिया फंड	1719331	1.16%
5.	बजाज एलाएंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1609725	1.09%

12.9 शेयरों का डीमैटिरियलाइज़ेशन एवं चलनिधि

12.9.1 बैंक के शेयर लेनदेन के लिए अनिवार्यतः डीमैट रूप में ही उपलब्ध हैं। जारीकर्ता के रूप में बैंक के शेयरों को डीमैट करने हेतु दोनों डिपॉज़िटरियों अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज़ डिपॉज़िटरीज लि. और सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. के साथ करार किए हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कूट INE112A01015 है।

12.9.2 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार जनता (केंद्र सरकार सहित)

द्वारा धारित ईक्विटी शेयरों के 96.22% को डीमैटिरियलाइज़ किया गया है। 5 अप्रैल 2011 से भारत सरकार को अधिमान आधार पर आबंटित 46,92,554 ईक्विटी शेयरों को डीमैट करने से डीमैट मोड में जनता द्वारा धारित ईक्विटी शेयर 99.39 % तक बढ़ गए हैं और कागज़ी रूप में धारित ईक्विटी शेयर 0.61 % है।

12.10 पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा घोषित तथा वित्त वर्ष 2010-11 हेतु संस्तुत लाभांश के विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रति ₹ 10 के प्रति शेयर की लाभांश दर	रिकार्ड/बही बंदी के दिनांक	लाभांश अदायगी दिनांक
2007-08	₹ 4.50 (अंतरिम) + ₹ 6.00 अंतिम	11-04-2007, 19-06-2008 से 21-06-2008	23-04-2008, 20-08-2008
2008-09	₹ 4.50 (अंतरिम) + ₹ 8.00 अंतिम	13-03-2009, 07-07-2009 से 25-07-2009	20-03-2009, 07-08-2009
2009-10	₹ 16.50	23-06-2010 से 10-07-2010	21-07-2010
2010-11	₹ 20.00	21-06-2011 से 27-06-2011	22-07-2011

12.10.1 जिन शेयरधारकों को पिछले वर्ष का लाभांश प्राप्त नहीं हुआ है, वे सहायता हेतु बैंक के निवेशक सेवा विभाग/मेसर्स कार्वाी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद से संपर्क करें।

12.10.2 निम्नलिखित अदावाकृत लाभांश राशि का शेष कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के साथ यथा पठित बैंकिंग कंपनी

(उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10बी के प्रावधानों के तहत निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में नीचे उल्लिखित विवरणों के अनुसार अंतरित किया जाएगा व इसके पश्चात् शेयरधारकों द्वारा इनके भुगतान के संबंध में दावा न तो बैंक से या आईईपीएफ से किया जा सकेगा।

क्रम सं.	असंदत्त लाभांश खातों के विवरण	सी.ए. खाता सं.	घोषणा का दिनांक	31.03.2011 को शेष (₹)	आईईपीएफ में अंतरण का नियत दिनांक
1.	असंदत्त लाभांश खाता - 1997 - 98	1204	07-07-1998	254793.00	16-10-2013
2.	असंदत्त लाभांश खाता -1998 -99	1210	16-07-1999	912913.00	16-10-2013
3.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -1999 -00	1316	26-10-1999	939116.00	16-10-2013
4.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -1999 -00	1317	25-05-2000	635251.00	16-10-2013
5.	असंदत्त लाभांश खाता -2000 -01	1161	03-08-2001	957340.00	16-10-2013
6.	असंदत्त लाभांश खाता -2001 -02	4140	24-07-2002	694122.00	16-10-2013
7.	असंदत्त लाभांश खाता -2002 -03	5170	14-07-2003	794878.00	16-10-2013



12.8.5 Top five shareholders of the Bank as on 31-3-2011

Sl. No.	Category of Shareholders	No. of shares held	% to total holding
1.	President of India	86692554	58.52%
2.	Life Insurance Corporation of India (including its Associates)	37757511	25.49%
3.	Reliance Capital Trustee Co. Ltd. A/c Reliance Banking Fund.	1825815	1.23%
4.	Matthews India Fund	1719331	1.16%
5.	Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd.	1609725	1.09%

12.9 Dematerialisation of shares and liquidity

12.9.1 Bank's shares are available for trading compulsorily in demat form. As an issuer, the Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. for dematerialisation of shares. The ISIN Code allotted to the Bank's Equity Shares is INE112A01015.

12.9.2 As on 31st March 2011, 96.22% of equity shares held by the public (including Government of India) have been

dematerialised. With effect from 5th April 2011, with the demat of 46,92,554 equity shares allotted to Government of India on preferential basis, the equity shares held by the public in demat mode has increased to 99.39% and 0.61% equity shares held in physical format.

12.10 The details of the dividend declared by the Bank during the past three years and also recommended for the year 2010-2011 are as under:

Year	Rate of Dividend per Share of ₹10 each	Record Date/ Book Closure Dates	Dividend payment date
2007-08	₹4.50 (interim) +₹6.00 (final)	11-04-2007, 19-06-2008 to 21-06-2008	23-04-2008, 20-08-2008
2008-09	₹4.50 (interim) +₹8.00 (final)	13-03-2009, 07-07-2009 to 25-07-2009	20-03-2009, 07-08-2009
2009-10	₹16.50	23-06-2010 to 10-07-2010	21-07-2010
2010-11	₹20.00	21-06-2011 to 27-06-2011	22-07-2011

12.10.1 Shareholders who have not received the dividend for the earlier years may please contact Investor Services Department of the Bank / M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad, for assistance.

12.10.2 The balance of following Unclaimed Dividend Amount will be transferred as per details mentioned below,

to the Investors Education Protection Fund (IEPF) under the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with Section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF, by the shareholders:

Sl. No.	Details of the Unpaid Dividend Accounts	C.A. A/c. No.	Date of Declaration	Balance as on 31.03.2011 (₹)	Due date of transfer to IEPF
1.	Unpaid Dividend Account – 1997 – 98	1204	07-07-1998	254793.00	16-10-2013
2.	Unpaid Dividend Account – 1998 – 99	1210	16-07-1999	912913.00	16-10-2013
3.	Unpaid Interim Dividend Account – 1999 – 00	1316	26-10-1999	939116.00	16-10-2013
4.	Unpaid Final Dividend Account – 1999 – 00	1317	25-05-2000	635251.00	16-10-2013
5.	Unpaid Dividend Account – 2000 – 01	1161	03-08-2001	957340.00	16-10-2013
6.	Unpaid Dividend Account – 2001 – 02	4140	24-07-2002	694122.00	16-10-2013
7.	Unpaid Dividend Account – 2002 – 03	5170	14-07-2003	794878.00	16-10-2013



8.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -2003 -04	5172	16-01-2004	583545.00	16-10-2013
9.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -2003 -04	5174	10-06-2004	563196.00	16-10-2013
10.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -2004 -05	5195	22-01-2005	514373.00	16-10-2013
11.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -2004 -05	5198	21-04-2005	650330.00	16-10-2013
12.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -2005 -06	5202	26-11-2005	785503.00	16-10-2013
13.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -2005 -06	5203	26-04-2006	749388.00	16-10-2013
14.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -2006 -07	5207	24-03-2007	934228.00	30-04-2014
15.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -2006 -07	5208	27-06-2007	1173880.00	03-08-2014
16.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -2007-08	5213	25-03-2008	1075124.00	30-04-2015
17.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -2007 -08	5214	08-08-2008	1509158.00	12-09-2015
18.	असंदत्त अंतरिम लाभांश खाता -2008 -09	5218	26-02-2009	1238173.00	03-03-2016
19.	असंदत्त अंतिम लाभांश खाता -2008 -09	5219	25-07-2009	2196600.00	30-08-2016
20.	असंदत्त लाभांश खाता -2009-10	5235	10-07-2010	4523453.00	15-08-2017

12.11 सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) सुविधा उपलब्ध है, वहाँ वे निवेशकों को एनईसीएस के ज़रिए लाभांश वितरित करने हेतु डिपॉज़िटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खाता विवरण का उपयोग करें। एनईसीएस सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर कंपनियाँ निवेशकों को लाभांश का भुगतान करने हेतु भुगतान लिखत पर, यदि उपलब्ध हो तो, बैंक खाता विवरण मुद्रित करेंगी।

12.11.1 जिन शेयरधारकों ने बैंक अधिदेश या ईसीएस विवरण नहीं दिया है/ बैंक अधिदेश विवरण में परिवर्तन सूचित नहीं किए हैं, वे लाभांश वारंटों की कपटपूर्ण भुनाई से बचने हेतु विवरण प्रस्तुत करें। बैंक अधिदेश प्रस्तुत करने हेतु प्रोफार्मा वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

12.11.2 कृपया नोट करें कि जो शेयरधारक कागज़ी रूप में शेयरों को धारित करते हैं वे रिकार्ड को अद्यतन करने हेतु अपने बैंक अधिदेश विवरण बैंक के निवेशक सेवा विभाग/मेसर्स कार्वा कं.प्यूटरशेयर प्राइवेट लि., हैदराबाद को भेज सकते हैं। जो शेयरधारक डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक) रूप में शेयर धारित करते हैं, वे विवरण को अद्यतन करने हेतु डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क कर सकते हैं।

12.11.3 कागज़ी रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अंतरण, शेयर में ट्रेडिंग में सुविधा तथा कागज़ी शेयर प्रमाणपत्र के खोने आदि से बचने के लिए अपने शेयरों को डिमैटिरीयलाइज करवाएं।

12.12 पत्राचार हेतु पता: बैंक ने मंगलूर में अपने कार्पोरेट कार्यालय में निवेशक सेवा विभाग स्थापित किया है। शेयर अंतरण, संप्रेषण, पते में परिवर्तन, लाभांश की अप्राप्ति, शेयर प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति हेतु/

प्रमाण पत्र खो जाने और शेयरों से संबंधित अन्य मामलों के लिए निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव

निवेशक सेवा विभाग

कार्पोरेशन बैंक, कार्पोरेट कार्यालय

मंगलादेवी मंदिर मार्ग

मंगलूर - 575 001

दूरभाष: 0824-2424971(सीधा) 2426416-420 (विस्तार 482)

फैक्स: 0824-2423853

निवेशक शिकायतें - ई-मेल: isd@corpbank.co.in

12.13 **चलनिधि:** कार्पोरेशन बैंक के शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध किए गए हैं। बड़ी मात्रा में शेयरों के लेनदेन होने के कारण शेयरधारकों को खरीदने/बेचने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

बैंक ने जीडीआर/ एडीआर / वारंट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की हैं।

12.14 बैंक की शाखाएँ पूरे भारत भर में हैं तथा दुबई तथा हांगकांग में दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

13. **एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में कार्पोरेशन बैंक यह विश्वास करता है कि कार्पोरेट अभिशासन सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करना मात्र नहीं है बल्कि पारदर्शी एवं नैतिक तरीके से सभी शेयरधारकों एवं समग्र समाज के हित में उत्तम कार्य करना है।**

14. **सेबी (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2002 का अनुपालन**

14.1 इन विनियमों के अनुसरण में, बैंक के शेयर के लेनदेन हेतु पदानामित कर्मचारियों तथा निदेशकों के लिए भेदिया व्यापार के निवारण



8.	Unpaid Interim Dividend Account – 2003 – 04	5172	16-01-2004	583545.00	16-10-2013
9.	Unpaid Final Dividend Account – 2003 – 04	5174	10-06-2004	563196.00	16-10-2013
10.	Unpaid Interim Dividend Account – 2004 – 05	5195	22-01-2005	514373.00	16-10-2013
11.	Unpaid Final Dividend Account – 2004 – 05	5198	21-04-2005	650330.00	16-10-2013
12.	Unpaid Interim Dividend Account – 2005 – 06	5202	26-11-2005	785503.00	16-10-2013
13.	Unpaid Final Dividend Account – 2005 – 06	5203	26-04-2006	749388.00	16-10-2013
14.	Unpaid Interim Dividend Account – 2006 – 07	5207	24-03-2007	934228.00	30-04-2014
15.	Unpaid Final Dividend Account – 2006 – 07	5208	27-06-2007	1173880.00	03-08-2014
16.	Unpaid Interim Dividend Account – 2007 – 08	5213	25-03-2008	1075124.00	30-04-2015
17.	Unpaid Final Dividend Account – 2007 – 08	5214	08-08-2008	1509158.00	12-09-2015
18.	Unpaid Interim Dividend Account – 2008 – 09	5218	26-02-2009	1238173.00	03-03-2016
19.	Unpaid Final Dividend Account – 2008 – 09	5219	25-07-2009	2196600.00	30-08-2016
20.	Unpaid Dividend Account – 2009-10	5235	10-07-2010	4523453.00	15-08-2017

12.11 SEBI has made it mandatory for all the listed companies to use the Bank Account details furnished by the Depositories for distributing dividends through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors wherever NECS facility is available. In the absence of NECS facility the companies shall print the Bank Account details if available on payment instrument for distribution of dividends to the investors.

12.11.1 The shareholders who have not provided the Bank Mandate or NECS details/change in Bank Mandate details may furnish the same to avoid fraudulent encashment of the dividend warrants. Proforma for furnishing the Bank Mandate is provided separately in the Annual Report.

12.11.2 It may please be noted that the shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Investor Services Department of the Bank or M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd. Hyderabad for updating the record of the shareholders. The shareholders who are holding the shares in demat (electronic) form may approach their Depository Participant for necessary updation of the particulars.

12.11.3 The shareholders holding shares in physical form are requested to dematerialise their shares for convenience in transfer and trading in shares and to prevent loss of physical share certificates, etc.

12.12 Address for Correspondence: The Bank has set up an Investor Services Department at its Corporate Office at Mangalore. For any assistance regarding share transfers, transmissions, change of address, non-receipt of dividend,

duplicate/missing share certificates and other matters pertaining to shares the investors may contact the Bank at the following address:

The Company Secretary
Investor Services Department
Corporation Bank, Corporate Office,
Mangaladevi Temple Road
Mangalore – 575 001

Tel: 0824-2424971(Direct) 2426416-420 (Extn. 482)

Fax: 0824-2421581, 2423853

INVESTOR GRIEVANCES – E-mail: isd@corpbank.co.in

12.13 Liquidity: Corporation Bank shares are listed on both BSE and NSE. The fair volume of trading provides enough entry/exit opportunities to the shareholders.

The Bank has not issued GDRs/ADRs/Warrants or any other convertible instruments.

12.14 The branches of the Bank have spread all over India and have representative office at Dubai and Hongkong.

13. Corporation Bank as a responsible corporate citizen believes that Corporate Governance is not just compliance with statutory requirements but doing what is best in the interest of all the stakeholders and the society at large in a transparent and ethical way.

14. Compliance with SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2002

14.1 In pursuance of the Regulations, the Bank has formulated Code of Conduct for Prevention of Insider Trading



हेतु बैंक ने आचार संहिता बनाई है, जिसमें 12.03.2011 को अंतिम संशोधन किया गया। इन विनियमों के अनुसार बैंक के पदनामित कर्मचारियों तथा निदेशकों से आवधिक सूचना प्राप्त करने हेतु विभिन्न

फार्म बनाए गए हैं। साथ ही निम्नलिखित विवरण के अनुसार बैंक के निदेशकों तथा पदनामित कर्मचारियों हेतु बैंक के शेयरों के लेनदेन हेतु व्यापार विंडो बंद की गई है:

व्यापार विंडो बंद करने की तारीखें	बंद करने का उद्देश्य
14 जुलाई, 2010 से 29 जुलाई, 2010	30 जून, 2010 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा
07 अक्टूबर, 2010 से 22 अक्टूबर, 2010	30 सितंबर, 2010 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा
07 जनवरी, 2011 से 22 जनवरी, 2011	31 दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही हेतु तिमाही वित्तीय परिणामों की घोषणा
15 अप्रैल, 2011 से 30 अप्रैल, 2011	31 मार्च, 2011 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु वार्षिक वित्तीय परिणामों की घोषणा करना तथा लाभांश, यदि कोई हो, तो संस्तुत करना

14.2 इसके साथ ही बैंक ने भेदिया व्यापार के निवारण हेतु कार्पोरेट प्रकटन प्रणाली संहिता भी बनाई है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

15. अधिग्रहण संहिता

15.1 बैंक ने सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण तथा अधिग्रहण) अधिनियम 1997 के यथा संशोधित प्रावधानों का समय-समय पर अनुपालन किया है।

स्थान : मंगलूर
दिनांक: 01.06.2011

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



for Designated Employees and Directors for dealing in Shares of the Bank which was last modified on 12.03.2011. Various forms have been designed to receive periodical information from the Designated Employees and the Directors of the Bank,

as required in terms of these Regulations. Further, the **Trading Window** for dealing in shares of the Bank has been closed for the Directors and Designated Employees of the Bank as per the following details:

Dates of closure of Trading Window	Purpose of closure
14th July, 2010 to 29th July, 2010	Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th June, 2010.
07th October, 2010 to 22nd October, 2010	Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 30th September, 2010.
07th January, 2011 to 22nd January, 2011	Declaration of Quarterly Financial results for the quarter ended 31st December, 2010.
15th April 2011 to 30th April 2011	Declaration of Annual Financial results for the quarter and year ended 31st March, 2011 and to recommend dividend if any.

14.2 The Bank has also framed a Code of Corporate Disclosure Practices for Prevention of Insider Trading and made compliance thereof.

15. Takeover Code

15.1 The Bank has complied time to time with the provision of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 as amended.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mangalore
Date : 01.06.2011

(Ramnath Pradeep)
Chairman & Managing Director



घोषणा

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों तथा बैंक के कोर प्रबंधन हेतु एक आचार संहिता निर्धारित की है जिसे बैंक की वेबसाइट में दिया गया है। बोर्ड के सदस्यों तथा कोर प्रबंधन ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

स्थान : मंगलूर
दिनांक : 10.05.2011

कृते कार्पोरेशन बैंक

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



DECLARATION

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank, which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March 2011.

For Corporation Bank

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ramnath Pradeep', written over a horizontal line.

(Ramnath Pradeep)

Chairman & Managing Director

Place : Mangalore
Date : 10.05.2011



सेवा में


निदेशक मंडल
कार्पोरेशन बैंक

सूचीकरण करार के खण्ड 49 के तहत सीईओ व सीएफओ प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि

- (क) हमने वर्ष (2010-11) हेतु कार्पोरेशन बैंक के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है तथा हमारे अधिकतम ज्ञान व विश्वास के अनुसार:
- इन विवरणों में कोई तथ्यात्मक असत्य विवरण या कोई तथ्यपरक चूक या भ्रामक विवरण नहीं हैं;
 - इसके साथ ही ये विवरण बैंक के कार्यों की सही व उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखांकन मानक, लागू विधियों तथा विनियमों के अनुसार हैं।
- (ख) हमारे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किये हैं जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी हैं या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण कायम करने व बनाए रखने हेतु उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभाविता का मूल्यांकन किया है तथा हमने आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा या परिचालन में यदि कोई कमियां हैं जिनके बारे में हमें मालूम है, लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है तथा हमने इन कमियों को ठीक करने हेतु उपाय किये हैं या प्रस्तावित किये हैं।
- (घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित सूचित किया है:
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया है; तथा
 - हमारी जानकारी में आए कपटों की महत्वपूर्ण घटनाएँ जिनमें प्रबंधन या वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है।

वित्तीय विवरणों की सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों द्वारा भी लेखा-परीक्षा की गई है।



(पी.आर. कारंत)
महा प्रबंधक (लेखे)



(अश्वनी कुमार)
कार्यपालक निदेशक



(नरेन्द्र सिंह)
कार्यपालक निदेशक



(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : मंगलूर

दिनांक : 24-04-2011



To

The Board of Directors
Corporation Bank

CEO & CFO Certificate under Clause 49 of the Listing Agreement

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cashflow statement of Corporation Bank for the year (2010-11) and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (ii) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's codes of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit committee
 - (i) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (ii) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - (iii) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

The financial statements have also been subjected to audit by Statutory Central Auditors

(P. R. Karanth)
General Manager (Accounts)

(Ashwani Kumar)
Executive Director

(Narendra Singh)
Executive Director

(Ramnath Pradeep)
Chairman & Managing Director and CEO

Place : Mangalore
Date : 24.04.2011



कार्पोरेट अभिशासन पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

सेवा में,
कार्पोरेशन बैंक के सदस्यगण
हमने, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में कार्पोरेशन बैंक के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में विनिर्दिष्टानुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु कार्पोरेशन बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।
कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन-वर्ग की है। हमारी जाँच, कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा-परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय एवं सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 के साथ पठित के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करार में यथा विनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
हम स्पष्ट करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गए अभिलेख एवं बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंटों द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई निवेशक शिकायत एक माह से अधिक अवधि हेतु लंबित नहीं है।
हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभाविता जिससे प्रबंधन-वर्ग ने बैंक के क्रियाकलाप संचालित किये हैं।

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-114207W
(डी.के.गुप्ता)
साझेदार (एम.नं. 009032)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-002304N
(विनोद जैन)
साझेदार (एम.नं. 081263)

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
साझेदार (एम.नं. 011854)

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
साझेदार (एम.नं. 006154)

कृते के. वर्गीज़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-004525S
(के. वर्गीज़)
साझेदार (एम.नं. 020674)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
साझेदार (एम.नं. 201107)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of Corporation Bank,
We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Corporation Bank for the year ended on 31st March 2011, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the Corporation Bank with the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.
The compliance of conditions of the corporate governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
In our opinion, and to the best of our information and

according to explanations given to us, and read with Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.
We state that no investor grievances are pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee and certificate given by the Registrar and Transfer Agents of the Bank.
We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

for R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-114207W
(D.K.Gupta)
M.No.009032
Partner

for Vinod Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-002304N
(Vinod Jain)
M.No.081263
Partner

for O.P. Totla & Co.
Chartered Accountants
FRN-000734C
(O.P.Totla)
M.No.011854
Partner

for Rajendra K. Goel & Co.
Chartered Accountants
FRN-001457N
(R.K.Goel)
M.No.006154
Partner

for K.Varghese & Co.
Chartered Accountants
FRN-004525S
(K.Varghese)
M.No.020674
Partner

for V.Narayanan & Co.
Chartered Accountants
FRN-002398S
(N.Ramachandran)
M.No.201107
Partner

Place: Mumbai
Date: April 29, 2011



**वर्ष 2001-02 से 2010-11 तक बैंक का निष्पादन
Bank's Performance from 2001-02 to 2010-11**

(राशि ₹ करोड़ में Amount ₹ in crore)

	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
पूँजी Capital	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	143.44	148.13
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	1902.80	2226.76	2625.21	2911.48	3231.45	3622.01	4085.07	4753.07	5631.43	6989.68
कारोबार मानदंड Business Parameters										
जमा राशियाँ Deposits	18924.27	21724.57	23190.93	27233.16	32876.53	42356.89	55424.42	73983.91	92733.67	116747.50
अग्रिम Advances	10987.41	12029.17	13889.72	18546.38	23962.43	29949.65	39185.57	48512.16	63202.56	86850.40
निवेश Investments	8056.49	10669.90	10685.04	10261.11	10651.99	14417.49	16512.38	24937.77	34522.63	43452.74
कुल आय Total Income	2327.63	2634.29	2717.94	2814.37	3100.93	3996.00	5216.33	7174.57	8481.03	10459.62
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	1320.48	1310.38	1237.24	1120.42	1399.66	2052.37	3073.24	4376.37	5084.35	6195.51
परिचालन व्यय Operating Expenses	384.22	471.38	573.66	636.97	746.75	803.59	891.95	1001.58	1259.95	1641.71
सकल लाभ Operating Profit	622.93	852.52	907.04	1056.98	953.62	1140.04	1251.14	1796.61	2136.73	2622.40
निवल लाभ Net Profit	308.10	415.99	504.13	402.16	444.46	536.14	734.99	892.77	1170.25	1413.27
मुख्य अनुपात Key Ratios										
पूँजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)	17.9	18.5	20.1	16.23	13.92	12.76	12.09	13.66	15.00	# 12.90 ## 14.11
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ (%) Return on Average Assets (%)	1.6	1.88	1.96	1.40	1.29	1.26	1.38	1.28	1.28	1.21
ईक्विटी पर प्रतिलाभ (%) Return on Equity (%)	17.2	17.6	18.2	13.16	13.17	14.24	17.38	18.23	20.26	20.70
प्रति शेयर अर्जन (₹.) Earnings per Share (Rs.)	23.65	29.0	35.15	28.04	30.99	37.38	51.24	62.24	81.58	98.50
प्रति शेयर बही मूल्य (₹.) Book Value per Share (Rs.)	142.64	165.23	193.02	212.98	235.28	262.51	294.79	341.36	402.60	497.62
औसत कार्यकारी निधियों में एनआईएम/NIM to Average Working Funds	3.2	3.6	3.8	3.94	3.56	3.24	2.71	2.26	2.07	2.52
कुल आय में गैर-ब्याज आय Non-interest income to total income (%)	16.41	20.2	19.0	20.06	17.87	15.90	13.42	17.06	17.61	12.66
सकल अग्रिमों में सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances(%)	5.19	5.27	5.03	3.41	2.56	2.05	1.47	1.14	1.02	0.91
निवल अग्रिमों में निवल एनपीए Net NPA to Net Advances (%)	2.31	1.65	1.80	1.12	0.64	0.47	0.32	0.29	0.31	0.46
लाभांश Dividend (%)	4.00	4.50	6.00	6.50	7.00	9.00	10.50	12.50	16.50	20.00*

बेसल I के अनुसार As per Basel I.

बेसल II के अनुसार As per Basel II.

* ₹20/- के लाभांश की सिफारिश की गई है। *Dividend of ₹20/- per share recommended.



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट बेसल-II अपेक्षाओं के अनुपालन के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त प्रकटन

सारणी डीएफ-1

1. अनुप्रयोजन का क्षेत्र

1.1 कार्पोरेशन बैंक समूह में शीर्षस्थ बैंक है जिस पर संशोधित पूंजी पर्याप्त फ्रेमवर्क लागू होता है।

1.2 बैंक की निम्नलिखित अनुषंगी है:

क्र.सं.	अनुषंगी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व प्रतिशत का अनुपात
1.	कार्प बैंक सिक्वु-रिटीज़ लिमिटेड	भारत	100%

अनुषंगी भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखांकन मानक 21 के अनुसार पूर्णतः समेकित हैं।

समूह (मूल एवं इसकी अनुषंगियां) के समेकित वित्तीय परिणाम अंतरा समूह लेनदेनों तथा गैर वसूल लाभ/हानियों का निरसन करने के पश्चात् आस्तियों, देयताओं, आय-व्यय, जैसी मदों को पंक्ति-दर-पंक्ति जोड़कर तथा यथा लागू समरूपी लेखांकन नीतियों के अनुरूप यथावश्यकतानुसार जरूरी समायोजन करके कार्पोरेशन बैंक (मूल) तथा इसकी अनुषंगियों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए गए हैं। अनुषंगियों के वित्तीय विवरण इसी रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 01.04.2010 से 31.03.2011 तक की अवधि हेतु तैयार किए गए हैं।

अनुषंगी इकाई में इसके मूल के निवेश की लागत का अन्तर तथा अधिग्रहण के दिनांक के संदर्भ में अनुषंगी में इसके पैरेंट की ईक्विटी का हिस्सा वित्तीय विवरण में पूंजी आरक्षित के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। लाभ/हानि में अधिग्रहण पश्चात् पैरेंट का हिस्सा राजस्व आरक्षित के प्रति समायोजित किया जाता है।

परिचालन के निवल परिणाम में न्यूनहित तथा अनुषंगी की आस्ति लाभ का वह भाग एवं न्यूनता में श्रेयक निवल आस्ति प्रतिबिंबित करती है।

1.3 बैंक का निम्नलिखित इकाईयों में 20% या उससे अधिक हिस्सा है :

क्र.सं.	इकाई का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व प्रतिशत का अनुपात
1.	चिकमगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक	भारत	35%

1.4 पैरा 1.2 में उल्लिखित उपरोक्त इकाइयां भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के संबंधित लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित की गई है तथा कोई इकाई समानुपातिक रूप में समेकित नहीं की गई है व कोई ऐसी इकाई नहीं है जो न ही समेकित है और न ही हटाई गई है।

1.5 किसी भी अनुषंगी में कोई पूंजी की कमी नहीं है।

1.6 संप्रति बैंक बीमा क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं है।

सारणी डीएफ-2

पूंजी संरचना- 31 मार्च 2011 को

2.1 बैंक की टियर I पूंजी में शामिल हैं : (₹ करोड में)

विवरण	राशि
संदत्त शेयर पूंजी	148.13
आरक्षित निधिया व लाभ-हानि खाता	6,977.72
नवोन्मेषी बेमियादी ऋण	737.50
कुल टियर- I पूंजी (सकल)	7,863.35
घटाएं: 50 % अनुषंगियों में निवेश तथा संयुक्त उद्यम	39.43
कुल टियर- I पूंजी (निवल कटौतियां)	7,823.92

2.2 बैंक ने नवोन्मेषी बेमियादी बांड (टियर I पूंजी) तथा टियर II पूंजी समाविष्ट करने हेतु अन्य पात्र बांड भी जारी किए हैं। कुछ प्रमुख बांड निम्नवत हैं:

क. प्रॉमिजरी नोट (टियर I बांड) के रूप में बेमियादी अप्रतिभूत गैर परिवर्तनीय गौण बांड

(₹ करोड में)

क्र. सं.	आबंटन का दिनांक	बांड राशि	कूपन दर	अवधि	क्रय-विक्रय विकल्प #
1.	19.01.2009	237.50	9.00%	10 साल	कम से कम 10 वर्ष तक लिखतें मौजूद रहने के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।
2.	10.07.2009	300.00	9.15%	10 साल	कम से कम 10 वर्ष तक लिखतें मौजूद रहने के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।
3.	11.08.2009	100.00	9.05%	15 साल	कम से कम 10 वर्ष तक लिखतें मौजूद रहने के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।
4.	26.08.2009	100.00	9.10%	10 साल	कम से कम 10 वर्ष तक लिखतें मौजूद रहने के बाद क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।
कुल		737.50			

केवल भारिबैं के अनुमोदन से ही क्रय विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है।



Additional Disclosures in terms of compliance of Basel – II Requirements as stipulated by Reserve Bank of India

Table DF-1

1. Scope of application

1.1 Corporation Bank is the top bank in the group to which the revised capital adequacy framework applies.

1.2 The bank has following subsidiaries:

Sr. No.	Name of the subsidiary	Country of incorporation	Proportion of ownership percentage
1	Corpbank Securities Ltd.	India	100%

The subsidiaries are fully consolidated as per the Accounting Standard 21 of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Consolidated financial statements of the group (parent and its subsidiaries) have been prepared on the basis of audited financial statements of Corporation Bank (parent) and its subsidiaries, combined on line by line basis adding together like items of assets, liabilities, income and expenses, after eliminating intra group transactions and unrealized profit / losses and making necessary adjustments wherever required to conform to the uniform accounting policies. The financial statements of the subsidiaries are drawn for the same reporting period as of the parent i.e from 01-04-2010 to 31-03-2011.

The difference between the cost to the parent of its investment in subsidiary entity and the parent's portion of its equity in the subsidiary with reference to the date of acquisition is recognized in the financial statements as Capital Reserve. The parent's share of the post acquisition of profits / losses is adjusted against the Revenue Reserve.

The minority interest in the net result of the operation and the asset of the subsidiary, represent that part of profit and the net asset attributable to the minorities.

Series	Date of Allotment	Bond Amount	Coupon Rate	Tenor	Put/ Call Option#
1	19.01.2009	237.50	9.00%	10 YEARS	Call Option may be exercised after the instruments has run for at least 10 years
2	10.07.2009	300.00	9.15%	10 YEARS	Call Option may be exercised after the instruments has run for at least 10 years
3	11.08.2009	100.00	9.05%	15 YEARS	Call Option may be exercised after the instruments has run for at least 10 years
4	26.08.2009	100.00	9.10%	10 YEARS	Call Option may be exercised after the instruments has run for at least 10 years
Total		737.50			

#Call option shall be exercised only with the prior approval of RBI

1.3 Bank is having 20% or more stakes in following entities.

Sl. No.	Name of the Entity	Country of incorporation	Proportion of ownership percentage
1.	Chikmagalur Kodagu Grameena Bank	India	35%

1.4 The entity as given in para 1.2 is consolidated as per the Accounting Standards of ICAI and no entity is pro rata consolidated and there is no entity that is neither consolidated nor deducted.

1.5 There is no capital deficiency in any of the subsidiary.

1.6 The bank presently is not involved in insurance activity.

Table – DF – 2

Capital Structure as on 31st March 2011

2.1 Bank's Tier I capital comprises of

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Paid up share Capital	148.13
Reserves & Profit & Loss account	6,977.72
Innovative Perpetual Debt	737.50
Total Tier –I Capital (Gross)	7,863.35
Less : 50% Investments in Subsidiaries and Joint Ventures	39.43
Total Tier –I Capital (Net of Deductions)	7,823.92

2.2 Bank has issued Innovative Perpetual Bonds(Tier I capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier II capital. Some of the important terms of the bonds are as under:

a. Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I bonds)

(₹ in Crore)



2.3 टियर II की पूंजी (निवल कटौतियां) की राशि ₹ 4,882.28 करोड़ है ।

2.4 टियर II पूंजी के तहत जारी बांड की शर्तें निम्नलिखित हैं:

क) वचन पत्र (अपर टियर II बांड) के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय गौण बांड

(₹ करोड़ में)

श्रंखला	आंबटन की तारीख	बांड राशि	कूपन दर	अवधि	क्रय विकल्प (#)	प्रतिदेय/परिपक्वता
1.	12.12.2008	300	10.10%	15 वर्ष	हाँ	12.12.2023
2.	24.02.2009	700	9.15%	15 वर्ष	हाँ	24.02.2024
3.	06.05.2009	500	8.25%	15 वर्ष	हाँ	06.05.2024
4.	28.05.2009	500	8.37%	15 वर्ष	हाँ	28.05.2024
5.	10.08.2009	250	8.45%	15 वर्ष	हाँ	10.08.2024
6.	11.08.2009	300	8.45%	15 वर्ष	हाँ	11.08.2024
7.	29.04.2010	550	8.75%	15 वर्ष	हाँ	29.04.2025
कुल		3,100				

10 वर्ष की समाप्ति पर क्रय विकल्प

ख) वचन पत्र (लोअर टियर II बांड) के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय गौण बांड

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	आंबटन की तारीख	बांड राशि (₹)	कूपन दर	अवधि (वर्ष में)	परिपक्वता की तारीख
1	24.03.2006	300	7.90%	10 वर्ष	24.03.2016
2	19.03.2008	200	9.30%	10 वर्ष	19.03.2018
3	27.03.2008	300	9.40%	10 वर्ष	27.03.2018
4	03.12.2008	200	10.80%	10 वर्ष	03.12.2018
5	31.03.2009	500	8.85%	10 वर्ष 2 महीने	31.05.2019
कुल		1,500			

2.5 टियर-I और टियर-II पूंजी में शामिल करने हेतु पात्र ऋण लिखतें:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टियर-I	उच्चतर टियर-II	निम्नतर टियर-II
31.3.2011 को समाप्त वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	-	550.00	-
31.3.2011 वर्ष के दौरान कुल बकाया राशि	737.50	3,100.00	1,500.00
31.3.2011 पूंजी निधियों के रूप में परिकलन हेतु पात्र राशि	737.50	3,100.00	1,440.00

2.6 कुल पात्र पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
टियर-I पूंजी	7,823.92
टियर-II पूंजी	4,882.28
कुल पूंजी	12,706.20

सारणी डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

3.1.1 बैंक एकल तथा समेकित स्तर पर 9% से अधिक सीआरएआर तथा 6% से भी अधिक टियर 1 सीआरएआर कायम रखता है ।

3.1.2 बैंक संशोधित रूपरेखा के अनुसार आवश्यक विवेकसम्मत स्तर से अधिक न्यूनतम पूंजी कायम रखता है अर्थात् जो निम्नलिखित से अधिक है ।

क) संशोधित रूपरेखा के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम पूंजी;

ख) बेसल I रूपरेखा के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम पूंजी का 90%

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

3.2.1 ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता ₹7,400.98 करोड़

3.2.2 बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता ₹333.16 करोड़

3.2.3 परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता ₹369.14 करोड़

3.2.4 कुल पूंजी व सीआरएआर

व्यौरे	%
कुल पूंजी अनुपात	14.11
टियर 1 पूंजी अनुपात	8.69



2.3 The amount of Tier – II Capital (capital net of deductions) is ₹ 4,882.28 Crore.

2.4 Terms of the bonds issued under Tier –II Capital are as follows:

A Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes (Upper Tier II bonds).

(₹ in Crore)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (₹)	Coupon Rate	Tenor	Call Option (#)	Redemption/Maturity
1.	12.12.2008	300	10.10%	15 Years	Yes	12.12.2023
2.	24.02.2009	700	9.15%	15 Years	Yes	24.02.2024
3.	06.05.2009	500	8.25%	15 Years	Yes	06.05.2024
4.	28.05.2009	500	8.37%	15 Years	Yes	28.05.2024
5.	10.08.2009	250	8.45%	15 Years	Yes	10.08.2024
6.	11.08.2009	300	8.45%	15 Years	Yes	11.08.2024
7.	29.04.2010	550	8.75%	15 years	Yes	29.04.2025
Total		3,100				

Call Option at the end of 10th Year

B Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes (Lower Tier II bonds):

(₹ in Crore)

Sr. No.	Date of Allotment	Bond Amount (₹)	Coupon Rate	Tenor (in years)	Date of Maturity
1	24.03.2006	300	7.90%	10 Yrs	24.03.2016
2	19.03.2008	200	9.30%	10 Yrs	19.03.2018
3	27.03.2008	300	9.40%	10 Yrs	27.03.2018
4	03.12.2008	200	10.80%	10 Yrs	03.12.2018
5	31.03.2009	500	8.85%	10 Yrs 2 Mth	31.05.2019
Total		1,500			

2.5 Debt Capital Instruments eligible for Inclusion in Tier –I and Tier –II capital:

(₹ in Crore)

Particulars	Tier-I	Upper Tier-II	Lower Tier-II
Amount Raised during the year ended 31.03.2011.	-	550.00	-
Total Amount Outstanding as on 31.03.2011.	737.50	3,100.00	1,500.00
Amount eligible to be reckoned as Capital Fund as on 31.03.2011.	737.50	3,100.00	1,440.00

2.6 The total eligible capital:

(₹ in Crore)

Particulars	Amount
Tier –I Capital	7,823.92
Tier –II Capital	4,882.28
Total Capital	12,706.20

Table DF-3

Capital Adequacy

Qualitative Disclosures:

3.1.1 Bank maintains at both solo and consolidated level CRAR of more than 9% and tier I CRAR of more than 6%.

3.1.2 The bank maintains the minimum capital required as per revised framework above the prudential floor viz., higher of (a) Minimum capital Required as per the revised framework (b) 90% of the minimum capital required as per Basel I framework.

Quantitative Disclosures:

3.2.1 Capital Required for Credit Risk ₹ 7,400.98 Crore

3.2.2 Capital Requirement for Market Risk ₹ 333.16 Crore

3.2.3 Capital for Operational Risk ₹ 369.14 Crore

3.2.4 Total Capital and CRAR

Particulars	%
Total Capital Ratio	14.11
Tier-I Capital Ratio	8.69



सारणी डीएफ-4 ऋण जोखिम-सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटन:

4.1.1 बैंक ने नियामक द्वारा आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण मानदंडों हेतु विगत देय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्यों हेतु) को अपनाया है।

4.1.2 बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है तथा इसे सभी शाखाओं में परिचालित किया गया है। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिचालन प्रबंधनतंत्र की अपेक्षाओं के अनुकूल तथा शीर्ष प्रबंधन की रणनीतियों को सार्थक निर्देशों के रूप में परिचालन स्तर पर परिणत की जाती है। यह नीति बृहत ऋण जोखिम संपार्श्विक ऋण हेतु मानक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा पद्धति, जोखिम केन्द्रीकरण, जोखिम निगरानी तथा मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा विनियामक/विधिक अनुपालन पर विवेकपूर्ण परिसीमाएं निर्धारित करती है।

4.1.3 बैंक संभावित जोखिमों की पहचान करता है तथा इन जोखिमों को मापने, निगरानी करने व नियंत्रित करने हेतु समुचित तकनीकें लागू करता है।

4.1.4 बोर्ड नीति तैयार करता है व विभिन्न ऋण जोखिम एक्सपोजर निर्धारित करता है, ऋण नीति समिति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नीतियों तथा रणनीतियों को कार्यान्वित करती है एवं बैंक आधार पर ऋण जोखिमों की निगरानी करती है तथा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

4.1.5 बैंक (क) एकल तथा समूह उधारकर्ताओं हेतु एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करके (ख) ग्रेड सीमाओं का श्रेणीकरण करके (ग) उद्योगवार एक्सपोजर सीमाएं तथा (घ) अंचलों/राज्यों आदि में ऋण के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करके जोखिम संकेंद्रण का अध्ययन करता है।

4.1.6 बैंक उधार खतों के श्रेणीकरण को किसी उधारकर्ता से संबंधित ऋण जोखिम मापने के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में मानता है तथा तदनुसार बैंक में एकल ऋण श्रेणीकरण पद्धति शुरू की गई। विभिन्न खंडों हेतु सॉफ्टवेयर आधारित रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टमाइज किया गया है व संपूर्ण बैंक में कार्यान्वित किया गया है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

4.2.1. कुल सकल ऋण एक्सपोजर, निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित (₹ करोड़ में)

सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर	राशि
निधि आधारित	
अग्रिम	61,075.85
निवेश	5,224.76
अन्य आस्तियाँ	1,902.23
कुल निधि आधारित	68,202.84
गैर निधि आधारित बाजार संबद्ध तथा गैर बाजार संबद्ध	14,030.24
कुल ऋण जोखिम एक्सपोजर	82,233.08

4.2.2 31 मार्च 2011 को ऋण संवितरण का भौगोलिक वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	ऋण जोखिम		
		निधि	गैर निधि	कुल
1	आंध्र प्रदेश	4,661.02	1,410.70	6,071.72
2	असम	17.86	2.44	20.30
3	बिहार	25.79	4.66	30.45
4	चंडीगढ़	197.26	39.04	236.30
5	छत्तीसगढ़	119.21	21.10	140.31
6	दिल्ली	14,254.45	7,002.11	21,256.56
7	गोवा, दमन एवं दीव	817.48	476.05	1,293.53
8	गुजरात	2,744.05	1,908.33	4,652.38
9	हरियाणा	737.00	270.89	1,007.89
10	हिमाचल प्रदेश	13.12	0.01	13.13
11	जम्मू एवं कश्मीर	6.80	0.38	7.18
12	झारखंड	48.99	22.03	71.02
13	कर्नाटक	13,806.96	1,629.70	15,436.66
14	केरल	1,422.17	47.50	1,469.67
15	मध्य प्रदेश	1,247.15	29.02	1,276.17
16	महाराष्ट्र	30,004.09	8,240.17	38,244.26
17	मेघालय	1.06	0.25	1.31
18	उड़ीसा	115.22	5.76	120.98
19	पाँडिचेरी	30.80	1.85	32.65
20	पंजाब	663.39	83.69	747.08
21	राजस्थान	2,092.03	11.56	2,103.59
22	सिक्कीम	13.91		13.91
23	तमिलनाडु	9,329.00	1,082.73	10,411.73
24	उत्तर प्रदेश	1,921.16	346.57	2,267.73
25	उत्तरांचल	31.44		31.44
26	पश्चिम बंगाल	2,528.99	554.19	3,083.18
27	कुल	86,850.40	23,190.73	1,10,041.13



Table DF-4 Credit Risk - General Disclosures

Qualitative Disclosures:

4.1.1 The Bank has adopted the definition of the past due and impaired assets (for accounting purposes) as defined by the regulator for income recognition and asset classification norms.

4.1.2 Bank has put in place Credit Risk Management policy and the same has been circulated to all the branches. The objectives of the policy are to ensure that the operations are in line with the expectation of the Management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level. The policy stipulates prudential limits on large credit exposure, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentration, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

4.1.3 The Bank identifies the risks to which it is exposed and applies suitable techniques to measure, monitor and control these risks.

4.1.4 Board devises the policy and fixes various credit risk exposures, Risk Management Committee, implements these policies and strategies approved by the Board and monitors credit risks on a bank wide basis and ensures compliance of risk limits.

4.1.5 The Bank monitors the risk concentration by analyzing the actual exposure vis-à-vis exposure limits fixed for single and group borrowers, rating grade-wise limits, Industry wise exposure limits and analyzing the geographical distribution of credit across the Zones / States etc.

4.1.6 Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly a Single scale credit rating system is in place in the Bank. A software driven rating / scoring model for different segments have been customized to suit the Bank's requirements and the same has been put in place across the bank.

Quantitative Disclosures:

4.2.1 Total gross credit risk exposures, Fund Based and Non-fund based

(₹ in Crore)

Gross Credit Risk Exposures	Amount
Fund Based	
Advances	61,075.85
Investments	5,224.76
Other Assets	1,902.23
Total Fund Based	68,202.84
Non Fund Based Market Related & Non- Market Related	14,030.24
Total Credit Risk Exposure	82,233.08

4.2.2 Geographic distribution of exposures as on 31st March 2011

(₹ in Crore)

Sl. No	Name of the State	Exposure		
		Funded	Non-Fund	Total
1	Andhra Pradesh	4,661.02	1,410.70	6,071.72
2	Assam	17.86	2.44	20.30
3	Bihar	25.79	4.66	30.45
4	Chandigarh	197.26	39.04	236.30
5	Chattisgarh	119.21	21.10	140.31
6	Delhi	14,254.45	7,002.11	21,256.56
7	Goa, Daman & Diu	817.48	476.05	1,293.53
8	Gujarath	2,744.05	1,908.33	4,652.38
9	Haryana	737.00	270.89	1,007.89
10	Himachal Pradesh	13.12	0.01	13.13
11	Jammu & Kashmir	6.80	0.38	7.18
12	Jharkhand	48.99	22.03	71.02
13	Karnataka	13,806.96	1,629.70	15,436.66
14	Kerala	1,422.17	47.50	1,469.67
15	Madhya Pradesh	1,247.15	29.02	1,276.17
16	Maharashtra	30,004.09	8,240.17	38,244.26
17	Meghalaya	1.06	0.25	1.31
18	Orissa	115.22	5.76	120.98
19	Pondichery	30.80	1.85	32.65
20	Punjab	663.39	83.69	747.08
21	Rajasthan	2,092.03	11.56	2,103.59
22	Sikkim	13.91		13.91
23	Tamilnadu	9,329.00	1,082.73	10,411.73
24	Uttar Pradesh	1,921.16	346.57	2,267.73
25	Uttaranchal	31.44		31.44
26	West Bengal	2,528.99	554.19	3,083.18
27	Total	86,850.40	23,190.73	1,10,041.13



4.2.3 उद्योगवार वितरण यथा 31.03.2011 को उद्योगवार ऋण संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उद्योग	ऋण जोखिम		कुल
		निधि	गैर निधि	
1.	खनन व उत्खनन (कोयला सहित)	64.22	78.15	142.37
2.	खाद्य प्रसंस्करण			
2.1	चीनी	410.09	17.36	427.45
2.2	खाद्य तेल व वनस्पति	62.63	38.76	101.39
2.3	चाय	7.20		7.20
2.4	अन्य	933.98	91.64	1,025.62
	कुल	1413.9	147.76	1,561.66
3	पेय व तंबाकू	200.49	896.72	1,097.21
4	वस्त्र उद्योग			
4.1	सूती वस्त्र उद्योग	2,112.15	635.1	2,747.25
4.2	जूट वस्त्र उद्योग	1.15		1.15
4.3	मानव निर्मित वस्त्र उद्योग	18.45		18.45
4.4	अन्य वस्त्र उद्योग	1,108.48	149.54	1,258.02
		3,240.23	784.64	4,024.87
5	लेदर तथा लेदर उत्पाद	94.7	21.49	116.19
6	बुड तथा बुड उत्पाद	132.33	142.81	275.14
7	कागज तथा कागज उत्पाद	155.47	19.09	174.56
8	पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद तथा आप्तिक ईंधन	4,010.99	102.08	4,113.07
9	केमिकल्स तथा केमिकल्स उत्पाद			
9.1	उर्वरक	228.92	77.59	306.51
9.2	औषधि तथा फार्मास्यूटिकल्स	944.8	174.33	1,119.13
9.3	पेट्रो केमिकल्स	52.97	173.66	226.63
9.4	अन्य	659.49	368.56	1,028.05
	कुल	1886.18	794.14	2,680.32
10	रबर, प्लैस्टिक तथा उनके उत्पाद	596.46	493.5	1,089.96
11	ग्लास और ग्लासवेअर	95.08	8.65	103.73
12	सिमेंट तथा सिमेंट उत्पाद	783.97	60.90	844.87
13	धातु आधारित तथा धातु उत्पाद			
13.1	लोह तथा इस्पात	3,851.30	416.48	4,267.78
13.2	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद	965.91	126.72	1,092.63
	कुल	4,817.21	543.20	5,360.41
14	सभी इंजीनियरिंग			
14.1	इलेक्ट्रानिक्स	1,497.61	55.03	1,552.64
14.2	अन्य	1,071.09	2,798.65	3,869.74
	कुल	2,568.70	2,853.68	5,422.38
15	वेईकल, वेईकल पार्ट्स, तथा परिवहन साधन	1,768.90	168.06	1,936.96
16	रत्न तथा आभूषण	1,479.27	787.68	2,266.95
17	निर्माण	119.66	356.19	475.85
18	आधारभूत संरचना			
18.1	ऊर्जा	7,226.11	782.57	8,008.68
18.2	दूरसंचार	1,261.65	198.50	1,460.15
18.3	सडक तथा पोर्ट	3,595.40	146.70	3,742.10
18.4	अन्य आधारभूत संरचना	2,783.56	793.27	3,576.83
	कुल	14,866.72	1,921.04	16,787.76
19	अन्य उद्योग	7,044.94	1,970.92	9,015.86
	कुल	45,339.42	12,150.70	57,490.12



4.2.3 Industry Wise distribution as on 31st March 2011

(₹ in crore)

Sl.No.	Industry	Exposure		
		Funded	Non-fund	Total
1	Mining and Quarrying [including Coal]	64.22	78.15	142.37
2	Food Processing			
2.1	Sugar	410.09	17.36	427.45
2.2	Edible Oils and Vanaspati	62.63	38.76	101.39
2.3	Tea	7.20		7.20
2.4	Others	933.98	91.64	1,025.62
	Total	1413.9	147.76	1,561.66
3	Beverage & Tobacco	200.49	896.72	1,097.21
4	Textiles			
4.1	Cotton Textiles	2,112.15	635.1	2,747.25
4.2	Jute Textiles	1.15		1.15
4.3	Man-Made Textiles	18.45		18.45
4.4	Other Textiles	1,108.48	149.54	1,258.02
	Total	3,240.23	784.64	4,024.87
5	Leather & Leather Products	94.7	21.49	116.19
6	Wood & Wood Products	132.33	142.81	275.14
7	Paper & Paper Products	155.47	19.09	174.56
8	Petroleum, Coal Products and Nuclear Fuels	4,010.99	102.08	4,113.07
9	Chemicals & Chemicals Products			
9.1	Fertilizer	228.92	77.59	306.51
9.2	Drugs & Pharmaceuticals	944.8	174.33	1,119.13
9.3	Petro-Chemicals	52.97	173.66	226.63
9.4	Others	659.49	368.56	1,028.05
	Total	1886.18	794.14	2,680.32
10	Rubber, Plastic & their Products	596.46	493.5	1,089.96
11	Glass and Glassware	95.08	8.65	103.73
12	Cement and Cement Products	783.97	60.90	844.87
13	Basic Metal and Metal Products			
13.1	Iron and Steel	3,851.30	416.48	4,267.78
13.2	Other Metal and Metal Products	965.91	126.72	1,092.63
	Total	4,817.21	543.20	5,360.41
14	All Engineering			
14.1	Electronics	1,497.61	55.03	1,552.64
14.2	Others	1,071.09	2,798.65	3,869.74
	Total	2,568.70	2,853.68	5,422.38
15	Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	1,768.90	168.06	1,936.96
16	Gems & Jeweler	1,479.27	787.68	2,266.95
17	Construction	119.66	356.19	475.85
18	Infrastructure			
18.1	Power	7,226.11	782.57	8,008.68
18.2	Telecommunications	1,261.65	198.50	1,460.15
18.3	Roads & Ports	3,595.40	146.70	3,742.10
18.4	Other Infrastructure	2,783.56	793.27	3,576.83
	Total	14,866.72	1,921.04	16,787.76
19	Other Industries	7,044.94	1,970.92	9,015.86
	TOTAL	45,339.42	12,150.70	57,490.12



4.2.4 31 मार्च 2011 को अग्रिमों तथा निवेशों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता भंग

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता पेटर्न	अग्रिम	निवेश	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
अगले दिन	2,283.89	1,312.23	79.40
2 - 7 दिन	2,678.85	962.27	1,752.51
8 -14 दिन	3,078.38	882.07	39.55
15 - 28 दिन	8,851.11	657.26	221.57
29 दिन - 3 माह	14,549.69	8,171.43	943.50
> 3 माह-6 माह	8,962.63	3,963.78	940.12
> 6 माह -1 वर्ष	6,841.11	6,822.62	0.00
> 1 वर्ष - 3 वर्ष	25,754.52	8,128.87	501.95
> 3 वर्ष - 5 वर्ष	8,716.86	8,185.41	160.29
> 5 वर्ष	5,133.36	4,366.80	241.64
कुल	86,850.40	43,452.74	4,880.53

4.2.5 31 मार्च, 2011 को एन.पी.ए. (सकल) राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि
i.	अवमानक	355.76
ii.	संदिग्ध -1	133.36
iii.	संदिग्ध - 2	90.98
iv.	संदिग्ध - 3	24.90
v.	हानि	185.23
vi.	कुल एन पी ए (सकल)	790.23

4.2.6 31 मार्च, 2011 को निवल एन पी ए ₹ 397.74 करोड़

4.2.7 एनपीए अनुपात

क्रम सं.	श्रेणी	%
i.	सकल अग्रिम में सकल एनपीए	0.91
ii.	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	0.46

4.2.8 एनपीए (सकल) का उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि
i.	1 अप्रैल, 2010 वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	650.94
ii.	31 मार्च, 2011 तक की अवधि में परिवर्धन	812.94
iii.	31 मार्च, 2011 तक की अवधि में कटौती	673.65
iv.	31 मार्च, 2011 को अंतिम शेष	790.23

4.2.9 एन.पी.ए. हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि
i.	1 अप्रैल, 2010 वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	426.48
ii.	31 मार्च, 2011 तक की अवधि तक किए गए प्रावधान	547.76
iii.	चालू वर्ष में 31 मार्च, 2011 तक बट्टे खाते डाला गया	542.70
iv.	31 मार्च, 2011 तक वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	68.49
v.	31 मार्च, 2011 को अंतिम शेष	363.05

4.2.10 31 मार्च, 2011 को गैर-निष्पादक निवेश की राशि ₹ 10.85 करोड़ है।

4.2.11 गैर-निष्पादक निवेश हेतु प्रावधान की गई राशि ₹ 10.85 करोड़ है।

4.2.12 निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणी	राशि
i.	1 अप्रैल, 2010 वर्ष के प्रारंभ में अथशेष	56.48
ii.	31 मार्च, 2011 तक वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	79.71
iii.	घटाएं: 31 मार्च, 2011 तक वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन बट्टे खाते लिखना	49.61
iv.	31 मार्च, 2011 को अंतिम शेष	86.58

सारणी डीएफ 5

ऋण जोखिम:

गुणात्मक प्रकटन:

5.1.1 उधारकर्ता ग्राहकों हेतु रेटिंग सुगम बनाने के लिए, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट/अनुमोदित निम्नलिखित रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। ऐसे प्राप्त रेटिंग सीआरएआर की गणना हेतु उपयोग की जाएगी।

- सीएआरई
- सीआरआईएसआईएल
- आईसीआरए
- फिच इंडिया

5.1.2 उपरोक्त बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा आंबटित रेटिंग उन सभी ऋण जोखिमों हेतु उपयोग की जा रही है, जिसकी बेसल II के तहत सीआरएआर परिकलनों हेतु मानक दृष्टिकोण के तहत जोखिम निर्धारण प्रक्रिया के अधीन रेटिंग की जाती है।

5.1.3 उन आस्तियों हेतु जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर है, उनके लिए अल्पकालीन रेटिंग उपयोग की जाती है जबकि अन्य आस्तियों हेतु दीर्घ कालीन रेटिंग उपयोग की जाती है नकदी ऋण/ओवर ड्राफ्ट तथा अन्य परिक्रामी ऋण जोखिमों हेतु दीर्घ कालीन ऋण रेटिंग ली जाती है।



4.2.4 Residual Contractual Maturity Break down of advances and investments as on 31st March 2011

(₹ in Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
Next day	2,283.89	1,312.23	79.40
2 - 7 days	2,678.85	962.27	1,752.51
8 -14 days	3,078.38	882.07	39.55
15- 28 days	8,851.11	657.26	221.57
29days - 3months	14,549.69	8,171.43	943.50
>3months-6months	8,962.63	3,963.78	940.12
>6months-1yr	6,841.11	6,822.62	0.00
>1yr-3yrs	25,754.52	8,128.87	501.95
>3yrs-5yrs	8,716.86	8,185.41	160.29
>5yrs	5,133.36	4,366.80	241.64
Total	86,850.40	43,452.74	4,880.53

4.2.5 Amount of NPAs (Gross) as on 31st March 2011:

(₹ in Crore)

Sl.No.	Category	Amount
i.	Sub –Standard	355.76
ii.	Doubtful –1	133.36
iii.	Doubtful – 2	90.98
iv.	Doubtful – 3	24.90
v.	Loss	185.23
vi.	Total NPA [Gross]	790.23

4.2.6 Net NPA as on 31st March 2011 ₹ 397.74 Crore

4.2.7 NPA Ratios

Sl. No.	Category	%
i.	Gross NPA to Gross Advances	0.91
ii.	Net NPA to Net Advances	0.46

4.2.8 Movement of NPA's (Gross)

(₹ in Crore)

Sl. No.	Category	Amount
i.	Opening balance at the beginning of the year 1st April 2010	650.94
ii.	Additions during the Year till 31st March 2011	812.94
iii.	Reductions during the Year till 31st March 2011	673.65
iv.	Closing balance as on 31st March 2011	790.23

4.2.9 Movement of Provisions for NPA

(₹ in Crore)

Sl. No.	Category	Amount
i.	Opening balance at the beginning of the year 1st April 2010	426.48
ii.	Provisions made during the year till 31st March 2011	547.76
iii.	Written off during the current year till 31st March 2011	542.70
iv.	Write back of excess provision made during the year till 31st March 2011	68.49
v.	Closing balance as on 31st March 2011	363.05

4.2.10 Amount of Non-Performing Investment as on 31st March 2011 is ₹ 10.85 Crore.

4.2.11 Amount of provision held as on 31st March 2011 for non-performing investment ₹ 10.85 Crore.

4.2.12 Movement of Provisions for Depreciation on Investments.
(₹ in Crore)

Sl. No.	Category	Amount
i.	Opening balance at the beginning of the year 1st April 2010	56.48
ii.	Provisions made during the year till 31st March 2011	79.71
iii.	Less write-off 'Write-back of excess provision during the year till 31st March 2011	49.61
iv.	Closing balance as on 31st March 2011	86.58

Table DF- 5

Credit Risk:

Qualitative Disclosures:

5.1.1 Bank has approved the following rating agencies identified/ approved by RBI to facilitate the borrower customers to solicit the ratings. The rating so obtained shall be used for the purpose of computation of CRAR.

- CARE
- CRISIL
- ICRA
- Fitch India

5.1.2 The rating assigned by the above external rating agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

5.1.3 For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit / Over Draft and other revolving Credit exposures long-term ratings are taken.



परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	100% जोखिम भार से कम		100% जोखिम भार		100% जोखिम भार से अधिक		कुल	
	बही मूल्य	आर.डब्ल्यू.ए.	बही मूल्य	आर.डब्ल्यू.ए.	बही मूल्य	आर.डब्ल्यू.ए.	बही मूल्य	आर.डब्ल्यू.ए.
निधि आधारित								
ऋण एवं अग्रिम	4,1955.34	17,911.68	33,705.88	31,006.09	11,189.19	12,158.08	86,850.41	61,075.85
निवेश	23,886.02	0.00	5,155.35	5,155.35	46.27	69.41	29,087.64	5,224.76
अन्य आस्तियाँ	2,289.92	457.99	1,444.24	1,444.24	0.00	0.00	3,733.89	1902.23
गैर निधि आधारित								
गैर बाजार संबद्ध	11,942.88	4,383.88	11,262.09	7,285.6	1,554.9	1,400.45	24,759.87	13,069.93
बाजार संबद्ध	29,166.07	960.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.07	960.31

सारणी डीएफ - 6 ऋण जोखिम कम करना: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

6.1.1 दैनिक परिचालनों के दौरान आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने हेतु बैंक विभिन्न पद्धतियों एवं तकनीकों को अपनाते हैं। विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

- (1) संपार्श्विक लेनदेन
- (2) गारंटियां

6.1.2 पात्र वित्तीय संपार्श्विक:

निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विकों को बैंक द्वारा ऋण जोखिम कम करने के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

- i. विदेशी मुद्रा में जमा सहित नकदी तथा जमा
- ii. स्वर्ण: 99.99% परिशुद्धता में गुणनिर्धारित।
- iii. केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
- iv. किसान विकास पत्र तथा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
- v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ
- vi. ऋण प्रतिभूतियाँ-श्रेणीकृत तथा ऋण प्रतिभूतियाँ-अश्रेणीकृत लेकिन बैंकों द्वारा जारी
- vii. म्यूचुअल फंड की यूनितें

6.1.3 गारंटियां:

प्रतिपार्टी से कम जोखिम भारवाली संस्थाओं द्वारा जारी गारंटियों को जोखिम कम करने के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

सरकारों, सरकारी संस्थाओं (ईसीजीसी तथा सीजीटीएसएमई सहित) से आवश्यकतानुसार गारंटी प्राप्त की जाती है।

परिमाणात्मक प्रकटन

6.2.1 मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत प्रकटित ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु निम्नलिखित द्वारा कवर कुल ऋण जोखिम:

पात्र वित्तीय संपार्श्विक
जमाराशियाँ
स्वर्ण आभूषण
केवीपी/एनएससी/एलआईसी/
सरकारी प्रतिभूतियाँ

पूँजी राहत

₹ 296.73 करोड़

₹ 63.37 करोड़

₹ 13.61 करोड़

सारणी डीएफ - 7- प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण: शून्य.

सारणी डीएफ-8

व्यापारिक बही में बाजार जोखिम

1.1 बैंक ने बाजार जोखिम हेतु पूँजी प्रभार के परिकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है।

1.2 बाजार जोखिम हेतु पूँजीगत अपेक्षाएं निम्नानुसार है:

जोखिम श्रेणी	(₹ करोड़ में)
i) ब्याज दर जोखिम	215.18
ii) ईक्विटी स्थिति जोखिम	113.17
iii) विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	4.82
iv) बाजार जोखिमों हेतु कुल पूँजीगत प्रभार के तहत मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (i + ii + iii)	333.17

सारणी - डीएफ- 9

परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन, सूचना सिस्टम सुरक्षा, अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) तथा एंटी मनी लांडरिंग (एएमएल), व्यापार निरंतरता तथा आपदा निस्तार प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण नीतियों को लागू किया है।

सभी महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों पर अद्यतन मैनुअल बैंक के इंटरनेट पर उपलब्ध कराए गए हैं। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा लागू है तथा सभी शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है।



Quantitative Disclosure

(₹ in Crore)

Particulars	Below 100% Risk weight		100% Risk Weight		More than 100% Risk Weight		Total	
	Book Value	RWA	Book Value	RWA	Book Value	RWA	Book Value	RWA
Fund Based								
Loans & Advances	4,1955.34	17,911.68	33,705.88	31,006.09	11,189.19	12,158.08	86,850.41	61,075.85
Investments	23,886.02	0.00	5,155.35	5,155.35	46.27	69.41	29,087.64	5,224.76
Other Assets	2,289.92	457.99	1,444.24	1,444.24	0.00	0.00	3,733.89	1902.23
Non Fund Based								
Non Market Related	11,942.88	4,383.88	11,262.09	7,285.6	1,554.9	1,400.45	24,759.87	13,069.93
Market Related	29,166.07	960.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29,166.07	960.31

Table DF- 6 – Credit Risk Mitigation: Disclosures for standardized Approaches

Qualitative Disclosures:

6.1.1 Bank employs various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks it is exposed to in its daily operations. The various Credit Risk Mitigants (CRM) are as under:

- (1) Collateralized transactions
- (2) Guarantees

6.1.2 Eligible financial collateral:

The following financial collaterals are recognized as Credit Mitigants by the Bank.

- i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii. Gold : benchmarked to 99.99% purity
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated and Debt Securities -not rated but issued by banks
- vii. Units of mutual funds

6.1.3 Guarantees

Guarantees issued by entities with a lower risk weight than the counterparty shall be accepted as a credit risk Mitigant.

Guarantee of the Sovereigns, sovereign entities (including ECGC and CGTSME) are obtained wherever warranted.

Quantitative Disclosures

6.2.1 For disclosed credit risk portfolio under the standardized approach, the total exposure that is covered by Eligible financial collateral after the application of haircuts

Eligible financial collateral	Capital Relief availed
Deposits	₹ 296.73 Cr
Gold jewels	₹ 63.37 Cr
KVP/NSC/LIC/Govt Securities	₹ 13.61 Cr

Table DF- 7 – Securitization: Disclosure for Standardized approach- Nil .

Table DF-8

Market Risk in trading Book

1.1 Bank has adopted the Standardized Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge to market risk.

1.2 The capital requirements for market risk are as under:
(₹ in Crore)

Risk Category	
i) Interest Rate Risk	215.18
ii) Equity Position Risk	113.17
iii) Foreign Exchange Risk (including Gold)	4.82
iv) Total capital charge for market risks under Standardised duration approach	333.17

Table DF-9

Operational Risk

Qualitative disclosures

The Bank has put in place important policies like Operational Risk Management; Information System Security, Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML); Business Continuity and Disaster recovery Management.

Updated manuals on all-important functional areas have been made available on the Bank's Intranet. Risk Based Internal Audit is in place and all the branches are subjected to Risk Based Internal Audit



परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति संगठनात्मक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा इसमें विभिन्न परिचालन जोखिमों की पहचान, निर्धारण/आकलन तथा नियंत्रण की प्रक्रिया शामिल है। परिचालन जोखिमों को कम करने तथा नियंत्रित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण पद्धति लागू की गयी है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण: मूलभूत सूचक दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम के लिए अपेक्षित पूँजी प्रभार: ₹ 369.14 करोड़।

सारणी डीएफ-10

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

गुणात्मक प्रकटन

ब्याज दर जोखिम से तात्पर्य बैंक के निवल ब्याज आय में उतार चढ़ाव तथा आंतरिक और बाहरी तथ्यों से उत्पन्न इसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य से है। आंतरिक तथ्यों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं का संघटन गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाओं, उधार राशियों, ऋणों तथा निवेशों के पुर्नमूल्यनिर्धारण आदि शामिल है। बाहरी तथ्य सामान्य आर्थिक परिस्थितियों को कवर करते हैं। बढ़ती या घटती ब्याज दरें तुलन पत्र अवस्थिति के अनुसार बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन पत्र के आस्ति तथा देयता दोनों पक्ष में व्याप्त हैं।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को), तुलन पत्र जोखिमों के पहचान एवं समीक्षा हेतु समुचित पद्धति एवं प्रणालियों को तैयार करने तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के दक्ष प्रबंधन हेतु मानदंड निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है। अतः आल्को आवधिक तौर पर जोखिमों एवं प्रतिलाभ की निगरानी एवं नियंत्रण करता है, निधियन/अभिनियोजन, बैंक के उधार एवं जमा दरों का निर्धारण करता है तथा बैंक के निवेश क्रियाकलापों को निर्देशित करता है। आल्को

विशिष्ट जोखिम प्रकारों (अर्थात ब्याज दर, तरलता आदि) बनाम ऋणों का स्वीकृत स्तर स्पष्टतः निर्देशित करते हुए बाजार जोखिम रणनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल के जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) एएलएम हेतु पद्धति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण करती है तथा आवधिक तौर पर उसकी कार्यात्मकता की समीक्षा करती है एवं समुचित निर्देश देती है। यह बाजार जोखिम प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

ब्याज दर अंतर विश्लेषण, अवधि विश्लेषण के द्वारा ब्याज दर एक्सपोजर स्तर आंका जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रत्येक माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार तैयार की गई ब्याज दर संवेदनशीलता (पुर्नमूल्यनिर्धारण अंतर) विवरणी के द्वारा मासिक अंतरालों में ब्याज दर जोखिम की निगरानी करने हेतु निर्देश दिया है। तदनुसार, एएल-सीओ मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी की समीक्षा करता है।

बैंक के आस्तियों तथा देयताओं के आर्थिक मूल्य पर बदलते ब्याज दरों के प्रभाव का अनुमान लगाने हेतु बैंक अवधि अंतर विश्लेषण (त्रैमासिक आधार पर) करती है तथा ऐसे ईक्विटी की बाजार मूल्य (एम वी ई) में बदलाव निर्धारित करती है।

परिमाणात्मक प्रकटन

1. 100 बीपीएस ब्याज दर आघात हेतु जोखिम पर आय: (+/-) ₹ 121.92 करोड़.
2. 200 बीपीएस ब्याज दर आघात हेतु ईक्विटी के बाजार मूल्य में बदलाव 12.55% है।



The Operational Risk Management Policy outlines the Organization Structure and covers the process of identification, assessment / measurement and control of various operational risks. Internal control mechanism is in place to control and minimize the operational risks.

Quantitative Disclosures:

Capital Charge required to be maintained for Operational Risk under Basic Indicator Approach – ₹ 369.14 Crore.

Table DF-10**Interest rate risk in the banking book (IRRBB)****Qualitative Disclosures**

Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset - Liability Management Committee (ALCO) which is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management

Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board of Directors (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and reviews its functioning periodically and provides direction. It reviews various decisions taken by the Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk.

Interest rate risk exposure is measured with Interest Rate Gap analysis, Duration analysis. RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared as the last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis.

Bank also carries out Duration Gap analysis (on monthly basis) to estimate the impact of change in interest rates on economic value of Bank's assets and liabilities and thus arrive at changes in Market Value of Equity (MVE).

Quantitative Disclosures

1. Earnings at Risk for 100 bps interest rate shock as on assets and liabilities is (+/-) ₹ 121.92 Crore
2. Change in the Market Value of Equity for 200 bps interest rate shock is 12.55 %



लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रतिष्ठा में

भारत के राष्ट्रपति

- हमने 31 मार्च, 2011 तक के, कार्पोरेशन बैंक के तुलन-पत्र और इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 980 शाखाओं एवं 361 अलेखा परीक्षित शाखाओं तथा 55 अलेखा परीक्षित प्रशासनिक कार्यालयों की विवरणियाँ जिसका प्रमाणन शाखा प्रबंधकों द्वारा किया गया है, सम्मिलित की गई हैं। बैंक ने, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुस्यू किया है। अलेखा परीक्षित शाखाएँ अग्रिम का 0.52%, जमाराशियों का 2.24%, ब्याज आय के 0.42% तथा ब्याज व्यय का 1.71% हैं। हमने उस दिनांक को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र के साथ संलग्न नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन वर्ग के उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षाओं के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है।
- हमने लेखा-परीक्षा संबंधी अपना कार्य भारत में लेखा-परीक्षा के सामान्यतः स्वीकृत मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु योजना बनाकर लेखा परीक्षा का कार्य संपन्न करें कि वित्तीय विवरण तात्विक अथवाथार्थ विवरणों से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में जाँच के तौर पर, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित होता है। किसी लेखापरीक्षा में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षाएँ हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
- तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे को, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के प्रपत्र क्रमशः "क" और "ख" में तैयार किया गया है।
- उपर्युक्त पैरा 1 में इंगित लेखा-परीक्षा की सीमाओं के अध्यक्षीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 में समाविष्ट प्रकटन की सीमाओं के अधीन;

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

- हमारी राय में एवं अधिकतम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा बैंक की खाता बहियों में दर्शाए अनुसार:
 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों के अभिन्न अंग टिप्पणियों के साथ पठित यह तुलन-पत्र, एक संपूर्ण एवं यथोचित तुलन-पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण हैं और यह 31 मार्च, 2011 को बैंक की स्थिति को सही एवं स्पष्ट रूप से दर्शाने हेतु भली-भाँति तैयार किया गया है।
 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और लेखों के अभिन्न अंग टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि खाता, लाभ का सही शेष दर्शाता है।
 - विवरण में शामिल नकदी प्रवाह विवरण वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुस्यू है।
 - हमारे अभिमत को सीमित किए बिना हम वित्तीय विवरणों के लेखों (अनुसूची 18) का अभिन्न अंग, टिप्पणी सं. 21.7 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः देना तथा ग्रैच्युटी सीमाओं में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक व्यवस्था" पर अपने परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 के द्वारा लेखा मानक (एएस)15, कर्मचारी हित लाभ के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने के परिणामस्वरूप ₹442.02 करोड़ की हद तक बैंक की पेंशन देयता को आस्थगित करने के संबंध में वर्णित करता है।
- हमने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ ज़रूरी समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है;
- बैंक के जो लेनदेन हमारे ध्यान में आए वे बैंक के अधिकारों के भीतर है ;
- बैंक की शाखाओं एवं कार्यालयों से प्राप्त विवरण हमारे लेखा-परीक्षा हेतु पर्याप्त पाए गए हैं।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार FRN-114207W

(डी.के.गुप्ता)

साझेदार (एम.नं.009032)

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.

सनदी लेखाकार FRN-001457N

(आर. के. गोयल)

साझेदार (एम.नं.006154)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार FRN-002304N

(विनोद जैन)

साझेदार (एम.नं.081263)

कृते के. वर्गीज एण्ड कं.

सनदी लेखाकार FRN-004525S

(के. वर्गीज)

साझेदार (एम.नं.020674)

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.

सनदी लेखाकार FRN-000734C

(ओ.पी.टोटला)

साझेदार (एम.नं.011854)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.

सनदी लेखाकार FRN-002398S

(एन. रामचन्द्रन)

साझेदार (एम.नं.201107)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29 अप्रैल, 2011



AUDITORS' REPORT

To

The President of India

- 1 We have audited the attached Balance Sheet of CORPORATION BANK as at 31st March 2011 and the Profit and Loss Account annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us, 980 branches audited by other Auditors, 361 un-audited branches and 55 un-audited administrative offices, the returns of which are certified by the Branch Managers. The branches audited by us and the branches audited by other Auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. The un-audited branches account for 0.52% of advances, 2.24% of deposits, 0.42% of interest income and 1.71% of interest expense. We have also audited the cash flow statement as stated in Notes forming part of accounts for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- 2 We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- 3 The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in form "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 4 Subject to the limitations of the audit, indicated in paragraph 1 above, and the limitations of disclosures contained in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980;

We report that:

- a. In our opinion and to the best of our information, and according to the explanations given to us, and as shown by the Books of the bank:
 - (i) the Balance sheet, read together with the Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Accounts, is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2011;
 - (ii) the Profit and Loss Account read together with the Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Accounts, shows a true balance of profit.
 - (iii) the cash flow statement gives a true and fair view of the cash flows for the year covered by the Statement and are in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - (iv) Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.21.7 forming integral part of the accounts (Schedule 18) to the financial statements, which describes deferment of pension liability of the bank to the extent of ₹442.02 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS)15, Employee Benefits vide its circular no.DBOD. BP.BC/80/21.04.018/ 2010-11 on Re-Opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment".
- b. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory;
- c. The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank;
- d. The returns received from the offices and branches of the bank have been found adequate for the purposes of our audit.

As per our Report of even date

for R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants FRN-114207W

[D.K.Gupta]
PARTNER (M.No.009032)

for Rajendra K. Goel & Co.
Chartered Accountants FRN-001457N

[R.K.Goel]
PARTNER (M.No.006154)

for Vinod Kumar & Associates
Chartered Accountants FRN-002304N

[Vinod Jain]
PARTNER (M.No.081263)

for K.Varghese & Co.
Chartered Accountants FRN-004525S

[K.Varghese]
PARTNER (M.No.020674)

for O.P. Totla & Co.
Chartered Accountants FRN-000734C

[O.P.Totla]
PARTNER (M.No.011854)

for V.Narayanan & Co.
Chartered Accountants FRN-002398S

[N.Ramachandran]
PARTNER (M.No.201107)

Place : Mumbai
Date: April 29, 2011



कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2011 की स्थिति का तुलन पत्र BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2011

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As on 31.03.2011 ₹	यथा As on 31.03.2010 ₹
पूँजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	148,13,06	143,43,78
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	6989,67,82	5631,42,82
जमा राशियाँ Deposits	3	116747,49,77	92733,66,53
उधार राशियाँ Borrowings	4	15965,38,15	9077,52,56
अन्य देयताएँ व प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	3657,90,51	4081,24,17
योग TOTAL		143508,59,31	111667,29,86
आस्तियाँ ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8142,31,58	8835,03,42
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at call and short notice	7	2250,19,14	1956,88,86
निवेश Investments	8	43452,74,23	34522,62,76
अग्रिम Advances	9	86850,40,42	63202,56,22
स्थायी आस्तियाँ Fixed Assets	10	331,01,40	292,69,14
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	2481,92,54	2857,49,46
योग TOTAL		143508,59,31	111667,29,86
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	48702,39,43	40964,77,72
उगाही के लिए बिल Bills for collection		4718,51,92	3762,13,98
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(नरेंद्र सिंह)
कार्यपालक निदेशक
(अश्वनी कुमार)
कार्यपालक निदेशक
पी. आर. कारंत, महा प्रबंधक
के. रामदास प्रभु, उप महा प्रबंधक

निदेशक
ललित कुमार
ग्रेस कोशी
वी. रघुरामन
कौशिक कुमार घोष
राज कुमार अग्रवाल
वेंकटराव वाई. घोरपडे
हीरेन मेहता
थॉमस मैथ्यू टी.
अजय गर्ग

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-114207W
(डी.के. गुप्ता)
साझेदार (एम.नं. 009032)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-002304N
(विनोद जैन)
साझेदार (एम.नं. 081263)

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
साझेदार (एम.नं. 011854)

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
साझेदार (एम.नं. 006154)

कृते के. वर्गीज़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-004525S
(के. वर्गीज़)
साझेदार (एम.नं. 020674)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
साझेदार (एम.नं. 201107)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011



31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2011

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended on 31.03.2011 ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended on 31.03.2010 ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	9135,24,83	6987,68,73
अन्य आय Other income	14	1324,36,95	1493,33,84
योग TOTAL		10459,61,78	8481,02,57
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	6195,50,53	5084,34,65
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	1641,70,99	1259,95,27
प्रावधान और आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		1209,13,47	966,47,54
योग TOTAL		9046,34,99	7310,77,46
III. लाभ PROFIT			
वर्ष का निवल लाभ Net Profit for the year		1413,26,79	1170,25,11
योग TOTAL		1413,26,79	1170,25,11
IV. विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		375,00,00	350,00,00
कर्मचारी कल्याण निधि में अन्तरण Transfer to Staff Welfare Fund		15,00,00	15,00,00
(निवल) निवेश आरक्षित निधि से/में अन्तरण Transfer from/to (net) Investment Reserve		—	—
आरक्षित पूँजी में अन्तरण Transfer to Capital Reserve		3,05,34	220,22,95
विशेष आरक्षित निधियाँ Special Reserves		91,00,00	78,00,00
सामान्य आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to General Reserves		584,88,78	23012,65
प्रदत्त अंतरिम लाभांश Interim Dividend Paid		—	—
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		296,26,51	236,67,27
प्रदत्त अंतरिम लाभांश पर कर Tax on Interim Dividends Paid		—	—
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax on Dividends Proposed		48,06,16	40,22,25
योग TOTAL		1413,26,79	1170,25,12
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning per share (₹)		98.50	81.58

As per our Report of even date

[Ramnath Pradeep]
Chairman & Managing Director
[Narendra Singh]
Executive Director
[Ashwani Kumar]
Executive Director
P.R.Karanth, General Manager
K.Ramdas Prabhu, Dy. Gen. Manager

Directors
 Lalit Kumar
 Grace Koshie
 V.Raghuraman
 Kaushik Kumar Ghosh
 Raj Kumar Agrawal
 Venkatrao Y Ghorpade
 Hiren Mehta
 Thomas Methew T
 Ajay Garg

for R. Devendra Kumar & Associates
 Chartered Accountants FRN-114207W
[D.K.Gupta]
 Partner (M.No.009032)
for Vinod Kumar & Associates
 Chartered Accountants FRN-002304N
[Vinod Jain]
 Partner (M.No.081263)
for O.P. Totla & Co.
 Chartered Accountants FRN-000734C
[O.P.Totla]
 Partner (M.No.011854)

for Rajendra K. Goel & Co.
 Chartered Accountants FRN-001457N
[R.K.Goel]
 Partner (M.No.006154)
for K.Varghese & Co.
 Chartered Accountants FRN-004525S
[K.Varghese]
 Partner (M.No.020674)
for V.Narayanan & Co.
 Chartered Accountants FRN-002398S
[N.Ramachandran]
 Partner (M.No.201107)

Place: Mumbai
 Date: 29.04.2011



31 मार्च, 2011 की स्थिति के तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ SCHEDULES ANNEXED TO BALANCE SHEET

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011		यथा As on 31-03-2010	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 – पूँजी SCHEDULE 1 – CAPITAL				
प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL				
प्रत्येक रु.10 के 300,00,00,000 ईक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रत्येक रु.10 के 14,81,32,554 ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में 14,34,40,000) 14,81,32,554 Equity Shares (Previous year 14,34,40,000) of Rs.10 each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	143,44,00		143,44,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	4,69,26	148,13,26	शून्य Nil	143,44,00
प्रदत्त पूँजी PAID-UP CAPITAL				
क) केन्द्र सरकार द्वारा धारित a) Held by Central Government	86,69,26	86,69,26	82,00,00	82,00,00
ख) जनता एवं अन्य द्वारा धारित b) Held by the Public & Others	61,44,00		61,44,00	
घटाएँ: देय आबंटन राशि Less : Allotment money due	20	61,43,80	22	61,43,78
योग TOTAL		148,13,06		143,43,78
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS				
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ Statutory Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	1823,42,10		1473,42,10	
लाभ से विनियोग Appropriation from Profit	375,00,00		350,00,00	
निवेशों पर मूल्यहास के अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision of Depreciation on Investments	–		–	
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से अंतरण Transfer from Investment Fluctuation Reserve	–	2198,42,10	शून्य Nil	1823,42,10
II. विशेष आरक्षित निधियाँ Special Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	237,10,74		159,10,74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	91,00,00		78,00,00	
कार्प होम से अंतरण Transfer from Corp Home	–		–	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	शून्य Nil	328,10,74	शून्य Nil	237,10,74



अनुसूची-2 SCHEDULE – 2 (क्रमशः Contd.)

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011		यथा As on 31-03-2010	
	₹	₹	₹	₹
III. पूँजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	695,63,15		475,40,20	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	3,05,34		220,22,95	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	शून्य Nil	698,68,49	शून्य Nil	695,63,15
IV. शेयर प्रीमियम Share Premium				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	701,98,40		701,98,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	304,30,74		Nil	
घटाएँ: बकाये में माँग राशि Less : Calls in Arrears	1,37	1006,27,77	1,51	701,96,89
V. राजस्व और अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue & Other Reserves				
क) निवेश आरक्षित निधि				
a) Investment Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	9,87,49		9,87,49	
लाभ-हानि विनियोग खाते से अंतरण Transfer from Profit and Loss Appropriation Account	-		-	
	9,87,49		9,87,49	
लाभ-हानि विनियोग खाते में अंतरण Transfer to Profit and Loss Appropriation Account	-		-	
निवेशों पर मूल्यहास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision in Depreciation on Investments	-		-	
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to General Reserve		9,87,49		9,87,49
ख) सामान्य आरक्षित निधियाँ				
b) General Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2163,42,46		1933,29,80	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	584,88,77		230,12,65	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	-	2748,31,23	-	2163,42,45
VI. लाभ व हानि खाते में शेष				
Balance in Profit & Loss A/c		-		-
कुल TOTAL (I+II+III+IV+V+VI)		6989,67,82		5631,42,82



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011 ₹	यथा As on 31-03-2010 ₹
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ SCHEDULE 3 – DEPOSITS		
क A. I. माँग जमाराशियाँ Demand Deposits		
i) बैंकों से From Banks	29,24,75	30,42,26
ii) अन्यो से From Others	14041,53,19	13422,56,65
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	16226,11,90	13025,25,68
III. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	19807,40,85	12747,94,83
ii) अन्यो से From others *	66643,19,08	53507,47,11
योग TOTAL (I, II व & III)	116747,49,77	92733,66,53
ख B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches in India	116747,49,77	92733,66,53
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
योग TOTAL	116747,49,77	92733,66,53
* जिसमें शामिल हैं which includes		
कार्पगोल्ड जमाराशियाँ Corpgold Deposits	363,82,70	235,25,79
एफसीएनआर जमाराशियाँ FCNR Deposits	1174,00,64	1147,05,86
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ SCHEDULE 4 – BORROWINGS		
I. भारत में उधार Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	2190,00,00	350,00,00
ii) अन्य बैंक Other Banks	5445,00,00	950,70,15
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण Other institutions and agencies*	6595,63,60	7287,06,72
योग TOTAL	14230,63,60	8587,76,87
II. भारत के बाहर उधार राशियाँ Borrowings outside India	1734,74,55	489,75,69
योग TOTAL (I व & II)	15965,38,15	9077,52,56
उपर्युक्त I व II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	शून्य Nil	शून्य Nil
* गैर प्रतिभूत प्रतिदर्श बांड (टियर II) Includes Unsecured Redemable Bonds (Tier II)	4600,00,00	4050,00,00
टियर I शाश्वत बांड Tier I Perpetual Bonds	737,50,00	737,50,00



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011 ₹	यथा As on 31-03-2010 ₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills Payable	618,73,74	582,95,59
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office Adjustments (Net)	शून्य Nil	11,83,26
III. प्रोद्भूत ब्याज Interests accrued	499,01,16	356,31,21
IV. अन्य (प्रावधान सहित)* Others (including provisions)*	2540,15,61	3130,14,11
योग TOTAL	3657,90,51	4081,24,17
* “मानक आस्तियों पर आकस्मिक प्रावधान” सम्मिलित हैं Includes “Contingent Provisions against Standard Assets”	375,75,53	285,76,00
“आस्थगित कर देयता” “Deferred Tax Liability”	254,61,71	278,46,83
अनुसूची 6 – नकद और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCE WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	474,33,57	365,51,75
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के चालू खाते में शेष Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	7529,38,00	8420,57,82
III. हस्तगत स्वर्ण Gold in hand	138,60,01	48,93,85
योग TOTAL (I, II व & III)	8142,31,58	8835,03,42
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर धन SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. भारत में In India		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
क a) चालू खातों में In Current Accounts	91,05,02	103,89,77
ख b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	250,01,41	5,51
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन Money at call and short notice		
क a) बैंकों में with Banks	200,00,00	50,00,00
ख b) अन्य संस्थाओं में with Other Institutions	शून्य Nil	944,42,65
योग TOTAL (i+ii)	541,06,43	1098,37,93
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	21,62,72	41,32,94
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1687,49,99	817,17,99
iii) माँग और अल्प सूचना पर धन Money at call and Short notice	शून्य Nil	शून्य Nil
योग TOTAL	1709,12,71	858,50,93
सकल योग GRAND TOTAL (I व & II)	2250,19,14	1956,88,86



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011 ₹	यथा As on 31-03-2010 ₹
अनुसूची 8 – निवेश SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I. निवेश (सकल) Investments (Gross)	43539,31,96	34579,10,63
घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation	86,57,73	56,47,87
निवल निवेश Net Investments	43452,74,23	34522,62,76
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	28090,14,09	24791,74,31
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	20,72,23	58,37,55
iii) शेयर Shares	439,65,65	354,61,94
iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	1312,91,61	1266,46,85
v) संयुक्त उद्यम/अनुषंगियां Joint venture/Subsidiaries		
क a) क्षे.ग्रा. बैंक में निवेश Investments in R.R.B.	3,86,82	2,63,82
ख b) अनुषंगियों में निवेश Investments in Subsidiaries	75,00,00	75,00,00
vi) अन्य Others		
क a) जमा प्रमाण-पत्र Certificate of Deposit	7074,06,55	2986,56,77
ख b) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	141,68,83	739,97,04
ग c) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें Units of Mutual Funds	969,92,79	40,29,28
घ d) वेंचर पूंजी निधियां Venture Capital Funds	169,73,28	168,39,49
झ e) आरआईडीएफ/सिडबी/आरएचडीएफ के तहत नाबार्ड में जमा NABARD under RIDF/MSME FUND/SIDBI/RHDF Dep.	5154,92,83	4038,46,16
योग TOTAL	43452,64,68	34522,53,21
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India	9,55	9,55
योग TOTAL (I व & II)	43452,74,23	34522,62,76



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011 ₹	यथा As on 31-03-2010 ₹
अनुसूची 9 – अग्रिम SCHEDULE 9 – ADVANCES		
क A. i) खरीदे एवं बट्टे खाते डाले गये बिल Bills purchased and discounted	2131,78,71	2025,95,23
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	43233,05,83	31581,94,13
iii) मीयादी ऋण Term loans	41485,55,88	29594,66,86
योग TOTAL	86850,40,42	63202,56,22
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं) Secured by Tangible Assets (includes Advances against Book Debts)	57828,29,69	40086,44,27
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	541,86,80	955,41,01
iii) गैर-जमानती Unsecured	28480,23,93	22160,70,94
योग TOTAL	86850,40,42	63202,56,22
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	23904,74,30	19950,16,49
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	10454,76,84	10664,73,74
iii) बैंक Banks	50,32,22	–
iv) अन्य Others	52440,57,06	32587,65,99
योग TOTAL	86850,40,42	63202,56,22
ग C. II. भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
सकल योग GRAND TOTAL (ग C. I व and ग C. II)	86850,40,42	63202,56,22



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011		यथा As on 31-03-2010	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 10 – स्थाई आस्तियाँ				
SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS				
I. परिसर* Premises*				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	147,09,08		143,07,04	
इस अवधि के दौरान परिवर्धन Additions during the period	13,96,42		5,81,63	
	161,05,50		148,88,67	
इस अवधि के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	294,08		179,59	
	158,11,43		147,09,08	
यथातिथि मूल्यहास Depreciation to date	56,59,13		51,65,69	
जोड़ें: चालू पूँजीगत कार्य Add: Capital Work in progress	2,05,67	103,57,97	1,74,79	97,18,17
II. अन्य स्थाई आस्तियाँ Other Fixed Assets				
(फर्नीचर और जुड़नार सहित including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	666,08,27		632,78,64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the period	98,12,70		54,23,51	
	764,20,97		687,02,15	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the period	18,29,84		20,93,88	
	745,91,13		666,08,27	
यथातिथि मूल्यहास Depreciation to date	521,01,41		474,00,38	
जोड़ें: चालू पूँजीगत कार्य Add: Capital Work in progress	2,53,70	227,43,43	3,43,09	195,50,97
योग TOTAL (I व & II)		331,01,40		292,69,14

* जिला स्टेडियम समिति मंगलूर द्वारा आबंटित भूमि के संबंध में 99 वर्ष हेतु रु. 1 की दर से पट्टेदारी अधिकार शामिल।

* Includes Leasehold rights for 99 years in respect of land allotted by District Stadium Committee Mangalore recognised at Re.1.



(₹ 000's हटाकर Omitted))

विवरण PARTICULARS	यथा As on 31-03-2011 ₹	यथा As on 31-03-2010 ₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter - Office Adjustments (Net)	160,55,51	–
II. प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	641,34,32	515,40,36
III. पूर्व दत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax-paid in advance/tax deducted at source	866,54,83	1575,84,97
IV. लेखन-सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and stamps	2,22,58	2,35,54
V. दावों के निपटान में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	16,87	16,87
VI. अन्य Others	811,08,43	763,71,72
योग TOTAL	2481,92,54	2857,49,46
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES		
I. कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किये गये बैंक के विरुद्ध दावे Claims against the bank not acknowledged as debts	296,82,16	30,27,17
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments		
III. क. बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के बाबत देयता A. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	21273,11,96	23704,93,11
ख. व्युत्पन्नी B. Derivatives	4320,95,00	625,00,00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क/अ) भारत में in India	10744,55,90	8847,55,81
ख/ब) भारत के बाहर outside India	1027,34,29	852,61,65
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	11039,60,12	6904,39,98
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	शून्य Nil	शून्य Nil
योग TOTAL	48702,39,43	40964,77,72



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011 ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010 ₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज		
SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on advances/bills	6475,20,90	4979,20,29
II. निवेशों पर ब्याज Interest on investments	2327,67,41	1784,51,58
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds	14,88,67	3,75,31
IV. अन्य Others	317,47,85	220,21,55
योग TOTAL	9135,24,83	6987,68,73
अनुसूची 14 – अन्य आय		
SCHEDULE 14 – OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, exchange and brokerage	353,30,52	302,26,33
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	209,47,87	615,73,65
III. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	-33,55	-231,63
IV. विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (net)	107,61,61	93,36,23
V. अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/companies	7,35,56	4,50,38
VI. विविध आय Miscellaneous income *	646,94,94	479,78,89
योग TOTAL	1324,36,95	1493,33,85
* वसूली के कारण आगे अनपेक्षित प्रावधान भी शामिल हैं		
* Includes Provision no longer required on account of recovery	206,94,69	97,57,49



(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011 ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010 ₹
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on deposits	5333,54,73	4555,30,09
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	159,82,01	27,81,06
III. अन्य Others	702,13,79	501,23,50
योग TOTAL	6195,50,53	5084,34,65
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions for employees	894,93,62	631,70,45
II. किराया, कर एवं बिजली Rent, taxes and lighting	137,23,98	115,32,87
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री Printing and stationery	14,71,38	13,32,71
IV. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and publicity	24,28,23	18,25,47
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on bank's property	69,26,35	65,92,98
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	112,16	87,91
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	13,00,00	10,68,59
VIII. विधि प्रभार Law Charges	2,54,82	2,06,72
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	34,79,36	38,78,01
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and Maintenance	33,39,94	29,53,79
XI. बीमा Insurance	79,34,18	68,87,68
XII. अन्य व्यय Other expenditure	337,06,97	264,58,09
योग TOTAL	1641,70,99	1259,95,27

अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंग हैं

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

- क) वित्तीय विवरण लेखांकन के उपचित आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार तथा प्रस्तुत किए गए हैं, तथा अन्यथा उल्लिखित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर निर्धारित मदों के अलावा ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित संबंधित अपेक्षाओं तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित वर्तमान रीतियों के अनुरूप हैं।
- ख) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (गैप) के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रबंधन से अपेक्षा रखता है कि वित्तीय विवरणों के दिनांक को यथा विद्यमान रिपोर्ट की गई आस्तियों व देयताओं की मांग तथा रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय व व्ययों पर प्राक्कलन व अनुमान करें। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्क संगत हैं। वास्तविक इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व निर्धारण

- क) आय को निम्न को छोड़कर उपचित आधार पर निर्धारित किया गया है:
- बैंक गारंटियों तथा साख पत्र पर कमीशन; तथा लॉकर किराया जो प्राप्ति आधार पर निर्धारित किया गया है।
 - गैर निष्पादक अग्रिमों तथा निवेशों पर ब्याज आय तथा केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ पर ब्याज आय, जिनके लिए 90 दिनों के अंदर ब्याज वसूल नहीं होता है, प्राप्ति आधार पर निर्धारित की गई है।
- ख) 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्ग में निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ, जिसे लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया गया है तथा तदनंतर भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया गया है, को छोड़कर निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को बिक्री के समय निपटान आधार पर लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।
- ग) बैंक के प्रत्यक्ष अंशदान पर प्राप्त दलाली/कमीशन/प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से काटा गया है, जबकि प्रतिभूतियों के अर्जन हेतु प्रदत्त दलाली को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।
- घ) प्रतिभूतियों के क्रय या विक्रय पर खंडित अवधि-ब्याज को राजस्व मद के रूप में माना गया है।

3. अग्रिम

- क) अग्रिमों को भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है तथा गैर निष्पादक अग्रिमों (गैर निष्पादक आस्तियों) के लिए किए गए निर्दिष्ट प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाया गया है।
- ख) क्रेडिट कार्ड बकायों को वहां गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में विनिर्दिष्ट किये गए हैं जहां न्यूनतम प्राप्य बकाया राशियां लगातार 90 दिन से अधिक की अवधि तक चूक में रही हैं। गैर निष्पादक कार्ड खातों से आय वित्तीय विवरण में नहीं ली गई है।
- ग) अवमानक, संदिग्ध तथा हानि-अग्रिमों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अपेक्षा के आधार पर किया गया है।
- घ) गैर-निष्पादक अग्रिमों में वसूली पहले बही शेष में, उसके बाद प्रभारों एवं उसके पश्चात गैर वसूल ब्याज में विनियोजित की गई है।
- ङ) भा.रि.बैं. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानक आस्तियों हेतु सामान्य प्रावधान को "अन्य देयताओं" के तहत शामिल किया गया है।
- च) पुनः संरचित खाते:- पुनः संरचित अग्रिमों के लिए ऋण के उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान अन्यथा अपेक्षित प्रावधान के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं। अग्रिम के उचित मूल्य में हास हेतु प्रावधान अग्रिमों से घटाया नहीं गया है तथा "अन्य देयताएं-अन्य" शीर्ष के तहत तुलन पत्र में शामिल किया गया है।

4. निवेश

4.1 वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों के अधिग्रहण के समय निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) तथा
- व्यापार हेतु धारित (एचएफटी)

बैंक भा.रि.बैंक द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार निवेशों की श्रेणी में परस्पर परिवर्तन, परिवर्तन के उस दिनांक के न्यूनतम अर्जन लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य पर किया जाता है तथा ऐसे अंतरण पर, यदि कोई मूल्यहास है तो उसको लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है। तथापि, तुलन पत्र में प्रकटन हेतु निवेशों को छह प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है - सरकारी प्रतिभूतियां, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, शेयर, डिबेंचर तथा बाँड, अनुषंगियों/क्षे.ग्रा.बैं./संयुक्त उद्यमों तथा अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनितों, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाण पत्र तथा वेंचर पूंजी निधि और नाबार्ड के आरआईडीएफ, सिडबी के एमएसएमई फंड में निवेश)।



SCHEDULE- 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2011

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

- a) The financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and except for items recognized on cash basis, as per guidelines issued by the Reserve Bank of India [‘RBI’] and comply with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and relevant requirements prescribed under the Banking Regulation Act, 1949 and Companies Act, 1956, and current practices prevailing within the banking industry in India.
- b) The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles [GAAP] requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. The Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actuals could differ from these estimates.

2. REVENUE RECOGNITION

- a] Income is recognized on an accrual basis except:
 - (i) Commission on Bank Guarantees and Letters of Credit; arrangement of suppliers /buyers Credit; and Locker rent which are recognized on receipt basis.
 - (ii) Interest income on Non-Performing advances and investments, and securities guaranteed by Central Government where interest is not realized within 90 days is recognized on receipt basis.
- b] Profit or loss on sale of investments is recognized in the profit and loss account on settlement basis at the time of sale except the realized profit on sale of investments in ‘Held to Maturity’ category which is recognized in the profit and loss account and subsequently appropriated to capital reserve account in accordance with RBI guidelines.
- c] Brokerage/commission/incentives received on Banks direct subscriptions are deducted from the cost of securities, whereas brokerage paid in connection with acquisition of securities is treated as revenue expenditure.
- d] The broken period interest on sale or purchase of securities is treated as revenue item.

3. ADVANCES

- a) Advances are classified into standard, sub-standard, doubtful and loss assets in accordance with the guidelines issued by the RBI and are stated net of specific provisions made towards Non-Performing Advances [‘NPAs’].
- b) Credit Card dues are identified as NPAs where minimum dues receivable are in default for a continuous period of more than 90 days. Income from non performing card accounts is not recognized in financial statements.
- c) Provisions for sub-standard, doubtful and loss advances are made on the basis of asset classification and provisioning requirements under the prudential norms laid down by the Reserve Bank of India.
- d) Recoveries in non-performing advances are appropriated first towards book balance, then to charges and thereafter to unrealized interest.
- e) General provision for Standard Assets made in accordance with RBI Guidelines is included under “Other liabilities-others”.
- f) Restructured Accounts: For restructured advances, provisions for erosion in fair value of loan are made in accordance with the guidelines issued by RBI, in addition to the provision otherwise required. The provision for erosion in fair value of advance is not reduced from advances and is included in the balance sheet under the head “Other Liabilities-Others”.

4. INVESTMENTS

4.1 Categorization & Classification

In accordance with the RBI guidelines, investments at the time of acquisition are categorized as

- Held to Maturity [HTM],
- Available for Sale [AFS] and
- Held for Trading [HFT].

The Bank shifts the investments category inter-se as permitted by RBI at the least of acquisition cost / book value / market value, on the date of transfer and the depreciation, if any, on such transfer is recognized in the profit and loss account.

However, for disclosure in the balance sheet, investments are classified under six categories – Government securities, other approved securities, shares, debentures and bonds, Investments in Subsidiaries/ RRB/Joint Ventures and Others [units of Mutual Funds, Commercial Papers, certificate of deposits and Venture Capital Funds and investments in RIDF of NABARD, MSME Fund of SIDBI, NHB].



“परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) मांग तथा मीयादी देयताओं के 25% तक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश ।
- ख) पुनर्पूजीकरण आवश्यकताओं हेतु भारत सरकार से प्राप्त पुनर्पूजीकरण बांड ।
- ग) अनुबंधियों के शेयरों में निवेश ।
- घ) नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनाएं/सिडबी की एमएसएमई (पुनर्वित्त) निधि/एनएचबी की आरएचएफ जमाएं ।
- ङ) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश 23 अगस्त, 2006 के बाद प्रत्येक ड्रा डाऊन से तीन वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए किए गए हैं।

ट्रेडिंग के उद्देश्य से प्राथमिक रूप से अधिग्रहीत निवेशों को एचएफटी प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियां 90 दिन से अधिक नहीं धारित की गई हैं व विक्रय करने में असमर्थता या अत्यधिक उतार-चढ़ाव अथवा बाजार के दिशाहीन होने जैसी आपवादिक परिस्थितियों में ही आल्को/निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस श्रेणी में अंतरित किए गए हैं ।

अन्य सभी निवेशों को एएफएस के तहत वर्गीकृत किया गया है ।

4.2 मूल्यांकन तथा परिणामी समायोजन

क) परिपक्वता तक धारित: “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी के तहत वर्गीकृत

निवेश भारत औसत अर्जन लागत पर मूल्यांकित किए गए हैं। अधिग्रहण पर प्रीमियम यदि कोई है तो परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया गया है । अनुबंधियों में निवेश के मामले में अस्थायी से अन्य ऐसे निवेश के मूल्य में कमी की पहचान की गई है और उसके लिए प्रावधान किया गया है । वेंचर पूंजी में निवेशों को लागत पर मूल्यांकित किया गया है ।

ख) बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु धारित:

- (i) व्यापार हेतु धारित तथा बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेश बाजार अनुमानित वसूली योग्य मूल्य भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार क्रमशः एचएफटी तथा एएफएस मासिक तथा तिमाही अंतराल में अंकित किया गया है । जबकि ऊपर 4.1 में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत परिणामी निवल मूल्यहास यदि कोई है, की लाभ एवं हानि खाते में “प्रावधान एवं आकस्मिकताओं” के रूप में पहचान की गई है तथा मूल्यहास हेतु पहले किए गए प्रावधान के अलावा निवल अधिमूल्यन तक छोड़ दिया गया है । वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् अलग-अलग प्रतिभूतियों के बही मूल्य में परिवर्तन नहीं हुआ है । मूल्यहास के अतिरिक्त प्रावधान के प्रतिलेखन के संबंध में, उसे “प्रावधान और आकस्मिकताएँ” में जमा किया गया है और समतुल्य राशि (करों का निवल और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरण) को अनुसूची 2 “आरक्षित निधि एवं अधिशेष” के तहत निवेश आरक्षित निधि खाते में विनियोजित किया गया है ।
- (ii) उपरोक्त (i) के उद्देश्य हेतु, बाजार कीमत/अनुमानित प्राप्य मूल्य निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

1.	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	(i) उद्धृत: एफआईएमएमडीए द्वारा दिये कोटेशन के अनुसार बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृत: एफआईएमएमडीए द्वारा दी गई कीमतों/वाईटीएम दरों के आधार पर
2.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां (अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ)	एफआईएमएमडीए द्वारा निर्दिष्ट प्रतिलाभ पर उपयुक्त अतिरिक्त कीमत लागत अंतर पर
3.	ट्रजरी बिल/जमा प्रमाणपत्र/ वाणिज्यिक पत्र/ क्षेत्राबैंकों में निवेश	बाजार मूल्य पर मूल्यांकित पीडी कारोबार की वजह से धारित ट्रजरी बिलों के सिवाय रखाव लागत पर
4.	ईक्विटी शेयर	(i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृत: कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर अन्यथा रु. 1.00 प्रति कंपनी
5.	अधिमान शेयर, डिबेंचर एवं बांड	(i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृत: परिपक्वता हेतु उचित लाभ पर
6.	म्यूचुअल फंड	(i) उद्धृत: . बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृत: प्रत्येक योजना में फण्ड द्वारा घोषित पुनर्बिक्री मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर (जहाँ पुनर्बिक्री मूल्य उपलब्ध नहीं है)
7.	वेंचर पूंजी निधि	(i) उद्धृत: बाजार मूल्य पर (ii) अनुद्धृत: एनएवी पर

4.3 गैर-निष्पादक निवेश

क) सभी प्रतिभूतियों, जहां मूलधन की चुकौती या ब्याज की प्राप्ति देय तारीख से 90 दिनों के अंदर नहीं की गई है, को गैर-निष्पादक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वहां केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत

प्रतिभूतियों को छोड़कर जिनको मूलधन/ब्याज अदायगी की बकाया राशि के बावजूद निष्पादक निवेशों के रूप में माना गया है। गैर-निष्पादक के रूप में वर्गीकृत निवेशों के संबंध में इन निवेशों के मूल्य में मूल्यहास हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं । इन प्रतिभूतियों के



Investments classified under ‘Held to Maturity’ include the following:

- a) Investments in SLR securities upto 25% of Demand and Time liabilities.
- b) Recapitalisation bonds received from the Government of India towards recapitalisation requirements.
- c) Investments in share of subsidiaries.
- d) RIDF Schemes of NABARD/MSME (Refinance) Fund of SIDBI/ RHF Deposits of NHB.
- e) Investment in Venture Capital Funds, for an initial period of 3 years of each draw down, after 23rd August 2006.

Investments acquired primarily with an intention for trading are classified as HFT securities. As per RBI guidelines, securities in HFT category are not held beyond 90 days and are transferred to AFS category under exceptional circumstances like not able to sell or extreme volatility or market becoming unidirectional, with the approval of the ALCO/Investment Committee.

All other investments are classified under AFS.

4.2 Valuation and consequential adjustments :

- a] Held to Maturity: Investments classified under ‘Held-to-Maturity’ are carried at weighted average acquisition cost. Premium on acquisition, if any, is amortized on

a straight-line basis over the remaining maturity period. In case of investments in subsidiaries any diminution, other than temporary, in the value of such investment is recognized and provided for. Investments in Venture Capital Fund is valued at Cost.

- b] Available for Sale and Held for Trading:

(i) Investments in these categories (classified under the category ‘Held for Trading’ and ‘Available for Sale’) are marked to market / estimated realizable value as per RBI guidelines at monthly and quarterly intervals for HFT and AFS respectively. While the resultant net depreciation, if any, within each category referred to in 4.1 above, is recognized in profit & loss account as “Provisions and Contingencies”, the net appreciation is ignored except to the extent of depreciation previously provided. The book value of the individual scrip is not changed after revaluation. In the case of write back of excess provision of depreciation the same is credited to “Provisions and Contingencies “ and a like amount (net of taxes and transfer to Statutory Reserve) is appropriated to Investment Reserve Account under Schedule 2 – “Reserves & Surplus”.

(ii) For the purpose of (i) above, the market price / estimated realizable value is determined as under:

1.	Central Government of India securities	i) Quoted : At market price as per the quotation put out by FIMMDA ii) Unquoted : On the basis of the prices / YTM rates put out by the FIMMDA
2.	State Government Securities, Securities guaranteed by Central/ State Government (other approval securities)	At appropriate additional spread upon the yield curve put out by FIMMDA
3.	Treasury Bills / Certificates of deposits / Commercial paper / Investment in RRBs	At carrying cost except Treasury Bills held on account of PD business valued at market value.
4.	Equity share	[i] Quoted : At market price [ii] Unquoted : At break up value as ascertained from the company’s latest Balance Sheet [not more than one year old], otherwise at Re.1/- per company.
5.	Preference Share, Debentures and Bonds	[i] Quoted : At market price [ii] Unquoted: On appropriate yield to maturity
6.	Mutual Fund	[i] Quoted : At market price [ii] Unquoted : At repurchase price or Net Asset Value [where repurchase price is not available] declared by the fund in each of the schemes
7.	Venture Capital Funds	[I] Quoted: At market value [ii] Unquoted: At NAV

4.3 Non-performing Investments

- a] All such securities where repayment of principal or interest not serviced within 90 days from the due date are classified as Non-Performing Investments, except securities guaranteed by the Central Government

which are treated as performing investments notwithstanding arrears of principal / interest payments. In respect of investments classified as Non-performing, appropriate provisions are made for the depreciation in the value of these investments. The



संबंध में अपेक्षित मूल्यहास अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि के साथ समंजन नहीं किया गया है।

ख) जहाँ बैंक का किसी पार्टी/ग्रुप के क्रेडिट एवं निवेश दोनों विनिधान हैं तथा क्रेडिट विनिधान को गैर निष्पादक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की स्थिति में इनमें निवेश विनिधान को भी गैर निष्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

4.4 रेपो लेनदेनों के लिए लेखांकन

भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित समरूप लेखांकन व्यवहार के अनुरूप रेपो लेनदेनों पर वर्ष के दौरान प्राप्त/प्रदत्त राशियां रेपो खाते में नामे/जमा की गई हैं तथा लेनदेन की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की गई हैं। लागत एवं राजस्व को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में माना जाता है। रेपो खाते में शेष को निवेश खाते में शेष हेतु समायोजित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक में चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत रेपो लेनदेनों के सम्बंध में वर्ष के दौरान ऐसे लेनदेनों पर उधार ली गई राशि भा.रि.बैंक से रेपो खाते में जमा की गई हैं। उस पर व्यय की, ब्याज व्यय के रूप में गणना की गई है। भा.रि.बैंक के साथ रेपो खाते में धारित शेष को निवेश से घटाया नहीं गया है तथा इसे मूल्यांकित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की(भारिबैं) – चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन अभिग्रहीत एसएलआर प्रतिभूतियों (मार्जिन सहित) को एसएलआर रखरखाव हेतु पात्र आस्ति नहीं माना गया है।

भा.रि.बैं. के साथ एलएएफ के तहत रिवर्स रेपो लेनदेनों के संबंध में, वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि रिवर्स रेपो निवेश-भा.रि.बैं. में नामे की गई है तथा लेनदेन की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तन किया गया है। उस पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में माना गया है। भा.रि.बैं. के साथ रिवर्स रेपो में धारित शेष को तुलन पत्र दिनांक को निवेश के तहत शामिल किया गया है तथा इसे मूल्यांकित नहीं किया गया है।

4.5 निवेश लेनदेनों हेतु लेखांकन

- बैंक अपने निवेशों के लेखांकन हेतु राशि उपलब्धता तारीख पद्धति का प्रयोग करता है।
- लागत भारित औसत लागत पद्धति पर निर्धारित की गई है।
- प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ का विक्रय पर हानि के साथ निवल निकाला गया है।
- चलनिधि म्यूचुअल फंडों के विक्रय/मोचन मूल्य तथा वही मूल्य के बीच अंतर को निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ माना गया है।

5. स्थिर आस्तियाँ

क) स्थिर आस्तियों को संचित मूल्यहास तथा हानि हेतु प्रावधान को कम करते हुए लागत पर दर्शाया गया है। लागत में क्रय कीमत तथा आस्ति को उसके अभिप्रेत प्रयोग हेतु उसके कार्य करने की स्थिति में लाने हेतु सहायक कोई भी लागत शामिल है। स्थिर आस्तियों के रख-रखाव राशि की प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को समीक्षा की

गई है तथा किसी भी हानि हेतु भारतीय सनदी संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखांकन मानक 28 (आस्तियों की हानि) के अनुसार समायोजित किया गया है।

पूँजीगत जारी कार्य में स्थिर आस्तियों की लागत शामिल है जो अपने अभिप्रेत प्रयोग हेतु तैयार नहीं है तथा स्थिर आस्तियाँ अर्जित करने हेतु प्रदत्त अग्रिम भी शामिल है।

ख) कंप्यूटरों/एटीएमों और पट्टेदारी सुधारों के मामलों को छोड़कर, जहाँ सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग किया गया है, परिवर्धन के दिनांक से हासमान शेष पद्धति पर मूल्यहास हेतु प्रावधान किया गया है। कंप्यूटरों, एटीएमों तथा पट्टेदारी सुधारों के मामलों को छोड़कर, जहाँ क्रमशः 1/3 प्रतिवर्ष, 1/7 प्रतिवर्ष तथा पट्टे की अवधि की दर पर मूल्यहास प्रदान किया गया है, आस्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों में प्रदान किया गया है।

ग) जहाँ भूमि एवं बिल्डिंग का मूल्य अलग-अलग नहीं लिया गया है, वहाँ परिसर पर मूल्यहास संयुक्त लागत पर प्रदान किया गया है।

6. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन

क) विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेनों को लेनदेन की तिथि को लागू दरों पर परिकलित किया गया है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक आस्तियाँ एवं देयताएं तुलन-पत्र की तिथि को भारतीय विदेश विनिमय डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिकलित की गई हैं तथा परिणामी लाभ/हानियां लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई हैं।

ख) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदें जो परपरागत लागत के अनुसार ली गई, लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करके रिपोर्ट की गई हैं।

ग) ट्रेडिंग हेतु धारित बकाया वायदा विनिमय हाजिर व वायदा करार विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं हेतु एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किए गए हैं तथा परिणामी लाभ या हानि को लाभ हानि खाते में लिया गया है।

घ) विदेश विनिमय वायदा करार, जो ट्रेडिंग हेतु उद्दिष्ट नहीं हैं तथा तुलन पत्र के दिनांक को बकाया हैं, उनका पुनर्मूल्यन नहीं किया गया है। ऐसे वायदा विनिमय करार के प्रारंभ पर उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को करार अवधि में ब्याज व्यय अथवा आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

ड) विदेशी मुद्रा में आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई की अंतिम स्पॉट दरों का उपयोग करके रिपोर्ट किया गया है।

7. व्युत्पन्न संविदाएं

क) बैंक विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, मुद्रा फ्युचर, ऑप्शन तथा वायदा दर करार जैसे व्युत्पन्न करार करता है।



depreciation requirement in respect of these securities is not set off against appreciation in respect of other performing securities.

- b] Where the Bank has both credit and investment exposures to any borrower/ group and in the event the credit exposure is classified as Non-Performing asset, the investment exposure to them is also classified as Non-Performing.

4.4 ACCOUNTING FOR REPO TRANSACTIONS

In line with the uniform accounting treatment prescribed by the RBI, monies received/paid during the year on Repo transactions are debited/credited to Repo Account and reversed on maturity of the transactions. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo account is adjusted against the balance in the investment account.

In respect of Repo transactions under Liquidity Adjustment Facility with the RBI, monies borrowed during the year on such transactions are credited to REPO account from RBI. Expenditure thereon is accounted for as Interest Expenditure. Balance held in Repo account with RBI is not deducted from investment and are valued. SLR securities (including margin) acquired under the Reserve Bank of India (RBI)- Liquidity Adjustment Facility (LAF), are not treated as an eligible asset for maintenance of SLR.

In respect of Reverse Repo Transactions under LAF with the RBI, monies paid during the year are debited to 'Reverse REPO/Investment –RBI' and reversed on maturity of the transaction. Revenue thereon is accounted as interest income. Balance held in Reverse Repo with RBI is included under investments as on the Balance Sheet date and are not valued.

4.5 Accounting For Investment Transactions

- i) The Bank follows settlement date method of accounting its investments;
- ii) Cost is determined on weighted average cost method;
- iii) Profit on sale is netted with loss on sale of securities;
- iv) The difference between the sale/ redemption value of liquid Mutual Funds and the book value is treated as profit on sale of investments.

5. FIXED ASSETS

- a] Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and provision for impairment. Cost comprises of the purchase price and any cost attributable for bringing the asset to its working condition for its intended use. The carrying amounts of fixed assets are reviewed at each balance sheet date

and adjusted for any impairment in accordance with the Accounting Standard 28 ("Impairment of Assets") issued in this regard by the Institute of Chartered Accountants of India.

Capital Work-in-progress includes cost of fixed assets that are not ready for their intended use and also includes advances paid to acquire fixed assets.

- b] Depreciation is provided on the diminishing balance method from the date of addition except in case of computers /ATMs and leasehold improvements where the straightline method is used. The assets are depreciated at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act 1956, except in the case of computers, ATMs and leasehold improvements which are depreciated at the rate of 1/3rd per annum, 1/7th per annum and over the period of the lease respectively.
- c] Depreciation on premises is provided for on composite cost, wherever the value of land and building is not separately identified.

6. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

- a) Transactions denominated in foreign currencies are accounted for at the rates prevailing on the date of the transaction. Foreign currency monetary assets and liabilities are translated at the balance sheet date at closing exchange rates notified by Foreign Exchange Dealers Association of India ['FEDAI'] and the resulting profits/losses are recognized in the profit and loss account.
- b) Foreign Currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- c) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts meant for trading purpose are revalued at the exchange rates specified for spot and the respective forward maturities as notified by FEDAI. The resulting profit or loss is shown under Profit or Loss account.
- d) Foreign exchange forward contracts, which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are not revalued. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortized as interest expense or income over the period of the contract.
- e) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

7. DERIVATIVES

- a) The bank enters into derivative contracts such as foreign currency interest rate swaps, currency swaps, currency futures, options and forward rate agreements.



- ख) व्युत्पन्न करारों पर बचाव (हेज) के रूप में वर्गीकृत आय/व्यय उपचय आधार पर दर्ज की गई है।
- ग) सभी ट्रेडिंग व्युत्पन्न करार बाजार दर पर निर्दिष्ट किए गए हैं तथा परिणामी लाभ या हानि लाभ-हानि खाते में विनिर्दिष्ट की गई है।
- घ) सभी व्युत्पन्न लेनदेन आकस्मिक देयताओं के तहत वर्गीकृत किए जाते हैं तथा विदेशी मुद्राओं के लेनदेनों एफईडीएआई अंतिम स्पॉट दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की गई है।

8. बहुमूल्य धातु निहित लेनदेन

- क) बहुमूल्य धातु लेनदेन से प्राप्त आय को “अन्य आय” के रूप में लेखांकित किया गया है। परेषण आधार पर प्राप्त धातुओं के मामले में उसे विक्रय के समय में लिया गया है।
- ख) बहुमूल्य धातुओं के रूप में ग्राहकों को दिए गए पण्य ऋणों तथा जनता से स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत प्राप्त जमाओं को अवधि समाप्ति के समय प्रचलित बाजार संबद्ध दरों में परिवर्तित किया गया है तथा क्रमशः “अग्रिम” और “जमाएं” शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।
- ग) बहुमूल्य धातुओं के शेष स्टॉक को (अपने लेनदेन)लागत से निम्न तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर आँका गया है।
- घ) स्वर्ण जमा योजना के अंतर्गत धारित स्वर्ण के अंतिम स्टॉक को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार संबद्ध दरों पर आँका गया है।

9. नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष

नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष में हस्तगत व एटीएमों में नकदी तथा हस्तगत स्वर्ण एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष शामिल हैं।

10. स्टाफ हितलाभ

- (क) बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है।
- (ख) i) ग्रैज्युटी, पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण, बीमारी छुट्टी आदि को देय अंशदान, जो हित लाभ परिभाषित हैं, तुलन-पत्र दिनांक को स्वतंत्र बिमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं।
- ii) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि को देय अंशदान, जो निर्धारित अंशदान योजना है, लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं।

11. पट्टागत लेनदेन

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे के भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा पद्धति के आधार पर लाभ तथा हानि खाते में व्यय के रूप में लिया गया है।

12. आकस्मिक देयताएं एवं प्रावधान

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां” के अनुरूप बैंक प्रावधानों को केवल तभी लेती है जब यह विगत कार्य के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है। यह संभव है कि जब दायित्व का विश्वसनीय प्राकलन किया जा सकता है तब आर्थिक लाभ अभिव्यक्त करने वाले संसाधनों के बाहर प्रवाह से दायित्व का निपटान करना पड़े।

संभावित दायित्व उत्पन्न करने वाले पिछले कार्य की पुष्टि जिनका अस्तित्व एक अथवा अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं, जो पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं हैं, के घटने या न घटने पर ही, की जाएगी अथवा वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ उत्पन्न करने वाले संसाधनों का कोई बहिर्वाह दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित होगा अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राकलन नहीं किया जा सकता है, इन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना गया है तथा लेखांकन मानक 29 के अनुसार कार्यवाही की गई है।

वित्तीय विवरण में आकस्मिक आस्तियाँ नहीं ली जाती हैं।

13. आय पर कर

आय कर व्यय में चालू कर (अर्थात् आय कर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि) तथा आस्थगित कर प्रभार या जमा (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा कर योग्य आय के बीच समय के अंतर का कर प्रभाव प्रतिबिंबित करने वाला) शामिल है।

- क) लागू कर दरों, कर विधियों और अनुकूल न्यायिक उद्घोषणाओं/विधिक अभिमतों के अनुसार करधान प्राधिकारियों को भुगतान हेतु अपेक्षित राशि के आधार पर चालू कर को मापा गया है।
- ख) आस्थगित कर प्रभार या जमा तथा अनुरूपी आस्थागित कर देयताओं या आस्तियों को उन कर दरों के प्रयोग से निर्धारित किया गया है जो तुलन-पत्र दिनांक तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित की गई हैं। आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती को स्थाई अंतर माना गया है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण उसी सीमा तक विवेकानुसार किया गया है जहाँ यह संभाव्य निश्चितता रहती है कि आस्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

14. प्रति शेयर अर्जन

मूल एवं तनूकृत प्रति शेयर आय का परिकलन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 प्रति शेयर अर्जन के अनुरूप किया गया है।



- b) The income/expenses on derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis.
- c) All trading derivative contracts are marked to market and the resultant gains or losses are recognized in the profit and loss account.
- d) All derivative transactions are classified under contingent liabilities and those denominated in foreign currencies are reported using the FEDAI closing spot rates.

8. TRANSACTIONS INVOLVING PRECIOUS METALS

- a) Income from precious metals transactions is accounted for as "Other Income". In case of metals received on consignment basis, the income thereon is recognized at the time of sale.
- b) Commodity loans to the constituents and deposits from public under the gold deposit scheme in the form of precious metals are translated at market related rates prevailing at the close of the period and shown under the head "Advances" and "Deposits" respectively.
- c) Closing stock of precious metals [own dealing] is valued at lower of the cost and net realizable value.
- d) Closing stock of gold held under Gold Deposit Scheme is valued at market related rates, as per RBI guidelines.

9. CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

Cash and Balance with Reserve Bank of India include cash on hand and in ATM's, and gold in hand and balances with RBI in current accounts.

10. EMPLOYEE BENEFITS

- a) The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- b) i) Contributions payable to Gratuity, Pension and Leave Encashment, Sick Leave, etc., which are defined benefits, based on actuarial valuations, at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary;
ii) Contributions payable to the recognized provident fund, which is a defined contribution scheme; are charged to the profit and loss account.

11. LEASE TRANSACTIONS

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account on a straight-line basis over the lease term.

12. CONTINGENT LIABILITIES AND PROVISIONS

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Past events leading to possible obligations existence of which will be confirmed only by the occurrence or nonoccurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or present obligations where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made, are treated as contingent liabilities and are dealt-with in accordance with AS29.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

13. TAXES ON INCOME

Income-tax expense comprises current tax [i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law] and deferred-tax charge or credit [reflecting tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period].

- a) Current tax is measured at the amount expected to be paid to the taxation authorities, using the applicable tax rates, tax laws and favourable judicial pronouncements / legal opinions.
- b) The deferred-tax charge or credit and the corresponding deferred-tax liabilities or assets are recognized using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. Deduction under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961 is considered as permanent difference. Deferred-tax assets are recognized keeping in view the consideration of prudence only to the extent there is virtual certainty that the assets can be realized in future.

14. EARNINGS PER SHARE

Basic and diluted Earnings Per Equity Share are computed in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.



अनुसूची 18 - महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लेखों का अभिन्न अंग हैं

1. पूँजी

बैंक की पूँजी में भारत जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की गई है। दिनांक 31 मार्च, 2011 के अनुपात निम्नवत् है:

मदें	बेसल II	बेसल I	बेसल II	बेसल I
	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
i) सी.आर.ए.आर. (%)	14.11%	12.9%	15.37%	15.00%
ii) सी.आर.ए.आर. टियर I पूँजी (%)	8.69%	7.95%	9.25%	9.03%
iii) सी.आर.ए.आर. टियर II पूँजी (%)	5.42%	4.95%	6.12%	5.97%
iv) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	58.52%	58.52%	57.17%	57.17%
v) वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर-I पूँजी की राशि (उपरोक्त (ii) में शामिल) (₹ करोड़)	309	309	500	500
vi) टियर-II पूँजी के रूप में जुटाया गौण कर्ज की राशि (उपरोक्त iii में शामिल) (₹ करोड़)	550	550	1,550	1,550

2. निवेश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप,

- क) “परिपक्वता तक धारित” संवर्ग के तहत प्रतिभूतियों के संबंध में प्रीमियम ₹47.71 करोड़ (गत वर्ष ₹ 68.16 करोड़) का परिशोधन किया गया।
- ख) “बिक्री हेतु उपलब्ध” संवर्ग के अंतर्गत निवेश हेतु कुल ₹72.22 करोड़ (गत वर्ष ₹ 61.74 करोड़) मूल्यहास हेतु प्रावधान किया गया है।
- ग) “व्यापार हेतु धारित” संवर्ग के तहत निवेशों के लिए ₹ 7.49 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.14 करोड़) मूल्यहास हेतु प्रावधान किया गया है।
- घ) वर्ष के दौरान बैंक ने एक बारगी उपाय के रूप में, ₹ 1893.38 करोड़ (गत वर्ष 2382.51 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को “बिक्री हेतु उपलब्ध” प्रवर्ग से “परिपक्वता तक धारित” प्रवर्ग में अंतरित किया और ₹ 1064.61 करोड़ (गत वर्ष 756.60 करोड़) के बही मूल्य की प्रतिभूतियों को “परिपक्वता तक धारित” प्रवर्ग से “बिक्री हेतु उपलब्ध” प्रवर्ग में भी अंतरित किया है।
- ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संसूचना सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी. सं. 133/21.04.018/2008-09 दिनांक 11 मई 2009 में दिए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने नॉस्ट्रो मिरर खातों में समाधान न की गई जमा प्रविष्टियाँ

और जो पहले अवरुद्ध खाते रखी गई थीं, के ₹ शून्य (गत वर्ष ₹ 0.51 करोड़) आय के रूप में निर्धारित किया है।

(च) अनुसूची 17 के पैरा 4.5 (iv) में प्रस्तुत अनुसार लेखा नीति में परिवर्तन के कारण, निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल) में तरल निधियों से प्राप्त ₹ 148.55 करोड़ की आय शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 306.92 करोड़ की उक्त आय को अनुसूची 13 अर्जित आय के अंतर्गत शामिल किया गया था) तथापि बैंक के लाभ में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटन किया जाता है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण		2011	2010
1	निवेशों का मूल्य		
(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	क) भारत में	43,539.22	34,579.21
	ख) भारत के बाहर	0.10	0.10
(ii)	मूल्यहास हेतु प्रावधान		
	क) भारत में	86.58	56.48
	ख) भारत के बाहर	शून्य	शून्य
(iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
	क) भारत में	43,452.74	34,522.53
	ख) भारत के बाहर	0.10	0.10

उपर्युक्त निवेशों में से निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ गिरवी रखी/अंतरित की गई हैं (अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

	2011	2010
एनएससीसीएल को प्रस्तुत प्रतिभूति		
8.24% जी.एस. 2017	--	10
7.99% जी.एस. 2017	10	--
एमसीएक्ससीसीएल को प्रस्तुत प्रतिभूति		
8.24% जी.एस. 2017	--	7
7.99% जी.एस. 2017	17	--
एसजीएफ के रूप में सीसीआईएल को प्रस्तुत प्रतिभूति		
8.24% जी.एस. 2017	--	75
7.99% जी.एस. 2017	75	--
युनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत प्रतिभूति		
8.24 जी.एस. 2027	6	--
फॉरेक्स एफ.डब्ल्यूडी हेतु सीसीआईएल हेतु प्रस्तुत प्रतिभूति		
8.24 जी.एस. 2027	14	--



**SCHEDULE 18 - NOTES FORMING INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2011**

1 Capital

The Bank's Capital to Weighted Risk Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per Reserve Bank of India guidelines. The ratios as at 31st March 2011 are:

Items	Basel II	Basel I	Basel II	Basel I
	Current Year	Current Year	Previous Year	Previous Year
i) CRAR (%)	14.11%	12.9%	15.37%	15.00%
ii) CRAR – Tier I Capital (%)	8.69%	7.95%	9.25%	9.03%
iii) CRAR – Tier II Capital (%)	5.42%	4.95%	6.12%	5.97%
iv) Percentage of the shareholding of the Government of India	58.52%	58.52%	57.17%	57.17%
v) Amount of Tier-I Capital raised [included in (ii) above] during the year (₹ crore)	309	309	500	500
vi) Amount of subordinated debt raised as Upper Tier-II capital (included in iii above) (₹ crore)	550	550	1,550	1,550

2 Investments

2.1 In view of the guidelines of the Reserve Bank of India,

- Premium of ₹47.71 crore (previous year ₹ 68.16 crore) has been amortized in respect of securities under “Held to Maturity” category.
- Depreciation of ₹72.22 crore (previous year ₹61.74 crore) has been provided for investments under “Available for Sale” category.
- Depreciation of ₹7.49 crore (previous year ₹0.14 crore) has been provided for investments under “Held for Trading” category.
- During the year, the Bank as a one-time measure, transferred securities of book value of ₹1893.38 crore (Previous year ₹ 2,382.51 crore) from “Available for Sale category” to “Held to Maturity” and also transferred securities of book value of ₹1064.61 crore (Previous year ₹756.60 crore) from “Held to Maturity” to Available for Sale” category.
- Pursuant to the guidelines contained in Reserve Bank of India communication vide DBOD.BP.BC.

No.133/21.04.018/2008-09 dated May 11, 2009, the Bank has recognized as income ₹nil (previous year ₹0.51 crore) representing unreconciled credit entries in Nostro Mirror Accounts and earlier parked in blocked account.

- Pursuant to change in the Accounting Policy as furnished in para 4.5(iv) of Schedule 17, Profit on sale of investments (net) includes ₹148.55 crore being income from Liquid Funds (in the previous year the said income of ₹306.92 crore was included under schedule 13 Interest Earned). However there is no impact on the profits of the Bank.

2.2 In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following are the disclosures:

(₹ in Crore)

Particulars		2011	2010
1	Value of Investments		
(i)	Gross value of Investments		
	(a) In India	43,539.22	34,579.21
	(b) Outside India	0.10	0.10
(ii)	Provision for depreciation		
	(a) In India	86.58	56.48
	(b) Outside India	Nil	Nil
(iii)	Net Value of Investments		
	(a) In India	43,452.74	34,522.53
	(b) Outside India	0.10	0.10

Out of the above investments, the following securities are pledged/ transferred

(Face value in ₹ crore)

	2011	2010
SEC OFFERED TO NSCCL		
8.24% G.S. 2017	--	10
7.99% G.S. 2017	10	--
SEC OFFERED TO MCXCCL		
8.24% G.S. 2017	--	7
7.99% G.S. 2017	17	--
SEC OFFERED TO CCIL AS SGF		
8.24% G.S. 2017	--	75
7.99% G.S. 2017	75	--
SEC OFFERED TO UNITED STOCK EXCHANGE		
8.24 G.S. 2027	6	--
SEC OFFERED TO CCIL FOR FOREX FWD		
8.24 G.S. 2027	14	--



निवेशों में विविध सुविधाएं प्राप्त करने हेतु सीसीआईएल / एमसीएक्स / एनएससी / यूएसई को गिरवी रखी/अंतरित ₹ 122 करोड़ (गत वर्ष ₹92 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के नाम में अंतरित ₹ 3200 करोड़ (गत वर्ष ₹ 550 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियाँ भी शामिल हैं जिनमें अंकित मूल्य ₹ 2100 करोड़ (गत वर्ष ₹ 367.50 करोड़) की प्रतिभूतियाँ 31.03.2011 को एलएएफ-रेपो के तहत उधार हेतु भारग्रस्त हैं।

2.3 निवेशों पर मूल्यहास के प्रति धारित प्रावधानों का उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011	2010
प्रारंभिक शेष	56.48	129.19
जेड़े: वर्ष के दौरान किए गए/ (प्रत्यावर्तित) प्रावधान	79.71	61.92
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते, प्रतिलेखन, अधिक प्रावधान	49.61	134.63
अंतिम शेष	86.58	56.48

2.5 गैर-एसएलआर निवेश संविभाग

i. गैर-एसएलआर निवेशो का निर्गमकर्ता संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की मात्रा	'निवेश ग्रेड से निम्न' प्रतिभूतियों की मात्रा	'अश्रेणीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
1	सा.क्षे.उद्यम (सा.क्षे. बैंकों व सा.क्षे. वि. संस्थाओं को छोड़कर)	224.03	64.67	-	159.36	102.43
2	वित्तीय संस्थाएं	5400.59	5344.58	-	5154.93	5454.93
3	बैंक	7316.02	7316.02	-	29.86	7074.06
4	निजी कार्पोरेट	1093.61	773.28	37.45	320.33	207.51
5	अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यम	78.87	78.87	-	78.87	78.87
6	अन्य	1285.80	1285.80	-	199.66	1139.66
7	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	(46.29)	-	-	-	-
	कुल	15352.63	14863.22	37.45	5943.01	13757.46

ii. गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011	2010
प्रारम्भिक शेष	10.85	10.85
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी	-	-
इतिशेष	10.85	10.85
धारित कुल प्रावधान	10.85	10.85

2.4 रेपो लेनदेन (भारिबै के पास एलएएफ के अलावा)

2010-11

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत-तन दैनिक बकाया	यथा मार्च 31, 2011
रेपो के तहत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2009-10

(₹ करोड़ में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत-तन दैनिक बकाया	यथा मार्च 31, 2010
रेपो के तहत बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.6 एक्सपोजर - पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011	2010
(i)	निम्नलिखित में निवेश		
क)	शेयर***	564.55	327.17
ख)	परिवर्तनीय ऋण पत्र	0.00	0.00
ग)	ईक्विटी उन्मुखी म्यूचुअल फंड	29.93	40.29
घ)	वेंचर पूंजी (कुल प्रतिबद्धता)	242.55	202.80

*** इसमें ₹ 179.05 करोड़ के निवेश शामिल हैं (गत वर्ष ₹23.70 करोड़), जिन्हें 5% की उच्चतम सीमा से छूट प्राप्त है।



Investments includes securities of the face value of ₹122 crores (Previous year ₹92 crore), pledged/transferred to CCIL/MCX/NSE/USE for availing various facilities. It also includes securities of the face value of ₹3200 crore (Previous year ₹550 crore) transferred in the name of Reserve Bank of India out of which securities of the face value of ₹2100 crore (Previous year ₹367.50 crore) encumbered for borrowing under LAF-Repo as on 31.3.2011.

2.3 Movement of provisions held towards depreciation on investments

(₹ in Crore)

Particulars	2011	2010
Opening Balance	56.48	129.19
Add: Provisions made / (reversed) during the year	79.71	61.92
Less: Write-Off, Write Back, Excess provisions during the year	49.61	134.63
Closing Balance	86.58	56.48

2.5 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer Composition of Non-SLR Investments

(₹ in crore)

Sr. No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below investment Grade' securities	Extent of 'Un-rated' Securities	Extent of 'Un-listed' Securities
1	2	3	4	5	6	7
1	PSU (Excl. PSU Banks & PSU FIs)	224.03	64.67	--	159.36	102.43
2	FIs	5400.59	5344.58	--	5154.93	5454.93
3	Banks	7316.02	7316.02	--	29.86	7074.06
4	Private Corporates	1093.61	773.28	37.45	320.33	207.51
5	Subsidiaries / Joint Ventures	78.87	78.87	--	78.87	78.87
6	Others	1285.80	1285.80	--	199.66	1139.66
7	Provision held towards depreciation	(46.29)	--	--	--	--
	Total	15352.63	14863.22	37.45	5943.01	13757.46

ii) Non-performing Non-SLR Investments

(₹ in Crore)

Particulars	2011	2010
Opening Balance	10.85	10.85
Additions during the year since 1st April	-	-
Reduction during the above period	-	-
Closing balance	10.85	10.85
Total Provisions held	10.85	10.85

2.4 Repo Transactions (other than LAF with RBI)

2010-11

(₹ in Crore)

	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on March 31, 2011
Securities sold under repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under reverse repos	Nil	Nil	Nil	Nil

2009-10

(₹ in Crore)

	Minimum out-standing during the year	Maximum out-standing during the year	Daily Average out-standing during the year	As on March 31, 2010
Securities sold under repos	Nil	Nil	Nil	Nil
Securities purchased under reverse repos	Nil	Nil	Nil	Nil

2.6 Exposures - Capital Market

(₹ in crore)

	Particulars	2011	2010
(i)	Investments in		
(a)	Shares***	564.55	327.17
(b)	Convertible Debentures	0.00	0.00
(c)	Equity Oriented Mutual Funds	29.93	40.29
(d)	Venture Capital (total commitment)	242.55	202.80

*** Includes ₹ 179.05 crore (previous year is ₹ 23.70 crore) investments, which are exempted from 5% ceiling.



2.7 कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रेपो लेनदेन का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां - रेपो लेनदेन के तहत उधार दी गईं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां - रेपो लेनदेन के तहत अर्जित	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां - रिवर्स रेपो लेन-देन के तहत उधार दी गईं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां - रिवर्स रेपो लेन-देन के तहत अर्जित	कुछ नहीं	कुछ नहीं

3. व्युत्पन्न संविदाएं

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

मदें	2011	2010
(i) स्वैप करार का आनुमानिक मूलधन	3875.00	625.00
(ii) करारों के तहत यदि प्रति पार्टियां अपने दायित्व पूरा करने में असफल होती हैं तो उससे होनेवाली हानि	52.30	16.51
(iii) स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	-	-
(iv) बैंकों को स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का केन्द्रीकरण	-	-
(v) स्वैप बही का उचित मूल्य	(8.86)	(6.62)

3.2 एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011	2010
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(ii)	31 मार्च, 2011 को बकाया एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(iii)	बकाया परंतु अधिक प्रभावी नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों की आनुमानिक मूल राशि (लिखत वार)	शून्य	शून्य
(iv)	बकाया परंतु अधिक प्रभावी नहीं, ऐसी एक्सचेंज में व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न लिखतों का बाजार-को-अंकित मूल्य (लिखत वार)	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान बैंक ने कोई एक्चेंज व्यापारगत ब्याज दर व्युत्पन्न संविदा नहीं की है।

3.3 व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटन:

गुणात्मक प्रकटन:

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की व्युत्पन्न नीति बैंक को काउंटर पर तथा विनिमय व्यापारित ब्याज दर तथा क रेंसी व्युत्पन्नों के लेनदेन की अनुमति देती है। यह नीति ग्राहकों को विदेशी मुद्रा निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्पादों को प्रस्तुत करने, जो अंतर बैंक बाज़ार में बैंक-टु-बैंक आधार पर आवरित होने हैं, की अनुमति देती है। व्युत्पन्नों को बैंक द्वारा व्यापार तथा तुलन पत्र मदों पर अवरोधन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में बैंक द्वारा वायदा व मुद्रा भविष्यों वाले व्युत्पन्नों की शुरुआत की गई।
- बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति इन जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी करती है। बैंक का समग्र जोखिम प्रबंधन विभाग स्वतंत्र रूप से व्युत्पन्नी लेनदेनों संबंधी बाज़ार जोखिम पहचानते हैं व प्रबोधन करते हैं, इन जोखिमों के नियंत्रण व प्रबंधन में आल्को की मदद करते हैं तथा नियमित अंतरालों में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को नीति परामर्शों के अनुपालन की रिपोर्ट देते हैं।
- व्युत्पन्नी लेनदेन में बाज़ारी जोखिम है, यानी ब्याज दर/विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण बैंक को संभाव्य हानि तथा उधार जोखिम है, यानि यदि प्रति पार्टियां अपनी वचनबद्धता का पालन नहीं करती तो बैंक की संभाव्य हानि। व्युत्पन्नी लेनदेन में शामिल होने के लिए मंडल द्वारा अनुमोदित बैंक की व्युत्पन्नी नीति बाज़ार जोखिम मानदण्ड तथा ग्राहक विनियोजन नीति निर्धारित करती है। केवल उन प्रतिपार्टियों के साथ व्युत्पन्नी लेनदेन में शामिल होकर उधार जोखिम नियंत्रित की जाती है, जिनको वचनबद्धता के पालन की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उधार सीमा मंजूर है। बैंक प्रत्येक प्रतिपार्टी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वैप डीलर्स एसोसिएशन करार में प्रवेश करता है।
- उल्लेखनीय लेखांकन नीति में उल्लिखित व्युत्पन्नियों हेतु लेखांकन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयारित है तथा राजस्व तदनुसार पहचाने गए हैं।



2.7 Details of Repo Transactions in Corporate Debt Securities:

[₹ in crore]

	2011	2010
Corporate Debt Securities – Lent under Repo Transaction	NIL	NIL
Corporate Debt Securities –Acquired under Repo Transaction	NIL	NIL
Corporate Debt Securities – Lent under Reverse Repo Transaction	NIL	NIL
Corporate Debt Securities –Acquired under Reverse Repo Transaction	NIL	NIL

3 Derivatives

3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate swap

(₹ in crore)

Items	2011	2010
(i) The notional principal of swap agreements	3875.00	625.00
(ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	52.30	16.51
(iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	–	–
(iv) Concentration of credit risk arising from the swaps to banks	–	–
(v) The fair value of the swap book	(8.86)	(6.62)

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	2011	2010
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	NIL	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2011 (instrument wise)	NIL	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	NIL	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	NIL	NIL

The Bank has not contracted any exchange traded interest rate derivatives during the year.

3.3 Disclosure on Risk Exposure in Derivatives:

Qualitative Disclosure:

1. The Bank's Derivative Policy as approved by Board permits Bank to undertake deals in over-the-counter (OTC) as well as exchange traded (ET) interest rate and currency derivatives. The policy permits the offering of the products to the customer to manage their foreign currency exposures, which are to be covered on Back-to-Back basis in the interbank market. Derivatives can also be used by the Bank both for trading as well as hedging on-balance sheet items. In the current financial year Bank has entered into derivative deals involving forwards and currency futures.
2. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees management of these risks. The Bank's Integrated Risk Management Department (IRMD), independently identifies, measures and monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.
3. Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Derivative Policy" approved by the Board prescribes the market risk parameters as well as Customer Appropriateness policy for entering into derivative transactions. Credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties in respect of whom appropriate credit limits are sanctioned taking into account their ability to honour obligations. The Bank enters into International Swap Dealers Association (ISDA) agreements with each counterparty.
4. The accounting policy for derivatives as stated in Significant Accounting Policies, has been drawn-up in accordance with RBI guidelines and revenues are recognized accordingly.



मात्रात्मक प्रकटन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2011	2011	2010	2010
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
1	व्युत्पन्नी (आनुमानिक मूलधन)				
	क) बचाव हेतु	463.85	1625.00	—	75.00
	ख) ट्रेडिंग हेतु	—	2250.00	—	550.00
2	बाज़ार को अंकित स्थिति [1]				
	क) आस्तियां (+)	—	—	—	—
	ख) देयताएं (-)	—	(8.86)	—	(6.62)
3	ऋण एक्सपोज़र [2]	—	52.30	—	16.51
4	आईआरएसों तथा सीसीएसों पर ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100* पी वी 01)				
	क) बचाव व्युत्पन्नी पर	—	13.75	—	(2.41)
	ख) ट्रेडिंग व्युत्पन्नी पर	—	(1.12)	—	(1.00)
5	आईआरएसों तथा सीसीएसों हेतु वर्ष के दौरान अवलोकित 100* पी वी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) बचाव (हेजिंग) पर				
	i) अधिकतम	—	21.09	—	(3.40)
	ii) न्यूनतम	—	(0.77)	—	(2.41)
	ख) ट्रेडिंग पर				
	i) अधिकतम	—	4.32	—	(2.92)
	ii) न्यूनतम	—	(0.15)	—	(1.00)

4. जमाराशियों का संकेन्द्रीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011	2010
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	16,027	16,084
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	13.73%	17.34%

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 अग्रिम

- क) गैर लेखा परीक्षित शाखाओं के मामले में, शाखा प्रबंधकों द्वारा यथा प्रमाणित अग्रिमों का वर्गीकरण समाविष्ट किया गया है।
- ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 31-03-2011 को गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए अपेक्षित ₹ 363.05 करोड़ (गत वर्ष ₹ 426.48 करोड़) के मुकाबले वर्ष के दौरान ₹ 547.76 करोड़ (गत वर्ष ₹ 345.25 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
- ग) मानक अग्रिमों पर प्रावधान ₹ 375.75 करोड़ (गत वर्षों में सृजित ₹ 285.76 करोड़ सहित) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तुलन-पत्र की अनुसूची-5 में अन्य देयताएं एवं प्रावधान-अन्य के तहत दिखाया गया है।

5.2 गैर निष्पादक आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
(i) क) निवल गैर निष्पादक आस्तियाँ	397.74	197.25
ख) गै.नि.आ. अनुपात		
i) सकल अग्रिमों में सकल गै.नि.आ. (%)	0.91%	1.02%
ii) निवल अग्रिमों में निवल गै.नि.आ. (%)	0.46%	0.31%
(ii) गैर निष्पादक आस्तियों में कमी-बढ़त (सकल)		
क) अथशेष	650.94	559.22
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	812.94	476.82
ग) वर्ष के दौरान कमी	673.65	385.10
घ) इतिशेष	790.23	650.94
(iii) निवल गैर निष्पादक आस्तियों में कमी-बढ़त		
क) अथशेष	197.25	138.30
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	405.88	166.59
ग) वर्ष के दौरान कमी	205.39	107.64
घ) इतिशेष	397.74	197.25



Quantitative Disclosures

[₹ in Crore]

Sl. No.	Particulars	2011	2011	2010	2010
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	463.85	1625.00	-	75.00
	b) For trading	-	2250.00	-	550.00
2	Marked to Market Positions [1]				
	a) Assets (+)	-	-	-	-
	b) Liability (-)	-	(8.86)	-	(6.62)
3	Credit Exposure [2]	-	52.30	-	16.51
4	Likely impact of one percentage change in interest rate on IRSs and CCSs (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	-	13.75	-	(2.41)
	b) on trading derivatives	-	(1.12)	-	(1.00)
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year for IRSs and CCSs				
	a) on hedging				
	i) maximum	-	21.09	-	(3.40)
	ii) minimum	-	(0.77)	-	(2.41)
	b) on trading				
	i) maximum	-	4.32	-	(2.92)
	ii) minimum	-	(0.15)	-	(1.00)

4. Concentration of Deposits: (₹ in Crore)

Particulars	2011	2010
Total deposits of twenty largest depositors	16,027	16,084
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	13.73%	17.34%

5. Asset Quality

5.1 Advances

- In the case of unaudited branches, the classification of advances, as certified by the Branch Managers has been incorporated.
- As against total provision of ₹363.05 crore (previous year ₹426.48 crore) required for NPAs in line with RBI guidelines as of 31.03.2011, provision of ₹547.76 crore (previous year ₹345.25 crore) has been made during the year.
- Provision on standard advances amounting to ₹375.75 crore (including ₹285.76 crore created in earlier years) is shown as per RBI guidelines, under "Other Liabilities and Provisions others" in Schedule No. 5 of the Balance Sheet.

5.2 Non Performing Assets

(₹ in Crore)

	2011	2010
(i) (a) Net NPAs	397.74	197.25
(b) NPA Ratios		
i) Gross NPAs to Gross Advances (%)	0.91%	1.02%
ii) Net NPAs to Net Advances (%)	0.46%	0.31%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
a) Opening balance	650.94	559.22
b) Additions during the year	812.94	476.82
c) Reductions during the year	673.65	385.10
d) Closing balance	790.23	650.94
(iii) Movement of Net NPAs		
a) Opening balance	197.25	138.30
b) Additions during the year	405.88	166.59
c) Reductions during the year	205.39	107.64
d) Closing balance	397.74	197.25



(iv)	गैर निष्पादक आस्तियों हेतु प्रावधान की स्थिति (मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को छोड़कर)		
	क) अथशेष	426.48	414.96
	ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	547.76	345.25
	ग) अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते लिखना/ पुनरांकन, प्रत्यावर्तित प्रावधान	611.19	333.73
	घ) इतिशेष	363.05	426.48
(v)	गैर निष्पादक निवेशों की राशि	10.85	10.85

5.3 गै.नि.आस्तियों का संकेन्द्रीकरण:

क) गै.नि.आस्तियों (सकल)का संकेन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

विवरण	2011	2010
चार बड़े गै.नि.आस्ति खातों में निहित राशि	143.79	99.28

5.5 गै.नि. आस्तियों में कमी-बढ़त

विवरण	राशि – ₹ करोड़ में
वर्ष के 1 अप्रैल को सकल गै.नि.आ. [अथशेष]	650.94
वर्ष के दौरान परिवर्धन [नई गै.नि.आ.]	812.94
उप योग (क)	1463.88
घटाएँ :	
i. उन्नयन	62.51
ii. वसूली (उन्नयन किए गए खातों में की गई वसूली को छोड़कर)	68.44
iii. बट्टे खाते लिखे गए	542.70
उप-योग [ख]	673.65
परवर्ती वर्ष के 31 मार्च को सकल गै.नि. आस्तियाँ इतिशेष (क-ख)	790.23

5.6 पुनर्संरचित खातों के विवरण:

(₹ करोड़ में)

		सीडीआर व्यवस्था		एसएमई ऋण पुनर्संरचना		अन्य	
		चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
पुनर्संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	3	5	13	104	1476	7481
	बकाया राशि	37.37	105.31	35.66	156.66	362.68	1470.33
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	3.15	27.29	0.25	1.12	14.09	24.39
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	1	6	8	42
	बकाया राशि	-	-	0.24	1.56	0.65	9.32
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	-	-	-	-	-	-
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	2	106
	बकाया राशि	-	-	-	-	0.04	3.42
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	-	-	-	-	-	-
योग	उधारकर्ताओं की संख्या	3	5	14	110	1486	7629
	बकाया राशि	37.37	105.31	35.9	158.22	363.37	1483.07
	त्याग (उचित मूल्य में ह्रास)	3.15	27.29	0.25	1.12	14.09	24.39

ख) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011	2010
कुल आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल गैर निष्पादक आस्तियाँ	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	शून्य	शून्य

5.4 क्षेत्र-वार गै.नि. आस्तियाँ

क्र. सं.	क्षेत्र	कुल अग्रिमों में गै.नि. आस्तियों का प्रतिशत	
		2011	2010
1	कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलाप	3.94%	1.62%
2	उद्योग व्यष्टि व लघु, मध्यम और बड़े	0.55%	0.39%
3	सेवा	0.76%	1.54%
4	वैयक्तिक ऋण	1.02%	1.82%



(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions for standard assets)		
a) Opening balance	426.48	414.96
b) Provisions made during the year	547.76	345.25
c) Write off/ write back of excess provisions, provision reversed	611.19	333.73
d) Closing Balance	363.05	426.48
(v) Amount of Non Performing Investments	10.85	10.85

b) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ in Crore)

Particulars	2011	2010
Total Assets	Nil	Nil
Total NPAs	Nil	Nil
Total Revenue	Nil	Nil

5.3 Concentration of NPAs:

a) Concentration of NPAs (Gross)

(₹ in Crore)

Particulars	2011	2010
Total Exposure to top four NPA Accounts	143.79	99.28

5.4 Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances	
		2011	2010
1.	Agriculture & allied activities	3.94%	1.62%
2.	Industry [Micro & small, Medium and Large]	0.55%	0.39%
3.	Services	0.76%	1.54%
4.	Personal Loans	1.02%	1.82%

5.5 Movement of NPAs

Particulars	Amount ₹ in crores
Gross NPAs as on 1st April of particular year [Opening Balance]	650.94
Additions [Fresh NPAs] during the year	812.94
Sub Total [A]	1463.88
Less :	62.51
[i]Upgradations	
[ii]Recoveries [excluding recoveries made from upgraded accounts]	68.44
[iii]Write offs	542.70
Sub-Total [B]	673.65
Gross NPAs as on 31st March of following year [closing balance] (A-B)	790.23

5.6 Particulars of accounts restructured:

(₹ in Crore)

		CDR Mechanism		SME Debt Restructuring		Others	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous year
Standard advances restructured	No. of Borrowers	3	5	13	104	1476	7481
	Amount outstanding	37.37	105.31	35.66	156.66	362.68	1470.33
	Sacrifice (diminution in the fair value)	3.15	27.29	0.25	1.12	14.09	24.39
Sub Standard advances restructured	No. of borrowers	-	-	1	6	8	42
	Amount outstanding	-	-	0.24	1.56	0.65	9.32
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	-	-	-	-	-
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	-	-	-	-	2	106
	Amount outstanding	-	-	-	-	0.04	3.42
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	-	-	-	-	-
TOTAL	No. of Borrowers	3	5	14	110	1486	7629
	Amount outstanding	37.37	105.31	35.9	158.22	363.37	1483.07
	Sacrifice (diminution in the fair value)	3.15	27.29	0.25	1.12	14.09	24.39



5.7 आस्ति पुनर्संरचना हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को विक्रय की गई वित्तीय आस्तियों के विवरण: (₹ करोड़ में)

मद	2011	2010
(i) खातों की सं.	शून्य	1
(ii) एससी/आरसी को बिक्री किये गये खातों का समग्र मूल्य (प्रावधानों का निवल)	शून्य	-
(iii) समग्र प्रतिफल	शून्य	3.00
(iv) विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	-
(v) निवल बही मूल्य पर समग्र लाभ	शून्य	(-) 2.12

5.8 खरीदी/बिक्री की गई गैर - निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण: (₹ करोड़ में)

विवरण		2011	2010
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
	(ख) समग्र बकाया	शून्य	शून्य
2.	(क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों की सं.	शून्य	शून्य
	(ख) समग्र बकाया	शून्य	शून्य

7. आस्ति देयता प्रबंधन

31-03-2011 को आस्तियों तथा देयताओं का परिपक्वता पैटर्न:

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8 - 14 दिन	15 - 28 दिन	29 दिन - 3 माह	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
निवल ऋण व अग्रिम	2283.89	2678.85	3078.38	8851.11	14549.69	8962.63	6841.11	25754.52	8716.86	5133.36	86850.40
निवेश	1312.23	962.27	882.07	657.26	8171.43	3963.78	6822.62	8128.87	8185.41	4366.80	43452.74
जमा राशियाँ	1678.70	3057.50	3758.83	2519.31	15564.04	12612.98	24149.69	29291.40	4199.16	19915.89	116747.50
उधार	8.09	7535.08	4.00	196.04	816.88	413.14	112.17	1480.91	356.34	5042.73	15965.38
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	79.40	1752.51	39.55	221.57	943.50	940.12	0.00	501.95	160.29	241.64	4880.51
विदेशी मुद्रा देयताएँ	336.12	99.72	15.25	206.42	844.04	414.87	459.16	754.22	105.90	0.00	3235.71

ख. बिक्री की गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2011	2010
1.	बिक्री की गई खातों की सं.	शून्य	शून्य
2.	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त समग्र प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.9 मानक आस्ति पर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

मद	2011	2010
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	375.75	285.76

6. कारोबार अनुपात

	2011	2010
(i) औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का %	7.83%	7.62%
(ii) औसत कार्यशील निधियों में ब्याजेतर आय का %	1.14%	1.63%
(iii) औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ %	2.25%	2.33%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.21%	1.28%
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियाँ और अग्रिम (बैंकेतर) (₹ लाख में)	1572.79	1268.70
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	10.92	9.52

नोट: नोट: कार्यकारी निधि वित्तीय वर्ष के 12 महीने के दौरान भा.रि.बैं. को रिपोर्ट की गई कुल आस्तियों का औसत है।



5.7 Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction :

(₹ in Crore)

Item	2011	2010
(i) No. of accounts	Nil	1
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	-
(iii) Aggregate consideration	Nil	3.00
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	-
(v) Aggregate gain over net book value.	Nil	(-)2.12

5.8 Details of non-performing financial assets purchased/sold

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ in Crore)

Particulars		2011	2010
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

7 Asset Liability Management

Maturity pattern of Assets and Liabilities as at 31.03.2011:

(₹ in Crore)

	Day 1	2-7 Days	8-14 Days	15-28 Days	29D-3M	>3M-6M	>6M-1Y	>1Y-3Y	>3Y-5Y	>5Yrs	Total
Net Loans & Advances	2283.89	2678.85	3078.38	8851.11	14549.69	8962.63	6841.11	25754.52	8716.86	5133.36	86850.40
Investments	1312.23	962.27	882.07	657.26	8171.43	3963.78	6822.62	8128.87	8185.41	4366.80	43452.74
Deposits	1678.70	3057.50	3758.83	2519.31	15564.04	12612.98	24149.69	29291.40	4199.16	19915.89	116747.50
Borrowings	8.09	7535.08	4.00	196.04	816.88	413.14	112.17	1480.91	356.34	5042.73	15965.38
Foreign Currency Assets	79.40	1752.51	39.55	221.57	943.50	940.12	0.00	501.95	160.29	241.64	4880.51
Foreign Currency Liabilities	336.12	99.72	15.25	206.42	844.04	414.87	459.16	754.22	105.90	0.00	3235.71

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ in Crore)

Particulars		2011	2010
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.9 Provisions on Standard Assets

(₹ in Crore)

Item	2011	2010
Provisions towards Standard Assets	375.75	285.76

6 Business Ratios

	2011	2010
(i) Interest Income as a % to average Working Funds	7.83%	7.62%
(ii) Non Interest Income as a % to average Working Funds	1.14%	1.63%
(iii) Operating Profit as a % to average Working Funds	2.25%	2.33%
(iv) Return on Assets	1.21%	1.28%
(v) Business (deposits plus advances) per employee [Non bank] (₹ in lacs)	1572.79	1268.70
(vi) Profit per employee (₹ in lacs)	10.92	9.52

Note: Average working funds represent average of total assets as reported to RBI during 12 months of the financial year.



31.03.2010 को आस्तियों एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न:

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8 - 14 दिन	15 - 28 दिन	29 दिन - 3 माह	3 माह से अधिक 6 माह तक	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक - 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक - 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
निवल ऋण व अग्रिम	1983.33	2157.33	2655.25	3952.33	10170.80	6717.41	10830.76	14896.12	5626.33	4212.90	63202.56
निवेश	305.17	916.63	779.81	496.03	3544.22	4779.64	5868.01	5313.39	4860.18	7659.56	34522.63
जमाराशियाँ	782.42	2203.72	2310.07	1381.36	7087.17	15457.43	21325.15	15402.44	13855.98	12927.93	92733.67
उधार	0.00	1457.85	0.00	0.00	108.17	279.94	1371.26	1016.77	48.64	4794.90	9077.53
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	148.52	846.79	111.98	214.23	861.04	673.75	52.11	63.32	9.59	191.95	3173.28
विदेशी मुद्रा देयताएँ	225.22	165.54	15.01	33.50	204.94	353.11	484.69	301.14	50.83	0.00	1833.96

8. एक्सपोजर

8.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i) आवासीय बंधक-		
ऐसी आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत उधार जहाँ उधारकर्ता रहता है या रहेगा या भाड़े पर दिया है; (जिसमें से ₹ 20 लाख तक वैयक्तिक आवास ऋण)	5,595.48 (3,652)	4,718.53 (3,114.05)
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा -		
वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु परिवारीय आवासीय भवन, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार। (एक्सपोजर में गैर- निधि आधारित सीमाएं (एनएफबी) भी शामिल)	2,933.59	2,670.74
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एम.बी.एस.) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिगत वित्त एक्सपोजर -		
क) आवासीय	426.25	561.17
ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
ख) अप्रत्यक्ष स्थावर संपदा		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर, स्टेट हाउसिंग बोर्डों तथा कार्पोरेशनों सहित	4,617.34	2,137.35
स्थावर संपदा क्षेत्र को कुल एक्सपोजर	13,572.66	10,087.79



Maturity pattern of Assets and Liabilities as at 31.03.2010:

(₹ in Crore)

	Day 1	2-7days	8 - 14 D	15 - 28 D	29 D - 3 M	> 3 M - 6 M	> 6 M - 1 Y	> 1 Y - 3 Y	> 3 Y - 5 Y	> 5 Yrs	Total
Net Loans & Advances	1983.33	2157.33	2655.25	3952.33	10170.80	6717.41	10830.76	14896.12	5626.33	4212.90	63202.56
Investments	305.17	916.63	779.81	496.03	3544.22	4779.64	5868.01	5313.39	4860.18	7659.56	34522.63
Deposits	782.42	2203.72	2310.07	1381.36	7087.17	15457.43	21325.15	15402.44	13855.98	12927.93	92733.67
Borrowings	0.00	1457.85	0.00	0.00	108.17	279.94	1371.26	1016.77	48.64	4794.90	9077.53
Foreign Currency Assets	148.52	846.79	111.98	214.23	861.04	673.75	52.11	63.32	9.59	191.95	3173.28
Foreign Currency Liabilities	225.22	165.54	15.01	33.50	204.94	353.11	484.69	301.14	50.83	0.00	1833.96

8 Exposures

8.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ in Crore)

		2011	2010
a)	Direct exposure		
i)	Residential Mortgages –		
	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (of which, Individual housing loans up to ₹20 lakhs)	5,595.48 (3,652)	4,718.53 (3,114.05)
ii)	Commercial Real Estate –		
	Landings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). (Exposure also include non-fund based (NFB) limits)	2,933.59	2,670.74
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –		
	a. Residential,	426.25	561.17
	b. Commercial Real Estate.	–	–
b.	Indirect Exposure		
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs) including State Housing Boards and Corporations	4,617.34	2,137.35
	Total Exposure to Real Estate Sector	13,572.66	10,087.79



8.2 पूँजी बाज़ार में एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

विवरण		2011	2010
i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि विशेष रूप से कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	395.46	367.46
ii)	शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर अग्रिम या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बाँडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर अग्रिम;	0.94	0.40
iii)	किसी अन्य उद्देश्यों हेतु अग्रिम जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;	-	-
iv)	किसी अन्य उद्देश्यों हेतु उस सीमा तक अग्रिम जो शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित है अर्थात्, जहाँ शेयरों/परिवर्तनीय बाँडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति 'अग्रिमों को पूर्णतः रक्षित नहीं करते हैं';	235.72	114.64
v)	शेयर दलालों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों तथा बाज़ार विनिर्माताओं की ओर से जारी गारंटियाँ;	51.18	174.44
vi)	शेयरों/बाँडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के योगदान को पूरा करने हेतु बेजमानती आधार पर कार्पोरेटों हेतु मंजूर किए गए ऋण;	-	-
vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम पर कंपनियों को तात्कालिक ऋण;	-	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाँडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की प्राथमिक निर्गम हेतु बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएँ;	-	-
ix)	मार्जिन व्यापार हेतु शेयर दलालों को वित्त प्रदान करना; (जारी बैंक गारंटियाँ)	385.00	175.66
x)	वेंचर पूँजी निधि (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत दोनों) को ईक्विटी के साथ सममूल्य पर समझा जाएगा तथा इस कारण पूँजी बाज़ार जोखिम सीमा (प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों) के अनुपालन हेतु लिया जाएगा	242.55	202.80
पूँजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र		1310.85	1035.40

9. प्रायोजित इतर तुलन-पत्र एसपीवी (लेखांकन मानदंडों के अनुसार जिनका समेकन किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	विदेशी
शून्य	शून्य

10. जोखिम प्रवर्ग वार देशी एक्सपोज़र

निर्यात ऋण गारंटी कार्पोरेशन (ईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त देशगत ऋण जोखिम वर्गीकरण के आधार पर बैंक के देश वार निवल जोखिम एक्सपोज़र निम्नलिखित है।
(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	मार्च 2011 को एक्सपोज़र (निवल) (चालू वर्ष)	मार्च 2011 को धारित प्रावधान (चालू वर्ष)	मार्च 2010 को एक्सपोज़र (निवल) (गत वर्ष)	मार्च 2010 को धारित प्रावधान (गत वर्ष)
नगण्य	5248	1.09	3,545	-
निम्न	1982	-	1,718	-
मामूली	133	-	225	-
उच्च	14	-	70	-
अत्यधिक	33	-	14	-
प्रतिबंधित	1	-	0	-
ऋणोत्तर	0	-	0	-
योग	7411	1.09	5,572	-

11. बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा से अधिक प्रदत्त ऋण के विवरण

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित मामलों के सिवाय पूँजी निधियों, वैयक्तिक उधारकर्ताओं/ग्रूप हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक्सपोज़र अधिकतम सीमा* को पार नहीं किया है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ग्राहक का नाम	वर्ष के दौरान अधिकतम एक्सपोज़र	एक्सपोज़र %
क. एकल उधारकर्ता			
1.	भारतीय आयात निर्यात बैंक	2140.00	19.93
2.	आवास विकास वित्त निगम लि.	1960.00	18.25
3.	भारतीय खाद्य निगम	1900.00	17.70
4.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	1655.47	15.42
ख. समूह उधारकर्ता			
शून्य			

* बैंक की पूँजीगत निधियों के प्रतिशत रूप में। इस उद्देश्य हेतु पूँजीगत निधियाँ 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान ₹. 10737.48 करोड़ थीं। इस उद्देश्य हेतु भा. रि. बैं. द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमा निम्नानुसार है:



8.2 Exposure to Capital Market

(₹ in Crore)

Particulars		2011	2010
(i)	direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	395.46	367.46
[ii]	Advances against share/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares [including IPOs/ ESOPs], convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds;	0.94	0.40
[iii]	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units or equity oriented mutual funds are taken as primary security.	-	-
[iv]	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds, i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	235.72	114.64
[v]	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	51.18	174.44
[vi]	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	-	-
[vii]	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
[viii]	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
[ix]	Financing to stockbrokers for margin trading [Bank Guarantees issued]	385.00	175.66
[x]	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	242.55	202.80
Total Exposure to Capital Market		1310.85	1035.40

9. Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV Sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	Nil

10. Risk Category wise Country Exposure

The following are the bank's countrywise net risk exposure based on the Country risk classification provided by the Export Credit Guarantee Corporation (ECGC).

(₹ in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 2011 (Current Year)	Provision held as at March 2011 (Current Year)	Exposure (net) as at March 2010 (Previous Year)	Provision held as at March 2010 (Previous Year)
Insignificant	5248	1.09	3,545	-
Low	1982	-	1,718	-
Moderate	133	-	225	-
High	14	-	70	-
Very High	33	-	14	-
Restricted	1	-	0	-
Off Credit	0	-	0	-
Total	7411	1.09	5,572	-

11. Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

During the year ended 31.03.2011, the Bank has not exceeded the exposure ceiling* fixed by RBI to individual borrower / Group except in the following cases, which have been approved by the Board:

(₹ in Crore)

Sl. No.	Name of the client	Maximum exposure during the year	Exposure %
A. SINGLE BORROWER			
1.	Export Import Bank of India	2140.00	19.93
2.	Housing Development Finance Corporation Ltd	1960.00	18.25
3.	Food Corporation of India	1900.00	17.70
4.	Bharat Heavy Electricals Ltd.	1655.47	15.42
B. GROUP BORROWER:			
NIL			

*As a percentage of capital funds of the Bank. The capital funds for this purpose was ₹10737.48 crore during the period from 01.04.2010 to 31.03.2011. Prudential exposure limits for this purpose is fixed by RBI are as follows:



		व्यक्तिगत उधारकर्ता	ग्रूप
क	तेल बांडों को जारी किए गए तेल कंपनियों को छोड़कर		
	मूलभूत	15 %	40 %
	आधारभूत संरचना हेतु अतिरिक्त	5 %	10 %
	अपवादात्मक परिस्थितियों में तुलन-पत्र प्रकटनों के साथ अतिरिक्त	5%	5%
ख	तेल कंपनियाँ जिन्हें तेल बांड जारी किए गए हैं।	25%	ला.न.

12. अप्रतिभूत अग्रिम:

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
कुल अप्रतिभूत अग्रिम	28480.23	22,160.71
जिनमें बैंक द्वारा अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिए गए अग्रिम	568.46	1006.70
ऐसी अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति का अनुमानित मूल्य	296.12	3,062.12

13. अग्रिमों का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	31,054.73	24,410.70
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	28.31%	30.49%

14. एक्सपोज़र का संकेन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	31290.50	24,897.29
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों को एक्सपोज़र का अग्रिमों का प्रतिशत	25.01%	28.96%

15. विविध

15.1 प्रावधान और आकस्मिकताओं के विश्लेषित आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2011	2010
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	79.71	61.92
एपीए के प्रति प्रावधान	547.76	345.25
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	72.54	39.50
आयकर हेतु प्रावधान	520.37	492.05
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	-11.25	21.77
योग	1209.13	966.49

15.2 अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

अस्थिर प्रावधान	2011	2010
क) अस्थिर प्रावधान खाते में अथशेष	शून्य	शून्य
ख) लेखा वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य
ग) लेखा वर्ष के दौरान की गई कमी का उद्देश्य और राशि	शून्य	शून्य
घ) अस्थिर प्रावधान खाते में इतिशेष	शून्य	शून्य

16. भा.रि.बैं. द्वारा लगाये जुर्माने का प्रकटन

वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की किसी भी अपेक्षा या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश/नियम या निर्धारित किसी शर्त के उल्लंघन या अननुपालन के लिए बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है।

17. अंतर-शाखा लेनदेन

शाखाओं, नियंत्रण कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के बीच के लेन-देनों का समाधान किया गया है। 31 मार्च, 2011 तक, 15.03.2011 तक के सभी अंतर-शाखा लेन-देनों को समायोजित किया गया है।

18. बहियों का संतुलन

क) लेखा बहियों का संतुलन और मिलान 31 मार्च, 2011 तक कर लिया गया है।

ख) अन्य आस्तियों एवं अन्य देयताओं में तथा अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ खातों में समाधान और समायोजन के लिए कुछ लम्बित पुरानी प्रविष्टियाँ शामिल हैं जिनका बैंक के लाभ-हानि और तुलन पत्र पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

19. स्थाई आस्तियाँ

क) परिसर में ₹ 12.30 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.43 करोड़) की लागत वाली परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं जिनके पंजीकरण की औपचारिकताएं लम्बित हैं।

ख) स्थाई आस्तियों में पूंजीगत चालू कार्य- परिसर से संबंधित ₹ 2.05 करोड़ (गत वर्ष ₹ 1.75 करोड़) शामिल है।

ग) वर्ष 2010-11 के दौरान अर्जित सॉफ्टवेयरों की लागत ₹ 10.13 करोड़ (गत वर्ष ₹ 6.36 करोड़) है और 2010-11 तक परिशोधित राशि ₹ 6.18 करोड़ (गत वर्ष ₹ 6.05 करोड़) है।

घ) परिसर में ₹ 3.59 करोड़ (गत वर्ष ₹ 3.59 करोड़) की इमारत शामिल है जो गत स्वामी के शोधन के अधिकार के अधीन है।

ड) पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु लंबित संविदाएँ जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया, ₹ 6.03 करोड़ (गत वर्ष ₹ 20.26 करोड़) है।

20. नकदी प्रवाह विवरण (एस 3)

वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण अलग से दिया गया है।



		Individual Borrower	Group
A	Other than oil companies who have been issued oil bonds		
	Basic	15 %	40 %
	Additional for infrastructure	5 %	10 %
	Additional under exceptional circumstances with Balance Sheet disclosures	5%	5%
B	Oil companies who are issued oil bonds	25%	N.A.

12. Unsecured Advances: (₹ in Crore)

	2011	2010
Total Unsecured Advances	28,480.23	22,160.71
Out of which advances with intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. taken by the bank as collateral	568.46	1,006.70
Estimated value of such intangible collateral	296.12	3,062.12

13. Concentration of Advances (₹ in Crore)

	2011	2010
Total Advances to twenty largest borrowers	31,054.73	24,410.70
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total advances of the Bank	28.31%	30.49%

14. Concentration of Exposures (₹ in Crore)

	2011	2010
Total exposure to twenty largest borrowers/customers	31,290.50	24,897.29
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	25.01%	28.96%

15. Miscellaneous

15.1 Break up of provision & contingencies

(₹ in Crore)

	2011	2010
Provision for Depreciation on Investment	79.71	61.92
Provision towards NPA	547.76	345.25
Provision towards Standard Asset	72.54	39.50
Provision for Income Tax	520.37	492.05
Other Provision & Contingencies	-11.25	21.77
TOTAL	1209.13	966.49

15.2 Floating Provision (₹ in crore)

Floating Provision	2011	2010
a) Opening balance in the floating provisions account	Nil	Nil
b) Quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
c) Purpose and amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
d) Closing balance in the floating provisions account	Nil	Nil

16. Disclosure of Penalties imposed by RBI

During the financial year 2010-11, the Bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any order/ rules or conditions specified by the Reserve Bank of India under the said Act.

17. INTER BRANCH TRANSACTIONS

Reconciliation of transactions between Branches, Controlling offices and Head office has been done. All inter branch transactions upto 15.03.2011 stand adjusted as at 31.3.2011.

18. BALANCING OF BOOKS

- Books of account have been balanced and tallied up to 31st March 2011.
- Other Assets and Other Liabilities and accounts with other banks/institutions include a few old entries pending reconciliation and adjustment having no material impact on the Profit & Loss and Balance Sheet of the Bank.

19. FIXED ASSETS

- Premises include properties costing ₹ 12.30 crore (previous year ₹0.43 crore) for which registration formalities are pending.
- Fixed Assets include ₹2.05 crore (previous year ₹1.75 crore) in respect of Capital Work in Progress-Premises.
- During the year 2010-11 cost of software acquired is ₹10.13 crore (previous year ₹6.36 crore) and the amount amortised till 2010-11 is ₹6.18 crore (previous year ₹6.05 crore).
- Premises include buildings of ₹3.59 crore (previous year ₹3.59 crore) which are subject to previous owners right of redemption.
- Contracts pending execution on Capital account and not provided for is ₹6.03 crore (previous Year ₹ 20.26 crore).

20. CASH FLOW STATEMENT (AS 3)

The Cash Flow statement for the year is given separately.



21. कर्मचारी हितलाभ

21.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बैंक द्वारा कर्मचारी हितलाभ हेतु लेखांकन किया गया है।

21.2 परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक एवं अंतिम शेष का समाधान तथा विचारणीय अवधि के दौरान निम्नलिखित में से प्रत्येक पर प्रभाव निम्नवत् प्रस्तुत है

(₹ करोड़ में)

निधिक परिभाषित हितलाभ	पेंशन	उपदान	दीर्घावधि प्रतिपूरित हितलाभ
आरंभिक शेष	570.86	312.62	125.57
ब्याज लागत	43.42	23.99	4.70
चालू सेवा लागत	103.11	30.56	12.08
विगत सेवा लागत - निर्धारित	110.51	-	-
विगत सेवा लागत - अनिर्धारित	442.02	6.03	-
विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र	412.92	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(52.01)	(23.19)	(133.15)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	41.07	61.30	139.08
अंतिम शेष	1671.90	411.31	148.28

21.3 लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित कुल व्यय: (₹ करोड़ में)

निधिक परिभाषित हितलाभ	पेंशन - निधिक	उपदान - निधिक	दीर्घावधि प्रतिपूरित हितलाभ - अनिधिक
चालू सेवा लागत	103.11	30.56	12.08
ब्याज लागत	43.42	23.99	4.70
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(71.65)	(28.25)	-
अवधि के दौरान निर्धारित निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	48.88	50.34	139.08
विगत सेवा लागत - निर्धारित	110.51	6.03	-
विगत सेवा लागत - परिशोधन हेतु अपात्र	412.92	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में निर्धारित व्यय	647.19	82.67	155.86

21.4 तुलन-पत्र दिनांक को उपयोग में लाए गए प्रधान बीमांकिक धारणाएँ:

(₹ करोड़ में)

निधिक परिभाषित हितलाभ	पेंशन निधिक	उपदान निधिक	दीर्घावधि प्रतिपूरित हितलाभ अनिधिक
छूट दर	8.23%	8.23%	8.23%
भावी लागत/वेतन वृद्धि	6%	6%	6%

21.5 चालू अवधि हेतु परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

	31.03.2011
पेंशन	1671.90
उपदान	411.31
दीर्घावधि प्रतिपूरित अनुपस्थिति	148.28

21.6 विश्लेषण के बाद देयताओं में निम्नलिखित कमी/(बेशी) पाई गई है:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2011
पेंशन	(1)
उपदान	-
दीर्घावधि प्रतिपूरित अनुपस्थिति	148.28

21.7 वर्ष के दौरान बैंक को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में उपदान की सीमा को बढ़ाने के संबंध में किए गए आशोधन की वजह से उपदान निधि में अंशदान के प्रति ₹ 78.10 करोड़ की वृद्धिशील देयता उपगत हुई है जिसे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

इसके अलावा बैंक ने पहले पेंशन योजना का विकल्प न चुननेवाले कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन चुनने का विकल्प दे दिया। 4457 सेवारत कर्मचारियों द्वारा इसे चुनने से बैंक को ₹ 891.2 करोड़ की अतिरिक्त देयता पैदा हुई। भारिबैं परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार ₹ 338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹ 552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता को पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार ₹ 110.51 करोड़ (₹ 552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹ 442.02 करोड़ की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार अग्रणीत की जा रही है। विमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पुनः प्रस्तुत पेंशन विकल्प को चुनने से उत्पन्न ₹74.25 करोड़ की देयता को भारिबैं द्वारा जारी उक्त परिपत्र के अनुसार लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है।



21. EMPLOYEE BENEFITS

21.1 The Bank has accounted for Employee Benefits as per Accounting Standard 15 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

21.2 A reconciliation of Opening and Closing Balances of the present value of the defined benefit obligation and the effects during the period attributable to each of the following is as under:

(₹ in Crore)

Defined benefits funded	Pension	Gratuity	Long Term compensated benefit
Opening Balance	570.86	312.62	125.57
Interest Cost	43.42	23.99	4.70
Current Service Cost	103.11	30.56	12.08
Past service cost-recognised	110.51	-	-
Past service cost-unrecognised	442.02	6.03	-
Past service cost-Not eligible for amortisation	412.92	-	-
Benefit Paid	(52.01)	(23.19)	(133.15)
Acturial (Gain) / Loss on obligation	41.07	61.30	139.08
Closing Balance	1671.90	411.31	148.28

21.3 Total Expenses recognized in the Statement of Profit and Loss :

(₹ in crore)

Defined benefits funded	Pension-Funded	Gratuity-Funded	Long Term compensated benefit-Un funded
Current Service Cost	103.11	30.56	12.08
Interest Cost	43.42	23.99	4.70
Expected return on plan assets	(71.65)	(28.25)	-
Net Acturial (Gain) / Loss recognized in the period	48.88	50.34	139.08
Past service cost-recognised	110.51	6.03	-
Past service cost-Not eligible for amortisation	412.92	-	-
Expenses recognized in the statement of profit and loss	647.19	82.67	155.86

21.4 The Principal actuarial assumptions used as at the balance sheet date :

(₹ in Crore)

Defined benefits funded	Pension-Funded	Gratuity-Funded	Long Term compensated benefit-Un funded
Discount Rate	8.23%	8.23%	8.23%
Future cost / salaries increase	6%	6%	6%

21.5 The present value of defined benefit obligations for the current period:

(₹ in Crore)

	31.03.2011
Pension	1671.90
Gratuity	411.31
Long Term Compensated absence	148.28

21.6 After analysis following deficit / (surplus) in liabilities have been observed:

(₹ in Crore)

	31.03.2011
Pension	(1)
Gratuity	-
Long Term Compensated absence	148.28

21.7 During the year, Bank has incurred an incremental liability towards contribution to gratuity fund to the extent of ₹78.10 crores including due to the amendment made in Payment of Gratuity Act, 1972 with regard to enhancement in gratuity limit which has been charged to profit & Loss Account.

Further the Bank reopened the pension option for such of its employees who has not opted for pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 4457 serving employees, the Bank has incurred a liability of ₹891.2 crores. In terms of RBI circular no:DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹338.67 crore, the net incremental liability of ₹552.53 crore is being amortised over a period of five years. Accordingly a sum of ₹110.51 crore (representing one-fifth of ₹552.53 crore) has been charged to the Profit and Loss Account. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹ 442.02 crores.

An amount of ₹ 74.25 crores being liability arising out of exercising of reopened pension option by separated/ retired employees has been charged to profit & loss account in terms of said circular issued by RBI.



यदि बैंक ऐसी लेखा व्यवस्था नहीं करता, तो बैंक का लाभ लेखा मानक 15 की अपेक्षाओं को लागू करने से ₹ 442.02 करोड़ कम होता।

22. प्रखंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “लेखांकन मानक 17-प्रखंड रिपोर्टिंग” के अनुसार प्रखंड रिपोर्ट को समेकित वित्तीय विवरण हेतु दिया गया है।

23. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18-संबंधित पार्टी प्रकटीकरण, यथापठित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिदेशों के अनुपालनार्थ संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण निम्नवत् है :

संबंधित पार्टियों का नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध:

अनुषंगी – कार्प बैंक सिक्स्युरिटीज़ लिमिटेड
सहयोगी (आरआरबी) – चिकमगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक (चिको बैंक)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक – श्री रामनाथ प्रदीप
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(01.09.2010 से)
श्री जे. एम. गर्ग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(01.04.2010 से 31.07.2010 तक)

श्री नरेन्द्र सिंह
कार्यपालक निदेशक

श्री अश्वनी कुमार
(01.12.2010 से)

श्री असित पाल
कार्यपालक निदेशक
(01.04.2010 से 30.11.2010 तक)

संबंधित पार्टियों के लेनदेन:

मर्दे	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	
	31 मार्च, 2011 या मु.प्र.का. होने का अंतिम दिन जो भी पहले हो	31 मार्च, 2010 या मु.प्र.का. होने का अंतिम दिन जो भी पहले हो
प्रदत्त समग्र पारिश्रमिक	₹ 58.70 लाख	₹ 36.68 लाख

चूँकि बैंक एवं उसकी अनुषंगी सरकार के नियंत्रण में हैं, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 18 की जरूरतों के अनुरूप उनके साथ लेनदेन का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। तदनुसार, बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के मामले में भी कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

24. प्रति शेयर अर्जन

क) मूल : ₹ 98.50 प्रति शेयर
ख) तनुकृत : कोई तनुकरित संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं है, अतः लागू नहीं।

मूल ईपीएस की गणना

विवरण	2010-11	2009-10
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु कर पश्चात् उपलब्ध निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1413.27	1,170.25
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	14.35	14.34
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	98.50	81.58
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

25. बैंक ने आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को लेखा मानक सं. 22 के अनुसार निर्धारित किया है, जिसके प्रमुख संघटक नीचे प्रस्तुत हैं:

	यथा 31.3.2011 (₹ करोड़ में)	यथा 31.3.2010 (₹ करोड़ में)
आस्थगित कर आस्तियाँ		
छुट्टी नकदीकरण	33.67	25.01
कुल	33.67	25.01
आस्थगित कर देयताएं		
स्थिर आस्तियाँ	6.17	9.47
निवेश	282.12	232.16
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान	-	61.85
कुल	288.29	303.48

* आस्थगित कर देयता (निवल) ₹ 254.62 करोड़ (गत वर्ष ₹ 278.47 करोड़) को “अन्य देयताएं और प्रावधान” के अंतर्गत शामिल किया गया है।



Had such a Accounting treatment not been made by the Bank , the profit of the Bank would have been lower by ₹442.02crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

22. SEGMENT REPORTING

In terms of “AS 17 - Segment Reporting”, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Segment Report has been given for the Consolidated Financial Statements.

23. RELATED PARTY DISCLOSURE

In compliance with Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures, issued by the Institute of Chartered Accountants of India read along with the Reserve Bank of India guidelines, the details pertaining to Related Party transactions are disclosed as under:

Names of Related Party and their Relationship with the Bank:

- Subsidiaries: - Corpbank Securities Ltd
- Associate (RRB): - Chikmagalur Kodagu Grameena Bank (Chiko Bank)

Key Management Personnel: - Mr.Ramnath Pradeep
Chairman & Managing Director
(From 01.09.2010)

- Mr.J.M.Garg
Chairman & Managing Director
(From 01.04.2010 to 31.07.2010)

Mr.Narendra Singh
Executive Director

Mr.Ashwani Kumar
(From 01.12.2010)

Mr.Asit Pal
Executive Director
(From 01.04.2010 to 30.11.2010)

Transactions of Related Parties :

Items	Key Management Personnel	
	31st March 2011 or as on the last day of being a KMP whichever is earlier	31st March 2010 or as on the last day of being a KMP whichever is earlier
Aggregate Remuneration Paid	₹58.70 lakhs	₹36.68 Lakhs

Since, the Bank and its Subsidiary are state controlled, no disclosures are made pertaining to the transactions with them in accordance with the requirements of the Accounting Standard 18 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Accordingly, no disclosure has also been made in respect of the Rural Regional Bank (RRB) sponsored by the Bank.

24. Earnings Per Share

- a) Basic: ₹ 98.50 per share
- b) Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

Calculation of Basic EPS

Particulars	2010-11	2009-10
Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crore)	1413.27	1,170.25
Weighted average number of equity shares (in crore)	14.35	14.34
Basic Earnings per Share (₹)	98.50	81.58
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

25. The Bank has recognized deferred tax assets and liabilities as per Accounting Standard No.22, major components of which are set out below:

	As on 31.3.2011 (₹ in crore)	As on 31.3.2010 (₹ in crore)
Deferred Tax Assets		
Leave encashment	33.67	25.01
Total	33.67	25.01
Deferred Tax Liabilities		
Fixed Assets	6.17	9.47
Investments	282.12	232.16
Provision for Bad & Doubtful Debts	-	61.85
Total	288.29	303.48

Deferred tax liability (net) ₹ 254.62 crore (previous year ₹278.47crore) is included under “Other Liabilities and Provisions”.



26. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

प्रावधान की प्रकृति	अथशेष	वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रावधान	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित प्रावधान	इतिशेष
i) गै.नि.आ. हेतु किए गए प्रावधान	426.48	547.76	68.49	542.70	363.05
ii) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान (गै.नि.आ. प्रावधान सहित)	56.48	79.71	49.61	-	86.58
iii) आय कर / संपत्ति कर हेतु प्रावधान	1,528.69	520.37	1,145.35	शून्य	903.71
iv) सभी अन्य *	380.70	80.92	-	13.62	448

*इसमें कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावों हेतु प्रावधान, कपटपूर्ण लेन-देनों हेतु प्रावधान तथा अन्य विविध लेनदेन शामिल हैं

ख. आकस्मिक देयता:

i) कर्ज के रूप में स्वीकार न किये गये बैंक के विरुद्ध दावे: (₹ करोड़ में)

विवरण	दावों की सं	सकल दावे	निवल दावे
01/04/2010 को बकाया कुल दावे	102	38.24	30.27
घटाएं: 01/04/2010 से 31/03/2011 तक की अवधि के दौरान हटाए/संशोधित दावे	34	5.26	3.88
जोड़े : 01/04/2010 से 31/03/2011 तक की अवधि के दौरान जोड़े नए दावे	38	270.88	270.43
31/03/2011 को बकाया कुल दावे	106	303.86	296.82

31 मार्च, 2011 को बकाया दावों का विषयवार वर्गीकरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	दावों की सं	सकल दावे	निवल दावे
बैंक गारंटी	3	0.16	0.01
चेक/माँग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश आदि की उगाही	11	0.24	0.05
ऋण संविभाग	23	19.55	18.62
जमा संविभाग	13	0.65	0.13
सतर्कता लेनदेन	21	6.23	2.15
विविध आयकर व ब्याज कर माँगों से संबंधित दावों सहित	35	277.02	275.86
योग	106	303.84	296.82

आकस्मिक देयताओं में ₹ 273.18 (गत वर्ष ₹ 7.18 करोड़) का विवादित आय कर तथा ब्याज कर शामिल है जिसके विरुद्ध विभाग ने अपील की है।

27. आय कर और संपत्ति कर

क) वर्ष के दौरान आय कर हेतु किए गए प्रावधानों का विश्लेषण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय कर	520	492.00
संपत्ति कर	0.37	0.05

ख) आयकर और संपत्ति कर हेतु निर्धारण क्रमशः वित्त वर्ष 2008-09 और 2007-08 तक पूरा किया गया है। बैंक / आयकर विभाग द्वारा की गई निम्नलिखित अपील विभिन्न चरणों में लंबित है:

आय कर	ब्याज कर	सेवा कर	वीएटी
नि.व. 1991-92 से नि.व. 1992-93	नि.व. 1983-84 से नि.से. 1986-87	नि.व. 2002-03 से नि.व. 2004-05	अप्रैल 2006-जुलाई 2010
नि.व. 1996-97 से नि.व. 2002-2003	नि.व. 1997-98 से नि.व. 2000-01		
नि.व. 2005-2006			
नि.व. 2004-05 से नि.व. 2008-09			

ग) अन्य आस्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए अग्रिम प्रदत्त कर और स्रोत पर काटे गए कर में बैंक द्वारा विवादग्रस्त माँगों के लिए प्रदत्त ₹ 286.97 करोड़ (गत वर्ष ₹ 190.17 करोड़) शामिल हैं, जिसके लिए बैंक ने ₹ 76.90 करोड़ का प्रावधान रखा है। बैंक ने अपील की है और इसी प्रकार के मामलों में अनुकूल फैसलों को देखते हुए कोई अतिरिक्त प्रावधान ज़रूरी नहीं समझा गया है।



26. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

a) Provisions:

(₹ in Crore)

Nature of Provision	Opening Balance	Additional Provision made during the year	Provision used during the year	Provision Reversed during the year	Closing Balance
i) Provision made towards NPAs	426.48	547.76	68.49	542.70	363.05
ii) Provision for Depreciation on Investment (Including NPA provision)	56.48	79.71	49.61	-	86.58
iii) Provision made towards Income Tax / Wealth Tax	1,528.69	520.37	1,145.35	Nil	903.71
iv) All other *	380.70	80.92	-	13.62	448

*This includes provision for claims against the Bank not acknowledged as debt, provision towards fraudulent transactions and other miscellaneous transactions.

b) Contingent Liability:

i) Claims against the Bank not acknowledged as debts:

(₹ in Crore)

Particulars	No of claim	Gross Claim	Net Claim
Total Claims outstanding as on 01/04/2010	102	38.24	30.27
Less: Claims deleted/revised during the period from 01/04/2010 to 31/03/2011	34	5.26	3.88
Add : New Claims added during the period from 01/04/2010 to 31/03/2011	38	270.88	270.43
Total Claims outstanding as on 31/03/2011	106	303.86	296.82

Subject wise classification of the claims outstanding as on March 31, 2011:

(₹ in Crore)

Particulars	No. of Claims	Gross Claim	Net Claim
Bank Guarantee	3	0.16	0.01
Cheques/DD/PO etc., collection	11	0.24	0.05
Credit Portfolio	23	19.55	18.62
Deposits Portfolio	13	0.65	0.13
Vigilance Transactions	21	6.23	2.15
Miscellaneous [Including claims on account of Income Tax & Interest Tax Demands]	35	277.02	275.86
Total	106	303.84	296.82

Contingent Liabilities include Disputed Income tax and interest tax of ₹ 273.18 crore (previous year ₹ 7.18 crore) for which the Bank has gone in appeal.

27. Income Tax and Wealth Tax

a) Break-up of provision made for Income Tax during the year:

(₹ in crore)

Particulars	Current Year	Previous Year
Income Tax	520	492.00
Wealth Tax	0.37	0.05

b) Assessments for Income Tax and Wealth Tax have been completed up to the financial year 2008-09 and 2007-08 respectively. The following appeals by the Bank/ Income Tax Department are pending at various stages:

Income Tax	Interest Tax	Service Tax	VAT
A.Y 1991-92 to A.Y 1992-93	A.Y 1983-84 to A.Y 1986-87	AY 2002-2003 to AY 2004-2005	April 2006-July 2010
A.Y 1996-97 to A.Y 2002-2003	A.Y 1997-98 to A.Y 2000-01		
A.Y 2005-2006			
A.Y 2004-05 to A.Y 2008-09			

c) Tax paid in advance and tax deducted at source appearing under "Other Assets" includes ₹286.97crore (previous year ₹190.17 crore) paid on account of demands disputed by the Bank, against which the Bank holds a provision of ₹76.90crore. The Bank has gone on appeal and no additional provision is considered necessary in view of favourable judicial pronouncements in similar cases.



28. आरक्षित निधियों से आहरित: शून्य (गत वर्ष शून्य)
29. शिकायतें/बैंकिंग लोकपाल के गैर कार्यान्वित अधिनिर्णय

क. ग्राहक शिकायतें

क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1392
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1392
घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

ख. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के आरंभ में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान पारित अधिनिर्णयों की सं.	7
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	7
(घ)	वर्ष के अंत में गैर-कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं.	शून्य

30. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) (क्रेता की साख पर उधार के अतिरिक्त) शून्य (गत वर्ष शून्य) है।
31. बैंक ने वर्ष के दौरान अप्रैल 2010 में ₹ 550 करोड़ के ऊपरी टियर II बांड जुटाए।
32. क) तिमाही के दौरान बैंक ने 29 मार्च 2011 को भारत सरकार को अधिमान आधार पर ₹ 658.49 प्रति ईक्विटी शेयर की कीमत पर

(अर्थात् ₹ 10/- अंकित मूल्य और ₹ 648.49 प्रीमियम प्रति शेयर) 46,92,554 ईक्विटी शेयर जारी और आबंटित किए।

ख) 29.03.2011 को अधिमान आधार पर भारत सरकार (अर्थात् भारत के राष्ट्रपति के नाम) 46,92,554 ईक्विटी शेयरों के कारण बैंक की निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी 14,34,40,000 से 14,81,32,554 ईक्विटी शेयरों तक बढ़ गई।

ग) 200 ईक्विटी शेयरों की बकाया माँग की प्राप्ति और 29 मार्च 2011 को अधिमान आधार पर भारत सरकार को आबंटित 46,92,554 ईक्विटी शेयरों की आबंटन राशि की प्राप्ति के कारण बैंक की प्रदत्त पूँजी 143,43,80,500 से 148,13,06,040 ईक्विटी शेयरों तक बढ़ गई।

33. 31.03.2011 को बैंक का प्रावधान व्याप्ति अनुपात 74.70% है।
34. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकेश्योरेन्स कारोबार से बैंक को ₹ 7.68 करोड़ शुल्क/पारिश्रमिक प्राप्त हुआ।
35. बैंक ने 200% अर्थात् प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य हेतु ₹ 20 प्रति शेयर लाभांश की सिफारिश की है जो भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन है।
36. जहाँ आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(रामनाथ प्रदीप) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	(नरेन्द्र सिंह) कार्यपालक निदेशक	(अश्वनी कुमार) कार्यपालक निदेशक	(ललित कुमार) निदेशक
(ग्रेस कोशी) निदेशक	(वी. रघुरामन) निदेशक	(कौशिक कुमार घोष) निदेशक	(राज कुमार अग्रवाल) निदेशक
(हीरेन मेहता) निदेशक	(थॉमस मैथ्यू टी) निदेशक	(अजय गर्ग) निदेशक	(पी. आर करंत) महा प्रबंधक
			(वेंकटराव वाई घोरपडे) निदेशक
			(के. रामदास प्रभु) उप महा प्रबंधक

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-114207W

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-002304N

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000734C

(डी.के.गुप्ता)
(एम.नं.009032)
साझेदार

(विनोद जैन)
(एम.नं.081263)
साझेदार

(ओ.पी.टोटला)
(एम.नं.011854)
साझेदार

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-001457N

कृते के. वर्गीज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-004525S

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002398S

(आर. के. गोयल)
(एम.नं.006154)
साझेदार

(के. वर्गीज)
(एम.नं.020674)
साझेदार

(एन. रामचन्द्रन)
(एम.नं.201107)
साझेदार

स्थान : मुंबई

दिनांक : 29-04-2011



28. Drawn Down from Reserves : NIL (Previous Year Nil)

29. Complaints / unimplemented awards of Banking Ombudsmen

A. Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	Nil
(b)	No. of complaints received during the year	1392
(c)	No. of complaints redressed during the year	1392
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	Nil

B. Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	Nil
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	7
(c)	No. of Awards implemented during the year	7
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	Nil

30. Letter of Comforts (LOCs) issued by the Bank (other than for Buyers Credit) during the year is Nil (Previous Year Nil)

31. The Bank raised Upper Tier-II Bonds of ₹550 crore during the year in April 2010.

32. a) During the quarter the Bank has issued and allotted 46,92,554 equity shares to Government of India on

preferential basis at a price of ₹658.49 per Equity share (i.e ₹10/- face value and ₹648.49 towards premium per share) on 29th March 2011.

b) The Issued and Subscribed Capital of the Bank has been raised from 14,34,40,000 to 14,81,32,554 Equity Shares due to allotment of 46,92,554 Equity Shares to Government of India (i.e in the name of ' President of India') on a Preferential allotment basis on 29.03.2011.

c) The paid-up Capital of the Bank has been increased from ₹143,43,80,500 to ₹148,13,06,040 due to receipt of calls in arrears for 200 equity shares and allotment money for 46,92,554 Equity Shares allotted to Government of India on Preferential basis on 29th March 2011.

33. Provisioning coverage ratio of the Bank as on 31.03.2011 is 74.70%.

34. During the year ended 31st March 2011, Bank has received fee/remuneration of ₹ 7.68 crore from Bancassurance business.

35. The Bank has recommended a dividend of 200% i.e. ₹ 20 per share of the face value of ₹10/- each, which is subject to approval of Govt. of India.

36. Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

[Ramnath Pradeep]
Chairman & Managing Director

[Narendra Singh]
Executive Director

[Ashwani Kumar]
Executive Director

[Lalit Kumar]
Director

[Grace Koshie]
Director

[V.Raghuraman]
Director

[Kaushik Kumar Ghosh]
Director

[Raj Kumar Agrawal]
Director

[Venkatrao Y Ghorpade]
Director

[Hiren Mehta]
Director

[Thomas Methew T]
Director

[Ajay Garg]
Director

[P.R. Karanth]
General Manager

[K.Ramdas Prabhu]
Dy. Gen. Manager

As per our Report of even date

For R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-114207W

[D.K.Gupta]
M.No.009032
Partner

for Vinod Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-002304N

[Vinod Jain]
M.No.081263
Partner

for O.P. Totla & Co.
Chartered Accountants
FRN-000734C

[O.P. Totla]
M.No.011854
Partner

For Rajendra K. Goel & Co.
Chartered Accountants
FRN-001457N

[R.K. Goel]
M.No.006154
Partner

for K.Varghese & Co.
Chartered Accountants
FRN-004525S

[K. Varghese]
M.No.020674
Partner

for V.Narayanan & Co.
Chartered Accountants
FRN-002398S

[N. Ramachandran]
M.No.201107
Partner

Place: Mumbai
Date: 29.04.2011



कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2011

(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011 चालू वर्ष Current Year	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2010 पिछला वर्ष Previous Year
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	501,83,01	1689,19,90
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(111,35,22)	(58,58,58)
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	32,10,64	(134,25,41)
घ. वर्ष के आरंभ में शेष: D. BALANCES AT THE BEGINNING OF THE YEAR :		
नकदी तथा भा.रि.बैं. में शेष Cash & Balances with RBI	88,35,03,43	55,90,60,43
बैंकों में शेष तथा माँग पर धन Balances with Banks and Money at Call	54,59,85,46 14294,88,89	72,07,92,55 12798,52,98
ङ. वर्ष की समाप्ति पर शेष : E. BALANCES AT THE END OF THE YEAR :		
नकदी तथा भा.रि.बैं. में शेष Cash & Balances with RBI	81,42,31,58	88,35,03,43
बैंकों में शेष तथा माँग पर धन Balances with Banks and Money at Call	65,75,15,73 14717,47,31	54,59,85,46 14294,88,89
च. वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क + ख + ग) या (ङ - घ) F. TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) OR (E-D)	422,58,42	1496,35,91



(₹ in '000 में)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011 चालू वर्ष Current Year	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2010 पिछला वर्ष Previous Year
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	9135,24,82	6987,68,73
अन्य आय Other Income	1324,36,96	1493,33,85
	10459,61,78	8481,02,58
घटाएँ: वर्ष के दौरान जमाओं, उधारों आदि पर प्रदत्त ब्याज LESS: Interest Paid during the year on Deposits, Borrowing etc.	6195,50,53	5084,34,65
परिचालन व्यय Operating Expenses	1641,70,99	1259,95,26
प्रावधान तथा आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1209,13,47	966,47,54
स्थाई आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Fixed Assets	(,33,54)	(2,31,62)
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiaries	(0)	(0)
	9046,01,45	7308,45,83
जोड़ें: मूल्यहास ADD: Depreciation	69,26,35	65,92,98
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (आस्थगित कर सहित) Provisions and Contingencies (incl. Deferred Tax)	1209,13,47	966,47,54
	1278,39,82	1032,40,52
परिचालन से नकदी प्रवाह (कर पूर्व) CASH FLOW FROM OPERATIONS (BEFORE TAX)	2692,00,15	2204,97,27
घटाएँ: प्रदत्त कर LESS: TAXES PAID	436,04,28	673,49,62
परिचालन से नकदी प्रवाह (कर के बाद) CASH FLOW FROM OPERATIONS (AFTER TAX)	2255,95,87	1531,47,65
परिचालन आस्तियों तथा देयताओं से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES		
जमाओं में (कमी)/वृद्धि (Decrease)/Increase in Deposits	24013,83,22	18749,75,42
उधारों में (कमी)/वृद्धि (Decrease)/Increase in Borrowings	6887,85,59	4267,62,92
अन्य देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि (Decrease)/Increase in Other Liabilities and Provisions	(1714,90,27)	(258,36,75)
निवेशों में कमी/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Investments	(8103,50,80)	(8345,33,27)
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Other Assets	810,43,60	434,44,09
बटूटे खाते/अंतरण हेतु आरक्षित निधि में/से समायोजन Adjustments to/from Reserve for write off/trf	(0)	(0)
	(1754,12,86)	157,72,25
परिचालनों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATIONS	501,83,01	1689,19,90



विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011 चालू वर्ष Current Year	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2010 पिछला वर्ष Previous Year
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अचल संपत्तियों में परिवर्द्धन Additions in Fixed Assets	(116,73,65)	(60,05,14)
अचल संपत्तियों की बिक्री Sale of Fixed Assets	538,42	146,56
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiaries	(0)	(0)
योग Total	(111,35,22)	(58,58,58)
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी में वृद्धि Increase in Share Capital	46928	(0)
शेयर प्रीमियम Share Premium	304,30,88	(0)
कार्प बैंक होम्स लि. की आरक्षित निधियों का जोड़ Addition of Reserves of Corpbank Homes Ltd.	(0)	(0)
लाभांश (लाभांश कर सहित) Dividend (Incl. Dividend Tax)	(276,89,52)	(134,25,41)
योग Total	32,10,64	(134,25,41)

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-114207W
(डी.के.गुप्ता)
(एम.नं. 009032)
साझेदार

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-002304N
(विनोद जैन)
(एम.नं. 081263)
साझेदार

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
(एम.नं. 011854)
साझेदार

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
(एम.नं. 006154)
साझेदार

कृते के. वर्गीज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-004525S
(के. वर्गीज)
(एम.नं. 020674)
साझेदार

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
(एम.नं. 201107)
साझेदार

As per our Report of even date

for M/s R.Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-114207W
[D.K.Gupta]
M.No. 009032
PARTNER

for M/s Vinod Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-002304N
[Vinod Jain]
M.No. 081263
PARTNER

for O.P Totla & Co
Chartered Accountants
FRN-000734C
[O.P. Totla]
M.No.011854
PARTNER

for M/s Rajendra K.Goel&Co.
Chartered Accountants
FRN-001457N
[R.K.Goel]
M.No. 0016154
PARTNER

for K. Varghese & Co.
Chartered Accountants
FRN-004525S
[K.Varghese]
M.No.020674
PARTNER

for V.Narayanan & Co.
Chartered Accountants
FRN-002398S
[N.Ramachandran]
M.No.201107
PARTNER

स्थान Place : मुंबई Mumbai
दिनांक Date : 29 अप्रैल April 2011



लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

AUDITORS' CERTIFICATE

हम, कार्पोरेशन बैंक के अधोहस्ताक्षरी सांविधिक केंद्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है। यह विवरण शेयर बाजारों के साथ हुए सूचीकरण करार के खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत 29 अप्रैल, 2011 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित इसी अवधि हेतु बैंक के लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र पर आधारित तथा उसके अनुरूप है।

We, the undersigned Statutory Central Auditors of Corporation Bank, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank, for the year ended 31st March 2011. The statement has been prepared in accordance with the requirements of Clause 32 of the Listing Agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and Balance Sheet of the Bank covered by our report of April 29, 2011 to the President of India.

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-114207W
(डी.के.गुप्ता)
साझेदार
(एम.नं. 009032)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-002304N
(विनोद जैन)
साझेदार
(एम.नं. 081263)

for **R. Devendra Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN-114207W
[D.K.Gupta]
PARTNER
M.No.009032

for **Vinod Kumar & Associates**
Chartered Accountants
FRN-002304N
[Vinod Jain]
PARTNER
M.No.081263

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
साझेदार
(एम.नं. 011854)

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
साझेदार
(एम.नं. 006154)

for **O.P. Totla & Co.**
Chartered Accountants
FRN-000734C
[O.P.Totla]
PARTNER
M.No.011854

for **Rajendra K. Goel & Co.**
Chartered Accountants
FRN-001457N
[R.K.Goel]
PARTNER
M.No.006154

कृते के. वर्गीज़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-004525S
(के. वर्गीज़)
साझेदार
(एम.नं. 020674)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
साझेदार
(एम.नं. 201107)

for **K.Varghese & Co.**
Chartered Accountants
FRN-004525S
[K.Varghese]
PARTNER
M.No.020674

for **V.Narayanan & Co.**
Chartered Accountants
FRN-002398S
[N.Ramachandran]
PARTNER
M.No.201107

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011

Place: Mumbai
Date: April 29, 2011



कार्पोरेशन बैंक तथा इसकी अनुषंगी के समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कार्पोरेशन बैंक के निदेशक मंडल की सेवा में:

- हमने कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी, कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार संलग्न समेकित तुलन-पत्र तथा उसके साथ उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक और उसकी अनुषंगी के समेकित लाभ-हानि खाते की भी जाँच की है।
- ये वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन वर्ग का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने लेखा-परीक्षा संबंधी अपना कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय विवरण निर्दिष्ट रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुरूप तात्त्विक आधार पर तैयार किए गए हैं और वह तात्त्विक अयथार्थों से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में, जाँच के तौर पर, वित्तीय विवरणों में व्यक्त धनराशियों और प्रकटनों के समर्थक साक्ष्यों का परीक्षण सम्मिलित होता है। किसी लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन-सिद्धांतों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण और साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।
- हमने अनुषंगी कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2011 को ₹134.72 करोड़ की कुल आस्तियों तथा यथा तिथि के वर्ष हेतु ₹10.27 करोड़ का कुल राजस्व प्रतिबिंबित करते हैं। अन्य लेखा-परीक्षक द्वारा इन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक उक्त अनुषंगियों के संबंध में शामिल राशियों का प्रश्न है, हमारी राय केवल अन्य लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।
- हम रिपोर्ट करते हैं कि समेकित वित्तीय विवरण बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक तथा भा.रि.बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार तथा कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी के

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर तैयार किए हैं।

- हमारे अभिमत को सीमित किए बिना हम वित्तीय विवरणों के लेखों (अनुसूची 18) का अभिन्न अंग टिप्पणी स. 5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो “सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः देना तथा ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि। विवेकपूर्ण विनियामक व्यवस्था” पर अपने परिपत्र सं. डीबीओडी. बीपी. बीसी/80/21.04.018/2010-11 के द्वारा लेखा मानक (एएस) 15, कर्मचारी हितलाभ के प्रावधानों को लागू करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छूट देने परिणामस्वरूप ₹442.02 करोड़ की हद तक बैंक की पेंशन देयता को आस्थगित करने के संबंध में वर्णित करता है।
- हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा कार्पोरेशन बैंक और उसकी पूर्वोक्त अनुषंगी के अलग-अलग लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों पर पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर हमारी राय है कि उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है और यह कि
 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं लेखों के अभिन्न अंग निर्मित करने वाली टिप्पणियों के साथ पठित समेकित तुलन पत्र 31 मार्च, 2011 को कार्पोरेशन बैंक तथा उसकी अनुषंगी की समेकित स्थिति का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।
 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं लेखों के अभिन्न अंग निर्मित करने वाली टिप्पणियों के साथ पठित समेकित लाभ-हानि खाता 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु कार्पोरेशन बैंक एवं उसकी अनुषंगी के परिचालनों के समेकित परिणामों की सही एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाता है।
 - समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही एवं स्पष्ट स्थिति दर्शाता है।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-114207W

(डी.के.गुप्ता)
(एम.नं.009032)
साझेदार

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-001457N

(आर. के. गोयल)
(एम.नं.006154)
साझेदार

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
FRN-002304N

(विनोद जैन)
(एम.नं.081263)
साझेदार

कृते के. वर्गीज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-004525S

(के. वर्गीज)
(एम.नं.020674)
साझेदार

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-000734C

(ओ.पी.टोटला)
(एम.नं.011854)
साझेदार

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
FRN-002398S

(एन. रामचन्द्रन)
(एम.नं.201107)
साझेदार

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011



AUDITORS REPORT ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF CORPORATION BANK AND ITS SUBSIDIARY

TO THE BOARD OF DIRECTORS OF CORPORATION BANK

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of the Corporation Bank and its subsidiary, Corpbank Securities Limited, as at 31st March 2011, the Consolidated Profit and Loss Account of the Bank and its Subsidiary for the year ended on that date.
2. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on the financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, of evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We have not audited the financial statements of the Subsidiary Corpbank Securities Limited, whose financial statements reflect total assets of ₹134.72 crore as at 31st March 2011 and total revenues of ₹10.27 crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by another auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, in so far as it relates to the amounts included in respect of the said subsidiary, is based solely on the report of the another auditor.
4. We report that the Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank, in accordance with the requirements of Accounting Standards issued by

the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India and on the basis of the separate audited financial statements of Corporation Bank and its Subsidiary included in the consolidated financial statements.

5. Without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.5 forming integral part of the accounts (Schedule 18) to the financial statements, which describes deferment of pension liability of the bank to the extent of ₹ 442.02 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standards (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no.DBOD. BPBC/80/ 21.04.018/ 2010-11 on Re-Opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits-Prudential Regulatory Treatment".
6. On the basis of the information and explanation given to us and on the consideration of the separate Audit Report on individual audited financial statements of Corporation Bank and its aforesaid Subsidiary, we are of the opinion that the financial statements are in conformity with the accounting principles generally accepted in India and that
 - a) The Consolidated Balance Sheet, read with the Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Accounts, gives a true and fair view of the Consolidated State of Affairs of the Corporation Bank and its Subsidiary as at 31st March 2011 and
 - b) The Consolidated Profit and Loss Account, read with the Significant Accounting Policies and Notes forming an integral part of the Accounts, gives a true and fair view of the Consolidated Results of the operations of the Corporation Bank and its Subsidiary, for the year ended 31st March 2011.
 - c) The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March 2011.

As per our Report of even date

for R. Devendra Kumar & Associates

Chartered Accountants
FRN-114207W

[D.K.Gupta]
M.No.009032
Partner

for Rajendra K. Goel & Co.

Chartered Accountants
FRN-001457N

[R.K.Goel]
M.No.006154
Partner

for Vinod Kumar & Associates

Chartered Accountants
FRN-002304N

[Vinod Jain]
M.No.081263
Partner

for K.Varghese & Co.

Chartered Accountants
FRN-004525S

[K.Varghese]
M.No.020674
Partner

for O.P.Totla & Co.

Chartered Accountants
FRN-000734C

[O.P.Totla]
M.No.011854
Partner

for V.Narayanan & Co.

Chartered Accountants
FRN-002398S

[N.Ramachandran]
M.No.201107
Partner

Place: Mumbai
Date: April 29, 2011



कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2011 की समेकित स्थिति का तुलन पत्र CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2011

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
पूँजी और देयताएँ CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी Capital	1	148,13,06	143,43,78
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष Reserves and Surplus	2	7053,37,67	5688,31,32
न्यूनहित Minority Interest	2A	शून्य Nil	शून्य Nil
जमाराशियाँ Deposits	3	116739,11,45	92719,09,90
उधार राशियाँ Borrowings	4	15965,38,15	9077,52,56
अन्य देयताएँ व प्रावधान Other Liabilities and Provisions	5	3660,01,25	4078,80,73
योग TOTAL		143566,01,58	111707,18,29
आस्तियाँ ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	8142,31,62	8835,03,48
बैंकों में शेष और माँग तथा अल्प सूचना पर धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	2250,19,14	1956,88,86
निवेश Investments	8	43497,00,78	34551,92,92
अग्रिम Advances	9	86850,40,42	63202,56,22
स्थाई आस्तियाँ Fixed Assets	10	331,07,01	292,76,51
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	2493,44,43	2866,42,12
समेकन पर सुनाम Goodwill on Consolidation		1,58,18	1,58,18
लाभ-हानि खाते का नामे शेष Debit Balance of Profit & Loss A/c			
योग TOTAL		143566,01,58	111707,18,29
आकस्मिक देयताएँ Contingent Liabilities	12	48702,39,43	40964,77,72
उगाही के लिए बिल Bills for Collection		4718,51,92	3762,13,98
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ Significant Accounting Policies	17		
लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	18		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(नरेंद्र सिंह)
कार्यपालक निदेशक
(अश्वनी कुमार)
कार्यपालक निदेशक
पी. आर. कारंत, महा प्रबंधक
के. रामदास प्रभु, उप महा प्रबंधक

निदेशक
ललित कुमार
ग्रेस कोशी
वी. रघुरामन
कौशिक कुमार घोष
राज कुमार अग्रवाल
वेंकटराव वाई. घोरपडे
हीरेन मेहता
थॉमस मैथ्यू टी.
अजय गर्ग

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-114207W
(डी.के. गुप्ता)
साझेदार (एम.नं. 009032)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-002304N
(विनोद जैन)
साझेदार (एम.नं. 081263)

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
साझेदार (एम.नं. 011854)

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
साझेदार (एम.नं. 006154)

कृते के. वर्गीज़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-004525S
(के. वर्गीज़)
साझेदार (एम.नं. 020674)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
साझेदार (एम.नं. 201107)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011



31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2011

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची सं. Schedule No.	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended on 31-03-2011 ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended on 31-03-2010 ₹
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	9135,03,81	6987,68,73
अन्य आय Other income	14	1333,97,83	1501,60,97
योग TOTAL		10469,01,64	8489,29,70
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest Expended	15	6194,85,72	5083,22,57
परिचालन व्यय Operating Expenses	16	1642,01,37	1260,14,65
प्रावधान और आकस्मिकताएँ Provisions and Contingencies		1212,08,36	964,68,34
योग TOTAL		9048,95,45	7308,05,56
सहयोगियों में अर्जन/हानि का भाग Share of earning/loss in Associates		5,77	10,67
III. न्यूनहित ब्याज घटाने से पहले वर्ष का समेकित निवल लाभ			
Consolidated Net Profit for the year before deducting Minorities Interest		1420,11,97	1181,34,81
घटाएँ: न्यूनहित ब्याज Less: Minorities Interest		-	-
वर्ष हेतु ग्रुप का समेकित निवल लाभ		1420,11,97	1181,34,81
Consolidated Net Profit of the Group for the year			
जोड़ें: ग्रुप का अग्रेषित समेकित लाभ		-	-
Add: Brought forward consolidated Profit of the Group			
योग TOTAL		1420,11,97	1181,34,81
IV. विनियोग APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Statutory Reserves		375,00,00	350,00,00
कर्मचारी कल्याण निधि में अन्तरण Transfer to Staff Welfare Fund		15,00,00	15,00,00
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि से/में अन्तरण Transfer from/to IFR		91,00,00	78,00,00
पूँजी आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to Capital Reserve		3,05,34	220,22,95
सामान्य आरक्षित निधियों में अन्तरण Transfer to General Reserves		584,88,78	230,12,65
निवेश आरक्षित निधियाँ Investment Reserves		-	-
अंतरिम लाभांश Interim Dividend		-	-
प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		296,26,51	236,67,27
अंतरिम लाभांश पर कर Tax on Interim Dividends		-	-
लाभांश पर कर Tax on Dividends		48,06,16	40,22,25
तुलन पत्र में ले जायी गई शेष राशि Balance carried over to B/S		6,85,18	11,09,69
योग TOTAL		1420,11,97	1181,34,81
प्रति शेयर अर्जन (₹) Earning per Share (₹)		98.98	82.36

As per our Report of even date

[Ramnath Pradeep]
Chairman & Managing Director
[Narendra Singh]
Executive Director
[Ashwani Kumar]
Executive Director
P.R.Karanth, General Manager
K.Ramdas Prabhu, Dy. Gen. Manager

Directors
Lalit Kumar
Grace Koshie
V.Raghuraman
Kaushik Kumar Ghosh
Raj Kumar Agrawal
Venkatrao Y Ghorpade
Hiren Mehta
Thomas Methew T
Ajay Garg

for R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-114207W
[D.K.Gupta]
PARTNER (M.No.009032)
for Vinod Kumar & Associates
Chartered Accountants
FRN-002304N
[Vinod Jain]
PARTNER (M.No.081263)

for Rajendra K. Goel & Co.
Chartered Accountants
FRN-001457N
[R.K.Goel]
PARTNER (M.No.006154)
for K.Varghese & Co.
Chartered Accountants
FRN-004525S
[K.Varghese]
PARTNER (M.No.020674)

for O.P. Totla & Co.
Chartered Accountants
FRN-000734C
[O.P.Totla]
PARTNER (M.No.011854)

for V.Narayanan & Co.
Chartered Accountants
FRN-002398S
[N.Ramachandran]
PARTNER (M.No.201107)

Place: Mumbai
Date: 29.04.2011



31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र में संलग्न अनुसूचियाँ SCHEDULES ANNEXED TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011		यथा As at 31-03-2010	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची 1 – पूँजी SCHEDULE 1 – CAPITAL				
प्राधिकृत पूँजी AUTHORISED CAPITAL				
प्रत्येक ₹10 के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर 300,00,00,000 Equity Shares of ₹10 each		3000,00,00		3000,00,00
निर्गमित एवं अभिदत्त पूँजी ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL				
प्रत्येक ₹10 के 14,81,32,554 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष में 14,34,40,000) 14,81,32,554 Equity Shares (Previous year 14,34,40,000) of ₹10 each				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	143,44,00		143,44,00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	4,69,26	148,13,26	-	143,44,00
प्रदत्त पूँजी PAID UP CAPITAL				
क) केन्द्र सरकार द्वारा धारित a) Held by Central Government	86,69,26	86,69,26	82,00,00	82,00,00
ख) जनता एवं अन्य द्वारा धारित b) Held by the public & others	61,44,00		61,44,00	
घटाएँ: देय आबंटन राशि Less : Allotment money due	20	61,43,80	22	61,43,78
योग TOTAL		148,13,06		143,43,78
अनुसूची 2 – आरक्षित निधियाँ और अधिशेष SCHEDULE 2 – RESERVES AND SURPLUS				
I. सांविधिक आरक्षित निधियाँ Statutory Reserves				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	1823,42,10		1473,42,10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	3,75,00,00		350,00,00	
निवेशों पर मूल्यहास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision of Depreciation on Investments	-		-	
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित राशि Amount trfd. to Gen. Reserve	-	2198,42,10	-	1823,42,10
II. विशेष आरक्षित निधियाँ Special Reserve				
प्रारंभिक शेष Opening Balance	237,10,74		159,10,74	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	91,00,00		78,00,00	
कार्प बैंक होम्स से अंतरित Transferred from Corp Bank Homes			-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	-	328,10,74	-	237,10,74



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011		यथा As at 31-03-2010	
	₹	₹	₹	₹
III. पूँजी आरक्षित निधियाँ Capital Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	7,20,63,15		500,40,20	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	3,05,34		220,22,95	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	शून्य Nil	723,68,49	शून्य Nil	720,63,15
IV. शेयर प्रीमियम Share Premium				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	701,98,40		701,98,40	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	304,30,74		शून्य Nil	
घटाएँ: माँग में बकाया राशि Less : Calls in Arrears	1,37	1006,27,77	1,51	701,96,89
V. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ Revenue & Other Reserves				
क) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि				
a) Investment Fluctuation Reserve				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	9,87,49		9,87,49	
लाभ-हानि विनियोग खाते से अंतरण Transfer from Profit and Loss Appropriation Account	-		-	
	9,87,49		9,87,49	
लाभ-हानि विनियोग खाते में अंतरण Transfer to Profit and Loss Appropriation Account				
निवेशों पर मूल्यहास हेतु अतिरिक्त प्रावधान से विनियोग Appropriation from excess Provision in Depreciation on Investments	-		-	
सामान्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to General Reserve	-	9,87,49	-	9,87,49
ख) सामान्य आरक्षित निधियाँ				
b) General Reserves				
प्रारम्भिक शेष Opening Balance	2169,48,26		1939,28,77	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	584,88,77		230,12,65	
	2754,37,03		2169,41,42	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	-	2754,37,03	-	2169,41,42
VI. लाभ हानि खाते में शेष Profit & Loss A/c Balance		32,64,05		25,89,53
योग TOTAL (I+II+III+IV)		7053,37,67		5688,31,32



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची 2ए – न्यूनहित SCHEDULE 2A– MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध अस्तित्व में आने के दिनांक को न्यूनहित Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	ला न NA	ला न NA
उत्तरवर्ती वृद्धि/कमी Subsequent increase/decrease	ला न NA	ला न NA
तुलन पत्र की तिथि को न्यूनहित Minority interest on the date of B/S	ला न NA	ला न NA
अनुसूची 3 – जमाराशियाँ SCHEDULE 3 – DEPOSITS		
क A. I. माँग जमाराशियाँ Demand Deposits		
i) बैंकों से From Banks	29,24,75	30,42,26
ii) अन्यो से From Others	14041,49,87	13421,68,02
II. बचत बैंक जमाराशियाँ Savings Bank Deposits	16226,11,90	13025,25,68
III. मीयादी जमाराशियाँ Term Deposits		
i) बैंकों से From Banks	19807,40,85	12747,94,83
ii) अन्यो से From others	66634,84,08	53493,79,11
योग TOTAL (I, II व & III)	116739,11,45	92719,09,90
ख B. i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of branches in India	116739,11,45	92719,09,90
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियाँ Deposits of Branches outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
योग TOTAL	116739,11,45	92719,09,90
जिसमें शामिल हैं कार्पगोल्ड जमाराशियाँ which includes Corpgold Deposits	363,82,70	235,25,79
एफसीएनआर जमाराशियाँ FCNR Deposits	11740064	1147,05,86
अनुसूची 4 – उधार राशियाँ SCHEDULE 4 – BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियाँ Borrowings in India		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India	2190,00,00	350,00,00
ii) अन्य बैंक Other Banks	5445,00,00	950,70,15
iii) अन्य संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ Other Institutions and Agencies	6595,63,60	7287,06,72
योग TOTAL	14230,63,60	8587,76,87
II. a) भारत के बाहर उधार राशियाँ Borrowings outside India	1734,74,55	489,75,69
योग TOTAL (I व & II)	15965,38,15	9077,52,56

उपर्युक्त I व II में शामिल की गयी प्रतिभूत उधार राशियाँ
Secured Borrowings included in I & II above



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची 5 – अन्य देयताएँ एवं प्रावधान SCHEDULE 5 – OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल Bills payable	618,73,74	582,95,59
II. अन्तर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-Office adjustments (net)	-	11,83,26
III. उपचित ब्याज Interests accrued	498,98,24	356,25,20
IV. आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability	247,74,80	269,12,78
V. अन्य (प्रावधानों सहित)* Others (including provisions)*	2294,54,47	2858,63,90
योग TOTAL	3660,01,25	4078,80,73
* मानक आस्तियों के बदले आकस्मिक प्रावधान शामिल	375,75,53	285,76,00
* Includes contingent provisions against standard assets		
अनुसूची 6 – नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष SCHEDULE 6 – CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हस्तगत रोकड़ (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	474,33,61	365,51,81
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष Balances with the Reserve Bank of India in Current Accounts	7529,38,00	8420,57,82
III. हस्तगत स्वर्ण Gold in hand	138,60,01	48,93,85
योग TOTAL (I, II व & III)	8142,31,62	8835,03,48
अनुसूची 7 – बैंकों में शेष एवं माँग तथा अल्प सूचना पर राशि SCHEDULE 7 – BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICES		
I. भारत में In India		
i) बैंकों में शेष Balances with Banks		
क a) चालू खातों में In Current Accounts	91,05,02	103,89,77
ख b) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	250,01,41	5,51
ii) माँग एवं अल्प सूचना पर धन Money at Call and Short Notice		
क a) बैंकों में with Banks	200,00,00	50,00,00
ख b) अन्य संस्थाओं में with other Institutions	-	944,42,65
योग TOTAL (i+ii)	541,06,43	1098,37,93
II. भारत के बाहर Outside India		
i) चालू खातों में In Current Accounts	21,62,72	41,32,94
ii) अन्य जमा खातों में In Other Deposit Accounts	1687,49,99	817,17,99
iii) माँग और अल्प सूचना पर धन Money at call and Short notice	शून्य Nil	शून्य Nil
योग TOTAL (i+ii+iii)	1709,12,71	858,50,93
सकल योग GRAND TOTAL (I व & II)	2250,19,14	1956,88,86



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची 8 – निवेश SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I. भारत में निवेश (सकल) Investment in India (Gross)	43583,58,51	34608,40,79
घटाएँ: मूल्यहास के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation	86,57,73	56,47,87
निवल निवेश Net Investments	43497,00,78	34551,92,92
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	28090,14,09	24801,22,36
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other Approved Securities	20,72,23	58,37,55
iii) शेयर Shares	440,15,65	355,11,94
iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	1312,91,61	1266,46,85
v) सहयोगियों में निवेश Investments in Associates	8,40,21	7,15,28
vi) अन्य Others		
क a) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit	7188,29,71	3076,37,42
ख b) वाणिज्यिक पत्र Commercial Paper	141,68,83	739,97,04
ग c) म्यूचुअल फंडों की यूनिटें Units of Mutual Funds	969,92,79	40,29,28
घ d) वेंचर पूंजी निधियां Venture Capital Funds	169,73,28	168,39,49
ङ e) आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड के पास/सिडबी/आरएचडीएफ जमाराशियाँ With NABARD under RIDF/ SIDBI/ RHDF Dep.	5154,92,83	4038,46,16
योग TOTAL	43496,91,23	34551,83,37
II. भारत के बाहर निवेश Investments outside India	9,55	9,55
योग TOTAL (I व & II)	43497,00,78	34551,92,92
अनुसूची 9 – अग्रिम SCHEDULE 9 – ADVANCES		
क A. i) खरीदे एवं भुनाये गये बिल Bills purchased and discounted	2131,78,71	2025,95,23
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट एवं माँग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on demand	43233,05,83	31581,94,13
iii) मीयादी ऋण Term Loans	41485,55,88	29594,66,86
योग TOTAL	86850,40,43	63202,56,22
ख B. i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम सहित) Secured by Tangible Assets (includes Advances against book debts)	57828,29,69	40086,44,27
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	541,86,80	955,41,01
iii) गैर-जमानती Unsecured	28480,23,93	22160,70,94
योग TOTAL	86850,40,42	63202,56,22



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
ग C. I. भारत में अग्रिम Advances in India		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	23904,74,30	19950,16,49
ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	10454,76,84	10664,73,74
iii) बैंक Banks	50,32,22	–
iv) अन्य Others	52440,57,06	32587,65,99
योग TOTAL	86850,40,42	63202,56,22
ग C. II. भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India	शून्य Nil	शून्य Nil
सकल योग GRAND TOTAL (ग C. I & ग C. II)	86850,40,42	63202,56,22

अनुसूची 10 – अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS
I. परिसर Premises

पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर

At cost as on 31st March of the preceding year

147,09,08 143,07,04

वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year

13,96,42 5,81,63

161,05,51 148,88,67

वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year

294,08 179,59

15811,43 147,09,08

यथा तिथि मूल्यहास Depreciation to date

56,59,13 51,65,69

जोड़ें: पूंजीगत चालू कार्य Add: Capital Work in progress

2,05,67 103,57,97 1,74,79 97,18,17

II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और जुड़नार सम्मिलित हैं)

Other Fixed Assets (including furniture & fixtures)

पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर

At cost as on 31st March of the preceding year

667,01,04 633,72,23

वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year

98,12,76 54,26,96

765,13,80 687,99,19

वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year

18,30,35 20,98,15

746,83,45 667,01,04

यथा तिथि मूल्यहास Depreciation to date

521,88,12 474,85,79

जोड़ें: पूंजीगत चालू कार्य Add: Capital Work in progress

2,53,70 227,49,03 3,43,09 195,58,34

योग TOTAL (I+II)**331,07,01 292,76,51**



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 ₹	यथा As at 31-03-2010 ₹
अनुसूची 11 – अन्य आस्तियाँ SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) Inter Office Adjustments (Net)	160,55,51	–
II. उपचित ब्याज Interest accrued	642,03,16	515,58,02
III. पूर्वसंदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	877,37,27	1584,59,77
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प Stationery and stamps	2,22,58	2,35,54
V. आस्थगित कर आस्ति Deferred Tax Asset	शून्य Nil	शून्य Nil
VI. उपार्जित गैर-बैंकिंग आस्तियाँ Non-banking assets acquired	16,87	16,87
VII. अन्य Others	811,09,04	763,71,92
योग TOTAL	2493,44,43	2866,42,12
अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएँ SCHEDULE 12 – CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया Claims against the bank not acknowledged as debts	296,82,16	30,27,17
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	–	–
III. क) बकाया वायदा विदेशी मुद्रा करारों के बाबत देयता A. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	21273,11,96	23704,93,11
ख) व्युत्पन्नी B. Derivatives	4320,95,00	625,00,00
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
क a) भारत में in India	10744,55,90	8847,55,81
ख b) भारत के बाहर outside India	1027,34,29	852,61,65
V. स्वीकृतियाँ, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	11039,60,12	6904,39,98
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the Bank is contingently liable	–	–
योग TOTAL	48702,39,43	40964,77,72



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011 ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010 ₹
अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा Interest/Discount on advances/bills	6474,99,88	4979,20,29
II. निवेशों पर आय Income on investments	2327,6741	1784,51,58
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-bank Funds	14,88,67	3,75,31
IV. अन्य Others	317,47,85	220,21,55
योग TOTAL	9135,03,81	6987,68,73
अनुसूची 14 – अन्य आय SCHEDULE 14 – OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली Commission, exchange and brokerage	353,30,52	302,26,33
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ (निवल) Profit on sale of investments (net)	209,47,87	615,73,65
III. भूमि, भवनों एवं अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets (net)	- 33,55	- 2,31,63
IV. विनिमय लेन-देनों पर लाभ (निवल) Profit on exchange transactions (net)	107,61,61	93,36,23
V. अनुषंगियों/कंपनियों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc. from subsidiaries/companies	7,43,06	4,57,88
VI. विविध आय* Miscellaneous income *	656,48,32	487,98,51
योग TOTAL	1333,97,83	1501,60,97
* वसूली की वजह से आगे अनपेक्षित प्रावधान शामिल * Includes provision no longer required on account of recovery	206,94,69	97,57,49
अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज SCHEDULE 15 – INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	5332,89,92	4554,18,01
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank Borrowings	159,82,01	27,81,06
III. अन्य Others	702,13,79	501,23,50
योग TOTAL	6194,85,72	5083,22,57



समेकित Consolidated

(₹ 000's हटाकर Omitted)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2011 ₹	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2010 ₹
अनुसूची 16 – परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 – OPERATING EXPENSES		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payment to and provisions of employees	895,10,20	631,80,16
II. किराया, कर एवं बिजली Rent, taxes and Lighting	137,24,19	115,33,10
III. मुद्रण एवं लेखन-सामग्री Printing and Stationery	14,71,88	13,32,94
IV. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	24,28,23	18,25,47
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	69,28,17	65,94,81
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	112,39	88,24
VII. लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	13,00,67	10,69,42
VIII. विधि प्रभार Law charges	2,55,74	2,09,20
IX. डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि Postages, Telegrams, Telephones, etc.	34,80,44	38,78,93
X. मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs and maintenance	33,40,46	29,54,03
XI. बीमा Insurance	79,34,26	68,87,73
XII. अन्य व्यय Other expenditure	337,14,74	264,60,62
योग TOTAL	1642,01,37	1260,14,65

अनुसूची 17 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के समेकित लेखों का अंग हैं

समेकन के सिद्धान्त

समेकित वित्तीय विवरण में कार्पोरेशन बैंक और उसकी अनुषंगी के लेखे शामिल हैं।

बैंक और इसकी अनुषंगी का वित्तीय विवरण अन्तरासमूह शेषों और अन्तरासमूह लेनेदेनों को, अन्यथा उल्लिखित के सिवाय, पूर्णतः निरसित करने के बाद आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों के बही मूल्यों को साथ जोड़कर पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर एक साथ मिलाया गया है।

सहयोगी कंपनी में निवेश के लिए लेखांकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन”, लेखांकन मानक 23 के अनुरूप किया गया है।

विवरण तैयार करने का आधार

बैंक और इसकी अनुषंगी के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक तथा संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किये गये हैं।

निम्नलिखित अनुषंगी को लेखांकन मानक 21 “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार समेकित किया गया है।

कंपनी का नाम	देश/निवास	संबंध	स्वामित्व हित
कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड	भारत	अनुषंगी	100%

निम्नांकित सहयोगी कंपनी का भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगियों में निवेश के लिए लेखांकन” लेखांकन मानक 23 के अनुसार ईक्विटी विधि के अधीन लेखांकित किया गया है।

कंपनी का नाम	संबंध	स्वामित्व हित
चिकमगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक	प्रायोजक बैंक	35%

अनुषंगी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकतानुसार उनकी मूल कंपनी के साथ पुनर्समूहित किया गया है।

अनुषंगी ने कुछ मामलों यथा लेनदेन एवं इसी प्रकार की समान परिस्थितियों के मामले में बैंक द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों से भिन्न का प्रयोग किया

है। अनुषंगी के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किये गये हैं जबकि वे समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयोग किये गये हैं।

समेकन में प्रयुक्त, सहयोगी के वित्तीय विवरण मूल कंपनी के रिपोर्टिंग दिनांक अर्थात् 31 मार्च 2011 तक के हैं।

1. निवेश

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के निवेश के संबंध में :

क) निर्दिष्ट आय प्रतिभूतियों, जमा प्रमाण पत्रों तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश/ट्रेडिंग पर आय का निर्धारण:

जमा प्रमाण पत्रों, वाणिज्यिक पत्रों, पुनर्भुनाई बिलों, राजकोषीय बिलों एवं शून्य कूपन बांडों के अधिग्रहण लागत एवं परिपक्वता मूल्य के बीच अंतर को समय आधार पर अलग किया गया है एवं लेखांकन अवधि से संबंधित इन प्रतिभूतियों पर प्रभावी बट्टा/ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया गया है। बट्टा/प्रोद्भूत ब्याज अधिग्रहण लागत में शामिल है और इसे सन्निहित लागत माना गया है।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों एवं पीएसयू बांडों पर प्रोद्भूत ब्याज इनकी कूपन दर पर निर्धारित किया गया है और अस्थिर दर बांडों का निर्धारण उनसे सम्बद्ध लिखतों के प्रतिलाभ पर किया गया है।

स्थाई आय प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री मूल्य लागत एवं प्रदत्त अथवा वसूल प्रोद्भूत ब्याज में बाँटा गया है। स्थायी आय प्रतिभूतियों (खंडित अवधि ब्याज) की खरीद पर प्रोद्भूत एवं बिक्री पर प्राप्त ब्याज के रूप में भुगतान की गयी राशि को आय/व्यय के रूप में निवलित किया गया एवं गणना में लिया गया है।

प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ/हानि भारत औसत मूल्य विधि (डब्ल्यूएपी) पर गणना की गई है तथा निपटान तिथि को उसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों के विक्रय पर प्राप्त लाभ को प्रतिभूतियों के विक्रय पर हानि के साथ निवलित किया जाता है।

ख) व्ययों का निर्धारण

सभी व्यय प्रोद्भूत आधार पर लेखांकित किये गए हैं।

ग) प्रतिभूतियों का वर्गीकरण

अल्पावधि धारण एवं व्यापारिक स्थितियों के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को ‘विक्रय माल’ के रूप में माना गया है और इसे चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया गया है। दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य प्रतिभूतियों को “निवेश” के रूप में माना गया है।

घ) निवेशों का मूल्यांकन

“निवेश” के रूप में धारित तथा परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियाँ लागत पर मूल्यांकित की गई हैं। जहाँ कहीं कोई हास स्थाई है तो ऐसे प्रत्येक निवेश के मूल्य में हास हेतु वैयक्तिक रूप से प्रावधान किया गया है।



SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

Principles of Consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of Corporation Bank and its subsidiary.

The financial statements of the Bank and its subsidiary have been combined on a line to line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra group balances and intra group transactions, except wherever otherwise stated.

Accounting for Investment in the associate company is done in accordance with Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Basis of Preparation

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiary have been prepared in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and guidelines issued by the respective regulatory authorities from time to time and generally accepted accounting principles.

The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements":

Name of the Company	Country / Residence	Relationship	Ownership Interest
Corpbank Securities Limited	India	Subsidiary	100%

The following Associate Company is accounted for under the equity method as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

Name of the Company	Relationship	Ownership interest
Chikmagalur Kodagu Grameena Bank	Sponsor Bank	35%

The financial statements of the subsidiary have been regrouped with those of the parent company wherever necessary.

The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank, in certain cases, for like transactions and

events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements.

The financial statements of the subsidiary used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the parent company i.e. year ended 31st March 2011.

1. INVESTMENTS

In respect of Investments of Corpbank Securities Ltd:

- a) Recognition of Income on the Investment/trading in Fixed Income Securities, Certificate of Deposits & Commercial Papers:

The difference between the acquisition cost and maturity value of Certificates of Deposits, Commercial papers, Bills Re-discounted, Treasury Bills and Zero coupon Bonds is apportioned on time basis and effective discount/interest on these securities pertaining to the accounting period is recognized as income. The discount/interest accrued is included in the acquisition cost and regarded as the carrying cost.

Interest accrued on Dated Government Securities and PSU Bonds is recognized at its coupon rate and that of floating rate bonds is recognized on the yield of instruments to which they are linked.

Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

Profit / loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date. Profit on sale of securities is netted with loss on sale of Securities.

- b) Recognition of Expenses
All expenses are accounted for on accrual basis.

- c) Classification of Securities
The securities acquired with the intention of short term holding and trading positions is considered as "Stock-in-Trade" and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as "Investments."

- d) Valuation of Investment
Securities held as investments and held till maturity are valued at cost. Any diminution in the value of each investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

ड) विक्रेय माल का मूल्यांकन

कोटेड प्रतिभूतियाँ लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित की गई हैं। बाजार भावों के अभाव में बाजार मूल्य समान प्रकृति एवं परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल से परिकल्पित दरों पर निर्धारित किये गये हैं।

प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक अलग प्रवर्ग के रूप में माना गया है। प्रत्येक प्रवर्ग के तहत मूल्यांकन खंडवार किया गया है और मूल्यहास का प्रावधान किया गया है जबकि मूल्य वृद्धि को छोड़ दिया गया है।

प्रतिभूतियों के एक प्रवर्ग के अवमूल्यन का दूसरे प्रवर्ग की मूल्य वृद्धि के बदले समंजन नहीं किया गया है। तुलन पत्र की तिथि को धारित राजकोषीय बिल, अन्तर्निहित लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किये गए हैं। तुलन पत्र की तिथि को धारित राजकोषीय बिलों का बाजार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दरों के अनुसार निर्धारित किया गया है। तुलन पत्र की तारीख को धारित जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य पत्र, पुनर्भुनाई बिल एवं शून्य कूपन बांड ऊपर 1(क) में वर्णित अनुसार अंतर्निहित लागत पर मूल्यांकित किये गये हैं।

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य स्थायी आय एवं मनी मार्केट डीलर्स एसोसियेशन (एफआईएमएमडीए) द्वारा प्रदत्त दरों के अनुसार निर्धारित किया गया है।

2. अचल आस्तियां

अ) कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में मूल्यहास का कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों पर डब्ल्यूडीवी आधार पर प्रावधान किया गया है।

3. प्रारंभिक तथा शेयर निर्गम व्ययों का परिशोधन

अनुषंगी कंपनियों के प्रारंभिक एवं शेयर निर्गम व्यय पांच वर्ष की अवधि में आनुपातिक आधार पर बट्टे खाते में डाले गये हैं।

4. स्टाफ हितलाभ

कार्प बैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में भुगतान मूल संगठन अर्थात् कार्पोरेशन बैंक स्टाफ को अपने कर्मचारियों/अधिकारियों की परिलब्धियों/भविष्य निधि के प्रति भुगतान किए गए हैं जिनकी सेवाएं कंपनी को प्रतिनियुक्ति आधार पर दी गई हैं। इन भुगतानों को कंपनी की लागत के रूप में माना गया है।

5. आय पर कर

समेकित वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया कर व्यय मूल कंपनी एवं उसकी अनुषंगी के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उल्लिखित कर व्ययों की राशियों का योग है।

6. प्रति शेयर अर्जन

बैंक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 20, प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति ईक्यूटी शेयर प्राथमिक एवं तनूकृत अर्जन सूचित करता है।

7. प्रखंड रिपोर्टिंग**कारोबार प्रखंड – प्राथमिक प्रखंड**

बैंक ने अपनी अनुषंगी सहित अपना कारोबार निम्नलिखित में किया है।

- ट्रेजरी
- थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग कारोबार

भौगोलिक प्रखंड – द्वितीयक प्रखंड

चूंकि बैंक और उसकी अनुषंगी को भारत के बाहर से उद्भूत आय नहीं होती है, बैंक परिचालन सिर्फ घरेलू प्रखंड में ही माना जाए।



e) Valuation of stock-in-trade

Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the Balance Sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited. The Certificate of Deposits, Commercial Papers, Bills Re-discounted and Zero Coupon Bonds held on the balance sheet date, are valued at carrying cost as explained in 1 (a) above.

The market value of Central Government Dated Securities, is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA) .

2. FIXED ASSETS

- a) In the case of Corpbank Securities Limited depreciation is provided on WDV basis at the rates specified in and in the manner laid down by Schedule XIV to the Companies Act, 1956.

3. AMORTISATION OF PRELIMINARY AND SHARE ISSUE EXPENSES

In the case of Corpbank Securities Limited, Preliminary and share issue expenses of the subsidiary companies are amortized over a period of five years on a pro-rata basis.

4. STAFF BENEFITS

In the case of Corpbank Securities Limited, payments made to parent organization viz., Corporation Bank Staff, towards emoluments/provident fund of their employees/officials, whose services are lent to the company on deputation basis, are regarded as Company's costs.

5. TAXES ON INCOME

The tax expense shown in the Consolidated Financial Statements is the aggregate of the amounts of tax expenses appearing in the separate financial statements of the parent and its subsidiary.

6. EARNINGS PER SHARE

The Bank reports basic and diluted Earnings Per Equity Share in accordance with Accounting Standard 20, Earnings Per Share, issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. SEGMENT REPORTING

Business Segment – Primary Segment

The Bank along with its subsidiary has organized its business into

- Treasury
- Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

Geographic Segment – Secondary Segment

Since the Bank and its subsidiary do not have earnings emanating outside India, they may be considered to operate in only the domestic segment.

अनुसूची 18: टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लेखों का अंग हैं
1. आयकर

वर्ष के दौरान ₹ 40.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 170.63 करोड़) की आस्थगित कर देयता (कराधान हेतु प्रावधान के अंतर्गत शामिल) के संबंध में किए गए प्रावधान में निम्नलिखित मदों से संबंधित समयान्तर कर प्रभाव शामिल है:

(₹ करोड़ में)

	आस्तियाँ/(देयताएँ)	
	2010-2011	2009-2010
अशोध्य ऋण/अग्रिम हेतु प्रावधान	-	(61.85)
अचल आस्तियों में मूल्यहास (निवल)	(6.17)	(9.47)
निवेश मूल्यहास	(275.25)	(222.82)
छुट्टी नकदीकरण प्रावधान	33.67	25.01
निवल आस्तियाँ/(देयताएँ)	(247.75)	(269.13)

2. प्रखंड रिपोर्टिंग

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के साथ यथा पठित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के समेकित वित्तीय प्रखंड विवरणों से संबंधित सूचना निम्नवत् है। (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31-03-2011 को समाप्त वर्ष
		(लेखा परीक्षित) (समेकित)
क)	प्रखंड राजस्व	
	i) ट्रेजरी प्रचालन	2747.58
	ii) थोक बैंकिंग	4831.96
	iii) खुदरा बैंकिंग	2477.44
	iv) अन्य बैंकिंग प्रचालन	412.97
	योग	10469.95
ख)	प्रखंड परिणाम	
	कर पूर्व तथा ब्याज के बाद प्रत्येक प्रखंड से लाभ (+) हानि (-)	
	i) ट्रेजरी प्रचालन	561.39
	ii) थोक बैंकिंग	347.21
	iii) खुदरा बैंकिंग	866.12
	iv) अन्य बैंकिंग प्रचालन	237.90
	योग	2012.62
ग)	गैर आबंटित व्यय	72.13
घ)	परिचालन लाभ	1940.43
ङ)	आय कर	520.37
च)	असाधारण लाभ/हानि	-
छ)	निवल लाभ	1420.12

ज)	अन्य सूचना	-
झ)	प्रखंड आस्तियाँ	
	i) ट्रेजरी प्रचालन	44164.84
	ii) थोक बैंकिंग	68913.61
	iii) खुदरा बैंकिंग	17960.50
	iv) अन्य बैंकिंग प्रचालन	10527.80
	v) गैर आबंटित आस्तियाँ	2074.42
	कुल आस्तियाँ	143641.17
ञ)	प्रखंड देयताएँ	
	i) ट्रेजरी प्रचालन	44754.86
	ii) थोक बैंकिंग	70624.54
	iii) खुदरा बैंकिंग	19662.80
	iv) अन्य बैंकिंग प्रचालन	198.12
	v) गैर आबंटित आस्तियाँ	8400.85
	कुल देयताएँ	143641.17

3. प्रति शेयर अर्जन

क) मूल: प्रति शेयर ₹ 98.98

ख) तनुकृत: लागू नहीं क्योंकि तनुकृत संभाव्य ईक्विटी शेयर नहीं हैं।

मूल ईपीएस का परिकलन

विवरण	2010-11	2009-10
ईक्विटी शेयरधारकों हेतु उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	1420.12	1181.34
भारत औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या (करोड़ में)	14.35	14.34
प्रति शेयर का अंकित मूल्य (₹)	98.98	82.39
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹)	10.00	10.00

4. पूंजी पर्याप्तता

पूँजी-भारत जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित किया गया है। बैंक के निर्धारण के अनुसार 31 मार्च, 2011 को ये अनुपात निम्नवत् हैं:

		2011		2010	
		बेसल II	बेसल I	बेसल II	बेसल I
(क) सीआरएआर	टिआर I पूंजी	8.80%	8.04%	9.31%	9.16%
(ख) सीआरएआर	टिआर II पूंजी	5.46%	5.00%	6.12%	6.02%
(ग) सीआरएआर	[टिआर I + II पूंजी]	14.26%	13.04%	15.43%	15.18%



SCHEDULE 18 : NOTES TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2011

1. INCOME TAX

Deferred tax Liability of ₹40.95 crores provided (previous year ₹170.63 crore deferred tax liability) during the year (included under provision for Taxation) comprises of tax effect of timing differences with regard to the following items:

[₹ in Crore]

	Assets/(Liabilities)	
	2010-2011	2009-2010
Provision for Bad Debts/Advances	-	(61.85)
Depreciation on Fixed Assets (net)	(6.17)	(9.47)
Investment Depreciation	(275.25)	(222.82)
Leave Encashment provision	33.67	25.01
Net Assets / (Liabilities)	(247.75)	(269.13)

2. SEGMENT REPORTING

Information relating to the segment details of the consolidated financial statements of the bank is given below in accordance with Accounting Standard 17, issued by The Institute of Chartered Accountants of India read along with the guidelines issued by the Reserve bank of India.

[₹ in Crore]

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2011 (Audited) (Consolidated)
a)	Segment Revenue	
	i) Treasury Operations	2747.58
	ii) Wholesale Banking	4831.96
	iii) Retail Banking	2477.44
	iv) Other Banking Operations	412.97
	Total	10469.95
b)	Segment Results	
	Profit (+) Loss (-) before tax and after interest from each segment	
	i) Treasury Operations	561.39
	ii) Wholesale Banking	347.21
	iii) Retail Banking	866.12
	iv) Other Banking Operations	237.90
	Total	2012.62
c)	Unallocated Expenses	72.13
d)	Operating Profit	1940.43
e)	Income Tax	520.37
f)	Extraordinary Profit/Loss	-
g)	Net Profit	1420.12

h)	Other Information	-
i)	Segment Assets	
	i) Treasury Operations	44164.84
	ii) Wholesale Banking	68913.61
	iii) Retail Banking	17960.50
	iv) Other Banking Operations	10527.80
	v) Unallocated Assets	2074.42
	Total Assets	143641.17
j)	Segment Liabilities	
	i) Treasury Operations	44754.86
	ii) Wholesale Banking	70624.54
	iii) Retail Banking	19662.80
	iv) Other Banking Operations	198.12
	v) Unallocated Liabilities	8400.85
	Total Liabilities	143641.17

3. EARNINGS PER SHARE

a) Basic: ₹98.98 per share

b) Diluted: Not applicable as there are no dilutive potential equity shares.

Calculation of Basic EPS

Particulars	2010-11	2009-10
Net profit after tax available for equity shareholders (₹ in crores)	1420.12	1181.34
Weighted average number of equity shares (in crore)	14.35	14.34
Basic Earnings per Share (₹)	98.98	82.39
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

4. CAPITAL ADEQUACY

The Capital to weighted Risk Assets Ratio (CRAR) has been worked out as per Reserve Bank of India guidelines. As per the Bank's assessment, the ratios as at 31st March 2011 are:

		2011		2010	
		Basel II	Basel I	Basel II	Basel I
(a) CRAR	Tier I Capital	8.80%	8.04%	9.31%	9.16%
(b) CRAR	Tier II Capital	5.46%	5.00%	6.12%	6.02%
(c) CRAR	[Tier I + II Capital]	14.26%	13.04%	15.43%	15.18%



5. वर्ष के दौरान बैंक को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में उपदान की सीमा को बढ़ाने के संबंध में किए गए आशोधन की वजह से उपदान निधि में अंशदान के प्रति ₹ 78.10 करोड़ की वृद्धिशील देयता उपगत हुई है जिसे लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

इसके अलावा बैंक ने पहले पेंशन योजना का विकल्प न चुननेवाले कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन चुनने का विकल्प दे दिया। परिणामतः 4457 सेवारत कर्मचारियों द्वारा इसे चुनने से बैंक को ₹ 891.2 करोड़ की अतिरिक्त देयता पैदा हुई। भारिबैं परिपत्र सं डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 के अनुसार ₹ 338.67 करोड़ के उपलब्ध पेंशन निधि शेष को हिसाब में लेने के बाद ₹ 552.53 करोड़ की निवल वृद्धिशील देयता को पाँच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है। तदनुसार ₹ 110.51 करोड़ (₹ 552.53 करोड़ का एक बटा पाँचवाँ भाग) लाभ-हानि लेखे

को प्रभारित किया गया है। सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ₹ 442.02 करोड़ की निवल देयता पूर्वोक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जायी जा रही है।

विमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पुनः प्रस्तुत पेंशन विकल्प को चुनने से उत्पन्न ₹74.25 करोड़ की देयता को भारिबैं द्वारा जारी उक्त परिपत्र के अनुसार लाभ-हानि लेखे को प्रभारित किया गया है।

यदि बैंक ऐसी लेखा व्यवस्था नहीं करता, तो लेखा मानक 15 की अपेक्षाओं को लागू करने से बैंक का लाभ ₹ 442.02 करोड़ कम होता।

6. **जहाँ आवश्यक है पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनःवर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।**

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

(रामनाथ प्रदीप)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(नरेन्द्र सिंह)
कार्यपालक निदेशक

(अश्वनी कुमार)
कार्यपालक निदेशक

पी. आर कारंत, महा प्रबंधक
के. रामदास प्रभु, उप महा प्रबंधक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 29 अप्रैल, 2011

निदेशक
ललित कुमार
ग्रेस कोशी
वी. रघुरामन
कौशिक कुमार घोष
राज कुमार अग्रवाल
बेंकट्याव वाई घोरपडे
हीरेन मेहता
थॉमस मैथ्यू टी
अजय गर्ग

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-114207W
(डी.के.गुप्ता)
साझेदार (एम.नं.009032)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-002304N
(विनोद जैन)
साझेदार (एम.नं.081263)

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
साझेदार (एम.नं.011854)

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
साझेदार (एम.नं.006154)

कृते के. वर्गीज एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-004525S
(के. वर्गीज)
साझेदार (एम.नं.020674)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
साझेदार (एम.नं. 201107)



5. During the year, Bank has incurred an incremental liability towards contribution to gratuity fund to the extent of ₹78.10 crores including due to the amendment made in Payment of Gratuity Act, 1972 with regard to enhancement in gratuity limit which has been charged to profit & Loss Account.

Further the Bank reopened the pension option for such of its employees who has not opted for pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 4457 serving employees, the Bank has incurred a liability of ₹891.2 crores. In terms of RBI circular no:DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011, after reckoning the available pension fund balance of ₹.338.67 crore, the net incremental liability of ₹552.53 crore is being amortised over a period of five years. Accordingly a sum of ₹110.51 crore (representing one-fifth of ₹ 552.53 crore) has

been charged to the Profit and Loss Account. The net liability relating to serving employees being carried forward in terms of the requirements of the aforesaid circular amounts to ₹ 442.02 crores.

An amount of ₹74.25 crores being liability arising out of exercising of reopened pension option by separated/ retired employees has been charged to profit & loss account in terms of said circular issued by RBI.

Had such a Accounting treatment not been made by the Bank, the profit of the Bank would have been lower by ₹442.02crore pursuant to application of the requirements of AS-15.

6. Previous year's figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

As per our Report of even date

[Ramnath Pradeep]
Chairman & Managing Director

[Narendra Singh]
Executive Director

[Ashwani Kumar]
Executive Director

P.R.Karanth, General Manager

K.Ramdas Prabhu, Dy. Gen. Manager

Directors

Lalit Kumar
Grace Koshie
V.Raghuraman
Kaushik Kumar Ghosh
Raj Kumar Agrawal
Venkatrao Y Ghorpade
Hiren Mehta
Thomas Methew T
Ajay Garg

for R. Devendra Kumar & Associates

Chartered Accountants
FRN-114207W

[D.K.Gupta]
PARTNER (M.No.009032)

for Vinod Kumar & Associates

Chartered Accountants
FRN-002304N

[Vinod Jain]
PARTNER (M.No.081263)

for O.P. Totla & Co.

Chartered Accountants
FRN-000734C

[O.P.Totla]
PARTNER (M.No.011854)

for Rajendra K. Goel & Co.

Chartered Accountants
FRN-001457N

[R.K.Goel]
PARTNER (M.No.006154)

for K.Varghese & Co.

Chartered Accountants
FRN-004525S

[K.Varghese]
PARTNER (M.No.020674)

for V.Narayanan & Co.

Chartered Accountants
FRN-002398S

[N.Ramachandran]
PARTNER (M.No.201107)

Place: Mumbai
Date: 29.04.2011



कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकदी प्रवाह विवरण
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2011

(₹ in 000's में)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011 चालू वर्ष Current Year	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2010 पिछला वर्ष Previous Year
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	503,00,67	1684,62,40
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(107,92,22)	(58,61,74)
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	32,10,64	(134,25,41)
घ. वर्ष के आरंभ में शेष: D. BALANCES AT THE BEGINNING OF THE YEAR :		
नकदी तथा भा.रि.बैं. में शेष Cash & Balances with RBI	88,35,03,48	55,90,60,45
बैंकों में शेष तथा माँग पर धन Balances with Banks and Money at Call	54,55,24,77 14290,28,25	<u>72,07,92,55</u> 12798,53,00
ङ. वर्ष की समाप्ति पर शेष : E. BALANCES AT THE END OF THE YEAR :		
नकदी तथा भा.रि.बैं. में शेष Cash & Balances with RBI	81,42,31,62	88,35,03,48
बैंकों में शेष तथा माँग पर धन Balances with Banks and Money at Call	65,75,15,72 14717,47,34	<u>54,55,24,77</u> 14290,28,25
च. वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क + ख + ग) या (ङ - घ) F. TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C) OR (E - D)	427,19,09	1491,75,25



(₹ in 000's में)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011 चालू वर्ष Current Year	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2010 पिछला वर्ष Previous Year
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
वर्ष के दौरान अग्रिमों, निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	9135,03,81	6987,68,73
अन्य आय Other Income	1334,03,60	1501,71,64
	10469,07,41	8489,40,37
घटाएँ : वर्ष के दौरान जमाओं, उधारों आदि पर प्रदत्त ब्याज LESS: Interest Paid during the year on Deposits, Borrowing etc.	6194,85,72	5083,22,57
परिचालन व्यय Operating Expenses	1642,01,37	1260,14,65
प्रावधान तथा आकस्मिकताएँ Provisions & Contingencies	1212,08,36	964,68,34
स्थाई आस्तियों आदि के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Fixed Assets	(33,55)	(2,31,63)
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiaries	—	—
	9048,61,90	7305,73,93
जोड़ें : मूल्यहास ADD: Depreciation	69,28,17	65,94,81
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ (आस्थगित कर सहित) Provisions and Contingencies (incl. Deferred Tax)	1212,08,36	964,68,34
	1281,36,53	1030,63,15
परिचालन से नकदी प्रवाह (कर पूर्व) CASH FLOW FROM OPERATIONS (BEFORE TAX)	2701,82,04	2214,29,58
घटाएँ : प्रदत्त कर LESS: TAXES PAID	436,56,41	674,30,18
परिचालन से नकदी प्रवाह (कर के बाद) CASH FLOW FROM OPERATIONS (AFTER TAX)	2265,25,63	1539,99,40
परिचालन आस्तियों तथा देयताओं से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS AND LIABILITIES		
जमाओं में (कमी)/वृद्धि (Decrease)/Increase in Deposits	24020,01,55	18792,54,68
उधारों में (कमी)/वृद्धि (Decrease)/Increase in Borrowings	6887,85,59	4267,62,92
अन्य देयताओं और प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि (Decrease)/Increase in Other Liabilities and Provisions	(1713,30,99)	(257,38,05)
निवेशों में कमी/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Investments	(8118,47,19)	(8397,70,78)
अग्रिमों में कमी/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Advances	(23647,84,20)	(14690,40,16)
अन्य आस्तियों में कमी/(वृद्धि) Decrease/(Increase) in Other Assets	8095028	429,94,39
	(1762,24,96)	144,63,00
परिचालनों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATIONS	503,00,67	1684,62,40



(₹ in 000's में)

विवरण PARTICULARS	31-03-2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2011 चालू वर्ष Current Year	31-03-2010 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2010 पिछला वर्ष Previous Year
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अचल संपत्तियों में परिवर्धन Additions in Fixed Assets	(113,30,63)	(60,12,56)
अचल संपत्तियों की बिक्री Sale of Fixed Assets	538,41	150,82
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiaries	(0)	(0)
योग Total	(107,92,22)	(58,61,74)
वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी में वृद्धि Increase in Share Capital	46,928	0
शेयर प्रीमियम Share Premium	304,30,88	0
लाभांश (लाभांश कर सहित) Dividend (Incl. Dividend Tax)	(276,89,52)	(134,25,41)
योग Total	321,064	(134,25,41)

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते आर देवेन्द्र कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-114207W
(डी.के.गुप्ता)
साझेदार (एम.नं. 009032)

कृते विनोद कुमार एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार FRN-002304N
(विनोद जैन)
साझेदार (एम.नं. 081263)

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-000734C
(ओ.पी.टोटला)
साझेदार (एम.नं. 011854)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 अप्रैल, 2011

कृते राजेन्द्र के. गोयल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-001457N
(आर. के. गोयल)
साझेदार (एम.नं. 006154)

कृते के. वर्गीज़ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-004525S
(के. वर्गीज़)
साझेदार (एम.नं. 020674)

कृते वी. नारायणन एण्ड कं.
सनदी लेखाकार FRN-002398S
(एन. रामचन्द्रन)
साझेदार (एम.नं. 201107)

As per our Report of even date

for R. Devendra Kumar & Associates
Chartered Accountants FRN-114207W
[D.K.Gupta]
PARTNER (M.No.009032)

for Vinod Kumar & Associates
Chartered Accountants FRN-002304N
[Vinod Jain]
PARTNER (M.No.081263)

for O.P. Totla & Co.
Chartered Accountants FRN-000734C
[O.P.Totla]
PARTNER (M.No.011854)
Place: Mumbai
Date: 29.04.2011

for Rajendra K. Goel & Co.
Chartered Accountants FRN-001457N
[R.K.Goel]
PARTNER (M.No.006154)

for K.Varghese & Co.
Chartered Accountants FRN-004525S
[K.Varghese]
PARTNER (M.No.020674)

for V.Narayanan & Co.
Chartered Accountants FRN-002398S
[N.Ramachandran]
PARTNER (M.No.201107)

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लि. के सदस्यगण

1. हमने 31 मार्च, 2011 तक की स्थिति के अनुसार कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड का संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन वर्ग की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों की अपेक्षानुसार यह जरूरी है कि हम इस बात का यथोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा-परीक्षा करें कि उक्त वित्तीय विवरण सारवान गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत परीक्षण आधार पर वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और प्रकटनों के प्रमाण की जाँच करनी होती है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रबंधन-वर्ग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों और वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि अपनी लेखा-परीक्षा अपनी राय हेतु यथोचित आधार प्रदान करता है।
3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227(4ए) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा अपेक्षितानुसार हम, उक्त आदेश के पैरा 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों में कंपनी को लागू हद तक निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:
4. उपरोक्त पैरा 3 में संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणी के क्रम में आगे हम निम्नवत् रिपोर्ट करते हैं:
 - (i) हमें सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
 - (ii) हमारी राय में जहाँ तक उक्त बहियों की जाँच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षितानुसार उचित लेखा बहियाँ रखी हैं।
 - (iii) इस रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
 - (iv) हमारी राय में लेखों की टिप्पणियों के साथ पठित इस रिपोर्ट में मुख्य रूप से चर्चित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा एवं नकदी

प्रवाह विवरण लागू हद तक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में उल्लिखित लेखा मानकों का पालन करते हैं।

- (v) यथा 31 मार्च, 2011 निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा निदेशक मंडल द्वारा अभिलिखित किए जाने के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (जी) के मुताबिक कोई भी निदेशक यथा 31 मार्च, 2011 को निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।
- (vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार कंपनी द्वारा विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलाप शुरू किए गए हैं तथा प्रबंधन अभ्यावेदन पर विश्वास करते हुए (लेखों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 1 देखें) मार्च 2007 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में प्राथमिक डीलरशिप व्यापार समाप्त करने के बावजूद कंपनी आगे अन्य व्यापारिक गतिविधियों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहेगी तथा कंपनी का कारोबार जारी रहेगा। तदनुसार लाभकारी कारोबार वाला संस्थान आधार पर लेखे तैयार किए गए हैं।
- (vii) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखे कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित तरीके से सूचना देते हैं और निम्नलिखित की सही एवं निष्पक्ष स्थिति देते हैं जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन संबंधी मानकों के अनुरूप है :
 - क) यथा 31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र के मामले में कंपनी की कारोबारी स्थिति और
 - ख) लाभ-हानि लेखा के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ।
 - ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह।

कृते बाबू यू. चोकशी एंड कं
फर्म पंजीकरण सं. 100814W
सनदी लेखाकार

संजय बी. चोकशी

साझेदार

सदस्यता सं. 048508

स्थान: मुंबई

दिनांक: 28 अप्रैल, 2011



AUDITORS' REPORT

To
The Members Corpbank Securities Limited

1. We have audited the attached Balance Sheet of CORPBANK SECURITIES LIMITED as at 31st March, 2011 and also the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement of the Company for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we annex thereto a statement on matter specified in paragraph 4 & 5 of the said Order to the extent applicable to the company.
4. Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 3 above, we report as under:
 - i) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our Audit.
 - ii) In our opinion, the Company, as required by the law, has kept proper books of account, so far as it appears from our examination of the said books.
 - iii) The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account of the company.
 - iv) In our opinion the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this

report and read with notes to accounts materially comply with the Accounting Standards referred to in Section 211 (3C) of the Companies Act, 1956.

- v) On the basis of the written representations received from the directors, as on March 31, 2011, and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on 31st March 2011, from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956.
- vi) As per the information and explanations given to us and as per our observations the company has started various business activities and relying on the Management Representation (refer to note 1 of the Notes to Accounts) that the company shall further pursue other business activities and that the business of the company shall continue irrespective of the discontinuance of the Primary Dealership Business in the fiscal ended March 2007. Accordingly the accounts have been prepared on a going concern basis.
- vii) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.
 - a. in the case of Balance Sheet, of the State of affairs of the Company as at 31st March, 2011,
 - b. in the case of the Profit and Loss Account, of the Profit of the Company for the year ended on that date
 - c. in the case of Cash Flow Statement, of the cash flow for the year ended on that date

For Babu U.Chokshi & Co.
Firm Registration No. 100814W
Chartered Accountants

Sanjay B. Chokshi
Partner
Membership No. 048508

Place : Mumbai
Date : 28 April 2011

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैरा 3 में संदर्भित

1. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार:
 - क) कंपनी ने परिमाणात्मक विवरण और स्थिर आस्तियों की स्थिति के पूरे ब्योरे दिखाने के लिए समुचित अभिलेख बनाए रखे हैं।
 - ख) स्थिर आस्तियों का तर्क संगत अंतरालों में प्रबंधन वर्ग द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई सारवान विसंगति नहीं देखी गई है।
 - ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर आस्तियों के किसी भी भाग का विक्रय नहीं किया है।
2. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार कंपनी किसी पण्य का संव्यवहार नहीं करती है तथा कोई स्टॉक व्यापारगत नहीं है अतः उक्त खंड कंपनी पर लागू नहीं है।
3. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार:
 - क) वर्ष के दौरान कंपनी ने धारक कंपनी, कार्पोरेशन बैंक से माँग/सूचना धन के तहत उधार नहीं लिया है। कंपनी की राय के अनुसार, जिससे हम सहमत हैं, कंपनी के निदेशकों को, जो कार्पोरेशन बैंक के नामांकित हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 और 299(1) के प्रावधानों के अंतर्गत संबद्ध या हितैषी नहीं माना जाता है।
 - ख) उधार ली गयी या दी गयी राशि की ब्याज दर और अन्य शर्तें व निबन्धन प्रथम दृष्टि में कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।
 - ग) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मूलधन राशि और उधार लिये गये धन पर ब्याज का भुगतान नियमित रहा।
 - घ) कंपनी द्वारा उधार दिए गए एवं उधार लिये गये धन के मामले में 1,00,000/- रुपये से अधिक अतिदेय राशि नहीं है।
4. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार तथा लेखा-परीक्षा के दौरान की गई चयनात्मक जाँच के अनुसार स्थिर आस्तियों की खरीद हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं कंपनी के आकार तथा कारोबार के स्वरूप के अनुरूप हैं।
5. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार:
 - क) कंपनी की राय के अनुसार, जिससे हम सहमत हैं, कंपनी के निदेशकों को, जो कार्पोरेशन बैंक के नामांकित हैं, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के प्रावधानों के अंतर्गत संबद्ध या हितैषी नहीं माना जाता है। उपर्युक्त को देखते हुए उक्त आदेश के खण्ड 4 (v) (ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
 - ख) धारक कंपनी, कार्पोरेशन बैंक के साथ किए गए सभी लेन-देन, संगत समय पर प्रचलित बाजार दरों को देखते हुए समुचित मूल्यों पर किए गए हैं।
6. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है और इसीलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए और 58एए के प्रावधान एवं उनके तहत जारी नियम लागू नहीं हैं।
कंपनी विधि बोर्ड ने इस संबंध में किसी भी तरह का आदेश पारित नहीं किया है।
7. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार इकाई में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो कारोबार के आकार एवं स्वरूप के अनुरूप है।
8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के अधीन केन्द्र सरकार ने लागत संबंधी रिकार्ड बनाए रखना निर्धारित नहीं किया है।
9. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार:
 - क) भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा नियम कंपनी के लिए लागू नहीं हैं और मूल बैंक प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि नियमों एवं विनियमों का पालन कर रही है।
 - ख) ऐसा कोई बिक्री कर/आय कर/सीमा शुल्क/धन कर/उत्पाद शुल्क/उपकर देय नहीं है जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
10. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, यथा 31 मार्च, 2011 को कंपनी की न तो कोई संचित हानियाँ

ANNEXURE TO AUDITORS' REPORT

Referred to in paragraph 3 of our report of even date

- 1) As per the information and explanations given to us and as per our observation
 - a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
 - b) The fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals. No material discrepancies were noticed on such verification.
 - c) The company has not disposed any part of the fixed assets during the year.

- 2) As per the information and explanations given to us and as per our observation to company do not deal in any commodity and there is no stock in trade and hence the said clause is not applicable to the company.

- 3) As per the information and explanations given to us and as per our observation
 - a) During the year, the Company has not borrowed under Call/ Notice Money from Corporation Bank, the holding company. In accordance with the opinion of the company with which we are in agreement, the directors of the company who are nominees of Corporation Bank are not to be regarded as concerned or interested under the provisions of Section 301 and Section 299(1) of the Companies Act, 1956.
 - b) The rate of interest and other terms and conditions of the amounts borrowed were not, prima facie, prejudicial to the interests of the company.
 - c) The payments of the principal amount and interest on monies borrowed have been regular during the year under review.
 - d) There are no overdue amounts of more than ₹1,00,000/- in respect of the monies lent or borrowed by the company.

- 4) As per the information and explanations given to us and as per our observation and on the basis of selective checks carried out during the course of audit the internal control procedures for purchase of fixed assets are commensurate with the size of the company and nature of business.

- 5) As per the information and explanations given to us and as per our observation:
 - a) In accordance with the opinion of the company with which we are in agreement, the directors of the company who are nominees of Corporation Bank are not to be regarded as concerned or interested under the provisions of Section 301. In view of the above, the question of reporting under clause 4 (v) (a) of the order does not arise.
 - b) All the transaction with Corporation Bank, holding company have been made at prices, which are reasonable, having regard to prevailing market prices at the relevant time.

- 6) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not accepted any deposits from public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Section 58 A and 58 AA of the companies Act, 1956 and the rules framed there under are not applicable.
 Company Law Board in connection with the same has not passed any order.

- 7) In our opinion and according to the information and explanations given to us the unit has an internal control system commensurate with its size and nature of its business.

- 8) As per the information and explanations given to us and as per our observation the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956.

- 9) As per the information and explanations given to us and as per our observation
 - a) the Provident Fund and Employees' States Insurance Rules are not applicable to the Company and that the parent Bank is complying with the Provident Fund Rules and Regulations in respect of deputed staff.
 - b) there are no dues of sales tax/ income tax/ customs duty/ wealth tax/ excise duty/ cess which have not been deposited on account of any dispute.

- 10) As per the information and explanations given to us and as per our observation the Company has neither any

हैं और न ही इस दिनांक को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कोई नकद हानि हुई है।

11. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक को देय राशियों के पुनर्भुगतान में चूक नहीं किया है।
12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार कंपनी द्वारा शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए प्रतिभूति पर आधारित कोई ऋण तथा अग्रिम प्रदान नहीं किए गए हैं।
13. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी निधि/म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है और इसलिए खण्ड 4(xiii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।
14. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, लेन-देन और करारों से संबंधित सही रिकार्डों का अनुरक्षण किया गया है तथा इसके अतिरिक्त सामयिक आधार पर उसकी प्रविष्टियाँ भी की गई हैं। प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा अपने नाम पर धारित हैं।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने अन्यो द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु किसी भी तरह की गारंटी नहीं दी है।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने किसी बैंक/संस्था से सावधि ऋण नहीं लिए हैं।

17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार कंपनी द्वारा दीर्घावधि निवेशों के लिए किन्हीं अल्पावधि ऋणों का प्रयोग नहीं किया गया है।
18. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत शामिल पार्टियों व कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमाम्य आबंटन नहीं किया है।
19. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
20. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक निर्गम नहीं किया है।
21. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अवलोकन के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कपट सूचित या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

कृते बाबू यू. चोकशी एंड कं.
फर्म पंजीकरण सं. 100814W
सनदी लेखाकार

संजय बी. चोकशी
साझेदार
सदस्यता सं. 048508

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अप्रैल, 2011



accumulated losses as at 31st March, 2011 nor has it incurred any cash losses during the financial year ended on that date.

- 11) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank.
- 12) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not granted any loans and advances based on security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- 13) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company is not a nidhi / mutual benefit fund / society and therefore the question of reporting under clause 4 (xiii) does not arise.
- 14) As per the information and explanations given to us and as per our observation proper records have been maintained for transactions and contracts and timely entries have been made with regard thereto. The securities were held by the company in its own name.
- 15) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not given guarantees for loan taken by others from banks or financial institutions.
- 16) As per the information and explanations given to us and as per our observation the Company has not borrowed term loans from any bank / institution.
- 17) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not used any short term loans for long term investments.
- 18) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered u/ s 301 of the Act.
- 19) As per the information and explanations given to us and as per our observation the Company has not issued any debentures.
- 20) As per the information and explanations given to us and as per our observation the company has not made any public issue during the year.
- 21) As per the information and explanations given to us and as per our observation, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the course of our audit.

For Babu U.Chokshi & Co.
Firm Registration No. 100814W
Chartered Accountants

Sanjay B. Chokshi
Partner
Membership No. 048508

Place : Mumbai
Date : 28 April 2011



कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड Corpbank Securities Limited 31 मार्च, 2011 की स्थिति का तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As at 31-3-2011 (₹ in '000 में)		यथा As at 31-3-2010 (₹ in '000 में)
निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS				
1. शेयरधारकों की निधियाँ Shareholders' Funds				
क) शेयर पूँजी				
a) Share Capital	1	75,00,00	75,00,00	
ख) आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष				
b) Reserves and Surplus	2	57,58,28	132,58,28	50,78,86
				125,78,86
			<u>132,58,28</u>	<u>125,78,86</u>
निधियों का अनुप्रयोग APPLICATION OF FUNDS				
1. स्थायी आस्तियाँ Fixed Assets				
सकल खण्ड Gross Block				
		92,32	92,77	
घटाएं : मूल्यहास Less : Depreciation				
		86,71	85,41	
			5,61	7,36
2. निवेश Investment				
	4	50,00	50,00	50,00
3. आस्थगित कर आस्ति (निवल) Deferred Tax Asset (Net)				
		6,86,91		9,34,05
4. चालू आस्तियाँ, ऋण व अग्रिम Current Assets, Loans & Advances				
अ) चालू आस्तियाँ				
A) Current Assets				
क) जमाराशियों पर उपचित ब्याज				
a) Accrued Interest on FDs & Disc. on CDs		35,82	23,67	
ख) नकद व बैंक शेष				
b) Cash & Bank Balances		8,38,35	14,56,69	
ग) म्युचुअल निधि संवितरण पर उपचित कमीशन				
c) Accrued Commission on Mutual Fund distribution		35,95	-	
घ) विक्रेय माल - सरकारी प्रतिभूतियाँ				
d) Stock in trade - Govt. Securities		-	9,48,05	
जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit :				
		114,23,16	89,80,65	
B) ऋण व अग्रिम Loans & Advances				
		10,83,05	8,75,01	
(अ)+(ब) (A)+(B)		134,16,33	122,84,07	
घटाएं : चालू देयताएं व प्रावधान Less : Current Liabilities and Provisions				
	6			



	अनुसूची सं. Schedule No.	यथा As at 31-3-2011 (₹ in '000 में)	यथा As at 31-3-2010 (₹ in '000 में)
क) चालू देयताएं a) Current Liabilities		1,52	85
ख) प्रावधान b) Provisions		8,99,05	6,95,77
		<u>9,00,57</u>	<u>6,96,62</u>
निवल चालू आस्तियाँ Net Current Assets		125,15,76	115,87,45
		<u>132,58,28</u>	<u>125,78,86</u>
लेखा नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो लेखों का अंग हैं Accounting Policies and Notes forming part of Accounts	10		

ऊपर उल्लिखित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred above form an integral part of the Balance Sheet

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached herewith

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

कृते बाबू यू. चोकशी एंड कं.

फ. प सं. 100814W
सनदी लेखाकार

संजय बी. चोकशी
साझेदार
स. सं. 48508

रामनाथ प्रदीप
अध्यक्ष

नरेन्द्र सिंह
निदेशक

यू. बालकृष्ण भट्ट
निदेशक

सी वीआर राजेंद्रन
निदेशक

डॉ. एच. साधक
निदेशक

वी. मुत्तुकृष्णन
प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अप्रैल, 2011

For Babu U. Chokshi & Co.
Firm Registration No. 100814W
Chartered Accountants

For and on behalf of Board of Directors

Sanjay B. Chokshi
Partner
M.No.48508

Ramnath Pradeep
Chairman

Narendra Singh
Director

U Balakrishna Bhat
Director

C VR Rajendran
Director

Dr H Sadhak
Director

V Muthukrishnan
Managing Director

Place: Mumbai
Date : 28th April, 2011



कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड Corpbank Securities Limited
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

	अनुसूची सं. Schedule No.	चालू वर्ष Current Year 2010-11 (₹ in '000 में)	गत वर्ष Previous Year 2009-10 (₹ in '000 में)
आय INCOME			
कारोबार परिचालन से आय (निवल) Income from business operations (Net)	7	9,45,36	8,10,56
लाभांश आय Dividend Income		7,50	7,50
अन्य स्रोतों से आय: Income from other sources: [TDS CY Rs 6,19,813/-] (PY Rs 13,71,559/-)			
बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज Interest received on Bank Deposits		64,81	1,12,08
अन्य आय Other Income		9	-
आयकर धन-वापसी पर प्राप्त ब्याज Interest Received on IT Refund		8,94	10,06
		10,26,70	9,40,20
व्यय EXPENDITURE			
स्थापना व्यय Establishment Expenses	8	18,87	10,37
प्रशासन एवं अन्य व्यय Administration & Other Expenses	9	10,69	8,18
स्थायी आस्तियों पर मूल्यहास Depreciation on Fixed Assets	3	1,71	1,67
बैंक से अल्पावधि उधार पर ब्याज Interest on Short Term Borrowings from Bank		21,02	-
बटूटे खाते डाली गई हानिगत स्थायी आस्तियाँ Write off/Loss of Fixed Assets		10	16
		52,39	20,38
कर पूर्व लाभ/Profit Before Tax		9,74,31	9,19,82
घटाएँ : आयकर हेतु प्रावधान Less: Provision for Income Tax			
चालू कर (सामान्य प्रावधान के तहत) Current tax (under Normal provisions)	2,03,70		1,62,35
घटाएँ: समंजन हेतु उपलब्ध एमएटी जमा Less M A T credit available for set off	1,55,93	47,77	1,04,35
घटाएँ : बटूटे खाते लिखी गई आस्थगित कर देयता Less: Deferred Tax Asset Written off			58,00
जोड़ें : वर्ष हेतु सृजित आस्थगित कर आस्ति Add: Deferred tax Asset created for the year		2,47,14	2,37,47
जोड़ें : गत वर्ष हेतु अधिक एफबीटी प्रावधान Add: Excess Provision for FBT A Y 2008-09		2	2
घटाएँ : गत वर्ष हेतु अल्पावधि आयकर प्रावधान Less: Short IT provision for earlier year		-	29
करोपरान्त लाभ Profit After Tax		6,79,42	10,99,02
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि Amount available for appropriation		6,79,42	10,99,02



	अनुसूची सं. Schedule No.	चालू वर्ष Current Year 2010-11 (₹ in '000 में)	गत वर्ष Previous Year 2009-10 (₹ in '000 में)
विनियोजन APPROPRIATIONS			
विनियोजन के बाद अधिशेष Surplus After Appropriations		<u>6,79,42</u>	<u>10,99,02</u>
		<u>6,79,42</u>	<u>10,99,02</u>
पिछले वर्ष का अग्रानीत शेष Balance brought forward from Previous year		25,78,86	14,79,84
वर्ष हेतु लाभ तथा हानि खाते में अंतरित अधिशेष Surplus transferred to Profit and Loss Account for the year		<u>6,79,42</u>	<u>10,99,02</u>
		<u>32,58,28</u>	<u>25,78,86</u>
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹. में) Basic Earnings per Share (in Rs.)		0.91	1.47
लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो लेखों का अंग हैं Accounting Policies and Notes forming part of Accounts	10		

उपर्युक्त अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखे का अभिन्न अंग है The Schedules referred above form an integral part of the Profit & Loss Account

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached herewith

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

कृते बाबू यू. चोकशी एंड कं.

फ पं सं. 100814W
सनदी लेखाकार

संजय बी. चोकशी
साझेदार
स. सं. 48508

रामनाथ प्रदीप
अध्यक्ष

नरेन्द्र सिंह
निदेशक

यू. बालकृष्ण भट्ट
निदेशक

सी वीआर राजेंद्रन
निदेशक

डॉ. एच. साधक
निदेशक

वी. मुत्तुकृष्णन
प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई
दिनांक: 28 अप्रैल, 2011

For Babu U. Chokshi & Co.
Firm Registration No. 100814W
Chartered Accountants

For and on behalf of Board of Directors

Sanjay B. Chokshi
Partner
M.No.48508

Ramnath Pradeep
Chairman

Narendra Singh
Director

U Balakrishna Bhat
Director

C VR Rajendran
Director

Dr H Sadhak
Director

V Muthukrishnan
Managing Director

Place: Mumbai
Date : 28th April, 2011



कार्पबैंक सिक्युरिटीज़ लिमिटेड Corpbank Securities Limited

अनुसूचियाँ जो 31 मार्च, 2011 के लेखों का अभिन्न अंग हैं

SCHEDULES FORMING INTEGRAL PART OF THE ACCOUNTS AS AT 31ST MARCH, 2011

विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 (₹ in '000 में)	यथा As at 31-03-2010 (₹ in '000 में)
अनुसूची Schedule 1		
शेयर पूंजी Share Capital		
क) प्राधिकृत a) Authorised:		
प्रत्येक ₹10/- के 125,000,000 इक्विटी शेयर 125,000,000 Equity Shares of ₹10/- each	<u>125,00,00</u>	<u>125,00,00</u>
ख) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त b) Issued, Subscribed and Paid up:	75,00,00	75,00,00
₹10/- प्रत्येक के 7,50,00,000 इक्विटी शेयर 7,50,00,000 Equity Shares of ₹10/- each (सभी शेयर कार्पोरेशन बैंक और उसके नामितियों द्वारा धारित हैं) (All the Shares are held by Corporation Bank and its Nominess)	75,00,00	75,00,00
	<u>75,00,00</u>	<u>75,00,00</u>
अनुसूची Schedule 2		
आरक्षित निधियां व अधिशेष Reserves and Surplus		
क) पूंजी मोचन आरक्षित निधि: a) Capital Redemption Reserve:		
वर्षारंभ में शेष Balance at the beginning of the year	25,00,00	25,00,00
जोड़ें: सामान्य आरक्षित निधि से अंतरित Add: Transferred from General Reserve	- 25,00,00	- 25,00,00
ख) लाभ-हानि लेखे में शेष (b) Balance in Profit & Loss Account	25,78,86	14,79,84
वर्षारंभ में शेष Balance at the beginning of the year		
जोड़ें: वर्ष हेतु अंतरित राशि Add: Amount transferred for the year	6,79,42 32,58,28	10,99,02 25,78,86
	<u>57,58,28</u>	<u>50,78,86</u>



**अनुसूची Schedule 3
स्थाई आस्तियाँ Fixed Assets**

(₹ in '000 में)

क्र. सं. Sl. No.	विवरण Description	सकल खंड Gross Block			मूल्यांकन Depreciation			निवल खंड Net Block			
		यथा As at 01-04-2010	वर्ष हेतु परिवर्धन Additions from 1.4.10 to 31.3.11	वर्ष हेतु विलोपन Deletions from 1.4.10 to 31.3.11	यथा As at 31-03-2011	31-03-2010 तक Upto 31-03-2010	1.4.10 से 31.3.11 तक की अवधि के लिए Depreciation on w/o Asset	बड़े खते लिखी गई आस्तियों पर मूल्यांकन Depreciation on w/o Asset	31-03-2011 तक Upto 31-03-2011	यथा As at 31-03-2010	यथा As at 31-03-2011
01	कार्यालय उपकरण Office Equipments	6,01	6	6	6,01	4,53	20	2	4,71	1,49	131
02	कंप्यूटर Computers	70,54	-	-	70,54	69,53	40	-	69,93	1,01	60
03	फर्नीचर और जुड़नार Furniture & Fixtures	8,88	-	45	8,43	7,66	22	39	7,49	1,22	94
04	बिजली का सामान Electrical Fitting	4,04	-	-	4,04	3,44	10	-	3,54	60	50
05	मोटर वाहन Motor Vehicles	3,30	-	-	330	25	79	-	104	304	226
	योग Total	92,77	6	51	92,32	85,41	1,71	41	86,71	7,36	5,61
	गत वर्ष Previous year	93,59	3,45	4,27	92,77	87,55	1,67	3,81	85,41	7,36	6,04



विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 (₹ in '000 में)	यथा As at 31-03-2010 (₹ in '000 में)	
अनुसूची Schedule 4			
निवेश Investment			
अ) दीर्घावधि निवेश क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयर (लागत पर, कोट न किए गए, व्यापार से इतर)			
A) Long Term investment (at cost, unquoted, other than trade) Equity Shares of Clearing Corporation of India Ltd. (5,00,000 इक्विटी शेयर, प्रति शेयर ₹ 10/- पूर्णतः प्रदत्त) (5,00,000 Equity Shares of ₹10/- each fully paid-up)	50,00	50,00	
	<u>50,00</u>	<u>50,00</u>	
अनुसूची Schedule 5			
चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम			
A. Current Assets, Loans & Advances			
अ. चालू आस्तियां A. Current Assets			
अ. a. उपचित आय Accrued Income			
i. अल्पकालीन जमाराशियों पर उपचित ब्याज Accrued Interest on Short Term Deposits	2,92	6,01	
ii. केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज Accrued Discount on Certificate of deposit	32,90	-	
iii. केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज Accrued Interest on Central Govt. Securities	-	17,66	
	<u>35,82</u>	<u>23,67</u>	
आ. नकदी व बैंक शेष			
b. Cash & Bank Balances			
i. हस्तगत नकदी Cash on hand	4	6	
ii. अनुसूचित बैंकों में शेष Balance with Scheduled Banks	3,31	88,63	
iii. बैंकों में मीयादी जमाएँ Term deposits with Banks	8,35,00	13,68,00	
इ. म्यूचुअल निधि संवितरण पर उपचित कमीशन			
c. Accrued Commission on Mutual Fund Distribution	35,95		
d. विक्रेय माल Stock in trade:			
i. केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ Central Dated Govt. Securities	-	9,48,05	
II. जमा प्रमाणपत्र जारीकर्ता Certificate of Deposits Issuer			
	अंकित मूल्य Face Value ₹ in '000s	बीजक मूल्य Inv. Value ₹ in '000s	बही मूल्य Book Value ₹ in '000s
केनरा बैंक Canara Bank 11.4.11	15,00,00	14,68,29	14,68,29
आईओबी IOB 9.5.11	5,00,00	4,90,06	4,90,06
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया United Bank of India 5.3.12	25,00,00	22,69,18	22,69,18
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 12.3.12	25,00,00	22,79,66	22,79,66
यूको बैंक Uco Bank 13.5.11	25,00,00	24,70,22	24,70,22
पी एन बी PNB 27.6.11	25,00,00	24,45,75	24,45,75
			<u>114,23,16</u>
			89,80,65



विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 (₹ in '000 में)	यथा As at 31-03-2010 (₹ in '000 में)
आ. ऋण एवं अग्रिम		
B. Loans & Advances		
(गैर-जमानती तथा शोध्य माने गए) (Unsecured and considered good)		
अग्रिम जो नकदी या वस्तु रूप में वसूली योग्य अथवा उसकी प्राप्य कीमत Advance recoverable in cash or in kind or for value to be received		
i. आयकर, टीडीएस Income Tax, TDS	8,22,16	7,70,45
ii. समंजन हेतु एमएटी जमा M A T Credit for set off	2,60,28	1,04,35
iii. पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expenses	41	1
iv. अन्य Others	20	20
	10,83,05	8,75,01
	<u>134,16,33</u>	<u>122,84,07</u>
अनुसूची Schedule 6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
Current Liabilities & Provisions		
अ. चालू देयताएं		
A. Current Liabilities		
क. व्यय हेतु देयताएँ a. Liabilities for expenses	97	70
ख. अन्य देयताएं b. Other Liabilities	55	15
	<u>1,52</u>	<u>85</u>
आ. प्रावधान		
B. Provisions		
क. आयकर हेतु प्रावधान a. Provision for Income Tax	8,99,05	6,95,35
ख. एफबीटी हेतु प्रावधान b. Provision for FBT	-	42
	<u>8,99,05</u>	<u>6,95,77</u>
	<u>9,00,57</u>	<u>6,96,62</u>



विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 (₹ in '000 में)		यथा As at 31-03-2010 (₹ in '000 में)	
अनुसूची Schedule 7				
कारोबार परिचालन से आय Income from business operations:				
क) सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार:				
a) Trading in Govt. Securities:				
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	9,48,05		47,01,85	
जोड़ें: खरीद Add: Purchases	85,68,05		123,79,60	
जोड़ें: प्रदत्त खंडित अवधि ब्याज Add: Broken Period Interest Paid	<u>1,05,92</u>	<u>96,22,02</u>	<u>2,21,25</u>	<u>173,02,70</u>
घटाएँ: सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त/उपचित ब्याज प्राप्त खंडित अवधि ब्याज				
Less: Interest received/accrued on Govt. Securities	1,01,63		1,92,76	
Broken period interest received	35,87		2,53,04	
बिक्री/मोचन Sales/Redemption	95,22,46		159,56,85	
शेष स्टॉक Closing Stock	-	<u>96,59,96</u>	9,48,05	<u>173,50,70</u>
सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार पर लाभ/(हानि) Profit/(Loss) on trading in Govt. Securities				<u>48,00</u>
				<u>37,94</u>
ख) राजकोष बिलों में व्यापार				
b) Trading in Treasury Bills:				
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	-		-	
जोड़ें: खरीद Add: Purchases	<u>14,87</u>	<u>14,87</u>	<u>80,54,62</u>	<u>80,54,62</u>
घटाएँ: बिक्री/मोचन Less: Sales/Redemption				
शेष स्टॉक Closing Stock	15,00		80,73,51	
राजकोष बिलों पर बट्टा/ब्याज Discount/Interest on Treasury Bills	-	<u>15,00</u>	-	<u>80,73,51</u>
				<u>18,89</u>
				<u>13</u>
ग) जमा प्रमाण पत्र में व्यापार				
c) Trading in Certificate of Deposit				
प्रारंभिक स्टॉक Opening Stock	89,80,65		-	
जोड़ें: खरीद Add: Purchases	<u>612,53,62</u>	<u>702,34,28</u>	<u>388,34,06</u>	<u>388,34,06</u>
घटाएँ: बिक्री/मोचन/Less: Sales/Redemption	594,62,36		300,00,00	
उपचित बट्टा Discount Accrued	32,90		-	
शेष स्टॉक Closing Stock	<u>114,23,16</u>	<u>709,18,42</u>	<u>89,80,65</u>	<u>389,80,65</u>
जमा प्रमाण पत्र की बिक्री/मोचन पर लाभ Profit on Sale/Redemption of Certificate of Deposits				<u>1,46,59</u>
				<u>6,84,14</u>
घ) म्यूचुअल फंड उत्पादों के संवितरण पर कमीशन दलाली (खाते 10 प्वाइंट ए. 2.1 का संदर्भ लें)				
कुल (क) + (ख) + (ग) + (घ)			2,23,15	
d) Commission/brokerage on distribution of Mutual Fund Products (Refer notes on Accounts 10 point A. 2.1)				<u>5,97,08</u>
Total (a) + (b) + (c) + (d)			<u>9,45,36</u>	<u>8,10,56</u>



विवरण PARTICULARS	यथा As at 31-03-2011 (₹ in '000 में)	यथा As at 31-03-2010 (₹ in '000 में)
अनुसूची Schedule 8		
स्थापना व्यय Establishment Expenses		
वेतन व भत्ते Salaries & Allowances	16,34	9,68
स्टाफ टीए/डीए Staff TA/DA	2,04	30
स्टाफ कल्याण व्यय Staff Welfare Expenses	7	15
चिकित्सा/अस्पताल प्रतिपूर्ति Medical/Hospital Reimbursement	24 5	3 -
स्टाफ प्रशिक्षण व्यय Staff Training Expenses	13	21
आतिथ्य व्यय Entertainment Expenses	18,87	10,37
अनुसूची Schedule 9		
प्रशासन तथा अन्य व्यय Administration and Other Expenses		
वातानुकूलक किराया प्रभार Air-condition hiring Charges	47	47
वार्षिक तकनीकी समर्थन शुल्क Annual Maintenance Charges	1	1
निदेशक मंडल बैठक व्यय Board Meeting Expenses	-	16
सवारी प्रभार Conveyance Charges	41	45
कुरियर/डाक प्रभार Courier/Postage Charges	51	35
विकास/सत्कार व्यय Development / Ent. Expenses	-	7
डी.पी. खाते पर डीमैट प्रभार Demat Charges on D P a/c	1	-
बिजली व्यय Electricity Charges	18	18
बीमा प्रीमियम Insurance Premium	7	5
विविध व्यय Miscellaneous Expenses	65	35
मोटर कार रख-रखाव व्यय Motor Car Maintenance Expenses	10	28
डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र व्यय Digital Signature Certificate Expenses	6	-
एनएसई ब्रोकिंग व्यापार व्यय NSE Broking Business Expenses	3,77	-
समाचार पत्र व पत्रिकाएं Newspaper & Periodicals	2	8
निदेशकों को भुगतान Payment to Directors	22	33
डाक और तार Postage & Telegram	1	-
मुद्रण व लेखन सामग्री Printing & Stationery	50	23
व्यावसायिक एवं विधिक शुल्क Professional & Legal Fees	92	2,48
मरम्मत एवं अनुरक्षण Repairs & Maintenance	52	24
किराया Rent	1,00	1,00
दरें व कर Rates and Taxes	3	5
टेलीफोन व्यय Telephone Charges	56	57
सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान Payment to Statutory Auditors :		
– लेखा-परीक्षा शुल्क For Audit Fees	44	44
– कर लेखा-परीक्षा शुल्क For Tax Audit Fee	22	22
– अन्य Others	1	17
	10,69	8,18

अनुसूची 10 लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ जो लेखों का अंग हैं

अ. निवेश एवं व्यापारगत स्टॉक हेतु लेखांकन नीति

1. लेखांकन-विधि

1.01 वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में सांविधिक प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं।

1.02 कंपनी लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली अपनाती है।

2. आय का निर्धारण

2.1 मध्यस्थ के रूप में किए गए कारोबार पर आय का निर्धारण

मध्यवर्ती के रूप में किए गए कारोबार पर प्राप्त कमीशन/दलाली की गणना प्राप्ति पर की गई है। एएस 9 आय के निर्धारण के अंतर्गत लेखाकरण की उपचित प्रक्रिया की प्राप्ति होते ही पद्धति को परिवर्तित किया गया। उक्त परिवर्तन के आधार पर पूर्व कर पर लाभ रुपया 35.95 लाख है (कर उपरान्त रुपया 24.01 लाख)

निवेशों पर आय प्रोद्भूत आधार पर निर्धारित की जाती है। म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश पर लाभांश आय उनकी घोषणा के आधार पर निर्धारित की जाती है।

2.2 नियत आय प्रताभूतियों, जमा प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक पत्रों में निवेश/व्यापार पर आय निर्धारण

2.2.1 जमा प्रमाण पत्रों, वाणिज्यिक पत्रों तथा राजकोषीय बिलों की अधिग्रहण लागत एवं परिपक्वता मूल्य के बीच अंतर को समय आधार पर अलग किया जाता है एवं लेखांकन अवधि से संबंधित इन प्रतिभूतियों पर प्रभावी बट्टा/ब्याज को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। बट्टा/प्रोद्भूत ब्याज अधिग्रहण लागत में शामिल है और इसे रखाव-लागत माना जाता है।

2.2.2 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज इसकी कूपन दर पर निर्धारित की जाती है।

2.2.3 स्थाई आय प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री मूल्य लागत एवं प्रदत्त अथवा वसूल प्रोद्भूत ब्याज में बाँटा गया है। स्थायी आय प्रतिभूतियाँ (खंडित अवधि ब्याज) की खरीद पर प्रोद्भूत एवं बिक्री पर प्राप्त ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि को आय/व्यय के रूप में निवलित किया गया एवं गणना में लिया गया है।

2.2.4 प्रतिभूतियों के विक्रय पर लाभ/हानि भारत औसत मूल्य विधि (डब्ल्यूएपी) पर गणना की जाती है तथा निपटान तिथि को उसका निर्धारण किया जाता है। प्रतिभूतियों के विक्रय पर प्राप्त लाभ को प्रतिभूतियों के विक्रय पर हानि के साथ निवलित किया जाता है।

3. व्यय का निर्धारण

सभी व्ययों की गणना प्रोद्भूत आधार पर की गई है।

4. प्रतिभूतियों का वर्गीकरण

अल्पावधि धारण एवं व्यापारिक स्थितियों के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को 'व्यापार में स्टॉक' के रूप में माना गया है और इसे चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया गया है। दीर्घावधि धारण के उद्देश्य से अर्जित अन्य प्रतिभूतियों को निवेश के रूप में माना गया है।

5. निवेशों का मूल्यांकन

निवेशों के रूप में परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियाँ लागत पर मूल्यांकित की गई हैं। प्रत्येक निवेश के किसी मूल्य हास हेतु, जहां कहीं यह हास स्थाई है, प्रावधान किया गया है।

6. व्यापार में स्टॉक का मूल्यांकन

6.1 कोटेटेड प्रतिभूतियाँ लागत अथवा बाजार मूल्य, जो भी कम है, पर मूल्यांकित की गयी हैं। बाजार भावों के अभाव में बाजार मूल्य समान प्रकृति एवं परिपक्वता

अवधि वाली प्रतिभूतियों के विद्यमान प्रतिफल से परिकल्पित दरों पर निर्धारित किये गये हैं।

6.2 प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति को एक अलग प्रवर्ग के रूप में माना जाता है। प्रत्येक प्रवर्ग के तहत मूल्यांकन खण्डवार किया जाता है और मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है जबकि मूल्य वृद्धि को छोड़ दिया जाता है। प्रतिभूतियों के एक प्रवर्ग के अवमूल्यन का दूसरे प्रवर्ग की मूल्य वृद्धि के बदले समंजन नहीं किया जाता है।

6.3 तुलन पत्र की तिथि को धारित राजकोषीय बिल, अन्तर्निहित लागत या बाजार मूल्य जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किये जाते हैं। तुलन पत्र की तिथि को धारित राजकोषीय बिलों का बाजार मूल्य भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को धारित जमा प्रमाण पत्र तथा वाणिज्य पत्र, ऊपर 2.2.1 में उल्लेख के अनुसार अंतर्निहित लागत पर मूल्यांकित किये गये हैं।

6.4 केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य स्थायी आय एवं मनी मार्केट डीलर्स एसोसियेशन (एफआईएमडीए) द्वारा प्रदत्त दरों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

7. स्थाई आस्तियों का मूल्यांकन

7.1 स्थाई आस्तियों का मूल्यांकन उनकी मूल लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर किया गया है। लागत में अधिग्रहण, प्रतिष्ठान तथा कार्य आरंभ के लिए देय सभी प्रत्यक्ष लागतें शामिल हैं।

7.2 स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV में निर्दिष्ट दरों एवं निर्धारित ढंग से 'हासित मूल्य' (डब्ल्यू डी वी) पद्धति से किया गया है।

8. आस्तियों की क्षति

आस्तियों की रखाव रकम की समीक्षा यह जानने के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र दिनांक को की जाती है कि आंतरिक/बाहरी घटकों के प्रभाव से किसी क्षति का कोई संकेत है कि नहीं। जहाँ भी आस्तियों की रखाव-रकम वसूली योग्य रकम से अधिक होती है तो क्षति मानी जाती है। उस प्रकार की कोई क्षति उस लाभ-हानि खाते में प्रभारित कर दी जाती है। पहले पाई गई क्षति का वह ऐसा न रहने पर प्रत्यावर्तन किया जाता है तथा आस्ति का तदनुसार पुनःप्रकटन किया जाता है।

9. प्रारंभिक एवं शेयर निर्गम व्यय

शेयर निर्गम व्यय सहित प्रारंभिक व्यय समानुपातिक आधार पर पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित किए गए हैं।

10. कर्मचारियों को भुगतान व उनके लिए प्रावधान

मूल संगठन अर्थात् कार्पोरेशन बैंक के स्टाफ को, अपने कर्मचारियों/अधिकारियों, जिनकी सेवाएँ प्रतिनियुक्ति आधार पर कंपनी को प्रदान की गई हैं, की परिलब्धियों/भविष्य निधि हेतु किए गए भुगतान को कंपनी की लागत के रूप में माना गया है।

11. आय पर कर

11.1 आय कर व्यय (चालू और आस्थगित) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 22-आय पर कर के लेखांकन के अनुसार प्रोद्भूत किया गया है। चालू कर वर्ष की कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि के रूप में निर्धारित किया गया है। आस्थगित कर को समयान्तर पर विवेक के अध्याधीन निर्धारित किया जाता है, जो कर-योग्य आय तथा किसी एक अवधि में उत्पन्न होनेवाली तथा परवर्ती एक या अधिक वर्षों में प्रत्यावर्तनीय लेखा आय के बीच का अंतर है।

11.2 आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएं कर दरों एवं कर विधियों के अनुसार मापी जाती है जो तुलन-पत्र तारीख को अधिनियमित या मौलिक रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

Schedule –10 ACCOUNTING POLICIES AND NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

A. Significant Accounting Policies

1. Method of Accounting

1.01 The financial statements are prepared on historical cost basis conforming to the statutory provisions, in accordance with Generally Accepted Accounting Principles.

1.02 The company follows accrual system of accounting.

2. Recognition of Income

2.1 Recognition of Income on the Business done as intermediaries:

Commission/brokerage on the business done as intermediaries is recognised on accrual basis. The method has been changed from as and when received to accrual system of accounting as required under AS 9 : Recognition of Income. On account of the said change, the profit is overstated by Rs.35.95 Lac before Tax (Rs. 24.01 Lac after Tax)

Interest on investments is recognised on accrual basis. Dividend income on investments in the Units of Mutual Funds is recognised on the basis of declaration of the same.

2.2 Recognition of Income on the Investment/trading in Fixed Income Securities, Certificate of Deposits & Commercial Papers:

2.2.1. The difference between the acquisition cost and maturity value of Certificates of Deposits, Commercial papers and Treasury Bills is apportioned on time basis and effective discount/interest on these securities pertaining to the accounting period is recognized as income. The discount/interest accrued is included in the acquisition cost and regarded as the carrying cost.

2.2.2 Interest accrued on Dated Government Securities is recognized at its coupon rate.

2.2.3. Purchase and sale price of fixed income securities is bifurcated into cost and accrued interest paid or realized. Amount paid as interest accrued on purchase and received on sale of fixed income securities (Broken period interest) is netted and reckoned as income/expense.

2.2.4. Profit / loss on sale of securities is accounted on Weighted Average Price Method (WAP) and is recognized on settlement date. Profit on sale of securities is netted with loss on sale of Securities.

3. Recognition of Expenses

All expenses are accounted for on accrual basis.

4. Classification of Securities

The securities acquired with the intention of short term holding and trading positions is considered as “Stock-in-Trade” and shown under current assets. Other securities acquired with the intention of long-term holding are treated as “Investments.”

5. Valuation of Investments

Securities held as investments and held till maturity are valued at cost. Any diminution in the value of each investment individually is provided for, wherever such diminution is permanent.

6. Valuation of stock-in-trade

6.1 The Quoted securities are valued at cost or market price, whichever is lower. In the absence of market quotes, market

prices are determined at the rates derived from the prevailing yield of securities having similar standing and maturity period.

6.2. Each type of security is regarded as a separate category. Under each category, valuation is done scrip-wise and depreciation is provided, while appreciation is ignored. The depreciation in one category of securities is not set off against appreciation in another category.

6.3 Treasury Bills held on the balance sheet date are valued at carrying cost or market value whichever is lower. The market value of Treasury Bills held on the Balance Sheet date is determined as per the rates provided by Clearing Corporation of India Limited. The Certificate of Deposits, and Commercial Papers held on the balance sheet date, are valued at carrying cost as explained in 2.2.1 above.

6.4. The market value of Central Government Dated Securities is determined as per the rates provided by Fixed Income and Money Market Dealers Association (FIMMDA)

7. Valuation of Fixed Assets

7.1 Fixed assets are valued at original cost less accumulated depreciation. Costs include all direct costs attributable to acquisition, installation and commissioning.

7.2. Depreciation on fixed assets is provided on “Written Down Value” (WDV) method, at the rates specified in and in the manner laid down by Schedule XIV of Companies Act, 1956.

8. Impairment of Assets

The carrying amount of assets is reviewed at each balance sheet date for indications of any impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognised wherever the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount. Any such impairment loss is recognised by charging it to the profit and loss account. A previously recognised impairment loss is reversed when it ceases to exist and the asset is restated to that effect.

9. Preliminary and Share Issue Expenses

Preliminary Expenses including share issue expenses are amortized over a period of five years on pro-rata basis.

10. Payments to and Provision for Employees

Payments made to parent organization viz., Corporation Bank’s staff, towards emoluments / provident funds of their employees/officials, whose services are lent to the Company on deputation basis, are regarded as Company’s costs.

11. Taxes on Income

11.1. Income-tax expense (current and deferred) is accrued in accordance with Accounting Standard 22 - Accounting for taxes on income issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Current tax is determined as the amount of tax payable in respect of taxable income for the year. Deferred tax is recognised, subject to the consideration of prudence on timing difference, being the difference between the taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent years.

11.2. Deferred Tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the Balance Sheet date.

आ. लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. कंपनी, भारतीय रिज़र्व बैंक में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत, मार्च 2007 तक प्राथमिक डीलर के रूप में कार्य करता रहा। उसकी प्राथमिक डीलरशिप गतिविधि को समाप्त करने के बाद कंपनी एनबीएफसी नहीं रही तथा तदनुसार भा.रि.बैं. अधिनियम 1934 की धारा 45-1ए (6) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया गया था। कंपनी ने गत वर्ष म्यूचुअल फंड उत्पादों का संवितरण आरंभ किया। कंपनी अपने कारोबारी कार्रवाई के रूप में म्यूचुअल फंड उत्पादों का वितरण शुरू किया। इसके अलावा जमा प्रमाणपत्र, केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ तथा राजकोषीय बिल आदि सहित अनुमोदित लिखतों में निधि का निवेश करती रही है। कंपनी ने इक्विटी ब्रोकिंग कारोबार शुरू करने के लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त किया तथा उसके चालूकरण प्रक्रिया के लिए कदम उठा रही है।

2. प्रबंध निदेशक, कार्पोरेशन बैंक से 8/6/2010 से प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा उनका पारिश्रमिक बैंक के सेवा नियमों के अनुसार है। वित्तीय वर्ष हेतु कुल पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् है:

	2010-11 ₹
वेतन व भत्ते	5,32,633
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	40,200
कुल पारिश्रमिक	5,72,833

इसके अतिरिक्त प्रबंध निदेशक को निजी उपयोग सहित कंपनी की कार की अधिकतम 500 कि.मी. प्रति माह तक ₹150/- प्रति माह के भुगतान पर उपयोग की अनुमति दी गई है। इस सीमा से अतिरिक्त उपयोग के लिए प्रति कि.मी. ₹1/- की दर से प्रभार वसूल किए जाते हैं।

प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIII के तहत निर्धारित सीमा के अन्दर है।

व्योरे	म्यूचुअल फंड उत्पादों का संवितरण		जमा प्रमाणपत्र/राजकोषीय बिल/ सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन		कुल प्रखंड		कुल उद्यम	
	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11
प्रखंड राजस्व	59708	22315	21348	72221	81056	94536	94020	102670
कुल राजस्व	59708	22315	21348	72221	81056	94536	94020	102670
कुल राजस्व का प्रतिशत	73.66%	23.60%	26.34%	76.40%	100%	100%	-	-
विनियोज्य व्यय	-	-	-	-	-	-	2038	5240
प्रखंड परिणाम	59708	22315	21348	72221	81056	94536	-	-
प्रखंड आस्ति	-	-	992870	1142316	992870	1142316	1257886	1325828
सभी प्रखंडों की कुल आस्तियों का प्रतिशत	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

9. कंपनी कार्पोरेशन बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी है। कंपनी का समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण इसके निदेशक मंडल के हाथों में है। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक सहित सभी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वे कार्पोरेशन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर आए हैं। वे

3. चूंकि प्रबंधकीय कार्मिकों को लाभ का प्रतिशत कमीशन के रूप में देय नहीं है, अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 349 के तहत निवल लाभ की गणना नहीं की गयी है।

4. कंपनी के सभी कर्मचारी कार्पोरेशन बैंक से प्रतिनियुक्ति पर हैं और वे बैंक के स्टॉफ भविष्य निधि व बैंक पेन्शन निधि के सदस्य हैं व दोनों आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आनेवाले न्यासों के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। पेन्शन निधि के संबंध में पेन्शन विकल्पियों के वेतन से 10 प्रतिशत मासिक योगदान के अतिरिक्त पेन्शन देयताओं के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर बैंक भी निधि में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पेन्शन देयताओं की निधि के लिए एकमुश्त अंशदान देते हैं। सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान कार्पोरेशन बैंक द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार प्रोद्भूत आधार पर छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान कार्पोरेशन बैंक द्वारा किया जाता है।

5. पूर्वावधि आय और व्यय

आय-प्राप्त कमीशन व दलाली ₹ 39.62 लाख (गतवर्ष शून्य)
व्यय - शून्य

6. विदेशी मुद्रा अर्जन - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

7. विदेशी मुद्रा में व्यय - यात्रा व्यय ₹ शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

8. प्रखंड रिपोर्टिंग: कंपनी अपना कारोबार भारत में प्रभावी रूप से करता रहा है। तदनुसार, वित्तीय विवरण में भौगोलिक प्रखंड के आधार पर प्रखंड सूचना का प्राथमिक आधार संलग्न लाभ व हानि लेखा तथा तुलन पत्र के अनुसार है जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस-17) "प्रखंड रिपोर्टिंग" द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्राथमिक प्रकटन जैसे प्रखंड राजस्व, प्रखंड परिणाम, प्रखंड आस्तियाँ, प्रखंड देयताएँ आदि दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी दो अलग कारोबार गतिविधि में लगी हुई है: 1. म्यूचुअल फंड उत्पादों का संवितरण तथा 2. जमा प्रमाणपत्र, राजकोषीय बिलों तथा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन। अतः उपरोक्त दो कारोबार प्रखंडों के आधार पर गौण प्रखंड रिपोर्टिंग निम्नवत् है:

(₹ '000 में)

कंपनी में पूर्णकालीन कार्य कर रहे हैं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक का विवरण लेखा की टिप्पणियों के अंतर्गत टिप्पणी सं. 2 में दर्शाया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को ₹ 22,500/- के बैठक शुल्क का भुगतान किया है।

B. Notes to Accounts

1. The Company, registered as a Non Banking Financial Company (NBFC) with Reserve Bank of India had been functioning as Primary Dealer till March 2007. Further to the discontinuation of its Primary Dealership activity, the Company had ceased to be the NBFC and accordingly the Certificate of Registration under Section 45-IA (6) of the RBI Act 1934 was cancelled. The Company started the distribution of Mutual Fund products. Besides, the Company has been deploying its funds by way of trading in approved instruments including Certificate of Deposits, Central Govt Securities and Treasury Bills as part of its business activity. The Company has secured the requisite regulatory approvals for commencement of equity broking business and it is taking forward the enablement process with NSE.

2. The Managing Director is on deputation from Corporation Bank with effect from 8/6/2010 and his remuneration is in accordance with the service rules of the Bank. The particulars of aggregate remuneration for the financial year are:

	2010-11 ₹
Salaries & Allowances	5,32,633
Contribution to Provident and other Funds	40,200
Total Remuneration	5,72,833

In addition, the Managing Director has been allowed to use company's car including for private journeys up to a ceiling of 500 km p.m., on payment of Rs.150/- p.m. Charges for use of the car in excess of the aforesaid ceiling are recovered @ Re.1/- per km.

The remuneration paid to the Managing Director is within the limits prescribed under Schedule XIII of the Companies Act, 1956.

3. The computation of net profits under Section 349 of the Companies Act, 1956 has not been given, as commission by way of percentage of profits is not payable to managerial personnel.

4. All the employees of the Company are on deputation from Corporation Bank and are the members of Bank's Staff Provident Fund and also the members of Bank's Pension Fund, both are recognised as Trusts coming under Income Tax Act, 1961. In regard to Pension Fund, apart from the monthly contribution of 10% of the salary of pension optees, the Bank contributes to the Fund in lump sum, based on the actuarial valuation to meet the pension liabilities. The provision for retirement benefits is made by Corporation Bank. Similarly provision for Leave Encashment on accrual basis is made by Corporation Bank.

5. Prior period Income & Expenditure:

Income: Commission and Brokerage received ₹ 39.62 Lac (Previous Year: Nil)

Expenditure: Nil

6. Foreign Exchange Earnings: ₹ Nil (P.Y. -Nil)

7. Expenditure in Foreign currency: Travelling Expenses: ₹ Nil (P.Y.- Nil)

8. Segment Reporting: The Company has been predominantly carrying on its business within the territorial limits of India. Accordingly, the primary basis of segmental information on the basis of geographical segment in the financial statement is as per the attached Profit and Loss account and Balance Sheet that give all the necessary primary disclosures such as Segment Revenue, Segment Result, Segment Assets, Segment Liabilities, etc., as required under Accounting Standard (AS-17) "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Further the Company is engaged in the business of two separate business activities, viz. 1. Distribution of Mutual Fund Products and 2. Dealing in Certificate of Deposits, Treasury Bills and Dated Govt. Securities. Therefore, the secondary segmental reporting based on the abovementioned two business segments is as under:

(₹ in '000s)

Particulars	Distribution of Mutual Fund Products		Dealing in CDs/ T.Bills/Govt. Securities		Total of Segments		Total of Enterprise	
	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11	09-10	10-11
Segment Revenue	59708	22315	21348	72221	81056	94536	94020	102670
Total Revenue	59708	22315	21348	72221	81056	94536	94020	102670
Percentage of Total Revenue	73.66%	23.60%	26.34%	76.40%	100%	100%	-	-
Allocable Expenses	-	-	-	-	-	-	2038	5240
Segment Result	59708	22315	21348	72221	81056	94536	-	-
Segment Asset	-	-	992870	1142316	992870	1142316	1257886	1325828
Percentage of Total Assets of All segments	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-

9. The company is a fully owned subsidiary of Corporation Bank. The overall supervision and control of the company vests with the Board of Directors. All the key managerial personnel including the Managing Director of the company, who are on the rolls of the company, are on deputation from Corporation

Bank. They are working full-time with the company. Details of managerial remuneration are disclosed vide Note Number 2 above in the Notes to Accounts. The company has paid sitting fees of ₹22,500/- to the Independent Director during the year.



10. संबंधित पार्टी लेनदेन

क. वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान कार्पोरेशन बैंक के साथ लेनदेनों के विवरण:

लेनदेन की प्रकृति	चालू वर्ष 31.03.2011 ₹ करोड़ में	गत वर्ष 31.03.2010 ₹ करोड़ में
-------------------	--	--------------------------------------

जमाएँ:

यथा मार्च अंत	8.35	13.68
वर्ष के दौरान अधिकतम	17.94	56.85

ऋण:

यथा मार्च अंत	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अधिकतम	110.00	लागू नहीं

आय:

जमा पर ब्याज	0.64	1.12
--------------	------	------

व्यय:

ऋण पर ब्याज	0.21	शून्य
किराया, रखरखाव, आदि	0.01	0.01

कंपनी कार्पोरेशन बैंक को सुख-सुविधाओं तथा उपयोगिताओं के प्रयोग हेतु इलेक्ट्रिसिटी व्यय तथा रख-रखाव प्रभार के अलावा क्षेत्र का भाग, उपयोग करने हेतु प्रति तिमाही ₹ 25,000/- की सहमत दर पर प्रतिपूर्ति करती है।

ख. सम्बद्ध पक्ष प्रकटन पर लेखांकन मानक (ए.एस.)-18 के पैरा 9 के अनुसार एक सरकारी नियंत्रक उद्यम होने के नाते कंपनी के लिए वह अपेक्षित नहीं है कि वह अन्य सरकारी नियंत्रक उद्यमों एवं ऐसे उद्यमों के साथ लेन-देन के संबंध में दूसरे पक्ष के साथ अपने संबंध का प्रकटीकरण करें।

11. कर विधियों के अनुसार कंपनी की कारोबार हानि अन्वशेषित है। कंपनी के प्रबंधन ने स्थिति की समीक्षा की है तथा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए यह निर्णय लिया है कि चालू वर्ष के दौरान अपने निवल कारोबार आय तथा मूल्यहास के मामले में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करे। तदनुसार, आस्थगित कर आस्ति का अनुमान लगाया गया तथा चालू वर्ष में प्रत्यावर्तित है। अर्थात् वह अवधि जब तक इसके अगले तीन वित्त वर्ष लाभ से घाटा-पूर्ति हेतु समंजन का अधिकारी अनुमत किया जाएगा, आस्थगित कर आस्ति का अनुमानित एवं सृजन किया गया है। तदनुसार, चालू वर्ष की कारोबार आय के आधार पर तथा अगले तीन वित्त वर्ष, जो समीक्षा के अधीन है आस्थगित कर आस्ति के ब्योरे निम्नवत है:

ब्योरे	अग्रनित हानियों के संबंध में ₹ '000 में	अचल आस्तियों के संबंध में ₹ '000 में	कुल ₹ '000 में
आस्थगित कर आस्ति यथा 31-3-2010	9,32,83	1,22	9,34,05
घटाएँ: वर्ष हेतु डीटीए का प्रतिलेखन	2,46,36	78	2,47,14
आस्थगित कर आस्ति यथा 31-3-2011	6,86,47	44	6,86,91

12. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गमित लेखांकन मानक (ए एस)-20 के संदर्भ में प्रति शेयर अर्जन निम्नानुसार है -

	2010-2011	2009-2010
शेयरों की संख्या	7,50,00,000	7,50,00,000
कर के बाद लाभ/(हानि)-(ख) (₹ '000 में)	6,79,42	10,99,02
प्रति शेयर अर्जन-(ख)/(क)	₹ 0.91	₹ 1.47

13. क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के ईक्विटी शेयरों में किए गए ₹ 50 लाख के निवेश के मामले में, तुलन-पत्र की तारीख को उनके बाजार मूल्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सका, चूंकि यह शेयर सूचीबद्ध नहीं हैं। तथापि, हमने लागत पर मूल्य को लिया है तथा अंतिम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट से सुनिश्चित किए गए अनुसार निवेश के मूल्य में कोई गिरावट या मूल्यहास नहीं है।

14. आस्तियों की क्षति - (एस 28) कंपनी ने पुष्टि की है कि अस्तियों की कोई भौतिक क्षति नहीं है और इसलिए एस 28 के अनुसार कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

15. व्यष्टि, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा 22 के अनुसार कंपनी द्वारा तुलन-पत्र दिनांक को क्रेता के रूप में ब्याज सहित अदत राशि के ब्योरे संबंधी सूचना शून्य है।

16. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित तथा पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

कृते बाबू यू. चोकशी एंड कं.
फ पं सं. 100814W
सनदी लेखाकार

रामनाथ प्रदीप
साझेदार

नरेन्द्र सिंह
अध्यक्ष

यू. बालकृष्ण भट्ट
निदेशक निदेशक

संजय बी. चोकशी
साझेदार
स. सं. 48508

सी वीआर राजेंद्रन
निदेशक

डॉ. एच. साधक
निदेशक

वी. मुत्तुकृष्णन
प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक: 28 अप्रैल, 2011



10. Related Party Transactions:

A. Details of transactions with Corporation Bank during the fiscal 2010-11:

Nature of transaction	Current Year 31.03.2011 ₹ in crore	Previous Year 31.03.2010 ₹ in crore
Deposits:		
As at March end	8.35	13.68
Maximum During the year	17.94	56.85
Loans:		
As at March end	NIL	NIL
Maximum During the year	110.00	N A
Income:		
Interest on Deposit	0.64	1.12
Expenditure:		
Interest on Loan	0.21	NIL
Rent, Maintenance, etc.	0.01	0.01

The Company has been reimbursing to Corporation Bank towards utilizing a part of the area at the agreed rate of ₹ 25,000/- per quarter apart from the Electricity Expenses and Maintenance Charges towards utilizing amenities and utilities.

B. As per Para 9 of the Accounting Standard (AS)-18 on Related Party Disclosures, the company being a state-controlled enterprise is not required to make disclosures of related party transactions with other state controlled enterprises and transactions with such enterprises.

11. The Company has unabsorbed business loss as per tax laws. The management of the Company, as in the past, has reviewed the position and by taking a prudent view has decided to write back deferred tax asset relating to its net business income and depreciation during the current year. Accordingly, the deferred tax asset has been estimated and written back in the current year, based on the net business income that the Company is expected to generate in the next three financial years, the period up to which the right of set off against its carry forward loss is allowed. Accordingly, relying on the current year's business

income and as per the net business income estimated for the next three financial years, which is subject to review, the details of Deferred Tax Asset are furnished as under:

Particulars	In relation to carry forward losses ₹ 000's	In relation to Fixed Assets ₹ in 000's	Total ₹ in 000's
Deferred Tax Asset as on 31.3.2010	9,32,83	1,22	9,34,05
Less: Write back of DTA for the year	2,46,36	78	2,47,14
Deferred Tax Asset as on 31.3.2011	6,86,47	44	6,86,91

12. The Earning Per Share, in terms of Accounting Standards (AS)- 20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is as under:

	2010-2011	2009-2010
No of Shares	7,50,00,000	7,50,00,000
Profit/(Loss) After Tax (B) (₹ in 000's)	6,79,42	10,99,02
Earning Per Share (B)/(A)	₹ 0.91	₹ 1.47

13. As regards the Investment of Rs 50 lakh made in Equity Shares of Clearing Corporation of India Limited, market value as on Balance Sheet date is not ascertainable, as the shares are not listed. However, the value is taken at cost and there is no deterioration or depreciation in the value of Investment as ascertained from the latest available annual report.

14. Impairment of Assets (AS 28) – The Company has confirmed that there is no material impairment of assets and as such no provision is required as per AS 28.

15. The information to be furnished as buyer by the Company as per Section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 regarding the details of unpaid amount with interest on the Balance Sheet date is Nil.

16. Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary.

For and on behalf of Board of Directors

For Babu U.Chokshi & Co.
Firm Registration No. 100814W
Chartered Accountants

Ramnath Pradeep
Chairman

Narendra Singh
Director

U Balakrishna Bhat
Director

Sanjay B. Chokshi
Partner
M.No. 48508

C VR Rajendran
Director

Dr.H. Sadhak
Director

V Muthukrishnan
Managing Director

Place: Mumbai
Date: 28th April 2011



31 मार्च, 2011, को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण:

		चालू वर्ष (2010-11)	(₹ '000 में) विगत वर्ष (2009-10)
क. परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:			
कर तथा आकस्मिक व्ययों के पूर्व लाभ/(हानि)		9,74,31	919,82
जोड़ें/(घटाएँ): गैर-नकद व्यय			
स्थाई आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,71		1,67
हानि बट्टे खाते डाली गई स्थिर आस्तियाँ	10	1,81	1,83
		<u>9,76,12</u>	<u>921,65</u>
घटाएँ : निवेश कार्यकलापों के तहत दर्शाई गई राशि			
लाभांश	7,50		7,50
आयकर धन-वापसी पर ब्याज	8,94	16,44	10,06
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचा मूल लन लाभ	(I)	9,59,68	9,04,09
घटाएँ :			
परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		(14,94,46)	(52,26,85)
व्यापारगत स्टॉक		(12,15)	109,92
प्रोद्भूत ब्याज		(2,60,42)	2
अन्य आस्तियाँ		(17,67,03)	(51,16,91)
परिचालन देयताओं में वृद्धि/(कमी):		1,56,20	4
चालू देयताएँ		<u>1,56,20</u>	<u>4</u>
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से नकदी प्रवाह	(II)	(16,10,83)	(51,16,87)
परिचालनों से अर्जित नकद	(I+II)	(6,51,15)	(42,12,78)
प्रदत्त कर (एफ बी टी, आई टी, एम ए टी तथा वापसी का निवल सहित कर			
वापसी पर ब्याज सहित)		25,37	(70,77)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी	(क)	(6,25,78)	(42,83,55)
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:			
प्राप्त लाभांश		7,50	7,50
स्थाई आस्तियों (निवल) की खरीद या बिक्री		(6)	(3,15)
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकदी	(ख)	<u>7,44</u>	<u>4,35</u>
ग. वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:			
वित्तपोषण क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह	(ग)		
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(ह्रास)	(क) + (ख) + (ग)	(6,18,34)	(42,79,20)
नकदी एवं नकदी समतुल्य यथा:			
वर्ष के आरंभ में		14,56,69	57,35,89
वर्ष के अंत में		<u>8,38,35</u>	<u>14,56,69</u>
		<u>(6,18,34)</u>	<u>(42,79,20)</u>

हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मंडल के लिए व उनकी ओर से

कृते बाबू यू. चोकशी एंड कं.

फ पं सं. 100814W

सनदी लेखाकार

संजय बी. चोकशी

साझेदार

स. सं. 48508

स्थान : मुंबई

दिनांक : 28 अप्रैल 2011

रामनाथ प्रदीप
अध्यक्ष

सी वीआर राजेंद्रन
निदेशक

नरेन्द्र सिंह
निदेशक

डॉ. एच. साधक
निदेशक

यू. बालकृष्ण भट्ट
निदेशक

वी. मुत्तुकृष्णन
प्रबंध निदेशक



Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2011

	Current Year	Previous Year
	(2010-11)	(2009-10)
	(₹ in '000)	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit/(Loss) before taxes and contingencies	9,74,31	919,82
Add/(Less): Non Cash Expenses:		
Depreciation on Fixed Assets	1,71	1,67
Loss/Write off of Fixed Assets	<u>10</u> <u>1,81</u>	<u>16</u> <u>1,83</u>
	<u>9,76,12</u>	<u>921,65</u>
Less: Amount shown under Investing Activities:		
Dividend	7,50	7,50
Interest on IT Refund	<u>8,94</u> <u>16,44</u>	<u>10,06</u> <u>17,56</u>
Operating Profit before working capital changes (I)	<u>9,59,68</u>	<u>9,04,09</u>
Less:		
(Increase)/Decrease in Operating Assets –		
Stock in Trade	(14,94,46)	(52,26,85)
Accrued Interest	(12,15)	109,92
Other Assets	<u>(2,60,42)</u>	<u>2</u>
	<u>(17,67,03)</u>	<u>(51,16,91)</u>
Increase/(Decrease) in Operating Liabilities –		
Current Liabilities	<u>1,56,20</u>	<u>4</u>
	<u>1,56,20</u>	<u>4</u>
Cash Flow from working capital changes (II)	<u>(16,10,83)</u>	<u>(51,16,87)</u>
Cash Generated from operations (I+II)	<u>(6,51,15)</u>	<u>(42,12,78)</u>
Taxes Paid (including FBT, IT, MAT and net of refunds including interest on tax refund)	<u>25,37</u>	<u>(70,77)</u>
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	<u>(6,25,78)</u>	<u>(42,83,55)</u>
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:		
Dividend Received	7,50	7,50
Purchase / Sale of Fixed Assets (net)	<u>(6)</u>	<u>(3,15)</u>
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	<u>7,44</u>	<u>4,35</u>
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A)+(B)+(C)	<u>-</u>	<u>-</u>
CASH AND CASH EQUIVALENTS AS AT:		
Beginning of the Year	14,56,69	57,35,89
End of the Year	<u>8,38,35</u>	<u>14,56,69</u>
	<u>(6,18,34)</u>	<u>(42,79,20)</u>

As per our Report of even date attached herewith

For Babu U. Chokshi & Co.
Firm Registration No. 100814W
Chartered Accountants

Sanjay B. Chokshi
Partner, M.No. 48508

For and on behalf of Board of Directors

Ramnath Pradeep
Chairman

Narendra Singh
Director

U. Balakrishna Bhat
Director

C. VR Rajendran
Director

Dr. H. Sadhak
Director

V. Muthukrishnan
Managing Director

Place: Mumbai
Date : 28th April, 2011



कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग - IV के अनुसार मांगी गई अतिरिक्त सूचना

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER PART IV OF SCHEDULE VI TO THE COMPANIES ACT, 1956

तुलन-पत्र सार और कंपनी का सामान्य कारोबार वृत्तांत

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

1. पंजीकरण विवरण Registration Details

पंजीकरण सं. Registration No.	U67190MH1999GOI122710	राज्य कूट State Code : 11
तुलन-पत्र का दिनांक Balance Sheet Date	31.03.2011	

2. वर्ष के दौरान एकत्रित पूँजी

(₹ in '000s में)

Capital Raised during the Year

सार्वजनिक निर्गम Public Issue	शून्य Nil	अधिकार निर्गम Rights issue	शून्य Nil
बोनस निर्गम Bonus Issue	शून्य Nil	निजी नियोजन Private Placement	शून्य Nil

3. निधियों के संग्रहण एवं विनियोजन की स्थिति

(₹ in '000s में)

Position of Mobilisation and Deployment of Funds

कुल देयताएँ Total Liabilities	132,58,28	कुल आस्तियाँ Total Assets	132,58,28
-------------------------------	-----------	---------------------------	-----------

निधियों के स्रोत Sources of Funds

प्रदत्त पूँजी Paid-up Capital	75,00,00	आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves & Surplus	57,58,28
जमानती ऋण Secured Loans	शून्य Nil	गैर-जमानती ऋण Unsecured Loans	शून्य Nil

निधियों का अनुप्रयोग Application of Funds

निवल स्थिर आस्तियाँ Net Fixed Assets	5,61	निवेश Investments	50,00
निवल चालू आस्तियाँ Net Current Assets	1,25,15,76	आस्थगित कर (निवल) Deferred Tax (net)	6,86,91
संचित हानि Accumulated Losses	शून्य Nil	विविध व्यय Miscellaneous Expenditure	शून्य Nil

4. कंपनी का निष्पादन Performance of the Company

(₹ in '000s में)

कुल आय Total Income	10,26,70	कुल व्यय Total Expenditure	52,39
कर-पूर्व लाभ Profit before Tax	9,74,31	कर-पश्चात् लाभ Profit after Tax	6,79,42
प्रति शेयर अर्जन (₹.) Earning per Share (Rs.)	0.91	लाभांश दर Dividend Rate (%)	Nil

5. कंपनी के तीन मुख्य उत्पाद/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक शब्दावली के अनुसार)

Generic Names of the three Principal Products/Services of the Company (As per Monetary terms)

मद कूट (आईटीसी कूट) Item Code (ITC code) : कुछ नहीं Nil

सेवा का विवरण : मध्यवर्ती के रूप में म्यूचुअल फंड उत्पादों का संवितरण तथा जमा प्रमाण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियों तथा राजकोष बिलों का लेनदेन

Service Description : Distribution of Mutual Fund Products as intermediaries and Dealing in Certificate of Deposits, Govt. Securities & Treasury Bills.



कार्पोरेशन बैंक CORPORATION BANK

प्रधान कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर – 575 001
HEAD OFFICE : MANGALADEVI TEMPLE ROAD, MANGALORE – 575 001

14वीं वार्षिक महासभा हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र	
दिनांक : 9 जुलाई, 2011	समय : पूर्वाह्न 10.00 बजे
स्थान : सभागृह	
सहस्राब्दि भवन	
कार्पोरेशन बैंक	
प्रधान कार्यालय, मंगलूर – 575 001	

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING	
Date : 9th July, 2011	Time : 10.00 A.M.
Place : Auditorium	
Millennium Building	
Corporation Bank	
Head Office, Mangalore – 575 001	

उपस्थिति पत्रक ATTENDANCE SLIP

(प्रवेश के समय जमा किया जाए To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/ प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में NAME IN BLOCK LETTERS (सदस्य Member/ प्रॉक्सी Proxy)	फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. FOLIO/DPID/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

बैठक हाल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक हाल में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश यथा आवश्यकतानुसार आगे सत्यापन/जाँच के अध्वधीन होगा। किसी भी हालत में बैठक हाल के प्रवेशद्वार पर उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र की दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

पुनःश्च: बैठक में कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बाँटे जायेंगे।

कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं।

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass be issued at the entrance to the meeting hall.

P.S. : No gifts /gift coupons will be distributed at the meeting.

Please bring your copy of the enclosed Annual Report.



ईक्विटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान हेतु एनईसीएस अधिदेश फार्म
(कागज़ी रूप में शेयरों के मामले में – हमारे शेयर अंतरण एजेंट को भेजें)
डीमैट शेयरों के मामले में – अपने डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट को भेजें)

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. पंजीकृत फोलियो सं. :
 (यदि डीमैट नहीं किया गया)
 डीपीआईडी सं. :
 ग्राहक आईडी सं. :
 (यदि डीमैट किया गया हो)
4. बैंक खाते के विवरण
 क. बैंक का नाम :
 ख. शाखा का नाम और शहर (पिन कोड) :
 ग. खाता सं. (चेक बुक में यथा उल्लिखित) :
 घ. खाते का प्रकार (कृपया टिक करें) : ब.बैं. चालू नकद उधार
 ङ. बैंक खाते की बही फोलियो सं. :
 च. बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर अंकित
 बैंक एवं शाखा की 9 अंकीय कूट सं. :
5. कूट संख्याओं की परिशुद्धता सत्यापित करने के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक पत्रों की एक फोटोप्रति या एक कोरा निरस्त चेक संलग्न करें ।

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिये गये विवरण सही एवं पूर्ण हैं । अपूर्ण या गलत सूचना के कारण यदि लेन-देन विलंबित होता है या सम्पन्न नहीं होता है तो मैं कांफ़िडेंस बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी । किसी कारणवश एनईसीएस सुविधा उपलब्ध न होने पर ऊपर उल्लिखित खाता विवरणों को भुगतान लिखत में शामिल किया जाए ।

स्थान : प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर
 दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित विवरण हमारे अभिलेख के अनुसार सही हैं ।

स्थान : संबंधित बैंक के प्रबंधक के हस्ताक्षर
 दिनांक :

- टिप्पणी:**
1. कृपया सभी कॉलम भरें । अपूर्ण प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
 2. यदि यह प्रपत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तो पुनः देने की आवश्यकता नहीं है ।
 3. बैंक से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के स्थान पर शेयरधारक एक कोरा 'निरस्त' चेक या उसकी फोटोप्रति संलग्न कर सकते हैं ।



NECS MANDATE FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON EQUITY SHARES

(In case of physical shares– send to our Share Transfer Agent
In case of demat shares–send to your Depository Participant)

1. First Shareholder's Name (in Block letters) :
2. Address :
3. Regd. Folio No. :
(If not Dematerialised)
- DPID No. :
- Client ID No. :
(If Dematerialised)
4. Particulars of Bank Account :

 - A. Bank Name :
 - B. Branch Name & City (Pin code) :
 - C. Account No. (as appearing on the Cheque Book) :
 - D. Account Type (Please tick) : SB Current Cash Credit
 - E. 9 Digit code No. of the Bank & Branch appearing on the MICR cheque issued by the bank :

--	--	--

--	--	--

--	--	--

5. Please attach a photocopy of a cheque leaf or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

DECLARATION

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the Corporation Bank responsible. In case of NECS facility not being available for any reason, the account details provided above may be incorporated in the payment instrument.

Place :

Date :

Signature of the first shareholder

Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Place :

Date :

Signature of the Manager of the Bank Concerned

Notes: 1. Kindly fill all columns. Incomplete forms shall not be entertained.

2. Please ignore this form, if the same is already submitted.

3. In lieu of the Bank Certificate to be obtained, shareholders can attach a blank 'cancelled' cheque or a photocopy thereof.



कार्पोरेशन बैंक

प्रधान कार्यालय: मंगलूर – 575 001

फॉर्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरकर हस्ताक्षरित किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. सीबीई
(यदि डीमेट न किया गया हो)

डीपीआईडी सं.

ग्राहक आईडी सं.

(यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम राज्य के जिले के का/
के निवासी कार्पोरेशन बैंक का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के जिले के निवासी
श्री/श्रीमती को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर राज्य
के जिले के निवासी श्री/श्रीमती शनिवार, 9 जुलाई, 2011 को, सहस्राब्दि
भवन, कार्पोरेशन बैंक, प्रधान कार्यालय, मंगलूर में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की चौदहवीं वार्षिक महासभा में तथा इसके
अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे लिए वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

..... माह के दिन, 2011 को हस्ताक्षरित ।

कृपया
पंद्रह पैसे का
रसीदी टिकट
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी लिखत वैध होने के लिए यह ज़रूरी है कि
क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में यह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
ख. संयुक्त धारकों के मामले में यह सदस्य-रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
ग. किसी कार्पोरेट निकाय के मामले में यह सामान्य मोहर अगर कोई है, के साथ इसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो ।
2. प्रॉक्सी की कोई लिखत जिस में शेयरधारक के अंगूठे का निशान है, वैध होगी बशर्ते यह किसी जज, मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, एश्वोरैस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या कार्पोरेशन बैंक के अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की गयी हो ।
3. प्रॉक्सी के साथ
क. मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया या
ख. नोटरी पब्लिक या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उस मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति 14 वीं वार्षिक महासभा प्रारंभ होने की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 4 जुलाई, 2011 को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् शाम 5.00 बजे तक या उसके पहले कार्पोरेशन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए ।
4. यदि संबद्ध मुख्तारनामा कार्पोरेशन बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि उल्लिखित की जानी चाहिए ।
5. कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक कि उस पर विधिवत् स्टैम्प न लगाया जाए ।
6. बैंक में जमा की गई प्रॉक्सी लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी ।
7. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप में दो प्राप्तिकर्ताओं के पक्ष में मंजूर की गई है तो एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
8. शेयरधारक जिसने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित की है, ऐसी लिखत जिस बैठक से संबंधित है उसमें व्यक्तिगत रूप से वोट डालने का हकदार नहीं होगा ।
9. कार्पोरेशन बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।
10. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि यह फार्म "बी" में न हो ।



Corporation Bank

Head Office : Mangalore – 575 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. CBE (If not Dematerialised)

DPID No.

Client ID No.

(If Dematerialised)

I/We,..... Resident of in the District of in the State of..... being a shareholder/s of CORPORATION BANK, hereby appoint Shri/Smt. resident of in the district of in the State of..... or failing him/her, Shri/Smt..... resident of in the District of in the State of as my/our proxy to vote for me/us on my/our behalf at the FOURTEENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Saturday, 9th July 2011, at MILLENNIUM BUILDING, CORPORATION BANK, HEAD OFFICE, MANGALORE and at any adjournment thereof.

Please affix fifteen paise revenue stamp

Signed this day of 2011.

Signature of the Proxy

Signature of the first holder/sole holder

Name : Address :

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- 1. The instrument of proxy to be valid, a. in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing b. in the case of joint holders, shall be signed by the shareholder first named in the Register of Members or by his/her attorney duly authorised in writing c. in the case of a body corporate, shall be signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing. 2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Corporation Bank. 3. The proxy together with a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Corporation Bank, not later than FOUR DAYS before the date of the Fourteenth Annual General Meeting, i.e. on or before closing hours i.e. 5.00 p.m. of Monday 4th July, 2011. 4. In case the relevant power of attorney is already registered with Corporation Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned. 5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped. 6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final. 7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed. 8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. 9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of CORPORATION BANK. 10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

पुरस्कार Awards

बैंक की उत्कृष्ट उपलब्धियों से बैंक को वर्ष 2010-2011 में निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए।

The outstanding achievements of the Bank enabled the Bank to receive the following awards for the year 2010-2011



श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्लूमबर्ग युटीवी - फ़िनेन्शियल लीडरशिप अवार्ड 2011 का सर्वोत्तम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पुरस्कार मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह में माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से प्राप्त करते हुए। श्री यु.बी. भट्ट, मुख्य महा प्रबंधक, कार्पोरेशन बैंक साथ में खड़े हैं।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director, Corporation Bank receiving Best PSU Bank of the Year by Bloomberg UTV - Financial Leadership Awards 2011 from Hon'ble Union Finance Minister Shri Pranab Mukherjee at an Award ceremony held at Mumbai. Also seen in the photograph is Shri U B Bhat, Chief General Manager of Corporation Bank.

श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भूतपूर्व राष्ट्रपति से बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड स्वीकार करते हुए।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director of the Bank receiving Banking Technology Awards 2010 from His Excellency Dr. A P J Abdul Kalam, Former President of India.



श्री रामनाथ प्रदीप, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बंगलादेश वुमन चेंबर ऑफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्री की अध्यक्षा श्रीमती सेलीमा अहमद से सम्मानित हुए।

Shri Ramnath Pradeep, Chairman & Managing Director, is honoured by Smt. Selima Ahmad, President, Bangladesh Women Chamber of Commerce & Industry (BWCCI).

The best Bank* also has the best Employees!

Corporation Bank achieves No. 1 status yet again! The Reserve Bank of India report 'Profile of Banks for 2009-2010' has rated the Bank as the Best among the PSU Banks in Employee Productivity. The best Bank is now also the most efficient one!

Thank you Customers and Wellwishers for your continued patronage.

*Best Bank Mid-Size Award by BusinessWorld & PricewaterhouseCoopers Survey-2009

www.corpbank.in

₹ 5,34,000 Public Sector Banks	₹ 9,52,000 CorpBank	₹ 6,05,000 Industry Average
Profit Per Employee		

कार्पोरेशन बैंक **Corporation Bank**
A Premier Public Sector Bank

प्रौद्योगिकी का लाभ



Leveraging Technology

समावेशी विकास



Inclusive Growth

ख्याति के शिखर पर



Winning Laurels

कार्पोरेट कार्यालय: मंगलादेवी मंदिर मार्ग, मंगलूर - 575 001. Corporate Office: Mangaladevi Temple Road, Mangalore - 575 001
दूरभाष/Telephone: 0824-2426416-20 फैक्स/Fax: 0824-2444617 ई-मेल/e-mail: query@corpbank.co.in वेबसाइट/website: www.corpbank.in

बैंक हो तो ऐसा!

Bank ho toh aisa!

कार्पोरेशन बैंक



Corporation Bank

A Premier Public Sector Bank